राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] ग्यारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 6

बुधवार,

13 जनवरी, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। प्रश्न संख्या 52.

राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति

52. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कौन-कौनसे राजकीय उपक्रम हैं ? उक्त में से कौन-कौनसे लाभ में चल रहे हैं और कौन–कौनसे हानि में चल रहे हैं ? जो हानि में चल रहे हैं उनमें पूंजी निवेश कितना-कितना था और अब तक कितनी-कितनी हानि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) हानि में चल रहे उपक्रमों में सुधार हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं और किस-किसको बन्द किया जा रहा है ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन विभिन्न इकाइयों एवं उनकी वर्तमान स्थिति की संलग्न सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है। मुख्य इकाई राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना जो 60 लाख रुपये का प्रति वर्ष औसत लाभ अर्जित करती रही है, के निजीकरण में प्रस्तावित रायल्टी को लेकर व्यवधान आ जाने के कारण बन्द पड़ी है। निजीकरण के निर्णय पर राज्य सरकार पुनर्विचार कर रही है।

राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न राजकीय उपक्रमों की सूची, परिशिष्ट "ख" संलग्न है। पूंजी निवेश सहित, लाभ में चल रहे उपक्रमों हेतु आवश्यक सूचना इकाइयों के सामने (+) के रूप में, तथा हानि की सूचना (—) के रूप में दर्शायी गयी है।

(2) राजकीय उपक्रम विभाग की मुख्य इकाई लवण स्रोत, डीडवाना के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भविष्य में संचालन हेतु उत्पादित नमक के संग्रह एवं विक्रय का कार्य ठेके पर कराया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट "ख" पर दर्शाये गये विभिन्न राजकीय उपक्रम राज्य में अलग-अलग प्रशासनिक विभागों के अधीन कार्यरत हैं जिन पर राजकीय उपक्रम ब्यूरो का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा नुकसान में चल रहे उपक्रमों में आवश्यक सुधार कर नुकसान से उबारने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जो सूची मंत्री महोदय ने उपलब्ध करायी है, उसमें ऐसे राजकीय उपक्रम हैं, जिनकी पूंजी लागत से दस गुना तक घाटा हो गया। तो आपने यह कह दिया कि राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न उपक्रमों, तो राजकीय उपक्रम की ड्यूटी क्या है? आपने देखा होगा कि सारे राजकीय उपक्रम किसी ब्यूरो की गाइडलाइंस में चलते हैं। इसके बाद भी क्या इस ब्यूरो ने राज्य सरकार को जो निरन्तर घाटे में चल रहे उपक्रम हैं, उनको बन्द करने के लिये, या उसमें सुधार करने के लिये कोई राय आपको दी और उसमें राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि जो राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रम हैं उनके ऊपर स्टेट एन्टरप्राइजेज डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल नहीं है। जो ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, सन् 1984 में इसका गठन हुआ और उसके अन्दर चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी, चीफ एक्जिक्यूटिव दी पब्लिक अडरटेकिंग के और कुछ लोग हैं। इनका मुख्य कार्य जो है श्रीमन्, उसमें यूनीफोर्मिटी सरटेन डिग्री आफ यूनीफोर्मिटी इन दी पे स्केल्स आफ वेरियस कारपोरेशंस, या कहीं किसी विभाग में सरप्लस कर्मचारी हो गये, या उनकी उपयोगिता वहां नहीं है, तो दूसरे राजकीय उपक्रम विभागों के अन्दर उनका समायोजन, और उनको समय-समय पर गाइड लाइंस इत्यादि देना कि स्टोर की स्थिति, स्टोर के अन्दर स्टोर परचेज के मामले के अन्दर एक तरह से उनको गाइड लाइन देने का, एक सलाह देने का काम इस ब्यूरो का है। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस ब्यूरो का किसी भी राज्य के स्टेट एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट के उपक्रमों को छोड़कर दूसरे राजकीय उपक्रम जो हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल न होने के कारण जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि फिर इसकी क्या उपयोगिता है? इसका मूल रूप से कार्य उनको सलाह देने का, उनको मार्गदर्शन करने का यह ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का कार्य क्षेत्र है श्रीमन।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने यही पूछा कि राज्य सरकार को क्या इस ब्यूरो ने जो निरन्तर घाटे में चलने वाले उपक्रम हैं, जिनमें लगी हुई पूंजी से दस गुना तक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

घाटा हो गया, उनके बारे में क्या राज्य सरकार को उन्होंने कोई सुझाव दिया और उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, इस ब्यूरो ने राज्य सरकार को इन उपक्रमों को बन्द इत्यादि करने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है। यह प्रशासनिक विभाग जो है उन स्टेट एंटरप्राइजेज के, जो कि विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के तहत आते हैं, यह उनका मूल रूप से निर्णय लेने का कार्य है कि इनको जारी रखना है या बंद रखना है। यह हमारे कार्य क्षेत्र की बात नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न दो के उत्तर में डीडवाना नमक क्षेत्र में ठेके पर नमक का कार्य कराने का कहा है कि राज्य सरकार के यह विचाराधीन है। तो किस प्रकार से कराएंगे ? जमीन ठेके पर देंगे कि नमक ठेके पर लेंगे ? कैसे करेंगे ? जबकि वहां पर जो जमीन आपकी है उसके पट्टेधारी लोग हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, पूर्व में जो वहां प्रक्रिया थी कि वहां क्यारियों में जो नमक उत्पादित होता था उसकी एक कीमत लेकर के वह नमक स्टेट एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट खरीद लेता था। उनको इसके बदले में इसकी मजदूरी दी जाती थी और उसकी बिक्री करते थे। पिछली सरकार के वक्त जब 92 की बाढ़ आयी वहां पर, उसके बाद से वहां का सारा कार्य बन्द है और यह हुआ कि इसका निजीकरण कर दिया जाए। इसके ऊपर अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्रिमंडल का ज्ञापन पिछली सरकार के समय से विचाराधीन चल रहा है और अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। क्योंकि एक वहां पर बातचीत हुई थी, वहां के जो नमक उत्पादक हैं उनकी मांग यह थी कि पिछली सरकार ने पचपदरा के अन्दर जो रेट तय की है, उसी रेट के ऊपर हमको भी यहां पर काम दिया जाए। और जो पचपदरा के अन्दर निर्णय लिया, जब मैंने उस पत्रावली को देखा श्रीमन्, तो पचपदरा का निर्णय और यहां के हालात में बहुत फर्क था। पचपदरा का निर्णय भी किन परिस्थितियों में पिछली सरकार ने लिया ?

अब श्रीमन्, वहां पर गुजरात पैटर्न लागू किया और गुजरात पैटर्न के अन्तर्गत एक रुपया टन, यानि एक हजार किलो के ऊपर, अगर आप नमक उत्पादन करते हैं तो सिर्फ आप राज्य सरकार को एक तरह की रायल्टी, केवल एक रुपया टन ही देते हैं जबकि यहां पर पिछली सरकार ने रायल्टी की दर ज्यादा रखी थी। उसको वहां के जो नमक उत्पादक हैं उन्होंने मानने से इंकार कर दिया और वहां पर कोई इस बात को लेकर अभी तक लोगों के मन में, जो नमक उत्पादक हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं कि एक राज्य के अन्दर ही दो प्रकार की नीति आप किस प्रकार जारी रखना चाहते हैं। अब राज्य सरकार को यह अंतिम निर्णय लेना है कि डीडवाना से राज्य सरकार को करीब 60लाख, 70लाख

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रुपये साल की आमदनी हो रही थी। या तो हम उस आमदनी को छोड़ें। आज राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर जो प्राप्त हो रहा था उनको छोड़ने का अंतिम निर्णय यह प्रशासनिक विभाग न लेकर, क्योंकि मंत्रिमंडल ज्ञापन तैयार किया हुआ है और मंत्रिमंडल के विचारार्थ पैंडिंग है उसके ऊपर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं इस समय कोई भी कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं हूं। घाटे का मूल कारण यही था।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एग्रो इंडस्ट्रीज को बन्द करने का निर्णय लिया गया और आज उसका क्या स्टेटस है? कितने उसके एम्प्लायज को दूसरे डिपार्टमेंट्स में लगा दिया गया है और आज उसकी पूरी स्थिति, थोड़ी सी जानकारी हमें दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने किस इंडस्ट्री के बारे में पूछा माननीय सदस्य ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एग्रो इंडस्ट्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के पूर्व उत्तर में ही कहा था कि इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही दे सकेगा। हमारे विभाग के पास इन कारपोरेशंस का, अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है, एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन है....काफी कारपोरेशन हैं। इनके ऊपर प्रशासनिक विभाग उनके विभाग हैं। उनको ही इनके ऊपर कार्यवाही करनी है, एज सच स्टेट एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट उसमें इंटरफियर करने में सक्षम नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपके अधीन नहीं है एग्रो इंडस्ट्रीज ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, इसका एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है।

श्री अध्यक्ष : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नीचे भी है, दूसरा वह प्रश्न अलग है। इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि टेनेरीज कारखाना जो टोंक में लगा हुआ है, वह इस समय चालू है या बंद है, एक बात। और दूसरा यह है कि सरकार अपने आधार पर चला रही है ...

श्री अध्यक्ष : चालू और बन्द की सूचना अलग है। इसको सदन की मेज पर रख दिया है।

श्री कन्हैयालाल :.....या निजी आधार पर दिया हुआ है और दिया हुआ है तो इनको कब दिया था? प्राइवेट जिसको दिया गया है वह कब दिया गया है? इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे क्या इसका उत्तर देना है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। श्री विजयेन्द्रपाल सिंह, प्रश्न संख्या 53।

राज्य में पर्यटन नीति

53. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार कोई पर्यटन नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

(2) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नजूल सम्पत्ति को होटल एवं रिजोर्ट बनाने के सम्बन्ध के कोई नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : (1) जी, हां। राज्य सरकार पर्यटन नीति बनाने का विचार रखती है। पर्यटन नीति के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) जी, हां। राज्य में स्थित पर्यटन महत्व की चयनित नजूल सम्पत्तियों को पर्यटन इकाई यथा होटल/रिजोर्ट आदि के रूप में विकसित करने के लिए दिनांक 2-7-97 को राजस्थान पर्यटन भूमि एवं भवन पर्यटन विभाग/राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निस्तारण नियम, 1997 निर्मित किए जा चुके हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से और जानना चाहता हूं। पहले तो मैं स्वागत करता हूं कि आपने यह निर्णय किया है कि पर्यटन नीति जल्दी से जल्दी आप लेकर आ रही हैं। इसमें मैंने यह भी पूछा था कि कब तक ? तो इसमें "शीघ्र" से ज्यादा, अगर बजट सेशन तक आप ले आयें, और दूसरा प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि अगर आपने प्रारूप तैयार कर लिया है तो हम लोगों को भी, माननीय विधायकों को भी आप भिजवा दें तो हमारे सुझाव भी हम दे पायें।

दूसरा प्रश्न, क्या आपने अभी तक कोई नजूल प्रोपर्टीज की डिस्ट्रिक्टवाइज सूची तैयार की है ? अभी 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पर्यटन मेला 19 से 22 तक दिल्ली में लग रहा है। अगर यह सूची आपके पास तैयार हो तो उसका हमें थोड़ा हवाला दे दें और इसकी जानकारी अगर आप पर्यटन मेले के अन्दर भी सबको दें, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में ट्यूरिज्म पोटेंशियल बहुत है। बहुत सारे बड़े-बड़े उद्योगपति होटल, रिजोर्टस कम्पनीज यहां पर होटल और रिजोर्टस बनाने के लिए

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

तैयार हैं। लेकिन अगर आप उनको जानकारी नहीं देंगे तो वह कैसे लगायेंगे ? इस पर भी अगर आप कोई विचार रखते हैं तो थोड़ी जानकारी दें।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आसीन्द के माननीय सदस्य ने जो सवाल रखे हैं, मैं खुश हूं कि इन्होंने स्वागत किया है कि पर्यटन नीति हम शीघ्र ही बनाने जा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने आते ही एक घोषणा की थी, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहती हूं कि सन् 1995 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप ही की सरकार ने 30-10-95 को दशम् विधान सभा में पर्यटन नीति का प्रारूप माननीय सदस्यों के विचारार्थ सदन में रख दिया था। लेकिन हो सकता है माननीय सदस्य कोई आयातित अच्छी नीति, अपने सुझाव नहीं दे पाये हों इसलिए शायद रुक गयी थी तो पांच साल....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अब नये आ गये विधायक ।

श्रीमती बीना काक : इसलिए पांच साल से जो आप लोगों ने प्रारूप रख दिया था, उसके ऊपर तो कोई निर्णय नहीं हो पाया। उस प्रारूप की प्रति यहां पड़ी है। लेकिन चूंकि अब नई सरकार आयी है, तो जो मैन थ्रस्ट है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आयेगा। नई सेट आफ आइडियोलॉजी हमारी है। नई नीतियां हैं, हमारे नये विचार हैं। तो कुछ न कुछ जो मैन थ्रस्ट, उससे थोड़ा दुबारा कछ हटकर के जो हमारा नेग्लेक्टेड एरिया था, जो इको ट्यूरिज्म, नेचर ट्यूरिज्म, रूरल ट्यूरिज्म और पिलग्रिमेज ट्यूरिज्म है, उसको भी हम एक्सप्लोइट करना चाहते हैं। उसको भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि नेचुरल सम्पदा भी, फोर्ट एण्ड पैलेसेज तो हमारे पास बहुत हैं, उनके ऊपर बहुत काम किया जा चुका है और अब हमारा जो उद्देश्य होगा कि एलीट ट्यूरिज्म से हम कॉमनमैन तक पहुंचें। उच्च वर्गीय ट्यूरिज्म से हम सामान्य वर्ग तक पहुंचें। एम्प्लायमेंट ओरियन्टेड ट्यूरिज्म दे सकें। जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, युवा वर्ग को, युवा महिलाओं को इसमें रोजगार मिले। ट्यूरिस्ट गाइड्स हम ज्यादा दे सकें, ट्यूरिस्ट पेइंग गेस्ट स्कीम दे सकें। तो थोड़ा सा इस पर दुबारा से हम पुनर्विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही, जैसा आपने कहा कि आप पांच साल तक नहीं करवा सके, लेकिन हमें अभी डेढ़ महीना हुआ है। शीघ्र ही इस पर पुनर्विचार करके माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये, उनके विचार के लिये हम पर्यटन नीति को टेबल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो आपका दूसरा नजूल प्रोपर्टी के बारे में, तो कुछ प्रोपर्टीज जो ट्रांसफर हो चुकी हैं हमारे लैण्ड बैंक में, पांच तो हमारे पास हैं, कुछ कलक्टर्स को लिखा भी जा चुका था। ये 18 जिलों की हमारे पास लिस्ट है उनका ट्रांसफर होना बाकी है। They have proposed certain properties. उनका ट्रांसफर होना बाकी है।

(श्रीमती बीना काक)

लेकिन पांच प्रोपर्टीज हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं और 6 करीब होनी बाकी हैं। इसमें बाला किला, अलवर, बड़ौद किला, टेमरपुरा किला, तिजारा किला, बरहेटा किला. 5 और हैं जो प्रोसेस में हैं लैण्ड बैंक में आने के लिए बड़ौद रूंध, काकोनी फोर्ट, सज्जनगढ़ उदयपुर, किशोरी महल, भरतपुर और मसवाड़ फोर्ट, अजमेर। आपके सुझाव बहुत अच्छे सुझाव हैं। जो हम दिल्ली के अन्दर वीक मनाने जा रहे हैं हम अवश्य, जो ऑलरेडी हमारे पास हैं हमारे बैंक में, उन प्रोपर्टीज को लीज पर देने के लिए, या सेल के लिए जो भी लिखेंगे, और मैंने मेरे कार्यभार सम्भालने के बाद कई इंडस्ट्रियल हाउसेज को और प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों को पत्र भी लिखे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रोपर्टीज है। हमारे पास, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि हम प्रोपर्टीज को कंजर्व करने में योगदान कर सकें। हम जरूर चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आये और उसका बहुत अच्छा रेस्पोंस मिला है। करीब 5-6 लोगों के तो मुझे पत्र वापस प्राप्त भी हो गये हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है। मुझे तो खुशी है कि आप पर्यटन नीति को जल्दी लाने की इच्छा शक्ति रखते हैं और इसमें नया सोच भी देने जा रहे हैं। इसके साथ में मेरा नजूल प्रोपर्टी के ही बारे में एक और आपको सुझाव है, क्योंकि मेरे पास इरिगेशन विभाग भी था और अब हमारी मैडम के पास में है। इरिगेशन विभाग के अन्दर भी बहुत अच्छी-अच्छी प्रोपर्टीज हैं और अगर आप, आपकी साथी मंत्री महोदया से भी बात करेंगी और वह तैयार होंगी....

श्रीमती कमला : यह क्या अखबार में स्टेटमेंट सुनकर के, पढ़कर के कह रहे हैं?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या कहा?

श्रीमती कमला : पर्यटन मंत्री जी का एक बयान अखबारों में आया है कि वह इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउसेज में भी इस तरह की कुछ व्यवस्थायें करना चाहती हैं तो उसी को पढ़कर के आप बोल रहे हैं?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरे पास भी विभाग था और हमारा भी यह सोच था कि बहुत अच्छी प्रोपर्टीज....

श्रीमती कमला : समय क्यों खराब कर रहे हैं?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप उनसे भी बात करके अगर ये प्रोपर्टीज भी नजूल प्रोपर्टीज में लेकर यह भी विचार रखती हैं तो आप करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि राजस्थान पर्यटन विभाग के पास जो ट्यूरिस्ट बंगलो हैं या जो इस तरह के रेस्ट हाउसेज हैं जो आज घाटे में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चल रहे हैं । क्या सरकार उनको निजी क्षेत्र में देने का विचार रखती है, नम्बर एक ?

नम्बर दो, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, चूरू में कुछ भित्ति चित्र हैं, इस तरह के अछूते क्षेत्र हैं, जहां अनजाने ही ट्यूरिस्ट स्वयं आता है । आपके विभाग द्वारा उसके मार्ग-दर्शन के लिए कोई प्रेरित नहीं किया जाता है । क्या इस तरह के क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने का आप विचार रखते हैं ?

श्रीमती बीना काक : आपने जो सवाल किया कि हमारी जो यूनिटें घाटे में चल रही हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आकर उनको सम्भाले या आपके पास भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई प्रपोजल हो तो जरूर हमको बताएं । हम उसको देने में बिलकुल नहीं हिचकेंगे यदि वह घाटे में जा रहा है । आपके अपने क्षेत्र में नेगलेटेड जगह हैं उनके बारे में भी अगर आपके पास अच्छा सुझाव हो तो आप जरूर बताइएगा कि उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, मैं आपको इत्तिला करूंगी । (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : मेरे रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है और वहां पर लाखों लोग हर साल आते हैं और करोड़ों रुपये की इनकम होती है । अगर ऐसे स्थानों को पर्यटक केन्द्र बनाया जाए तो राजस्व मिलेगा और गरीब लोगों को मजदूरी मिलेगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट में डिस्पोज ऑफ होना चाहिए । रूल 31 इस बात को खास तौर से पाबंद करता है । आप एक प्रश्न के ऊपर 20 मिनट, 25 मिनट लेते हैं, कल एक प्रश्न के ऊपर आधा घण्टे से ज्यादा का समय ले लिया गया । बहुत से माननीय सदस्य मेरे पास आए कि पांच-सात मिनट से ज्यादा एक प्रश्न का उत्तर न हो और रूल्स में यह भी प्रावधान है कि 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑवर में डिस्पोज ऑफ होने चाहिए जबकि क्वेश्चन दो-तीन डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं ।

जो भी पर्यटक स्थल हैं, आप समझते हैं कि ट्यूरिज्म के लिए उपयुक्त हैं, आप लिखित में या जुबानी माननीय मंत्रीजी को सूचित कर दीजिए । नेक्स्ट, श्री अमरा-राम ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या आप घाटे की यूनिटों को निजी क्षेत्र में देने का विचार रखते हैं, इनको आप हर किसी को दे देंगे या अखबारों में विज्ञापन देंगे ?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी जगहों को लीज पर या शेयर किया जाए तो बात जंचती है लेकिन अलवर डिस्ट्रिक्ट, जो दिल्ली के नजदीक है, एन. सी. आर., राष्ट्रीय राजधानी पर्यटन क्षेत्र में है....

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ महिलाओं की भी सुन लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : टूरिस्टों के हिसाब से अग्रणी जिला है, सरिस्का टाइगर डैन, सिलीसेढ़ जैसे पर्यटक स्थल हैं, वहां तो पर्यटक वैसे ही बहुत आते हैं तो उसको आर. टी. डी. सी. खुद चलाए, यह मेरा सुझाव है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड तो सब बोल लिए। मैंने श्रीगंगानगर के लिए पिछली विधान सभा में निवेदन किया था कि हरियाणा और पंजाब के बोर्डर पर है, हरियाणा में टूरिज्म की बहुत अच्छी व्यवस्था है और जब वहां के लोग यहां आते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, अगर बड़ों को ही महत्व देते रहे तो इस नई सरकार से क्या फायदा हुआ ? इसलिए आपको इस नीति के अन्दर बदलाव करना होगा।

श्री ज्ञानचन्द आहूजा (रामगढ़) : अलवर जिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, 117 स्थान हैं पर्यटन के लिए। मंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब की भी सूची ब्यौरेवार लें और विकास करवाने में सहयोग करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्री महोदय, (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गंगानगर के सम्बन्ध में आपने ध्यान आकर्षित कर दिया कि श्रीगंगानगर, हरियाणा पंजाब के बोर्डर पर है। यह दिन में तीन दफा उल्लेख करते हैं। यह अन्तरराष्ट्रीय बोर्डर पर भी आया हुआ है। इसलिए माननीय मंत्रीजी आपके इस सुझाव को कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमराराम।

शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता

54. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना लागू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) राज्य में जिलेवार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है ?

(3) क्या सरकार उक्त शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है ?

राज्य मंत्री, श्रम और नियोजन (श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : (1) जी, नहीं।

(श्री हरिसिंह)

(2) राज्य में जिलेवार शिक्षित बेरोजगारों की सूची संलग्न है।

(3) राज्य में वर्तमान में संचालित योजनाओं से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। विभाग में कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, प्रश्न का पहला भाग है, जी नहीं। जो नई सरकार है, कल हमारे कई मंत्री कह रहे थे कि नई सरकार और नौजवान मुख्य मंत्री हैं और राजस्थान के युवाओं को आजादी के इतने साल बाद तक, (व्यवधान) इस देश में 8 राज्य ऐसे हैं कि पचास-बावन साल की आजादी के बाद भी, चाहे जो भी सरकार रही हो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो। यह जिम्मेदारी शासन की और शासन करने वालों की है, इस जिम्मेदारी से वे मुकर नहीं सकते। तो बेरोजगारी भत्ते की स्कीम आज हिन्दुस्तान के 25 में से 8 राज्यों में लागू है और राजस्थान में लागू न हो और ऐसे नौजवान मुख्य मंत्री लागू नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि नौजवानों ने उनमें जो विश्वास व्यक्त किया है, तो क्या उस विश्वास को तोड़ने का काम राजस्थान की सरकार करना चाहती है? एक प्रश्न।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने 6 लाख, 16 हजार, 992 शिक्षित बेरोजगार, इनमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने हैं और क्या इन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? और अगर दिया जाता है तो कितना दिया जाता है उसकी क्या शर्तें हैं? और उनमें शिक्षित बेरोजगार ट्रेंड अध्यापक, कितने हैं, यह मंत्रीजी जवाब दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1971 में कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की योजना चालू की थी लेकिन बी.जे.पी. सरकार ने 1995 में इस योजना को बन्द कर दिया। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, कई स्थायी रोजगार देने की योजनाएं हैं, यह भत्ता देकर के रोजगार देना इसका कोई स्थायी हल नहीं है। इसलिए स्थायी रोजगार देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं।

माननीय सदस्य को इसकी जानकारी होगी कि सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरु रोजगार योजना, पैकेज आफ प्रोग्राम, आटोरिक्शा योजना, स्कावूब, आई.आर.डी.पी., ट्राइसम, ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण शिक्षित युवाओं को रोजगार, भूतपूर्व सैनिकों हेतु स्वरोजगार योजना, सेम्पेक्स I, II, III, डाकरा। इन सब योजनाओं में हम शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के नौजवानों को स्वरोजगार देने के लिए,

(श्री हरिसिंह)

प्रेरित करते हैं कैम्प लगाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको लोन देते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं और यही एक स्थायी हल इस बात का है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल क्या पूछा है और मंत्रीजी जवाब क्या दे रहे हैं। मैं रोजगार के लिए नहीं पूछ रहा हूं। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार सरकार नहीं दे पाई इसलिए इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए, उनको बेरोजगारी भत्ता देना और आप कह रहे हैं...।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। सरकार उनको रोजगार देकर स्थायी हल करना चाहती है।

श्री अमराराम (धोद) : स्थायी हल तो रोजगार हुआ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार स्थायी हल करना चाहती है, रोजगार देना चाहती है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : वह योजना बी.जे.पी. ने बन्द कर दी तो आप क्या उसको चालू करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था, उसका उत्तर तो दे नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बन्द कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप उसको पुनः चालू कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सारे के सारे खड़े हो जाते हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना): सरकार का स्पष्ट जवाब आ गया, फिर क्या चाहते हो आप ? इसलिए इनको लताड़....(व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कम से कम बी. जे. पी. के तो एक माननीय सदस्य खड़े होइए, आप एक बैंच से तीन-तीन खड़े हो रहे हैं। पहले प्रश्नकर्ता।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना यह चाह रहा था कि जिन शिक्षित बेरोजगारों को, अशिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी तो बात छोड़िए। जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जिनका पैसा खर्च हुआ है, जो ट्रेंड हुए हैं उनको सरकार रोजगार नहीं दे पायी और कम से कम इसका अहसास राजस्थान को

(श्री अमराराम)

सरकार करे। इसके लिए उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में सरकार अहसास करे, इस बात का मैंने सवाल पूछा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार को इस बात का अहसास है। सरकार जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रयत्नशील है और उनके लिए हमारी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं।

श्री अमराराम (धोद) : रोजगार देंगे तो चाहिए क्या? आप तो यह बता दें कि कब तक इनको रोजगार दे देंगे। छह लाख शिक्षित बेरोजगार हैं और अशिक्षित भी जोड़ दिए जाए तो कई लाख हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार बहुत प्रयत्नशील है लोगों को रोजगार देने के लिए।

श्री अमराराम (धोद) : भत्ता नहीं, आप रोजगार दे दो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बड़ी भारी प्रयत्नशील है सरकार रोजगार देने के लिए। कितनी ही स्कीमें हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मैं पूछ रहा हूं वो बता दो। आप बिराजिए। मैंने जो पूछा है उसका उत्तर दें आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, पूछिए।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने यह पूछा है कि उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है या नहीं। जबकि हिन्दुस्तान की आठ स्टेट्स की सरकारें उनको बेरोजगारी भत्ता इस जिम्मेदारी को वहन करते हुए देती हैं। दूसरा, मैंने संख्या पूछी है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की इसमें क्या संख्या है? जो ट्रेंड टीचर हैं उनकी संख्या क्या है, कितने पद हैं, कितने कैंडीडेट हैं? और मैंने यह पूछा है कि इसमें जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की योजना थी, आप कह रहे हैं 1995 में बंद कर दी। तो क्या सरकार उसको पुनः चालू करना चाहती है और क्या संख्या है, इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न संख्या "ए" भाग का उत्तर दीजिए। आप ब्रेक-अप मांग रहे हैं अलग-अलग। यह आपने प्रश्न नहीं पूछा और शायद मंत्रीजी के पास में इसकी सूचना भी उपलब्ध नहीं होगी। क्वेश्चन की परिधि के अंदर आप पूछिए। भत्ता पूर्ववर्ती सरकार ने 1995 में बंद कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं आपका चालू करने का कोई विचार है क्या? यह प्रश्न आपके सामने विचाराधीन है? यही एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाओं में पहला कदम तो सरकार ने यह उठाया कि जो 60 साल की रिटायरमेंट की एज थी...

श्री किरोड़ीलाल (बामनवास): भत्ता। रोजगार मिलने तक भत्ता।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : बेरोजगारी भत्ता। देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं शिक्षित बेरोजगारों को।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : बेरोजगारी भत्ते का सवाल है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने जो बंद कर दिया वह बताएं पहले आप।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : बेरोजगारी, भत्ता। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। इन्होंने उस वक्त चालू क्यों नहीं किया जो आज ये चिल्ला रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आप चालू करने की घोषणा कीजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बेरोजगारी भत्ता बी.जे.पी. की सरकार ने बंद किया। अब पूछिए आपने बंद क्यों किया। बेरोजगारी भत्ता बी.जे.पी. की सरकार ने बंद किया। आप खुद जिम्मेदार हैं बंद करने के लिए। आपने बंद किया।

श्रीमती बीना काक : बेरोजगारी भत्ता बी.जे.पी. की सरकार ने बंद किया इसलिए बी.जे.पी. को पूछने का हक बिलकुल नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बी.जे.पी. ने किया इसकी सजा उनको मिल गई, आप क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : चालू तो कांग्रेस ने किया, बंद आपने कर दिया। (व्यवधान) इतना घाटा हो रहा है और फिर भी कह रहे हैं चालू करो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बी.जे.पी. को इसकी सजा मिल गई।

श्रीमती बीना काक : बी.जे.पी. वालों को पूछने का कोई हक नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने क्यों बंद किया ? आपकी सरकार संवेदनहीन थी, आपने बेरोजगारी भत्ता बंद किया। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है बेरोजगारी भत्ता बंद करने के लिए, अब आप क्यों पूछते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, ये सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बी.जे.पी. को इसकी सजा मिल गई। आप चालू कर रहे हैं या नहीं चालू कर रहे हैं ? आप चालू कर रहे हैं तो कब तक कर देंगे, कितना भत्ता देना चालू कर रहे हैं, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : भत्ता चालू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में बताएं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में जो वादे किये हैं उन चुनाव घोषणा के सब वादों को पूरा करेगी और जल्दी ही पूरा करेगी।

श्री अमराराम (धोद) : पूरा करेगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी टाइम बाउण्ड बताएं। यह नहीं कि पांच साल के बाद आखिरी दिन करेगी। टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत देर से निवेदन कर रहा था कि मुझे एक मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री रामाराम चौधरी : आपको आठ साल मौका दिया था। आपने क्या किया, इसका सब लेखा-जोखा सदन को दो। आठ साल का मौका दिया था। जनता ने आपको आठ साल का मौका दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

एक माननीय सदस्य : आपने ठेकेदारी प्रथा चला दी। आपने तो एक भी नौकरी देना बंद कर दिया। ठेकेदारी प्रथा चलायी है आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने चार सप्लीमेंटरी पूछ लिए, प्रश्नकर्ता को दो सप्लीमेंटरी पूछने चाहिए। गुलाबचंद कटारिया। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, इस प्रश्न को दो भागों में बांट दिया जाय।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि बेरोजगार नौजवानों के साथ, जो चुनाव के अंदर उन्होंने वायदा किया है, राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ राजस्थान की सरकार धोखा कर रही है। जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है उसका जवाब लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं इसको दो भागों में बांट दें। एक तो जितनी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसमें आप रोजगार देने के लिए क्या तरीके हैं वे करते रहिए, कोई बात नहीं। आज राज्य की सरकारी नौकरियों में जो पद रिक्त हैं (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप एक-एक पूछें। जब चाहते हैं खड़े हो जाते हैं, मैं समझ ही नहीं पाता क्या कह रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या राज्य सरकार यह समयबद्ध कर सकती है? जो पद आपके पास रिक्त हैं विभिन्न स्तरों के, चाहे वे शिक्षक हों, एल.डी.सी. हों, किसी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भी स्तर के हों, जो रिक्त पद आज आपके पास हैं उन रिक्त पदों को आप कब तक भरने की मंशा रखते हैं, इतना ही बता दो। आप भत्ता चालू करेंगे या नहीं करेंगे इसका उत्तर हां या ना में दे दीजिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपका जो प्रश्न है वह रोजगार डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। जो मेरा रोजगार डिपार्टमेंट है उससे यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है। जो आप कह रहे हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की बात है, अलग-अलग जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) हाउस में पहले शांति स्थापित कीजिए आप। आप बीच में जो व्यवधान डालते हैं उस वक्त जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, वह सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए अब उसको वापस दोहरा दीजिए आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया कि आप यह कहना चाहते हैं कि जो स्थायी पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको सरकार कब तक भर देगी। तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं वे अपनी-अपनी योजनाओं के अनुसार इस काम को पूरा करेंगे। रोजगार डिपार्टमेंट से यह प्रश्न संबंधित नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : बेरोजगारों को भत्ता देंगे या नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है राजस्थान में हजारों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उन फैक्ट्रीज में हम लोगों ने, राजस्थान सरकार ने उनको सस्ती जमीन दी, सस्ती बिजली दी, परन्तु जब भी रोजगार की जरूरत पड़ती है तो राजस्थान से बाहर के लोग यह भर्ती कर लेते हैं और राजस्थान के लोगों की भर्ती नहीं करते। अगर आप यह व्यवस्था कायम कर दें कि पहले राजस्थान के लोगों की भर्ती की जाए और बाद में बाहर के लोगों को लिया जाए, तो बहुत समस्या हल हो सकती है। तो क्या ऐसे कोई नियम बनाने की सरकार की मंशा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही सवाल है, ये भत्ता देने की मंशा रखते हैं या नहीं एक तो यही उत्तर चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो भत्ता 1973 से इन्होंने चालू किया और इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि 1995 में बंद किया। तो मैं पूछना चाहता हूं 1973 से लेकर 1990 के बीच में आपने कितने लोगों को भत्ता दिया और क्या आप उस भत्ते को दुबारा चालू करने की मंशा रखते हो या नहीं रखते हो? यह हां या ना में बता दीजिए।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप जिस सवाल का इतनी तत्परता से जवाब चाह रहे हैं, एक तरफ तो आपने जिस तरह की शोचनीय वित्तीय स्थिति हमको संभलायी है और एक तरफ आप...(व्यव-

(श्रीमती कमला)

धान)... सुनिए (व्यवधान) दूसरी तरफ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर नहीं दे सकते तो साफ मना कर दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अगर वित्तीय स्थिति खराब है तो छोड़ दीजिए सरकार।

श्रीमती कमला : आप सुनने की क्षमता रखिए। (व्यवधान) सुनने की क्षमता रखिए, हर बात पर उठ जाते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई तरीका है क्या ? आप कांग्रेस घोषणा पत्र पढ़िए। बताइए कब तक पूरा पढ़ लेंगे ? (व्यवधान) आप यह घोषणा पत्र कब तक पढ़ लेंगे, कब तक कण्ठस्थ कर लेंगे, यह बता दीजिए। (व्यवधान) समयावधि बता दीजिए, कृपया।

श्रीमती कमला : आप सुनने की क्षमता रखिए। बिराजिए। (व्यवधान) सुनिए। दूसरी तरफ आपने बेरोजगारी भत्ता, जो कांग्रेस ने दिया था वह बंद कर दिया। (व्यवधान) सुनने की शक्ति रखें। अध्यक्ष महोदय, इनको कहिए सुनने की क्षमता रखें। जो गलती आप कर रहे हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको सिखाइए (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई तरीका नहीं है, इतने सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। इससे आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : कमला जी, पांच साल तक यही +++ क्या कि वित्तीय स्थिति खराब है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको हनुमान चालीसा की तरह यह घोषणा-पत्र रट लेना चाहिए, कण्ठस्थ कर लेना चाहिए। बताइए कितने दिन में करेंगे आप ? एक महीने में ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बेरोजगारों को भत्ता दो।

श्रीमती कमला : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पांच साल तक क्या यही +++ . (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बेरोजगारों को भत्ता दो।

श्रीमती कमला : आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या हुआ....

एक माननीय सदस्य : उनको भत्ता दीजिये, उनको भत्ता दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप जरा बिराजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

दूसरे को सुनने की क्षमता रखिये। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूं कि एक तो आप अपने राज्यकाल में यह भत्ता बन्द कर गये, दूसरी तरफ वित्तीय स्थिति सोचनीय कर गये ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : बी.जे.पी. ने बन्द कर दिया तो राजस्थान के नौजवानों को सजा क्यों देना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप अपनी गलती को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बेरोजगारों को भत्ता देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कौनसा तरीका है ? आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जो गलतियां आप कर गये वह सुननी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान सरकार सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से 58 साल करके .. (व्यवधान).. बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आर्थिक स्थिति का +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बेरोजगारों को भत्ता दो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अभी माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वायदे हैं वे हम पूरा करेंगे। आप आज की आज उनको पूरा करा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके प्रश्न का ही उत्तर दिला दो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सारी फौज की फौज एक साथ खड़ी हो जाती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हाउस को चलाने की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा और विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं उनके बारे में माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि वह रिक्त पद निश्चित तौर पर भरेंगे। भत्ते के सम्बन्ध में, पूर्ववर्ती सरकार ने 1995 में इस भत्ते को बन्द कर दिया। (व्यवधान) आप वैल में आ रहे हैं। (व्यवधान) वर्तमान सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसका उल्लेख माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किया। सभी बेरोजगारों को रोजगार देना....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बेरोजगारी भत्ते की बात है, रोजगार नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रोजगार देना......

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)...किरोड़ीमल जी आप बिराजें। रोजगार देना, वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए सभी शिक्षितों को रोजगार देना...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : रोजगार की बात ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई भी आश्वासन देने में सरकार असमर्थ है, यह सरकार ने कहा है। भत्ते के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। (व्यवधान) उन्होंने उत्तर दे दिया है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सक्षम नहीं हैं तो मुख्य मंत्री जी कह दें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो क्वेरी की है उसी का जवाब दिलवा दो। आपने जो क्वेरी की है कि सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी या नहीं देगी, उसका उत्तर दिलवा दो। (व्यवधान) उसका उत्तर चाहिए हमें तो। बेरोजगारी भत्ता देंगे या नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. की सरकार ने बन्द किया इसका...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जहां तक राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति का सवाल है, राजस्थान सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए एक हजार करोड़ रुपया सालाना वहन करेगी, उसका रोना रोती है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : और जिनको रोजगार नहीं दे सकती उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए वह वित्तीय स्थिति का रोना रो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : .. बन्द कर दिया तो यह सुधारें तो सही...

श्री अमराराम (धोद) : उनके साथ में (व्यवधान).....उनकी भावनाओं को ठगा है राजस्थान की सरकार ने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले ही भाग में माननीय राज्य मंत्री जी ने कह दिया है, जी नहीं। क्या राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि, जी नहीं। तो आपके प्रश्न का जवाब तो आ गया।

श्री अध्यक्ष : यह तो आ गया है। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : यह बेरोजगारों के साथ धोखा है, विश्वासघात किया है बेरोजगारों के साथ। आपने कहा कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे। आप भत्ता तक नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि रोजगार देंगे। आपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा है। (व्यवधान) आपने विश्वासघात किया है। (व्यवधान) बेरोजगारी भत्ता बन्द किया है। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी की फोटो लगाकर कहा है कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नौजवानों को ठगा गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आज पता लगा (व्यवधान) बात बेरोजगारी भत्ते की हो रही है रोजगार की नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शैलेन्द्र जोशी।

उप खण्ड बांदीकुई के हैण्ड पम्प

55. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत पांच वर्षों में बांदीकुई उपखण्ड में कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं ? उक्त में से कितने चालू स्थिति में हैं एवं कितने खराब हैं ? पंचायत क्षेत्रवार एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : गत पांच वर्षों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड बांदीकुई में कुल 1025 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये। जिनमें से 867 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं जिसमें से 784 हैण्डपम्प चालू स्थिति में हैं एवं 83 हैण्डपम्प परित्यक्त हैं। पंचायत क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बैकलाग के 158 हैण्डपम्प मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कब तक लगा दिये जाएंगे ?

इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि खराब हैण्डपम्पों का संधारण आगामी गर्मी की ऋतु आने से पहले कब तक कर दिया जाएगा ? इसके लिए तीन आवश्यक संसाधन हैं। एक तो अप्रेंटस नहीं है, दूसरा वाहन उपलब्ध नहीं है और तीसरा, पी.एच.ई.डी. केवल तीन महीने के लिए ही पंचायत समिति से हैण्डपम्प के कर्मचारियों को लेता है, बाकी 9 महीने पंचायत समिति को हैण्ड ओवर कर देता है। ऐसी स्थिति में यह जो दोहरे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

संधारण की व्यवस्था है हैण्डपम्प को सुधारने की, 9 महीने पंचायत समिति के कर्मचारी सुधारते हैं और तीन महीने पी.एच.ई.डी. द्वारा, तो इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : चार सप्लीमेंट्रीज आपने पूछ ली है, अब आगे पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री जी।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2–3 प्रश्न जो पूछे हैं उनके अन्दर जो 158 हैण्डपम्प बनाये नहीं गये हैं उनको मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। इसमें एक तो बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र आता है और एक सिकराय क्षेत्र आता है। आपने दोनों ही विधान सभा क्षेत्र के प्रश्न पूछे हैं। लेकिन दोनों ही स्थानों पर मार्च से पहले-पहले शेष स्वीकृत हैण्डपम्प हैं वे बना दिये जाएंगे। नये तो आप पूछेंगे, जरूरत होगी तो बना दिये जाएंगे। जो आपने पूछा है कि खराब हैं, हैण्डपम्प की तो प्रक्रिया यह है कि खराब होते रहते हैं और ठीक होते रहते हैं। जो आप समझते हैं कि यह हैण्डपम्प ठीक नहीं हैं, उनको ठीक करने की प्रक्रिया साल भर चलती है। आपने जो बात कही है वह भी सही बात है।

लेकिन डिपार्टमेंट की प्रक्रिया साल भर तक चलती रहती है। जहां भी आपकी शिकायत आती है, कोई सरपंच या गांव का कोई व्यक्ति, नागरिक शिकायत करता है, तो उसको उसी वक्त या 2-4 दिन के अन्दर ज्यों ही मशीन उपलब्ध होती है वहां जाकर के ठीक कर देते हैं। आप जहां भी ठीक समझें कि यहां हैण्डपम्प लगाना चाहिए, मेरे वहां पानी की कोई दिक्कत है, आप समझते हैं कि योजना हैं, इसमें कुछ पानी कम हो चुका है और हैण्डपम्प से अगर स्थिति सुधर सकती है तो हमारे विभाग को बहुत प्रसन्नता होगी कि आप ऐसे स्थान बतायेंगे जहां पर हम हैण्डपम्प लगाकर लोगों की भावना के अनुरूप वहां पर कार्य कर सकें।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, यह सारे सिकराय और बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र तक के लिए ही नार्म्स लागू करोगे या पूरे राजस्थान में नार्म्स लागू करोगे आप ? (व्यवधान) यहां तक ही सीमित रखोगे या पूरे राजस्थान में, जिनके बकाया हैं उनको भी देंगे ? या फिर बांदीकुई या सिकराय विधान सभा क्षेत्र को ही देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी जोशी ने पूछा है वह बांदीकुई तक ही उन्होंने उसको सीमित रखा है। बांदीकुई उपखण्ड तक ही प्रश्न है इसलिए एंटायर राजस्थान का प्रश्न आप उठा रहे हैं....

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी का मन बहुत बड़ा है। (व्यवधान) मंशा है या नहीं, यह कह रहे हैं। मंत्रीजी खुद ही कहना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी दे रहे हैं तो आपका एतराज है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी खुद बता रहे हैं....

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक इसमें जवाब नहीं दिया...

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी सक्षम हैं। मंत्रीजी खुद ही कहना चाहते हैं कि मैं बांदीकुई, सिकराय के अलावा पूरा राजस्थान....

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह परित्यक्त हैण्डपम्प हैं उनकी जगह नये लगाये जाएंगे या नहीं लगाये जाएंगे ?

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, हैण्डपम्प सुधारने की जो प्रक्रिया है पंचायत समिति और पी. एच.ई. डी. मेरा मानना है, मेरा आपसे सुझाव है कि इसको पंचायत समिति के बजाय पी. एच.ई.डी. ही कर दें तो ठीक रहेगा। दोनों डिपार्टमेंट में होने के कारण यह ठीक नहीं रहते हैं। इसको 12 महीने ही चालू रखा जाए पी. एच. ई. डी. के द्वारा।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बैठें तो सही पहले। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि ऐसे हैण्डपम्प जो ठीक होने के लायक नहीं हैं, उनको मैंने माननीय सदस्य को कह रखा है, आप समझते हैं कि जो बकाई में खराब हो चुके हैं या नीचे पत्थर आ गया, नीचे गोल आ गयी या पानी बहुत नीचे चला गया, ऐसे हैण्डपम्प तो वापस ठीक होने की स्थिति में नहीं हैं.... वहां पर माननीय सदस्य यह कहेंगे, उस स्थान पर लगा देंगे, यह मैं उत्तर दे चुका हूं। रहा सवाल पूरे राजस्थान की बात कही गई है। जो माननीय सदस्य सक्रिय होते हैं उसके लिए मैं मानकर चलता हूं कि उसका काम तो होना ही होना है और जो निष्क्रिय होते हैं, पूछते नहीं हैं, वह मैं मानकर चलता हूं कि राजस्थान में सुख शांति है इसलिए यह विभाग अपने हिसाब से काम करेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर करण सिंह यादव।

विश्वविद्यालयों में आरक्षण

56. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षक, अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के निर्धारित विभिन्न पदों पर नियमानुसार 16, 12 व 21 प्रतिशत आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? गत पांच वर्षों में विभिन्न पदों पर श्रेणीवार की गई नियुक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्धारित आरक्षित पदों पर नियुक्तियों को सुनिश्चित करने हेतु

(डा. करण सिंह यादव)

विश्वविद्यालय में रोस्टर पंजिका का संधारण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विश्वविद्यालय में आरक्षित वर्गों को नियुक्ति देने में समस्त विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में पूर्व कुलाधिपति द्वारा जारी दिशा निर्देशों को वर्तमान कुलाधिपति द्वारा परिवर्तित किया गया है ? क्या ऐसे परिवर्तन से आरक्षित वर्ग को विभिन्न कैडर के पदों पर निर्धारित आरक्षण का लाभ मिल सकेगा ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने अस्थाई शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं।

(5) क्या उक्त नियुक्तियों में नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना की गई है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार बिना आरक्षण प्रावधान के की गई एड-हॉक नियुक्तियों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो आरक्षित कोटे को कैसे पूर्ण किया जाएगा।

(7) क्या सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पदों के विज्ञापन में आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध कोई कदम उठा रही है ?

(8) क्या राज्य में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नौकरियों में 16 व 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जबकि उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों को एम. बी. बी. एस. के प्रवेश के केवल 8 व 6 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है ? क्या सरकार इस विषमता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. जितेन्द्र सिंह) : (1) जी, हां। गत पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय से एकत्रित की जा रही है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय में अधिकांश नियुक्तियां संवर्गवार की जाती हैं। संवर्ग की अर्हताएं अलग-अलग होती हैं। गैर शैक्षणिक मंत्रालयिक एवं अधिकारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्गों पर नियुक्ति के लिए यथासम्भव विश्वविद्यालय को एक इकाई

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माना जाता है। शैक्षणिक वर्ग में समान वेतनमान के आधार पर विभिन्न विषयों को एक वर्ग नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ व्याख्याता हिन्दी एवं व्याख्याता भौतिक शास्त्र की अर्हताएं एक समान नहीं होती हैं। उपरोक्तानुसार वर्तमान कुलाधिपति महोदय द्वारा पूर्व कुलाधिपति महोदय के निर्देशों में परिवर्तन कर विषयवार आरक्षण के निर्देश जारी किये गये हैं।

जी, हां। इससे राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 की धारा 10 व 10 (अ) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों की पालना हो सकेगी।

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई शिक्षकों, अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

अस्थाई शिक्षक	304
अधिकारी	17
कर्मचारी	156

(5) जी, नहीं। पिछले दशक में की गई शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों में 304 शिक्षक अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये हैं। इनमें केवल सात व्यक्ति आरक्षित वर्ग के हैं। जब भी इन पदों पर चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्तियां की जाएंगी तब आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

(6) अस्थाई नियुक्तियों को नियमित करने का प्रकरण विचाराधीन है।

(7) राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में एक विज्ञापन प्रोफेसर पदों के लिए जारी किया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी करना प्रतीत नहीं होता।

(8) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रति ही निर्देश दिये हैं।

(9) जी, हां। इस विषय के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा है।

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे पहले प्रश्न के जवाब में, जिसमें मैंने पूछा था कि "क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षक, अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के 16, 12 व 21 प्रतिशत आरक्षित करता है" जवाब दिया गया है "जी हां।" और आपने कहा है कि पांच वर्षों में नियुक्तियों की सूचना पत्रादि एकत्रित किये जा रहे हैं। पहले प्रश्न का जवाब आप देते हैं कि इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है और मेरे प्रश्न के पांचवे भाग में, उसमें आप कहते हैं "पिछले दशक में की गई शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों में 304 शिक्षक अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये हैं, उसमें केवल सात व्यक्ति आरक्षित वर्ग के हैं। सात व्यक्ति आरक्षित वर्ग के जहां हैं, तो आरक्षण के 16, 12 एवं 21 प्रतिशत के

(डा. करण सिंह यादव)

प्रावधानों का आपके विश्वविद्यालय ने किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया ? इसके जवाब में मंत्री महोदय से चाहूंगा कि 304 में से सात नियुक्ति... (व्यवधान) मेरा दूसरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपकी इस सप्लीमेंट्री का जवाब आने दीजिये पहले। माननीय मंत्री महोदय।

डा. जितेन्द्र सिंह : महोदय, आपने पूछा कि 304 शिक्षक अस्थाई रूप से जो नियुक्त हुए हैं, उसमें रिजर्वेशन की पालना हुई अथवा नहीं ? महोदय, उसमें मेरा जवाब था, जी नहीं।

डा. करण सिंह यादव : आपने लिखा है, जी हां। मेरा पहला प्रश्न है, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षक, अधिकारियों का आरक्षण किया गया है, आपने कहा है, जी हां।

डा. जितेन्द्र सिंह : नहीं श्रीमान्।

डा. करण सिंह यादव : पहले प्रश्न में आपने जी हां कहा है और पांचवें प्रश्न में आपने उसी का उत्तर स्वयं दिया है कि 304 में से मात्र सात आदमियों को आपने आरक्षण का प्रावधान दिया। आपके अधिकारियों ने आपको गलत सूचना दी है मंत्री महोदय (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : महोदय, जो आरक्षण, जैसा कि आपने नम्बर पांच में पूछा है, नम्बर पांच में आपने पूछा है कि 'क्या उक्त नियुक्तियों में नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना की गई है ? तो विश्वविद्यालय में नहीं की गई। उसके लिए मैं कह रहा हूं, जी नहीं। मेरा जी नहीं उसके लिए उत्तर है और उसके लिए श्रीमान् हमारे घोषणा पत्र में यह ..

श्री जगमाल सिंह यादव : सवाल घोषणा पत्र का कहां से आ गया ? इसमें सिर्फ सवाल है, यह घोषणा पत्र का कहां सवाल आ गया ? स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : नहीं नहीं, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, मंत्री हैं और आपने जवाब दिया.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, तब घोषणा पत्र नहीं था।

डा. जितेन्द्र सिंह : देखिये श्रीमान्....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यह घोषणा पत्र कहां से आ गया। यह छोटा सा मुद्दा है। या तो एक घोषणा पत्र भी दो तब बात करें या यह अभिभाषण की बात है, अथेंटिक डाकुमेंट, अभिभाषण है राज्यपाल महोदय का।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह घोषणा पत्र हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर तो अध्यक्ष महोदय, यह जवाब आना चाहिए था कि माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का इलेक्शन मेनिफेस्टो पढ़ लिया जाये, यही जवाब दे देते आप। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंखें मूंदकर, जान बूझकर, इतने वर्ष के शासन में....(व्यवधान) जैसे पहली सरकार ने...

श्री राधेश्याम गंगानगर : राजस्थान की जनता ने घोषणा पत्र को बहुमत दिया है; राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस की यह सरकार... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भा.ज.पा. शासन में 304 में से सात व्यक्तियों को नौकरी दी है, यह भाजपा शासन का नमूना है। शिड्यूल्ड कास्ट के हिमायती बनते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ कुठाराघात किया है (व्यवधान) अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ विश्वासघात किया है इन लोगों ने। रिजर्वेशन के कोटे की पूर्ति क्यों नहीं की इन लोगों ने ? यह इस तरह का धोखा अनुसूचित जाति के साथ भाजपा ने किया है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि...

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह मनुवादी व्यवस्था पहले चल रही थी, वही आज मनुवादी व्यवस्था चल रही है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : राजस्थान में सबसे बड़ी बात यह है कि ओ.बी.सी. का मुख्य मंत्री पहली बार बना है और ओ.बी.सी. के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में न्याय मिलेगा। (व्यवधान) आप भी ओ.बी.सी. से सम्बन्ध रखते हैं लेकिन राजस्थान के ओ.बी.सी. के लोगों की यह मंशा बनी थी; यह उम्मीद बनाई थी कि हमको न्याय मिलेगा, यह ओ.बी.सी. के मुख्य मंत्री ने हमको दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता को दूसरी सप्लीमेंट्री करने दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा मरने जीने का सवाल है। हम इसको कमजोर तरीके से नहीं लेने देंगे। आप बताइये, जितने पहले विश्वविद्यालय थे...

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आपका नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : ...तो सारे सब्जेक्ट के एक साथ विज्ञापन निकलते थे। और आज अलग अलग, हिन्दी के तीन; मैथेमेटिक्स के दो... (व्यवधान) आप सुनिये पहले सवाल...

एक माननीय सदस्य : मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये सवाल।

श्री जगत सिंह दायमा : आप सुनिये। नहीं नहीं, वह बात नहीं हो सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करें, आज निकालते हैं हिन्दी के तीन प्रवक्ता, मेथेमेटिक्स के दो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। डाक्टर करण सिंह। माननीय सदस्य, नहीं नहीं, व्यवधान मत डालिये....

श्री जगत सिंह दायमा : व्यवधान की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप नहीं, प्रश्नकर्ता पूछेंगे। प्रश्नकर्ता को सप्लीमेंट्री पूछनी थी दो।

श्री जगत सिंह दायमा : यह पिछड़े वर्ग के साथ में जान बूझकर, अध्यक्ष महोदय, मेरा इसके साथ में रिलेवेन्ट प्रश्न है। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वह कौनसे कारण थे कि पूर्व राज्यपाल महोदय महामहिम बलीराम जी भगत ने जब यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन को एक इकाई मानकर करने के आदेश दिये गये थे, उनके जाने के तत्काल बाद में जब दूसरी सरकार, बीजेपी सरकार ने ऐसे आदेश दिलवा दिये जिसमें सब्जेक्ट को इकाई मानकर आरक्षण किया गया ? उसका नतीजा मालूम है आपको, क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की पोस्ट एडवरटाइज होती है (व्यवधान) आज राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्या कारण थे कि उन आदेशों को चेंज किया गया ? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप बदलने जा रहे हो क्या ? आप बदलने जा रहे हो क्या, आप ही कर दो। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : ....कि ओ.बी.सी. के लिए सात व्यक्तियों को रखा ....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत शासन मंत्री) : जितना नुकसान आप लोगों ने किया है यूनिवर्सिटी का, आप लोगो ने सत्यानाश कर दिया, भाजपा वालों ने ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, अभी राज्य सरकार ने बिजली विभाग में नियुक्तियां निकाली....

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्षजी, निश्चित रूप से इस बात के लिए पिछली सरकार दोषी रही है तो क्या नई सरकार इसके अन्दर नीतिगत परिवर्तन करेगी या नहीं ? मेरा प्रश्न है कि जो गलत काम हुआ है यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन करने के नाम पर, क्या इसको नई सरकार परिवर्तन करेगी या नहीं ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, जो पिछड़े वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं, वह....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जो पिछड़े वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं, वह बेईमानी है । इसमें हमको कुछ नहीं मिल रहा है । (व्यवधान) आपने ओ.बी. सी. को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बेईमानी अभी शुरु होगी, बिजली विभाग के अन्दर अभी नियुक्तियां निकलीं जिसके अन्दर 60 प्रतिशत मार्क्स मांगे गये हैं ओ.बी.सी. वालों से ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

(12.00 बजे)

डा. करण सिंह यादव : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है महोदय ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कह रहा हूं जो रोस्टर प्रणाली बनाई है अध्यक्ष महोदय, वह बेईमानी है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा सवाल था यह..

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री जगत सिंह दायमा : रोस्टर में ओबीसी छठे नम्बर पर आता है तो सोलह छिके छियानवे, 16 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री जगत सिंह दायमा : और सोलह प्रतिशत आरक्षण ओ.बी.सी. को मिल रहा है, इक्कीस प्रतिशत आरक्षण ओ.बी.सी. को नहीं मिला । यह एक बहुत महत्व का सवाल है पिछड़े वर्ग के लिए । और आपने कह दिया प्रश्नकाल समाप्त । हमारा इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

श्री जगत सिंह दायमा : समाप्त हो गया, पहले इसका जवाब दिलवायें ।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक निवेदन है अध्यक्ष महोदय, सोशल जस्टिस का सवाल है....(व्यवधान) पिछले दस सालों में न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ..और आगे इसको रखवायें ।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसलिए इस प्रश्न को इतना छोटा मानकर आप समाप्त कर रहे हैं.....(व्यवधान) मेरा यह कहना है कि अगर आप प्रश्नकाल समाप्त करते हैं तो इसके लिए चर्चा का समय रख लिया जाय । किसी भी दिन आप चर्चा करा लें इस पर ।

श्री जगत सिंह दायमा : अलग से चर्चा का समय दे दिया जाय...

श्री जगमाल सिंह यादव : सोसियल जस्टिस का सवाल छोटा नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सामाजिक परिवर्तन की बात है..

श्री महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न बताने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान) जो स्वयं सदन का समय खराब कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह इतना बड़ा प्रश्न था तो इन्होंने क्यों नहीं पूछा ?..(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्षजी, इस विषय पर किसी दिन आधे घण्टे की चर्चा करा लें। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रक्रिया तथा कार्य....

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग से वह दे दीजिये, आपका क्या बिगड़ रहा है इसमें..

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप फरमा रहे हैं, पिछड़ों के मुख्य मंत्री बने हुए हैं.. (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्षजी, यह पिछड़े वर्गों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर कभी आधा घण्टे की चर्चा के लिए आप स्वीकृति देने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी सरकार जो बनी है, कांग्रेस पार्टी के जो 150 एम.एल.ए. जीते हैं, उसमें दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। और उस पर अगर उनके हक की बात विधान सभा में की जाती है...

डा. करण सिंह यादव : इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा जब आप उचित समझें....

श्री जगत सिंह दायमा : तो आप कहते हैं कि प्रश्नकाल समाप्त, तो हमारा प्रश्नकाल समाप्त नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। हमारा प्रश्न यही है, अकेला प्रश्न है दलित और पिछड़े वर्ग के लिए..

डा. करण सिंह यादव : मेरा निवेदन है कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा का समय दीजिये...

श्री जगत सिंह दायमा : इसके लिए अलग से आधे घण्टे की चर्चा का हमें समय दिया जाय ।..(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : 15 तारीख को आधा घंटा की चर्चा करा लें श्रीमन् आप। यह सवाल बहुत अहम सवाल है और चौवन फीसदी लोगों से जुड़ा सवाल है।

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा के लिए निवेदन है....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे मरने-जीने का सवाल है। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है और जान बूझ करके पिछड़े वर्ग को सोलह प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. 21 से 16 पर आ गये, रोस्टर पर छह नम्बर पर....

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जायेंगे, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड सिर्फ।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दी अपनी बात। बहुत कह दी है।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी बात है हमारी। अध्यक्ष महोदय, कुहनी तक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि एक सवाल मेरा सुन लें। एक बेईमानी हो रही है अध्यक्ष महोदय, चाहे आप नोट करायें या मत करायें परन्तु जो बेईमानी हो रही है उसकी सुन लें। पहले यह जगह निकालते थे, सौ प्रोफेसर्स की जगह निकालते थे। अगर सौ प्रोफेसर्स की एवं लेक्चरर्स की जगह निकालते तो हमें इक्कीस प्रतिशत मिल जाता था। आज यह कर रहे हैं तीन हिन्दी के, दो गणित के, चार सामाजिक ज्ञान के, पांच भूगोल के। अध्यक्ष महोदय, माननीय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, छठे नम्बर पर ओबीसी आता है। आप हमें बतायें इस बात को कि ओ.बी.सी. को छठे नम्बर पर, जब जगह ही नहीं निकलती, गणित की निकलती है पांच, छठी जगह निकलती ही नहीं गणित की, आप बतायें जब छठा स्थान निकले ही नहीं तो ओ.बी.सी. का व्यक्ति कैसे नौकरी प्राप्त कर सकेगा ? (व्यवधान) हमारा यह सवाल है और यह सही सवाल है। यह गलत सवाल नहीं है और आप कहते हैं प्रश्नकाल समाप्त। हमारा प्रश्नकाल नहीं, हमारा जीवन काल समाप्त है। हम इसको नहीं चलने देंगे इस बात के लिए, क्या बात करते हैं, आप जानबूझ कर बेईमानी, मनुवादी... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती सुचित्रा आर्य : जगमाल सिंह जी, आपको गर्व होना चाहिए कि ओबीसी के मुख्य मंत्री बन गये जब भी आपका पेट नहीं भरा क्या....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप सदन की परम्पराओं को तोड़ रहे हैं। जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया, उसके बावजूद आप लगातार बोलते जा रहे हैं। आप सदन की परम्पराओं को तोड़ रहे हैं....

श्री जगत सिंह दायमा : आप मनुवादी हैं, बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तोड़ रहे हैं परम्पराओं को, जब प्रश्नकाल खत्म हो गया तो....

श्री जगत सिंह दायमा : मनुवादी हो, मनुवादी हो, बैठ जाओ नीचे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप हो मनुवादी, बीच में करते हो, जब समय हो गया है उसके बाद भी...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपको हलुग्रा मिल रहा है...(व्यवधान)...आपको हलुग्रा मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब आप बैठिये और औरों का काम कीजिये। नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह क्या बात हुई, आपके कहने से 150 का हाउस ढंग से चलेगा। आपकी जिद्द से नहीं चलेगा, आपके अड़ियलपन से नहीं चलेगा। आपकी जिद्द के अनुसार नहीं चलेगा। यह सदन नियम, उप नियमों से चलेगा। आपकी यहां पर हटधर्मी नहीं चलेगी। यह सदन नियमों से चलेगा। आप बोलते रहिये, +++ पुकारते रहिये... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप बैठ जाइये...(व्यवधान) आप बैठ जाइये, आप हैं क्या। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मतदाताओं का समय है, टाईम हो गया है, आप बैठिये, और लोगों के भी प्रश्न बाकी हैं, और लोगों को भी बिजनस में भाग लेना है, केवल आप ही नहीं है, आप जैसे और माननीय सदस्य हैं। और भी सदस्य हैं। यह एका–धिकार आपका नहीं चलने वाला है यहां पर विधान सभा में...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जो एक सौ पचास...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बोलने के एकाधिकार का ठेका ले रखा है, यह ठेका नहीं चलेगा आपका...

श्री जगमाल सिंह यादव : आपसे एकाधिकार न आज रुका, न कल रुकेगा.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : +++ (व्यवधान), क्या समझते हैं अपने आपको. अगर इस तरह से टोका–टाकी करी तो नहीं चलने देंगे...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की प्रक्रिया कभी चली नहीं आज तक...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बिजनस नहीं चलने देना चाहते हैं, आप इनको बैठाइये...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह कोई सवाल छोटा–मोटा नहीं है। हमारे इक्कीस प्रतिशत आरक्षण को आप मार रहे हैं। हम यहां विधान सभा में..

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं+++

श्री जगत सिंह दायमा : हां, +++

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह विधान सभा में आज कोई परम्परा हुई है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा :...अगर हमारा हक नहीं मिला अध्यक्ष महोदय...

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह कोई भाषा है क्या, यह संसदीय भाषा है+++

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इतने अहम सवाल को आप टाल रहे हैं तो...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री जगत सिंह दायमा और श्री जगमाल सिंह यादव सदन कूप में आकर जोर से बोलने लगे)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला मेंटल है, मेंटल ।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाय कि रोस्टर किसने चालू किया था...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह व्यवहार उचित नहीं है ।

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मिस्टर दायमाजी जिस तरह से बात कर रहे हैं यह संविधान के...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने आरक्षण का लाभ दिया था। जिसने आरक्षण की बात कही थी, आपने तो शुरू भी नहीं की ।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सदस्य, महिलाओं से तरीके से बात करिये...

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप मनुवादी हो। आप मनुवादी हैं...(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : पहली पत्नी कहां है आपकी। पहली पत्नी का क्या हुआ। पहली पत्नी कहां गई।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगी कि वह महिलाओं से तरीके से बात करें। ...

श्री आर. पी. शर्मा : पहली पत्नी कहां गई। पहली पत्नी कहां है। पहली पत्नी क्या कर रही है, रो रही है आपके लिए। रो रही है आपके लिए...(व्यवधान) पहली पत्नी का क्या हुआ..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो यह कर रहे हैं, सही नहीं है..(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्रीमीलेयर के हो आप क्या बात कर रहे हैं, आरक्षण की...

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का वक्त जाया कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय खराब हो रहा है। एक आदमी सदन का समय बरबाद कर रहा है। आपको मालूम है यह जो संविधान के संशोधन के अनुसार नहीं कर रहे हैं जो दायमाजी ड्रामा कर रहे हैं, यह संविधान में कहीं भी आज तक नहीं हुआ। आज जो बारह बजे के बाद बोल रहे हैं यह संविधान में ऐसा कहीं नहीं है। मिस्टर दायमाजी यह स्टेज नहीं है, गुण्डागर्दी का अड्डा नहीं है, यह संविधान का बहुत बड़ा स्टेज है। आप जो कर रहे हैं वह संविधान के अनुसार नहीं कर रहे हैं...(व्यवधान) ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना संतुलन खो चुके हैं कृपया इनकी कोई व्यवस्था करायें।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम यह चाहते हैं कि हमारे अहम मुद्दे पर कम से कम सदन को समय दिया जाए ताकि इस पर चर्चा करायी जा सके...(व्यवधान)..

श्रीमती शांति पहाड़िया : इस तरह से बात की जाती है यह कौन होती हैं जैसे यह महिला है...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : आधा घण्टा हो गया पूरे हाउस का समय बरबाद किया इन्होंने।

श्रीमती शांति पहाड़िया : हाउस के अन्दर ये बोल रहे हैं कि कौन होती है तरीका सीखिये आप पहले बोलने का। महिलाओं के साथ इस तरह से बोलना ठीक नहीं है।

श्रीमती बीना काक : इसीलिए कोई महिला जीत कर नहीं आई आपके यहां।

श्री जगमाल सिंह यादव : महिलाओं का आदर करते हैं, महिलाओं का अपमान करने की हमारी कोई नीयत नहीं है। लेकिन सोशल जस्टिस का जो सवाल है उसको नहीं छोड़ेंगे।

श्रीमती शांति पहाड़िया : हाउस का इतना कीमती समय है और आप गुमराह करते हो बेमतलब में। पता है कितना कीमती समय है यह और प्रजा के ऊपर पड़ता है इसका सारा खर्चा। महिलाओं के बारे में इस तरह से बोलते हैं आप लोग।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नामीनेशन के टाइम माननीय सदस्य ने अपनी पत्नी को पीटा था। यह सदन को ज्ञात होना चाहिए। (व्यवधान)...

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय माहिर आजाद जी को बंदी बना रखा है जगत सिंह जी ने। इनको मुक्त करायें। माहिर आजाद जी को बंदी बना रखा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष जी खुद ही व्यवस्था दे रहे हैं।

श्रीमती शांति पहाड़िया : हाउस के अन्दर माफी मांगनी चाहिए माननीय सदस्य को। महिलाओं के साथ इस तरह से बोलना ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : माफी मांगनी चाहिए..(व्यवधान)...

श्रीमती ममता शर्मा : महिलाओं से दुर्व्यवहार करने पर आप महिलाओं से माफी मांगिये। यह सदन की गरिमा का सवाल है।

श्रीमती शांति पहाड़िया :...(व्यवधान).. महिलाओं से इस तरह से सवाल करने पर ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : आप रख लें गरिमा, आसन पैरों पर है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : आप बैठिये। लेकिन महिला के साथ इस तरह से बोलने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे की चर्चा के संबंध में आप यह मानते हैं कि यह महत्व-पूर्ण प्रश्न है और उसके संबंध में चर्चा की जाए तो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 49 (2) में, "जो सदस्य कोई विषय उठाना चाहे तो वह उस दिन से जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता हो,..."तो वह उस दिन से,"...तीन दिन पहले सचिव को लिखित सूचना देगा और संक्षेप में उस बात या बातों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह उठाना चाहता हो; परन्तु सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण दिये होंगे : परन्तु यह भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से किया जाएगा।" इस तरह की आप सूचना दे दीजिये नियमों के अन्तर्गत।

(माननीय सदस्य, श्री जगतसिंह दायमा सदन के वैल में आकर बोलते रहे)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष जी, अगर यह परम्परा रही है...(व्यवधान).... अगर ऐसी परम्परा है तो तोड़नी चाहिए आपको ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : परम्परा नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे उस समय...(व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : ..(व्यवधान) माननीय सदस्य उठाते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस समय बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने अपनी बात रखी तो वहीं से उन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया।

एक माननीय सदस्य : बहुत असंसदीय भाषा का प्रयोग किया माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह व्यवहार उनका उचित नहीं है आप मेहरबानी करके सुनवाई करें।

श्रीमती बीना काक : माफी मंगवाइये आप इनसे माननीय अध्यक्ष महोदय। माफी मांगिये इस तरह का व्यवहार हम बिलकुल सहन नहीं करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : किस बात की माफी मांगने के लिए कह रही हैं। आप मांगिये माफी वादा करके वादाखिलाफी कर रहे हैं.. (व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का व्यवहार हम कतई सहन नहीं करेंगे..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : माफी तो आपको मांगनी चाहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह का व्यवहार माननीय सदस्य बहुत निन्दनीय है, आपत्तिजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है, निन्दनीय है। आप इनको प्रताड़ना दीजिये। भविष्य में इस तरह का व्यवहार महिला सदस्यों के साथ न करें। आपका व्यवहार बहुत ही निन्दनीय एवं आपत्तिजनक है। ये सदन की गरिमा नहीं रखते हैं..(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हमारे अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं...(व्यवधान)...

श्री बुलाकीदास कल्ला : ...(व्यवधान)..हम जो भी बात करें, आपके माध्यम से करें। और ये सोचे जो सदस्यों को धमकाना चाहते हैं, यह असहनीय है। इससे सदन की गरिमा खत्म हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि माननीय सदस्य महिलाओं से माफी मांगें।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि बैठ जाइये, अगर यह अभद्र व्यवहार है और अगर यह असंसदीय है तो...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक : किसी महिला के प्रति अपमान हम हाउस में सहन नहीं करेंगे..(व्यवधान)....

श्रीमती ममता शर्मा : ....(व्यवधान)... हमेशा इसी तरह महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते रहेंगे। एक स्त्री को पीटा है तीन को छोड़ा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज़रा देखिये, विचार देखिये ।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : ..(व्यवधान).. अमूमन आदत पड़ी हुई है कृपया इनके विचारों का संशोधन करवाइये और माफी मंगवाइये । ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : ..माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी मंगवाइये ।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान).. हिम्मत है तो बैठ जाइये आकर, हम तो बैठे हैं सदन में । ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, दायमा जी को महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की आदत पड़ी हुई है..(व्यवधान) ...

श्री जगमाल सिंह यादव : ..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की नारी की एक पहचान है कि उसकी जबान वापस नहीं होती है । इसलिए हिन्दुस्तान की नारियों में माननीय सदस्याएं भी हैं । आप वैल में बैठिये न । आप वैल में बैठाइये ।

श्रीमती बीना काक : ...(व्यवधान)... पांच वर्ष तक प्रताड़ित हुई हैं महिलाएं ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया है उसके लिए खेद प्रकट करें..(व्यवधान)...

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा गलत है ।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं । माफी मंगवाइये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारी कुछ महिला सदस्य वैल में आ रही थीं । संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री जी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की है अभी-अभी ..(व्यवधान)...

श्री चन्दनमल बैद : ..(व्यवधान)... आरोप उन पर लगा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद :...(व्यवधान)...उनका सम्मान किया है मैंने ।

श्री चन्दनमल बैद : आजाद साहब, गलत बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको ।

श्रीमती बीना काक : इस तरह की बात करके और हंस रहे हैं..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : इनकी फिक्र आपको कैसे हो गई। ये इनकी मानसिकता है। इस तरह की इनकी मानसिकता है..- (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने उनका सम्मान किया है।

श्रीमती बीना काक : यह कोई अच्छी बात नहीं की आपने और इस पर हंस रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बहुत आपत्तिजनक है। आप इनको प्रताड़ित कीजिये, दंडित कीजिये। इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह अपेक्षित नहीं है। माननीय सदस्य आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं। आप इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक : हीन भावना से अगर आप ग्रसित हैं तो खुद दोषी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : ..जिससे संसदीय मर्यादाओं का निर्वहन हो सके।

श्री जगमाल सिंह यादव : किसी सदस्य को रोकना भी अपराध है..(व्यवधान).. मैन हैण्डलिंग नहीं कर सकते। मुझके नहीं हुए हैं लेकिन मैन हैण्डलिंग हुई है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से आपत्ति कर रहे हैं यह अमर्यादित बात है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की अभिव्यक्ति करते हुए इस तरह की छींटाकशी करते हुए।

श्री महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य माफी मांगे और इन्होंने जो शब्द बोले हैं, वे कार्यवाही से निकाले जाऐ। +++ इस तरह की असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया है उसको कृपा करके सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्रीमती कमला : ...(व्यवधान).. पहले तो महिला सदस्य के साथ इस तरह की अभद्रता की, और उसके बाद में आप एक मजाक कर रहे हैं कि माननीय संसदीय मंत्री जी ने धक्का-मुक्की की। एक गलत-बयानी कर रहे हैं अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। और उसके लिए आप खेद भी प्रकट नहीं करना चाहते हैं। यह गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती बीना काक)

महोदय, हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं। माननीय सदस्य ने जिस तरह से संसदीय कार्य मन्त्री जी के ऊपर जो आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारी माननीय सदस्याओं के साथ धक्का-मुक्की की है। व्यवस्था से आप इनको निर्देश दें। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, धक्का-मुक्की नहीं की है आपको वापस ले गये धकियाते हुए। मुक्का नहीं मारा है।

श्रीमती ममता शर्मा : ..(व्यवधान)... यह आपका घर नहीं है..(व्यवधान)..

श्री जगमाल सिंह यादव : हमने देखा है, चुप क्यों रह जाएं।

एक माननीय सदस्य : आप दोनों के थोड़े ही आंखे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्या आ गई थीं, आप धक्का देकर ले गये हैं। मारा नहीं होगा लेकिन धक्का देकर तो ले गये आप।

एक माननीय सदस्य : आप दोनों के ही आँखें हैं, हमारे आखें नहीं हैं।

श्रीमती कमला : आप खेद प्रकट करिये।

श्री महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही जरूर की जाए।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना है अगर आप इजाजत दें तो। मैं यह मान कर चलता हूं कि सदन में कोई भी चर्चा, कोई भी सवाल महत्वपूर्ण होता है, वही माननीय सदस्य उठाते हैं। अभी जो प्रश्न चल रहा था उसके जवाब में सरकार ने उत्तर दिया।

लेकिन सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे पूर्व राज्यपाल महोदय श्री बलीराम जी भगत का नाम लेकर इस वाद-विवाद को अपनी सीमाओं से अलग कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस वाद-विवाद में कि बलीराम जी भगत ने ऐसा आदेश दिया था बाद में उस आदेश को क्यों बदला गया, इसका स्पष्ट संकेत है कि बलीराम जी भगत ओ. बी. सी. से थे। इसलिए उन्होंने पक्ष-पात कर यह आदेश दिया और बाकी का दूसरा कर दिया। यह जो हमारे पूर्व राज्यपाल महोदय हैं, उनके प्रति पूरा आक्षेप है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन शब्दों को या तो निकाल दीजिए या माननीय सदस्य इस बात पर गंभीरता से सोचे कि हम किसी एक बड़ी हस्ती के लिये उसका नाम अपने वाद-विवाद में घसीट कर कहीं उसका अपमान तो नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत था। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में यह बात कही कि माननीय बलीराम जी भगत ने हमको आरक्षण की

(श्री शिवनाथ सिंह)

एक अलग प्रक्रिया दी और बाद में दूसरे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसको बदल दिया, यह बहुत आपत्तिजनक है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महामहिम राज्यपाल महोदय कुलपति भी थे और उस वक्त वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से राजस्थान में शासन भी कर रहे थे। प्रेसीडेंट रूल था उस वक्त। जो इन्होंने उठाया, कल यही बात कही थी। इसलिए उनके नाम को किसी रेफरेंस में, यहां पर किसी ने उल्लेख कर दिया है, तो कोई ऐसा असंसदीय नहीं है।

दूसरा, माननीय सदस्य आसन को संबोधित करें। महिलाओं को बैठने के लिये आप सीधी बात न करें। और क्योंकि आपने बैठने के लिये माननीय सदस्या श्रीमती शांति पहाड़िया को यहां से जो कहा, उससे उनको वेदना हुई है(व्यवधान)इसलिए आप सीधे आसन को सम्बोधित करें। सदन में शांति कायम करना आसन का दायित्व है। इसलिए माननीय सदस्य एक दूसरे को संबोधित करने में शालीनता और सौम्यता रखें और मैं समझता हूं कि भविष्य में आप उसकी अनुपालना करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस तरह की भाषा नहीं समझते यह, इनको प्रताड़ित किया जाना चाहिये। विनम्र भाषा कहां समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्रामों की पेयजल योजना

64. श्री अमराराम (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्रामों एवं लोसल कस्बे में पेयजल की क्या समुचित व्यवस्था है ?

(2) क्या सरकार जिला सीकर के ग्राम किरडोली, मूण्डवाड़ा, दुजोद, भोला की ढाणी; अहिरों का बास तन माण्डोता; प्रतापपुरा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार नगरपालिका लोसल (सीकर) की पेयजल योजना को पुनर्गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 125 ग्रामों में से 109

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

में पेयजल की समुचित व्यवस्था है। क्षेत्र के बाकी 15 ग्रामों को औसतन 10 लीटर से 35 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है, व एक ग्राम में मात्र एक हैण्ड पम्प सूख जाने के कारण जल वितरण शून्य है।

(2) ग्राम किरडोली एवं मुण्डवाड़ा की जल योजनाएं बना दी गई जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। ग्राम ग्रोला की ढाणी, प्रतापपुरा की योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है अहिरों का बास तन माण्डोता की योजना की स्वीकृति उपरान्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। ग्राम दूजोद में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल वितरण किया जा रहा है। अतः योजना बनाने का विचार नहीं है।

(3) जी हां। योजना विचाराधीन है। तकनीकी जांच के पश्चात धन उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

जिला बाड़मेर–जैसलमेर क्षेत्र में ग्रामों की पेयजल व्यवस्था

65. **श्री अमीन खान (शिव) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में ऐसे कितने ग्राम हैं, जिनको जलदाय योजनाओं से जोड़ने के बाद भी उनमें पानी सप्लाई नहीं किया जा सका है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार सीमावर्ती-रेगिस्तानी क्षेत्र के जिन ग्रामों में पानी नहीं पहुंचा है, उनके लिए विशेष क्या व्यवस्था करने जा रही है ? अब इन गांवों में सुचारू रूप से पानी कब तक पहुंचा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के 25 ग्राम तथा जैसलमेर जिले के 6 ग्राम विभिन्न पेयजल योजना से लाभान्वित है परन्तु वर्तमान में इनमें जल योजना से पानी वितरित नहीं हो पा रहा है।

(2) सीमावर्ती क्षेत्र के शून्य पेयजल स्तर के कुछ ग्रामों हेतु संवर्धन योजनाओं के कार्य प्रगति पर है जिन्हें शीघ्र लाभांवित किया जाना सम्भावित है एवं शेष ग्रामों हेतु पर्याप्त क्षमता एवं गुणवत्ता के स्रोत तलाश किये जाकर एवं सर्वेक्षण उपरान्त संवर्धन योजनायें बनाना प्रस्तावित है।

जिला अलवर के अध्यापकों की विचाराधीन अपीलें

66. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1996 में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) अलवर के 17 सी. सी. के दण्ड के विरुद्ध शिक्षा सचिव, राज-

(श्री बाबूलाल नागर)

स्थान सरकार के यहां तृतीय वेतन श्रृंखला के कितने अध्यापकों की कितनी अपीलें प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन का कब-कब निपटारा किया गया और किन–किन पर अभी तक फैसला किन कारणों से नहीं किया गया ? उक्त प्रकरणों का कब तक निपटारा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला शिक्षा अधि–कारी द्वारा पारित दण्डादेश के विरुद्ध अपील नियमानुसार निदेशक शिक्षा विभाग को प्रस्तुत की जाती है। शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार को कोई ऐसी अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

(2) उपरोक्तानुसार।

संजय शिक्षा समिति जयपुर में अनियमितताएं

67. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संजय शिक्षा समिति जयपुर द्वारा कौन–कौन सी संस्थाएं संचालित की जा रही हैं ? सरकार द्वारा उक्त समिति को कितना-कितना अनुदान दिया जा रहा है ? उक्त शिक्षा समिति की प्रबन्ध समिति में कौन-कौन पदाधिकारी हैं ? उक्त समिति के विधानानुसार कब-कब किसकी देख रेख में प्रबन्ध समिति के चुनाव हुए हैं ?

(2) क्या सरकार को उक्त संस्था में हो रही अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त संस्थान ने सरकार के नियमानुसार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय आदि स्थापित कर रखे हैं ? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संजय शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा निम्न संस्थाएं संचालित हैं :—

1. संजय शिक्षक प्रशिक्षण बी.एड. महाविद्यालय, लालकोठी, जयपुर,
2. संजय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, लाल-कोठी, जयपुर
3. संजय पब्लिक सी. सैकेण्डरी (अंग्रेजी माध्यम) स्कूल, लालकोठी, जयपुर।

— सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं में से सिर्फ संजय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, लाल-कोठी, जयपुर को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(शिक्षा मंत्री)

— शिक्षा समिति के प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों की सूची (परिशिष्ट-1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

— उक्त समिति की प्रबन्ध समिति के पिछले दो चुनाव दिनांक 10-3-93 व 2-6-96 को क्रमशः डा.एल.एन. शर्मा, सेवा निवृत प्राचार्य एवं श्री सुभाष कौशिक एनसीईआरटी. की देख-रेख में हुए हैं।

(2) जी हां। उक्त संस्था के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से शिकायत प्राप्त हुई जिस पर जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम, जयपुर को निर्देशित किया हुआ है, जिसकी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) निरीक्षण रिपोर्ट (परिशिष्ट-2) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला सीकर के बांध/एनीकट

68. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के ग्राम देवगढ़ में बांध का निर्माण करवाया गया था ? क्या उक्त बांध वर्षात् में क्षतिग्रस्त हो गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त बांध का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ग्राम आंतरी हुष एवं मौंपा में जल ग्रहण हेतु एनीकट निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में ग्राम देवगढ़ में नाले पर बांध बनाने का कार्य भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1988 में अकाल सहायता के अंतर्गत कराया गया था। जी हां, वर्षा में यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया था।

(2) भू-संरक्षण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग के पास वर्तमान में बजट उपलब्ध नहीं है सम्भावित किसी योजना में स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भिजवाये जावेंगे तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य किया जा सकेगा।

(3) भू संरक्षण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम आंतडी, मौंपा "जल ग्रहण क्षेत्र विकास" के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। "जल ग्रहण विकास" में प्रस्तावों को स्वीकृति के बाद ही कार्य किया जा सकेगा।

पर्यटन निगम द्वारा विज्ञापन व्यय

69. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन निगम द्वारा विज्ञापन दिये जाते हैं ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? क्या इसके संबंध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) 1 जनवरी, 1998 से लेकर अब तक निगम द्वारा कौन-कौन सा विज्ञापन किस-किस पत्र-पत्रिका व स्मारिकाओं आदि में प्रकाशित कराये हैं तथा उस पर कितना व्यय हुआ है ? विज्ञापनवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त विज्ञापन देने के निर्णय किस स्तर पर किस अधिकारी ने लिया तथा इसमें नियमों व राज्य आदेशों की कहां तक पालना की गई ? यदि नहीं, तो किसके द्वारा और क्यों ? उक्त अवधि का विज्ञापनवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां, पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में चयनित विज्ञापन ऐजेन्सीयों द्वारा विज्ञापन जारी किये जाते हैं । इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन सूचना एवं प्रचार नियम, 1975 बनाये गये हैं । इन नियमों में विभिन्न स्तरों को विज्ञापन जारी करने की शक्तियां दी गयीं हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु नियमों की छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है । राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों का पैनल निर्धारित है । निगम द्वारा विज्ञापन राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों एवं पर्यटन पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित किये जाते हैं । राज्य के जनसम्पर्क विभाग द्वारा रजिस्टर्ड एवं आई.एन.एस. द्वारा अनुमोदित पत्रों/ मैगजिनों में ही विज्ञापन दिये जाते हैं । विज्ञापन ऐजेन्सियों का चयन खुली निविदाएं आमन्त्रित कर प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया है ।

(2) 1-1-98 से 31-12-98 तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं स्मरिकाओं में जारी किये गये विभागीय विज्ञापन तथा उन पर हुए व्यय की सूचना परिशिष्ट "ख" में उपलब्ध है । राजस्थान पर्यटन विकास निगम की सूचना परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है ।

(3) पर्यटन सूचना एवं प्रचार नियम, 1975 के अन्तर्गत निदेशक पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग रुपये 20000/- तक की राशि के विज्ञापन देने के लिये प्राधिकृत है । इससे अधिक के विज्ञापन प्रशासनिक विभाग की अनुमति से जारी किये जाते हैं। विभागीय विज्ञापन उपयुक्त नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ही जारी किये गये हैं । राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

विज्ञापन प्रसारित करना निगम के प्रबन्ध निदेशक के प्राधिकार में है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या 70

(स्थगित)

नगर (भरतपुर) में कन्या महाविद्यालय

71. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भरतपुर जिले में राजकीय महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं ? छात्र एवं स्टाफ संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नगर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में चार राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी छात्र संख्या एवं स्टाफ संख्या निम्न प्रकार है:—

महाविद्यालय का नाम	मुख्यालय	छात्र संख्या	कुल स्टाफ संख्या
1. एम.एस.जे. राजकीय महाविद्यालय	भरतपुर	4355	190
2. आर.डी.महिला राजकीय महाविद्यालय	भरतपुर	1370	76
3. राजकीय महाविद्यालय बयाना	बयाना	543	28
4. राजकीय महाविद्यालय	डीग	554	35

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए नगर में राजकीय क्षेत्र में महिला महाविद्यालय अभी प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री श्रीचन्द कृपलानी एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के चित्तोड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व कतिपय अन्य जिलों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के परीक्षा नियंत्रक पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर घायल कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री किरोड़ी लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला दौसा के थाना महुवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरीतकी में संविधान वेत्ता डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को समाज कंटकों द्वारा ध्वस्त कर दिये जाने की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू शहर की जल निकास योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैतारण विधान सभा क्षेत्र के स्टेट हाई–वे नम्बर 39 पर ब्यावर से बाबरा लाम्बीया सड़क की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री घासीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में नहरों के रख–रखाव के लिए कम बजट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा में बिजली आपूर्ति में भारी अव्यवस्था से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन में आयु सीमा में वृद्धि करने के संबंध में।

(6) श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की 16 सड़कों का

(श्री अध्यक्ष)

निर्माण कार्य बन्द कर दिये जाने के संबध में ।

(7) डा. करण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में रेजिडेन्ट डाक्टर्स की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(8) श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली की रोहिट तहसील के गांवों मे पेय–जल की समस्या का समाधान करने के संबंध में ।

(9) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या के सबंध में ।

(10) डा. रतनलाल जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे की पेयजल योजना में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में ।

(11) श्री नानालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति में कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।

(12) श्री मांगीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कतिपय गांवों को विद्युतीकृत घोषित कर दिये जाने के उपरान्त भी विद्युत आपूर्ति नहीं होने के संबंध में ।

(13) श्री महेश जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशन-पोल में पेयजल का भीषण संकट होने के संबंध में ।

(14) डा. किरोड़ीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामन-वास की क्षत-विक्षत सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(15) श्री भंवर लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पारिवारिक न्या-यालय जयपुर को आलू फैक्ट्री क्षेत्र में स्था-नान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

श्री किरोड़ीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर अम्बेडकर के बारे में स्थ-गन प्रस्ताव दिया है । उसके कारण तनाव फैल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : वे आ जायेंगे। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में जो स्थगन दिया था वह बहुत ही गंभीर विषय है और आपने कहा कि सरकार से जान-कारी प्राप्त की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : जानकारी ली है । जानकारी यहां विधान सभा में नहीं होती है । सरकार की तरफ से जानकारी हमेशा दी जाती है ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है । अकाल के बारे में चर्चा बहुत जरूरी है ।

श्री हीरासिंह चौहान : अगर जानकारी के लिये भेजेंगे, जानकारी आने में तो सप्ताह भर लग जायेगा और मजदूर लगे हुए नहीं है । सरकार की ओर से क्या असीमित मजदूर लगाये जा रहे हैं ? पाली जिले में कोई मजदूर नहीं है । मेरे रायपुर विधान सभा में आज भी 1600 मजदूर लगे हुए हैं जबकि सरकार द्वारा....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों को दबाया जा रहा है और बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है । मेरा निवेदन है कि इस पर 5-10 मिनट बोलने का आप समय जरूर देवें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज नहीं । श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ।

श्री हीरासिंह चौहान : तो 15 तारीख को रखा जाये ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 15 तारीख को समय दे दें, साहब ।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं बाद में बात करूंगा । आप मुझसे चेम्बर में मिल लें । श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चूरू शहर की जल निकास योजना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत चूरू शहर की महत्वपूर्ण जल निकास योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने बाबत स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकृषित करना चाहता हू ।

महोदय, चूरू शहर में गन्दे पानी की निकास योजना 1993 में बनी जिस पर 1996 में हुडको ने राज्य सरकार की गारन्टी पर 2 करोड़ 7 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया । मंजूर शुदा ऋण की राशि की प्रथम किस्त माह जनवरी, 1998 में चूरू नगरपालिका को 25 लाख रुपये की हुडको ने इस शर्त पर जारी की कि 25 लाख रुपये का उपयोग किये जाने का प्रमाण-पत्र जारी करते ही दूसरी किस्त तुरन्त जारी कर दी जावेगी ।

नगरपालिका चूरू ने स्वीकृत राशि, ब्रिज कारपोरेशन को कार्य तुरन्त प्रारम्भ किये जाने हेतु दे दी । परन्तु खेद की बात है कि ब्रिज कारपोरेशन कार्य प्रारम्भ करने में शिथिलता बरत रहा है तथा चूरू में गंदे पानी के पोखर स्थान-स्थान पर भर जाने से जीवन नारकीय हो रहा है । अतः मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया किसी उच्च अधिकारी को तुरन्त चूरू भेजकर स्वीकृत जल निकास योजना की क्रियान्विति हेतु तुरन्त कार्यवाही करवाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल ।

स्टेट हाई-वे नं. 39 पर ब्यावर से बाबरा लाम्बीया सड़क की मरम्मत

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैतारण विधान सभा क्षेत्र के स्टेट हाई-वे नं. 39 पर ब्यावर से बाबरा लाम्बीया सड़क की मरम्मत नहीं होने से हो रही असुविधा की स्थिति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण (पाली) में स्टेट हाई–वे नं. 39 पर ब्यावर से लाम्बीया तक सड़क पर डी.एल.एफ. सीमेंट कारखाने से प्रतिदिन 500 ट्रक सीमेंट लेकर अन्य स्थानों को जाते हैं तथा इस मार्ग पर प्रतिदिन भारी वाहनों के आवागमन से यातायात का दबाव तीव्रता से बढ़ रहा है; जिससे यह मार्ग अत्यन्त ही क्षतिग्रस्त हो चुका है तथा मुख्य मार्ग पर दो-दो फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं । इस रास्ते पर छोटे वाहनों, मोटर साइकिल चालकों एवं अन्य साधनों का चलना दुर्लभ हो गया है । परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क की मरम्मत नहीं करवाये जाने से इस मार्ग से प्रभावित 20-25 ग्रामों के ग्रामीणों में भयंकर रोष है । इसलिए जनहित में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग पर मरम्मत करवाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीणों को लाभान्वित करेंगे ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, देखिये यह पार्क बना रखा है । ये सभी जनें घूम रहे हैं, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने कल भी व्यवस्था दी थी, यह कोई पार्क है क्या अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह पार्क बना रखा है । यह विधान सभा है या क्या है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय; आपने कल भी प्रताड़ित किया था, परन्तु कोई असर ही नहीं होता, अध्यक्ष महोदय ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कल भी आपने इन लोगों को कहा था । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सत्ता के मद में इतने चूर हो गये हैं कि सदन की सारी गरिमा समाप्त कर दी है । (व्यवधान) आप घंटी पर घंटी बजा रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता है । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह अभी भी घूम रहे हैं । (व्यवधान) इनको यह भी नहीं पता कि इतने सीनियर आदमी के... (व्यवधान) यह पार्क है या क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ भृकुटि तानने से काम नहीं चलेगा । वाणी से बोलिये तो सही । भृकुटि तानने से काम नहीं चलेगा ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह सदन में डिजायर दी जा रही है, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

केशोरायपाटन वि.स. क्षेत्र में नहरों का रख रखाव

श्री घासीलाल मेघवाल : (केशोरायपाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में नहरों के रख रखाव के लिए बजट का कम आवंटन करने से नहरों की अत्यन्त दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में चम्बल नदी से निकलने वाली बायीं मुख्य नहर (एल.एम.सी.) की पाटन ब्रांच एवं कापरेन ब्रांच तथा इनकी वितरिकाओं के रख रखाव एवं मरम्मत हेतु अल्प धनराशि पिछले बजट में स्वीकृत की गयी थी जिसके कारण इन नहरों तथा वितरिकाओं की हालत बहुत ही खराब हो गयी है। ये नहरें तथा वितरिकाएं जगह-जगह से टूट गयी हैं और इनके अन्दर आकड़े तथा बबूल के पेड़ उग आये हैं जिसके कारण अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है तथा किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं और काश्तकार पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। यहां तक कि काश्तकारों के साथ ही, उनके पशुओं तक को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, इसके साथ ही, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जल स्तर नीचे चले जाने से प्रतापगढ़, दगरिया, माखिड़ा, बसवाड़ा, लवान, बड़ाखेड़ा, हांड़ीखेड़ा, रोटेड़ा, गेण्डोली चईछा, ऐवरा, जुबांसा, दुकरवाड़ा आदि गांवों में नहरों का पानी नहीं पहुंचने से किसानों का पलेवा तक नहीं हो पाया है तथा 90 प्रतिशत भूमि पड़त रह गयी है।

महोदय, इस नहर की स्थिति दयनीय होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है किन्तु इसके बावजूद राज्य सरकार किसानों से लगान एवं पिलाई वसूल कर रही है।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की इस बायीं मुख्य नहर (एल. एम. सी.) की पाटन एवं कापरेन ब्रांच एवं इसकी वितरिकाओं को टेल एण्ड सहित मुआयना करवाकर पर्याप्त मात्रा में बजट राशि स्वीकृत करवाकर समुचित रूप से मरम्मत कार्य करवाये जाय ताकि सिंचाई का पानी काश्तकारों के खेतों तक समय पर पहुंच सके।

इस हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि पाटन ब्रांच के समानान्तर चम्बल नहीं बहती है। पाटन ब्रांच से चम्बल नदी की दूरी घाट का बराना के पास मात्र एक किलोमीटर है। यदि चम्बल नदी से पानी लिफ्ट कर

(श्री घासीराम मेघवाल)

पाटन ब्रांच में डाल दिया जाय तो इससे लगभग 30—40 गांवों को सिंचाई सुविधा का फायदा मिल सकता है और राज्य सरकार को भी इस समस्या का समाधान करने के लिए काफी मदद मिल सकती है।

अतः अंत में, अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि एल.एम.सी की कापरेन व पाटन ब्रांच कैनाल को सीमेंटेड करवाया जाय जिससे पानी का लासेस कम से कम हो सके। नहरी क्षेत्र में ट्यूबवैल्स लगाने को भी प्रोत्साहित किया जाय ताकि अतिरिक्त सिंचाई साधन भी उपलब्ध हो सके।

आशा है, आप मेरे क्षेत्र की विकट समस्या को राज्य सरकार से अतिशीघ्र समाधान कराने की कृपा करायेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा वि.स. क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा में बिजली की भारी अव्यवस्था है, किसानों को 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही है क्योंकि छीपाबड़ौद, कड़ेपाचोर, गुराड़ी एवं मोखमपुरा में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन लगे हुए थे वे पिछले 6-7 माह से खराब पड़े हैं। हर दिन कम से कम 20-25 ट्रिपिंग आती है। यहां तक कि छीपाबड़ौद 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर लगे हुए ट्रांसफार्मर में कई दिनों से आयल टपक रहा था। अधिकारियों से बार बार कहने के बावजूद आज दिन तक ठीक नहीं हुआ है जो लापरवाही के कारणों से 9 तारीख को जल गया है। जिन किसानों को कृषि कनेक्शन दे दिया है उनको पूरा सामान, जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की तरफ से कनेक्शन के लिए दिया जाता है, वह नहीं दिया गया है। घरेलू कनेक्शन की फाइल 6-6 माह से जमा हैं लेकिन डिमाण्ड नहीं निकाल रहे हैं। नये गांवों के विद्युतीकरण करने के लिए सामान नहीं है। ऐसे 20 गांव हैं जो स्वीकृत हैं। जिन गांवों की लाइन डिसमेंटल हो गयी है उनकी भी लाइनें खड़ी नहीं की गयी हैं। मन्डला एवं साथला 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का काम 31 मार्च तक पूरा होना था लेकिन उनका कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः मेरा ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश देकर क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्या से राहत दिलायें।

इसके साथ साथ एक निवेदन, अध्यक्ष महोदय, आपसे है कि 295 के जवाब सुनिश्चित कर दीजिये कि कितने दिनों में आ जायेंगा। यह हम पढ़ देंगे और इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा तो कोई फायदा भी नहीं है पढ़ने से भी। आपका और हमारा समय ही बेकार होगा और क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री प्रताप सिंह : 3 दिन तक जवाब आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जल्दी दे देंगे, मंत्री जी जल्दी कर देंगे।

लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा पुलिस उप निरीक्षक पद पर भर्ती के समय आयु सीमा में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अंतर्गत पुलिस उप निरीक्षक पदों हेतु परीक्षा आयोजित करवाता है। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पुलिस उप निरीक्षक पदों की भर्ती हेतु 9 दिसम्बर, 1998 को विज्ञापन प्रकाशन कर 31 जनवरी, 1999 तक आवेदकों से आवेदन मांगे हैं जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता आवेदक का स्नातक होना व आयु सीमा 1-1-2000 को 20 वर्ष का हो गया हो व 23 वर्ष का नहीं हुआ हो, रखी गयी है। अर्थात आयु सीमा 20 वर्ष से 23 वर्ष रखी गयी हैं।

मेरा अनुरोध है कि (1) आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष की जावे। क्योंकि—

(क) केन्द्र व अन्य राज्यों में इसी पद हेतु आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष है।

(ख) ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी स्नातक की शिक्षा हो 20 से 22 वर्ष में पूरी करते हैं।

(2) आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्धारण तिथि या तो विज्ञापन प्रकाशन तिथि को माना जावे या आवेदन की अंतिम तारीख को, क्योंकि (क) जो विद्यार्थी विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 22 वर्ष होते हुए भी परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि आयु सीमा निर्धारण निम्न तरीके से किया जा रहा है।

"आवेदक 1-1-2000 को 20 वर्ष का हो चुका हो व 23 वर्ष का नहीं हुआ हो।"

अर्थात जो विद्यार्थी विज्ञापन प्रकाशन तिथि 9 दिसम्बर, 1998 को 22 वर्ष का है वह भी इस परीक्षा में सम्मिलित केवल मात्र गलत आयु सीमा निर्धारण करने की वजह से वंचित रह रहा है।

अतः (1) आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष करें।

(2) आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए आधार तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को माना जावे। ताकि हजारों विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

वि.स.क्षेत्र रतनगढ़ की सड़कों का निर्माण कार्य

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में साढ़े 3 करोड़ की 16 सड़कों का काम बन्द कर दिया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष है। स्वीकृत कार्यों को बन्द करने से जनता को उपलब्ध होने वाली यातायात सुविधा में व्यवधान हो गया है। अतः इस पर पुनः विचार किया जाना प्रार्थित है।

कृपया 16 सड़कों का कार्य स्वीकृत प्रारूप के अनुसार प्रारम्भ किये जाने के आदेश तत्काल प्रदान करने की अनुकम्पा करें।

श्री अध्यक्ष : डा. करणसिंह यादव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कल भी आया था। सरकार की आदत बनती जा रही है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो लोक कल्याणकारी काम किये थे उनकी स्वीकृतियां निरस्त करने की। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा कल शाम को बोल रहे थे। बोलते-बोलते गला भर्रा रहा था कि इनके क्षेत्र में नयी सरकार ने यह नया तोहफा दिया। अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था करवाएं, मंत्री महोदय भी यहीं बैठें हैं।

श्री अध्यक्ष : देंगे। डा. करण सिंह यादव।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में रेजिडेंट डाक्टर्स की हड़ताल

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में गत दिनों से रेजीडेण्ट डाक्टरों की हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल का मुख्य कारण डाक्टरों के पी.जी. में एडमिशन नहीं होना है। रेजीडेण्ट डाक्टरों की हड़ताल के कारण राज्य की जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेजीडेण्ट डाक्टरों की मांगों के संबंध में इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस समस्या का अविलम्ब उचित समाधान कर प्रदेश की गरीब जनता के साथ न्याय करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली की रोहिट तहसील के गांवों में पेयजल समस्या

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पाली विधान सभा क्षेत्र की रोहिट तहसील के गांवों में पेयजल की विकट समस्या है। इससे निपटने हेतु पाली से जैतपुर वाया रूपावास जल प्रदाय योजना विभाग के पास विचाराधीन है। यदि सरकार द्वारा इस योजना की स्वीकृति शीघ्र

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्राप्त हो जाती है तो आने वाली गर्मियों में जैतपुर के आसपास के करीब 30 गांवों की जनता को पीने का पानी सुलभ हो जाएगा। अतः माननीय मंत्रीजी इस योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आप से ज्यादा हम सक्रिय हैं। हमने स्कीम बना दी है। बहुत कम समय के अन्दर वह स्वीकृत हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलालजी मोदी।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के लिए निम्न प्रकार से निवेदन है :

(1) हैण्ड पम्पों के सुधार की दोहरी व्यवस्था के कारण हैण्ड पम्प ठीक नहीं हो पाते हैं इसलिए हैण्ड पम्पों के ठीक कराने का कार्य पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा कराया जावे।

(2) रामपुरा बेगर का नांगल व बोमया में टंकी बनाकर पेयजल सप्लाई की व्यवस्था करावें।

(3) वर्षों से बनी हुई टंकियों में आज तक पानी नहीं भरा गया इसलिए उन टंकियों में पानी भरवाकर सप्लाई व्यवस्था की जावे।

(4) ग्राम काचरडा को रायपुर पाटन के वाटर सप्लाई सोर्स से सिर्फ 900 मीटर पाइप लाइन से जोड़कर पानी सप्लाई की व्यवस्था करावें।

(5) ग्राम पंचायत पुराना बास सिरोही की ढाणियों में खारा पानी है अतः इस ढाणियों को मीठा पानी सप्लाई हो उनमें ट्यूब वेल व टंकी बनाकर व्यवस्था की जावे।

नीमकाथाना विधान सभा का पूरा क्षेत्र अकाल की चपेट में है। गर्मी का मौसम आने वाला है। अतः विशेष रूप से हैण्ड पम्प लगाये जाकर पेयजल की व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल जाट।

गंगापुर, जिला भीलवाड़ा की पेयजल योजना

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि गंगापुर जिला भीलवाड़ा लगभग 20 हजार की आबादी वाला कस्बा है। इसमें पेयजल की बड़ी विकट समस्या है। इस कस्बे में पेयजल के लिए वर्तमान में रायथलियास बांध से पानी की स्कीम बनी हुई है जहां पानी बहुत कम

(डा. रतनलाल जाट)

है । पिछली सरकार ने इस कस्बे की समस्या के समाधान के लिए मातृ कुण्डिया बांध से पानी लाने की एक योजना लगभग 5 करोड़ की बनायी लेकिन अभी तक यह योजना अधरझूल में बड़े लम्बे समय से लम्बित है । इस स्कीम के लिए मौके पर पाइप भी खरीदे गये हैं जो बेकार पड़े हैं । मेरी जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग ने पी.एच.ई.डी. की स्कीम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है परंतु फिर भी लम्बे समय से यह योजना चालू नहीं की गयी है । गगापुर कस्बे में पेयजल की बड़ी विकट समस्या है। आने वाले गर्मी के मौसम में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेगी । अत: निवेदन है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तुरन्त इस स्कीम में कोई कठिनाइयां आ रही हैं तो उन्हें शीघ्र दूर करे ताकि लोगों को पेयजल मिल सके । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल जी ।

घाटोल, जिला बांसवाड़ा में कृषि महाविद्यालय

श्री नानालाल (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

बांसवाड़ा जिला सम्पूर्ण जनजाति क्षेत्र है । यह सर्वविदित है कि इस क्षेत्र में शिक्षा प्रसार पूर्णतया नहीं हो पाया है । इसके पीछे साधनों एवं संस्थाओं का अभाव भी एक कारण है ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल सम्पूर्ण जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां अधिकांश लोग मजदूरी के साथ कृषि पर निर्भर रहते है । ऐसी स्थिति में उन्हें आधुनिक तकनीक एव कृषि हेतु ज्ञान अति आवश्यक है । सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि पंचायत समिति घाटोल पर एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए, ताकि वहां के आदिवासी विद्यार्थियों का ज्ञान कृषि क्षेत्र में विस्तृत हो सके एवं क्षेत्र का विकास हो सके । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल ।

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में विद्युत आपूर्ति

श्री मांगीलाल (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा, जिला--उदयपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित गांवों में विद्युतीकरण केवल कागजों में ही घोषित कर रखा है परन्तु वहां कोई बिजली के पोल खड़े नहीं किये गये हैं जो गांव कडेच, रिछबड़ा, पलां, पिपरना, कमारा खेत, चित्रावास, हायला, केला की सेरी, देवरानमण, क्यारा खेत, मुण्डा का खेत, साकरा

(श्री मांगीलाल)

खुणा, खेर का खेत, मेरा खेत, पांवा, सिल्ली, पांच बोरा कुर्री, माजोड़ा, मवरी कुण्डाल, सुरण, ईटा का खेत व भुतवड़ हैं। अतः रावछ से सरिया होकर पंचायत मुख्यालय चिश्नावास को विद्युतीकृत कराया जाए एवं अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में बिखरी आबादी होने से मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि उपरोक्त दूर–दराज एवं बिखरी आबादी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा लाइट की व्यवस्था कराएं एवं कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत नहीं हुए हैं उनकी सूची की व्यवस्था करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महेश जोशी।

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट

श्री महेश जोशी (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र किशनपोल के भीषण पेयजल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में भीषण पेयजल संकट बना हुआ है और यह सकट गर्मी के दिनों में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यहां के निवासियों को कम दबाव पर पानी मिलने के कारण ये लोग दो–तीन फूट गहरे गड्डे खोदकर पानी भरने को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग द्वारा रात्रि को दो-ढ़ाई-तीन बजे पानी की सप्लाई दी जाती है, जिसके कारण लोगों को इस भीषण सर्दी के मौसम में रात्रि को पानी भरना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में पानी पूरे दबाव से दिया जाए तथा रात्रि में ढाई-तीन बजे पानी सप्लाई करने के बजाए प्रातः पांच बजे से रात्रि दस बजे के मध्य ही पानी की सप्लाई की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ीलाल।

बामनवास विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

श्री किरोड़ीलाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, बामनवास विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रानोली, टुंडिला, डूंगरवाड़ा, सराय, बिचपुरी, भावटा, सुकार, महुरावंड, भनून, मेढोली, लाखनपुर, मामडोली, गाडदकलां, पीलुखेड़ा, वडी, वडौली, बोरखेडा, भावड, फलवाड़ा, सुन्दरी, बनजारी, गढ़ी, गोपालपुरा, गोठ, मोटपा, बेरखडी, टिगरिया, सांचोली, मीणाकालेता आदि गांवों

(श्री किरोड़ीलाल)

को अभी तक किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जोड़कर भारी पक्षपात किया है। इन में अधिकतर पंचायत मुख्यालय हैं एवं 1981 में एक हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं।

राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार इन सहित, अन्य गांवों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय। समूचे क्षेत्र में 30 प्रतिशत सड़क बनी है वह भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बिनोटी-बालाजी से बंधा, शकीपुरा रोड, बरनाला रोड, बाटोदा रोड, जीवद रोड, कोडियाई रोड आदि गांवों की सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृति जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित में बामनवास क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं में से नई सड़कों की स्वीकृति किया जाना एवं क्षतिग्रस्त पड़ी सड़कों की विशेष मरम्मत करवाई जाने हेतु आवश्यक राशि शीघ्र स्वीकृत कराने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

पारिवारिक न्यायालय जयपुर का आलू फैक्ट्री क्षेत्र में स्थानान्तरण

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत माननीय न्याय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हाल ही में स्थापित पारिवारिक न्यायालय के दिनांक 15-1-99 से जयपुर से बाईस गोदाम के पास आलू फैक्ट्री में स्थानान्तरित किया जा रहा है। इस न्यायालय में पति-पत्नी के आपसी विवाद की सुनवाई होगी जिसमें पत्नी को भी पक्षकार के रूप में तारीखों पर उपस्थित होना पड़ेगा। क्योंकि अन्य न्यायालयों की भांति अभिभाषक द्वारा उपस्थिति की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिशः ही उपस्थिति का अनिवार्य प्रावधान है। यह स्थान जयपुर रेलवे स्टेशन व सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड से काफी दूर है। परिणामस्वरूप उन्हें आने-जाने में बड़ी परेशानी होगी। इस न्यायालय में वकीलों को पैरवी करने की अनुमति नहीं है। परन्तु प्रार्थना पत्र लिखना, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये कौन से साक्ष्य देकर अपने पक्ष को प्रमाणित करना, विभिन्न कानूनी पहलुओं पर राय लेना आदि कार्यों के लिये वकीलों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। वहां इस सुविधा के अभाव में उसे पुनः उन्हीं न्यायालय में आना पड़ेगा जहां पर वकील उपलब्ध होते हैं। हर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्टाम्प की आवश्यकता होती है परन्तु वहां स्टाम्प विक्रेता उपलब्ध नहीं होगा, न ही ऐसा कोई भी विक्रेता वहां बैठेगा क्योंकि उसकी बिक्री अधिक न होने से लाभकारी नहीं होगा। न वहां पर टंकण की भी कोई व्यवस्था होगी क्योंकि कोई भी टंकणकर्ता वहां अपने व्यवसाय के लिये अच्छी कमाई के अभाव में नहीं मिलेगा। उक्त सभी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कार्यों के लिये पक्षकारों को जहां ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी, आना ही पड़ेगा, जो इस स्थान से काफी दूर होगी। आवागमन के साधन भी नहीं हैं, न्यायालय परिसर इतना बड़ा भी नहीं होगा जहां पर पक्षकार धूप-ठंड व वर्षा के मौसम में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकें व इसके लिए कोई प्रतीक्षा कक्ष भी नहीं होगा। कुल-मिलाकर पक्षकार, विशेषकर महिलाओं को बड़ी परेशानी होगी।

अतः इस पारिवारिक न्यायालय को मिनी सचिवालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिये, जिससे पक्षकार आसानी से पहुंच सकें। मिनी सचिवालय के पास शहर के अन्य न्यायालय भी हैं, जहां उपरोक्त सभी सुविधाएं सहज सुलभ हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक या तो इसको यहीं रखें या इसको नजदीक दे दें ताकि लोगों पर यह संकट नहीं आएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के उप नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह न्यायालय किराये के मकान पर चल रहा था। किरायेदार का हमारे ऊपर पूरा प्रेसर है और आर्डर भी है। वह न्यायालय से आर्डर भी ले आये हैं कि खाली करो। आप इन्फ्लुएंशल आदमी हैं। जयपुर शहर में आपका बड़ा नाम है। आप ही उसको समझा दीजिये, वह हमसे खाली नहीं कराये तो हम वहां न्यायालय रख देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं आपको सहयोग करूंगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मिनी सचिवालय जो पास में ही है, वहां जब जगह खाली है, तो वहां स्थानान्तरित कर दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको देख लेंगे।

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री अध्यक्ष : अब मैं पर्ची पद्धति के सन्दर्भ में, पूर्व में आसन की व्यवस्था हो चुकी है कि इस प्रक्रिया से अधिक से अधिक चार माननीय सदस्यों को एक दिन की बैठक में अवसर प्रदान किया जाएगा। पर्चियां बहुत आयी हैं। समय के अनुसार जो सबसे पहले चार पर्चियां आयी हैं, मैं उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री रामसिंह कस्वां।

(13.00 बजे)

श्री रामसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत समिति तारानगर में एक दीवार तोड़ने के मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति तारानगर में जिला कलक्टर चूरू ने 400 मीटर चारदीवारी प्राथमिक शाला

(श्री रामसिंह)

ग्राम गोगठिया में स्वीकृत की थी। यह स्वीकृति 6 अगस्त, 1998 को जारी की थी और 18-10-98 को सरपंच द्वारा काम चालू कर दिया गया। दिनांक 7-1-99 को 3 बजे एस.डी.एम. राजगढ़ ने मौके पर जाकर कुछ व्यक्तियों को साथ लिया और 135 मीटर चारदीवारी को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जानकारी के तोड़ दिया गया। शाम को चार बजे विकास अधिकारी का नोटिस मिलता है सरपंच को, कि काम बंद कर दीजिये। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि जब 3 बजे दीवार हटा दी गयी तो नोटिस का क्या औचित्य है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस मामले की जांच विधान सभा की किसी समिति से, करवाकर न्याय प्रदान करने का कष्ट करें। पूरे क्षेत्र में एवं क्षेत्र के सरपंचों में भय व्याप्त है। बगैर किसी कारण से, सरकारी काम था, वह व्यक्तिगत काम नहीं था, उस काम को बंद कर दिया गया। आपसे पुनः निवेदन है कि दीवार पूरी कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, इसी पर्ची पर मेरा भी नाम है। रामसिंह जी और मैंने एक साथ दी थी।

श्री अध्यक्ष : एक पर्ची पर तो एक ही वक्ता बोलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : एक पर्ची पर एक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर विषय है। जब से यह नई सरकार आयी है तब से यह लग रहा है कि राजस्थान में नादिरशाही का राज हो गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नादिरशाही का राज खतम हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस गाँव को अकाल राहत काम में वह काम स्वीकृत हुआ और, अध्यक्ष महोदय, स्वीकृत काम ग्राम पंचायत को मिल गया और सिर्फ इसलिये यह दीवार तोड़ी गयी कि वह सरपंच भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार पूरी जनता की सरकार है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस व्यवस्था के तहत चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार मात्र कांग्रेसियों की सरकार बनकर रह गयी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस प्रावधान के अंतर्गत बोल रहे हैं। (व्यवधान) यह किन प्रावधानों के अंतर्गत बोल

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रहे हैं ? इनको अनुमति भी नहीं दी फिर भी यह लगातार बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बहुत अनुभवी सदस्य हैं। पहले मंत्री रह चुके हैं। फिर भी नियम, उप नियम का उल्लंघन करके बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : (व्यवधान) दीवार को तोड़ना (व्यवधान) बिना जांच-पड़ताल के दीवार को तोड़ना। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : (व्यवधान) किस नियम के तहत दीवार तोड़ी गयी ? यह बताना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह बताएं, यह कौन वहन करेगा ? एक लाख रुपये की दीवार का निर्माण हुआ था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब इस एक लाख का जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री मदन दिलावर : एक लाख रुपये उस दीवार पर सरकार के खर्च हुए हैं और एस.डी.एम द्वारा बिना जांच-पड़ताल किये इस प्रकार दीवार को तोड़ना, आप यह बताइए इस पैसे को कौन वहन करेगा ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कानूनी अपराध है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) बहुत करेगी तो यह जनता का पैसा क्या बेकार का पैसा है, फालतू का पैसा है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आखिर यह कब तक चलेगा ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस बारे में एस.डी.एम. या जो प्रशासन जिम्मेदार है.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस द्वारा आई.ए.एस., आर.ए.एस. का कांग्रेसीकरण नहीं किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : आपने क्या किया ? (व्यवधान) माननीय रामनारायण जी चौधरी (व्यवधान) कैसी बात ? आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आपने रामनारायणजी का नाम पुकार दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किसके आदेश से दीवार को तोड़ा गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, इस पर बोल लिये। माननीय सदस्य रामसिंह जी भी इस पर बोल लिये। (व्यवधान) दिलावर जी, कृपया आप थोड़ा-सा संयम रखें। इस सदन के आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको सहयोग मिलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्षजी, आपने कृपा करके मुझे जीरो आवर में झुन्झुनूं जिले की बिजली समस्या के मामले में उत्पन्न स्थिति को

(श्री रामनारायण चौधरी)

संक्षेप में दो मिनट में कहने का अवसर दिया है। मान्यवर, झुन्झुनूं जिला उन सौभाग्यशाली जिलों में से है, जिनका सबसे पहले हुण्डरेड परसेण्ट इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ था। जिस समय इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ उस समय जो बिजली की लाइनें और जी.एस.एस. बने थे, वह उतनी ही कैपेसिटी के थे। 1976 में झुन्झुनूं में 132 के.वी. का सब-स्टेशन कायम हुआ था जिसकी वजह से पूरी झुन्झुनूं तहसील और उदयपुरवाटी और नवलगढ़ तक उससे फायदा हुआ। अब इस समय झुन्झुनूं में सिर्फ एक ही जी.एस.एस. 220 के.वी.का है और बाकी 132 के हैं।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि झुन्झुनूं जिले के गांवों के साथ इंसाफ करने के लिए जो हुण्डरेड पर्सेण्ट इलैक्ट्रिफाइड गांव हैं, उनके लिए प्रथक से 220 के.वी. का जी.एस.एस. झुन्झुनूं में स्थापित किया जाय। साथ ही 132 के.वी. का सब-स्टेशन जो मण्डावा में वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था, भारत सरकार द्वारा पोकरण विस्फोट के बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना पैसा देने से वापस हाथ खींच लिये।

मान्यवर, वह 132 के.वी. का सब-स्टेशन ठप्प हो गया, आगे काम नहीं हो रहा है। 220 के.वी. का झुन्झुनूं में स्थापित हो और नुवां के अंदर 33 के.वी. का सब-स्टेशन कायम हो और हेतमसर गांव का जो 33 के वी. का जी.एस.एस. है उस पर भारी ओवर लोड चल रहा है। मण्डावा का ओवर लोड चल रहा है। तमाम 33 के.वी. के जी.एस.एस. झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट में ओवर लोड पर चल रहे हैं। लाइनें इतनी बेकार हो गयी हैं कि लाइन लोसेज झुन्झुनूं जिले के अन्दर सबसे ज्यादा होने के कारण काश्तकारों को जो निर्धारित बिजली राज्य सरकार ने तय कर रखी है, वह नहीं पहुंच पाती है। बीच-बीच में बिजली ट्रिपिंग होती है, वह लाइन फाल्ट की वजह से होती है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान, विद्युत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विद्युत मंत्रीजी अभी झुन्झुनूं गये थे और यह जो आप प्रश्न कह रहे हो, शायद आप लोग भी झुन्झुनूं में उस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे और विद्युत मंत्रीजी....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल खड़ा किया है, वह पावर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यह बात ठीक है कि झुन्झुनूं जिले में जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कनेक्शन हैं और जी.एस.एस. ओवर लोड चलते हैं। उसके चलते ट्रिपिंग होती है। सरकार के साधन सीमित हैं और पूर्व सरकार ने आवश्यकता से अधिक, मैं कहूंगा आवश्यकता तो थी, लेकिन सिस्टम को तो इम्प्रूव किया नहीं, कनेक्शन ज्यादा दे दिये। इसके चलते यह दिक्कत खड़ी हुई है। और जब मैं झुन्झुनूं-सीकर

(डा. चन्द्रभान)

के दौरे पर गया था तब भी लोगों ने कहा कि बिजली तो आठ घण्टे आती है लेकिन उसमें रुकावट आती है। इसके लिये जो पूरा निर्धारित विद्युत तंत्र है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। ज्योंही साधन उपलब्ध होंगे...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूर्णतया स्ट्रेंथन करने के लिये तो आपको समय लगेगा लेकिन ब्लाक्स के अंदर आप अलग-अलग समय में निर्धारित करके बिजली दे दीजिये। किसानों को तो कम से कम अभी यह राहत दें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह किया गया है कि हमने थोड़े आवंटन किये हैं और जो लाइन-तार वगैरह ढीले हैं, उन सबको ठीक करने के लिये अभी शुरुआत की है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के प्रमुख चिकित्सालयों के रेजीडेंट डाक्टर हड़ताल पर हैं और जो संवेदनशील सरकार होने की हां भरने वाली सरकार, रेजीडेंट डाक्टरों में पहले भी असन्तोष रहा है, उनके बारे में पहले ज्ञापन दिया है। लेकिन समय रहते हुए सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, उन सरकारी चिकित्सालयों में मात्र वे लोग जाते हैं जिनकी इन्कम कम है। जिनकी हायर इन्कम है, वे लोग आजकल या तो विदेशों में इलाज कराते हैं या बड़े शहरों में इलाज कराते हैं। राजकीय चिकित्सालयों में बहुत कम लोग हैं, जिनकी लोअर इन्कम है वो इलाज कराते हैं। लेकिन इन रेजिडेंट डाक्टर्स की हड़ताल के बाद राजस्थान के उन प्रमुख चिकित्सालयों से एक व्यवस्था नहीं होने के कारण राजस्थान के गरीब मरीजों को प्राइवेट हास्पिटल्स में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा है जिससे उनको करोड़ों रुपयों की अपनी जेब कटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे समय में निश्चित रूप से जो रेजिडेंट डाक्टर्स का असंतोष है, उनसे बैठ कर बात करनी चाहिये और समय रहते उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिये। अगर असंतोष दूर नहीं होता है तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिये थी कि उन हास्पिटल्स में आने वाले मरीजों को उन प्राइवेट हास्पिटल्स में नहीं जाना पड़ता और उनकी जो खरी कमाई है, वह प्राइवेट हास्पिटल, नर्सिंग होम, जो लूट के केन्द्र हैं, उनके पास नहीं जाना पड़ता।

मैं समझता हूं कि समय रहते, अब भी या तो उनके असंतोष को दूर कर के उन रेजिडेंट डाक्टर्स की हड़ताल को तुड़वाया जाय, सरकार वार्ता करें और अगर हड़ताल नहीं टूटती है तो कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिये। क्योंकि मेडिकल कालेज में हास्पिटल हैं उनमें दूर-

(श्री ग्रमराराम)

दूर से लोग ग्राते हैं, रैफर्ड केसेज ग्राते हैं, ग्रगर वहां समुचित व्यवस्था नहीं मिलती तो निश्चित रूप से प्राइवेट हास्पिटल्स में मरीज को ग्रपनी जान बचाने के लिए जाना पड़ेगा। मैं समझता हू उसकी समुचित व्यवस्था सरकार करेगी ग्रौर उन लाखों लोगों को उन प्राइवेट नर्सिंग होम में जेब कटने से बचाने में सहयोग करेगी। ग्रापने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : ग्रध्यक्ष महोदय, उदयपुर शहर में पिछले डेढ़ महीने में जो कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है उसको यदि गहराई से देखने का कोई प्रयास करें, तो मैं कह सकता हूं, कि यदि मेरे कहने के कारण से ग्राप उसको इस रूप में लेंगे कि उसमें कोई राजनीति है, राजनीति नहीं है।

लेकिन जिस ढंग से उदयपुर का डेढ़ महीने में यह वातावरण बना है ग्रौर खुले बाजारों में जिस तरह से नंगी तलवारें लेकर, ग्रौर जहां पुलिस का कंट्रोल रूम है, उसके 25 कदम दूर ग्रगर स्कूटर पर चलने वाले लोगों को रोक कर उन पर हमला किया जाय, तलवार से वार किया जाय, चाकू घोंप दिया जाय। एक घटना हो तो समझ में ग्रा सकती है। उदयपुर में इन दिनों में दो तो इस प्रकार की घटना बिलकुल खुले बाजार में हुई जहां सारा बाजार बंद हो गया। थाने पर जाकर लोगों ने घेराव किया। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। चोरियों की तो कोई सीमा नहीं है। ग्रगर केवल इन डेढ़ महीने के ग्रांकड़ों को ही इकट्ठा करें, तो केवल उदयपुर शहर में 20 से ज्यादा चोरियां, ग्रौर वह भी बाजार के ग्रन्दर जहां सोने-चांदी की दुकानें भी हैं, उनमें हुई हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख है, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन प्रशासन को ग्राप थोड़ा कसिये। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों के मन में लगा कि मर्जी चाहे जैसे करो। यहां तक कि विदेशी जर्मन महिला जो उदयपुर में पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से ग्रायी, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। उस केस में हमने समय पर चालान पेश नहीं किया इसलिए वह ग्रादमी, जो दो महीने तक जेल में बंद था, 60 दिन में चालान पेश नहीं करने के कारण से छूट गया। सम्पूर्ण दुनिया में हमारे बारे में क्या चीज जायेगी ? इसके बारे में कोई चिंता करेगा कि नहीं करेगा ?

ग्रभी चार दिन पहले ही दो आदिवासी बच्चियां, जिनकी उम्र मुश्किल से 14 ग्रौर 15 साल थी, उनको एक घर में ले जाकर 24 घण्टे तक कैद रखा गया तथा उनके साथ बलात्कार होता रहा। ग्रगर इन बेइमान लोगों को ग्रौर इस प्रकार के ग्रपराधी लोगों को...

श्री देबीलाल बैरवा (शाहपुरा) : ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मंत्रीजी कह रहे हैं कि

(श्री देवीलाल बैरवा)

डेढ़ महीने में बलात्कार, मैं निवेदन कर रहा हूं कि 8 साल में हजारों-लाखों बलात्कार हो गये। और इस बड़ी चोपड़ के ऊपर कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी और कम्युनिष्ट पार्टी, सब ने यहां हड़ताल की जिसकी इन्होने नहीं सुनी। यह आठ साल तक आंखें मींच कर बैठे रहे। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुझे बहुत दुःख है कि आप जैसे-ऐसे पुराने सदस्य इस पर तालियां बजा रहे हैं। बलात्कार पर तालियां बजा रहे हैं, दुर्भाग्य है। मैंने आप पर कोई दोषारोपण नहीं किया पर मैं यह जरूर चाहता हूं कि वह आदिवासी की बेटी है इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोई असहाय है और उसके कारण से उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी। आप इसके बारे में कहना क्या चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : और आज डेढ़ महीने के अन्दर यह बात बता रहे हैं, बिलकुल गलत, निराधार। आपके राज में आंख मींच कर बैठे रहे। (व्यवधान) और आज डेढ़ महीने के अन्दर आप बड़ी बात कर लोगों का...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुझे बहुत अफसोस है कि कांग्रेस के ऐसे सम्माननीय और पुराने सदस्य अगर किसी आदिवासी की बेटी के साथ 24 घंटे तक कमरे में बंद रख कर बलात्कार हो उदयपुर में, और उस पर आप तालियां बजाएं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और इस सदन का क्या हो सकता है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में जो स्कूल की बच्चियां भी नहीं छूटीं। नीलू राणा हत्याकांड आपके जमाने में हुआ। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और मुझे बहुत दुःख है। मैं कहना चाहता हूं यह अपराधी न भारतीय जनता पार्टी का होता है न यह अपराधी कांग्रेस पार्टी का होता है, न इसमें किसी आदमी का किसी पार्टी से कोई लेना-देना है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : आपके जमाने में युवतियां तो छोड़िये, बच्चियां भी नहीं छूटीं (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन सरकार का यह धर्म है कि ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाय और यह वातावरण बनाया जाय कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती होगी।

मुझे बहुत दुःख है और बहुत अफसोस है कि अगर इन बातों को भी इस तरह से हल्के-फुल्के ढंग से लेंगे तब तो आपकी कानून और व्यवस्था सुधर गयी। और तब आपकी मंशा समझ में आ जायेगी कि आप वास्तव में कानून और व्यवस्था सुधारना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते।

श्रीमती रमा पायलेट (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, इतने जोर-जोर से शोर मचा रहे

(श्रीमती रमा पायलेट)

है, क्या, माननीय सदस्य, इस बात का कोई जवाब है आपके पास कि बूंदी में, 1993 में जब आपकी सरकार थी, तब मैंने यहां एक सवाल उठाया था स्थगन प्रस्ताव में और उस स्थगन प्रस्ताव में मुख्य मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया था। बलात्कार का मैंने मामला उठाया था। आप कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनिये..(व्यवधान)..

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आप से और कोई माग नही कर रहा हूं। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे ? इस जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ? उदयपुर के लोगों को आप इस प्रकार के गुंडे तत्वों से राहत दिलायेंगे या नहीं दिलायेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती रमा पायलेट : एक 7 साल की बच्ची का सिपाहियों ने थाने के अन्दर बलात्कार किया था आपके समय में। 1992 की बात है। और मुख्य मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया था। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और उस स्थगन प्रस्ताव का आपके मुख्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)... मुझे यह कहा था कि मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इसी प्रकार की वारदातें होती रहीं तो, आदिवासी आंदोलित हो रहा है, और जब उदयपुर क्षेत्र का आदिवासी आंदोलित हो गया न, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। इस बात को भी समझ लीजिये। (व्यवधान) यह मौका मत दीजिये उस जाति को कि उस जाति के लोगों के मन में यह गुस्सा भड़क जाय और उसके कारण से मैदान में आकर मरने के लिए तैयार हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती रमा पायलेट : आपकी सरकार के पास आज तक जवाब नहीं आया उस बात का। सात साल की बच्ची का बलात्कार पुलिस कर रही थी उस वक्त, और उस वक्त का आज तक उनके पास जवाब नहीं आया। और मुझे बहका कर इस सदन को गुमराह किया मुख्य मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि इसका समय रहते हुए...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप किस को कह रहे हैं, आपके जमाने में इस तरह की बातें होती थीं जिसको सहन नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती रमा पायलेट : आपको शर्म आनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुलिस कार्यवाही कर रही है, इंवेस्टिगेशन हो रहा है, फेयर इंवेस्टिगेशन हो रहा है। What more do you want ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके समय में बलात्कार हुए, शर्म आने की बात है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधियों को घर जाकर के रोकें अपराध करने के लिए? (व्यवधान)

श्रीमती रमा पायलेट : माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि हम तालियां बजा रहे हैं (व्यवधान) अगर बलात्कार का मामला है तो कहां तालियां बजा रहे हैं हम ? (व्यवधान)

श्री शैलन्द्र जोशी : पुलिस कार्यवाही कर रही है, बहुत प्रभावशाली कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान) पुलिस कार्यवाही कर रही है, कोई कोताही नहीं बरत रही है। What more do you want ? (व्यवधान) पुलिस सख्ती से कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

श्रीमती रमा पायलेट : यह इनका मुंह नहीं है इस बात को कहने के लिए, क्योंकि इनके समय में जितने बलात्कार हुए और यह राज में बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा हुए। (व्यवधान) उनके पास कोई जवाब नहीं है जो आज यह बात कह रहे हैं। (व्यव–धान) शर्म आनी चाहिये आपको।

श्री रामस्वरूप मीणा : जितने बला-त्कार आपके राज में हुए हैं..(व्यवधान)... इनकी सरकार में जितने बलात्कार हुए उतने आज तक कभी भी बलात्कार नहीं हुए। आपको शर्म आने की बात है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इन घट–नाओं को केवल राजनीति में मत डालो। यह अपराध मेरे यहां हुआ या आपके यहां हुआ, अपराधियों को दण्ड मिले और समझ जायं कि भविष्य में कोई अपराध नहीं कर सकेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, शर्म आ रही है कि बलात्कार जैसे मामले को भी माननीय महिला सदस्य बहुत साधा-रण तरीके से..(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : बलात्कार को उचित ठहरा रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुलिस प्रभावी कार्यवाही कर रही है, आप चिन्ता मत कीजिये कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ इस सदन की बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो वो उसको उचित ठहरा रहे हैं, +++ तब यह क्या करेंगे और क्या विचार करेंगे? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या जंगल राज करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आदिवासी बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है उस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्ची में जो अन्य पर्चियां आयी हैं उनको 15 तारीख को समय दिया जायेगा ।

श्री चन्दनमल बैद, वित्त मंत्री वित्त विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं (वित्त विभाग)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प. 10 (7) वित्त/कर-अनु/98-115 दिनांक 30-12-1998 जिसके द्वारा सचिव, वेस्टर्न रेलवे वूमेन सेवा समिति द्वारा इंजिन पार्क रेलवे स्टेशन, जयपुर पर दिनांक 30 व 31-1-99 को आयोजित किये जाने वाले मेले पर उदग्रहित मनोरंजन कर और उक्त मेले में आयोजित की जाने वाली लक्की ड्रा व रैफल के विक्रय पर लगने वाले कर से मुक्त किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 10 (7) वित्त/कर-अनु 98-116 दिनांक 30-12-98 जिसके द्वारा सचिव, पश्चिम रेलवे महिला सामाजिक सेवा समिति, जयपुर द्वारा इंजिन पार्क, स्टेशन जयपुर में दिनांक 30 व 31-1-99 को आयोजित किये जाने वाले मेले पर उदग्रहित मनोरंजन कर में छूट दी गयी है,

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 2(10) एफ.डी./टैक्स-डिवी. / 98-117 दिनांक 31-12-98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.2 (10) वित्त/कर-अनु/98/55 दिनांक 9-7-1998 में संशोधन किया गया है, एवं

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4(26) एफ.डी./ग्रुप-II/94-21 दिनांक 8-9-94 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़, संसदीय मामलात मंत्री वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

वित्तीय समितियाँ वर्ष 1999-2000 के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय मामलात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230/1 के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1999-2000 के लिये 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232/1 के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (क) 1999-2000 के लिये 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232/1 के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख) 1999-2000 के लिये 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 ख (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1999–2000 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

नियम का निलम्बन

नियम 230 (1) 231 (2) व 233 (ख) (1) का निलम्बन

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 13 जनवरी, 1999 को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1), 231 (1) सहपठित नियम 232 (1)' 233 (ख) (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क" व "ख" व राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 प्रत्येक के लिए 15–15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231 (1) सहपठित नियम 232 (1), 233(ख)(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व किया जाए जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें। इन कमेटियों का कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2000 तक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री खेत सिंहजी राठौड़, संसदीय मामलात मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद

श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्यारहवीं विधान सभा में निर्वाचित नया सदस्य हूं तथा पहली बार अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं। मैं आसन से आशीर्वाद चाहता हूं तथा सदन से प्रोत्साहन चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में लोकतंत्र की स्थापना के बाद जो सरकारें बनीं उन्होंने लोकतांत्रिक आधार पर राजस्थान को दिशा-निर्देश देने का प्रयास किया। शेरे राजस्थान लोक नायक जयनारायणजी व्यास की परिकल्पना को आज से ढाई दशक पूर्व माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया ने पूरा करने के लिए इस प्रदेश में आधारभूत ढांचा संरचित करने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। किन्तु कांग्रेस के शासन से जाने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई और जिस तरीके से आम जनता की भावनाओं को अनदेखा किया गया उससे आम जनता में असंतोष पैदा हुआ और परिस्थितियां ऐसी बनीं, जिनका परिणाम पिछले विधान सभा का जनादेश था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर महुवा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में साम्प्रदायिक उन्माद को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया और इस विचारधारा के पक्ष में कभी भी जनादेश नहीं मिला। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस बात को पिछले दो दिनों से बार-बार कहते रहे कि हमें भी एक विचारधारा के आधार पर जनादेश मिला किन्तु ऐसी स्थिति कभी भी नहीं रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा सन् 1977 के अन्दर तत्कालीन राजनीतिक दलों ने विलय करके जनता पार्टी नाम के दल का गठन किया जिसमें कई विचारधारा के दल सम्मिलित थे और जो एक खिचड़ी सरकार के रूप में सामने आया। उसमें जनसंघ घटक को सरकार का नेतृत्व करने का अवसर जरूर मिला, किन्तु वह दूसरों की बैसाखियों पर

(श्री जुगल काबरा)

चढ़कर ही सत्ता तक पहुंच सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1990 के अन्दर भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला किन्तु उस समय भी जनता दल की बैसाखियों पर चढ़कर ही सरकार पर काबिज हो सके। उनकी अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रम और अपने मन्तव्य के आधार पर राजस्थान की जनता ने उन्हें कभी भी जनादेश नहीं दिया। और पिछला 1993 का जो विधान सभा चुनाव था; उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जिस जोड़-तोड़ के साथ में सरकार बनायी गयी वह सर्वविदित है। और पिछला 1998 का जो जनादेश था वह पूरा इस बात को स्पष्ट करता है कि जनता इनके व्यवहार से पूरी तरह से ऊब चुकी थी। इसलिए कांग्रेस की नयी सरकार ने, जो कि आजादी के बाद जन्मे हुए व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार बनी है, राजस्थान का पहला मुख्य मंत्री, जिसने आजादी के बाद में जन्म लिया वह व्यक्ति आज की नयी कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहा है और कांग्रेस की सरकार को बुजुर्गों और नौजवानों का पूरा सहयोग मिल रहा है।

(13.30 बजे)

(श्री हरिसिंह (महुवा), सभापति, पदासीन)

नौजवानों की ऊर्जा तथा बुजुर्गों के अनुभवों के आधार पर राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के माध्यम से... नयी सरकार ने अपनी दिशा दृष्टि प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। राज्य सरकार ने उन सभी बिन्दुओं को छूने का प्रयास किया है जो आम प्रशासन से सम्बन्ध रखते हैं, जन सामान्य की समस्याओं से सम्बन्ध रखते हैं। जिन्हें जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी समझा गया। ऐसा कोई भी प्रश्न और बिंदु नहीं छोड़ा गया जिसे कि राज्य सरकार ने अभिभाषण के द्वारा नहीं छुआ हो।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने यह कोशिश की है कि पिछले दिनों में जो असमानताएं हुई हैं, जो विफलताएं रहीं उनको किस तरह से दूर किया जाय और उनके लिए एक दिशा दृष्टि दी है। जिसका इस अभिभाषण के अंदर उल्लेख किया गया। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने भावनापूर्ण, प्रवाह पूर्ण भाषण के द्वारा, शब्दों के जाल के द्वारा, तर्क देने की कोशिश की। किन्तु अभिभाषण के विरोध में उनके तर्कों में किसी तरह का ठोस आधार नजर नहीं आया। जबकि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो प्रस्तावना की गयी थी, उसके ऊपर सुविचारित तरीके से सही बातें स्पष्ट तौर पर नयी सरकार द्वारा प्रेषित की गयीं। हमारी नयी सरकार ने जो ठोस निर्णय लिये हैं, उसका राजस्थान की जनता ने चारों तरफ स्वागत किया है। नौजवानों में नयी आशा थी। एक विश्वास था कि राजस्थान में जब नयी सरकार बनेगी; उनके बारे में सोचा जाएगा। और नयी

(श्री जुगल काबरा)

सरकार ने सबसे पहले नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पिछली सरकार द्वारा जो घोषणा की गयी थी, सेवा-निवृत्ति की आयु 58 साल से साठ कर देने की, उसे बदल करके पुन: 60 साल से 58 साल की आयु करके नौजवानों में यह विश्वास पैदा किया कि नयी सरकार उनके बारे में सोचती है। पिछले दिनों में जो मानवीय संवेदनाओं का हनन किया गया, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीडन किया गया कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था कि मानवाधिकार आयोग तथा महिला आयोग का गठन किया जाएगा। नयी सरकार ने तत्काल इसके ऊपर कदम उठाकर यह फैसला किया कि राजस्थान के अंदर इन दोनों आयोगों का गठन कर आम जनता की भावनाओं को जो पूर्व में ठेस लगी है, उस पर मल्हम लगाने का प्रयास किया जाएगा। पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य की नयी सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से जागरूक है और किसानों, गरीबों और पिछड़ों के प्रति खास तौर से संवेदनशील बनी हुई है। कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में राज्य सरकार ने जो नीति बनायी है और जिसकी घोषणा की है वह सर्वविदित है। नयी सरकार नयी कृषि नीति के साथ इस सदन के अन्दर यह बताने का प्रयास करना चाहती है कि राज्य की नयी सरकार कृषकों के प्रति पूरी तरह जागरूक है।

विद्युत मंत्री जी ने बिजली कनेक्शन के बारे में नयी बिजली कनेक्शन नीति की घोषणा करके यह स्पष्ट तौर पर जाहिर कर दिया है कि किसानों को बिजली देने के बारे में, किसानों को कनेक्शन देने के बारे में नयी सरकार पूरी तरह सुविचारित तरीके से काम कर रही है। मान्यवर, कृषि आधारित उद्योगों तथा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी जिलों के उत्पादन के आधार पर व्यवस्था करने की नयी सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से इस प्रदेश को विश्वास दिलाया है तथा उपज के उचित मूल्य के लिए किसानों को प्लेज लोन दिलाने की भी व्यवस्था करने का वायदा किया है।

मान्यवर, विद्युत के बारे में यह सरकार बहुत अधिक जागरूक रही है। पिछले आठ वर्षों में विद्युत उत्पादन की कई योजनाएं चर्चा में रहीं किन्तु वे एक भी फलीभूत नहीं हो सकीं। यह प्रदेश का दुर्भाग्य था, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। किन्तु नयी सरकार ने विद्युत समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी और यह प्रयास किया कि राज्य में नये पावर प्रोजेक्ट्स लगाये जायं और इसके तहत सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट की दूसरी इकाई को द्रुत गति से पूरा करने का संकल्प लिया गया है। तथा अन्ता में हाल ही में केन्द्रीय विद्युत मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 650 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की इकाई लगाने के

(श्री जुगल काबरा)

प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने के लिए शिलान्यास किया है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने मंत्रीमण्डलीय उप समिति का भी गठन किया है जो कि पिछले पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में सुविचारित व्यवस्था करे। और जो लोग पिछली सरकार में विद्युत उत्पादन के लिए तत्पर थे, उनके सामने अगर कोई कठिनाई उस समय आयी और अगर आज भी वे चाहते हैं कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र के अंदर योगदान किया जाय, तो उन लोगों को बुलाकर चर्चा करके विद्युत उत्पादन को पूरी तरह से आगे बढाया जाय।

मान्यवर, अभी सदन में पेयजल संकट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। पेयजल की स्थिति शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछले कई वर्षों से खराब है। गांव के किसान आज भी बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। यही स्थिति कई एक शहरों में बनी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पानी मांगे जाने पर लाठियां बरसायी गयीं यह भी सर्वविदित है। किन्तु नयी सरकार ने पेयजल के बारे में सुविचारित नीति कायम कर यह प्रयास करने की कोशिश की है कि हम पेयजल को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने तंत्र को मजबूत बनायेंगे और जिस तरीके से पिछले वर्षों के अन्दर प्रदूषित जल आपूर्ति की जाती थी, उसको रोकने के लिए भी नयी सरकार, मैं आशा करता हूं, प्रयास करेगी। प्रदूषित जल की आपूर्ति से पिछले वर्षों में कई जगह पीलिया रोग फैल गया, मलेरिया फैल गया और आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जोधपुर शहर की मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्रदूषित जल की आपूर्ति के कारण करीब दो हजार लोग पीलिया के रोग से ग्रसित हो गये और कई लोगों को अस्पताल के अन्दर भर्ती होना पड़ा किन्तु तत्कालीन सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जन आंदोलन के दबाव के कारण सरकार को कुछ कार्यवाही करनी पड़ी। तब कहीं जाकर के इस प्रदूषित जल को रोका जा सका। किन्तु आज भी कई एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सीवरेज लाइन और पानी की लाइनों के आपस में मिल जाने के कारण प्रदूषित जल आपूर्ति हो रही है। इसलिए सरकार का यह दायित्व है कि इस तरह की जो प्रदूषित जल की आपूर्ति है, उसको रोकने का प्रयास किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पानी का भू-जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। राज्य सरकार ने भू-जल पुनर्भरण के लिए नयी विकास योजना नयी तकनीक का प्रादुर्भाव करने के प्रति अपनी गम्भीरता जाहिर की है।

औद्योगिक विकास के बारे में भी सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले आठ साल के अन्दर राजस्थान के औद्योगिक विकास में अवरुद्धता आयी

(श्री जुगल काबरा)

थी। कई इकाइयां रुग्ण हो गयीं, कई कारखाने बंद हो गये। मजदूर बेकार हो गये और जिससे चारों तरफ अफरा तफरी फैल गयी। किन्तु नयी सरकार ने उद्योगों को संरक्षण देने का फैसला किया है और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से यह दर्शाया है कि उद्योगों के क्षेत्र में अधिक निवेश व विद्युत आपूर्ति को सुनियोजित कर इकाइयों को रुग्ण होने से बचाया जाएगा। श्रमिक कल्याण के कार्यक्रम लागू किये जायेंगे तथा मंदी के शिकार उद्योगों की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। जो स्वागत योग्य है।

मान्यवर, मैं शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर भी इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर शिक्षा को एक खिलौना बना दिया गया। पिछले वर्षों के अन्दर प्राथमिक शिक्षा को प्रयोगशाला के तौर पर चलाया गया है। एक प्रयोग के तौर पर कभी शिक्षाकर्मी योजना है, कभी लोकजुम्बिश योजना, कहीं साक्षरता योजना तथा कहीं डी.पी ए.पी.के माध्यम से जिलों को बांध कर एलिमेंट्री एजुकेशन के अन्दर अलग अलग तरह के प्रयोग किये गये। यह संस्कार देने वाली शिक्षा है जहां पर बच्चों को तैयार किया जाता है। किन्तु पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षा के बारे में एकरूपता नहीं रही। माध्यमिक शिक्षा का भी यही हाल रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मनमर्जी से सिलेबस बदल डाले।

माननीय सभापति महोदय, कल इसी सदन में चर्चा हो रही थी कि किस तरह के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के बनाये गये और स्वतन्त्रता के आन्दोलन को पाठ्य पुस्तकों से निकाल दिया। और एक विचारधारा विशेष को खास तौर से पाठ्यक्रम में ठूंसे जाने की कोशिश की गयी। इस तरह से जो सोच और चिन्तन सरकार का, पिछली सरकार का राज्य की शिक्षा के प्रति रहा, वह किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता।

उच्च शिक्षा के बारे में भी माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की स्थिति छुपी हुई नहीं रही। विश्वविद्यालयों के अन्दर कहीं पर बच्चों को इसलिये आत्मदाह करना पड़ा कि उनके परीक्षा परिणाम नहीं निकले। यह राजधानी के विश्वविद्यालय की बात है। सभापति महोदय, एक छात्र इसलिए आत्मदाह करके जल गया कि उसका परीक्षा परिणाम नहीं निकला। और परीक्षा परिणाम इसलिए नहीं निकला कि विश्वविद्यालय ने कापियों को जांचने का भुगतान नहीं किया और राज्य सरकार के द्वारा समय पर उनको अनुदान नहीं दिया गया। उदयपुर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के बारे में कई तरह के प्रश्न और चर्चाएं आम जनता के बीच में रही। योग्यता को मापदंड न बना कर के कुलपतियों की नियुक्ति पिछली सरकार के अन्दर की जाती रही। उदयपुर के अन्दर एडहाक वाइस चांसलर तीन वर्ष तक चलते रहे। इस तरह के हालात पिछले 8 सालों के अन्दर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रहे।

माननीय सभापति महोदय; अभी इसी

(श्री जुगल काबरा)

सदन में चर्चा हो रही थी राजस्थान विश्वविद्यालय की नियुक्तियों को लेकर, कि किस तरह की अफरा-तफरी के हालात राजस्थान विश्वविद्यालय में किये गये। किस तरीके से जानबूझ करके जो योग्यता प्राप्त व्यक्ति थे, जिनको आरक्षण प्राप्त था, उन लोगों के अधिकार को कुंठित किया गया। इस तरह की अफरा-तफरी पिछली राज्य सरकार के निर्देशों पर, पिछले शासन के अन्दर की गयी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारी नई सरकार इन सारी गल्तियों को सुधारे। और हमें पूरा यकीन है कि राज्य सरकार ने जो मन्तव्य प्रस्तावित किया है, उससे शिक्षा के क्षेत्र में पूरे तरीके से सुधार होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समय सीमा का ध्यान रखें। आपके दल के 14 वक्ताओं का नाम है।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, नई सरकार सूचना के अधिकार की पक्षधर है, और विकास सम्बन्धी कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए जनता को सूचना का अधिकार देने हेतु कार्य योजना तैयार कर रही है। यह स्वागत योग्य कदम है, जिसे पूरे प्रदेश के अन्दर सराहा जा रहा है।

सिंचाई के बारे में भी हमारी नई सरकार ने जो योजनाएं बनायी हैं, वह स्वागतयोग्य है। सड़कों के निर्माण के बारे में पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की थीं और तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने दिल के फफोलों और घावों को उजागर किया था, वह सड़कों के गड्ढों के कारण उनके दिल के फफोलों के घाव ठीक नहीं हो सके। किन्तु मैं सोचता हूं कि नई सरकार अब कम से कम उनके फफोलों के घावों को सड़कों की मरम्मत करके ठीक करने का प्रयास करेगी।

सामाजिक विषमता निवारण के लिए नई सरकार कटिबद्ध है और अनुसूचित जाति और जन जातियों, विमुक्त घुमतु जातियों, अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर व अन्य पिछड़े वर्गों व शैक्षणिक, आर्थिक विकास व सामाजिक उत्थान, व सुरक्षा कार्यक्रम, बाल कल्याण, महिला कल्याण विकलांग तथा वृद्ध कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता के अन्दर सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास करेगी। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के कमजोर परिवारों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वित्त नियोजन से ऋण दिलवा कर आर्थिक स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त करने का जो सरकार ने फैसला किया है वह स्वागतयोग्य कदम है।

मान्यवर, अन्य पिछड़े वर्ग को पिछले लम्बे समय से कांग्रेस पार्टी ने यह कोशिश की है कि उनकी जो जातियां आरक्षण से वंचित रह गयी थीं, उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाये। और कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र के अंदर भी इस बात को प्रदर्शित किया है। मान्यवर, जाट, विश्नोई सिंधी, मुसलमान, मेव तथा अल्पसंख्यक जातियां, जो कि हाथ से काम करती हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिलवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, गलत कह रहे हैं । जो ओ.बी.सी. की देन है, वह माननीय वी.पी. सिंह साहब की है । कांग्रेस ने ना कभी उनको रिज-र्वेशन देने की सोची, ना कभी प्रयास किया ।

श्री सभापति : इन्टरप्शन नहीं, मेडेन स्पीच है । सदन में पहली बार...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : गलत तथ्य कह रहे हैं । यह तो वी.पी.सिंहजी ने किया है । सब जानते हैं इन्होंने कभी सोचा ही नहीं ।

श्री सभापति : आप इस सदन के नियमों से भली प्रकार वाकिफ हैं माननीय सदस्य ।

श्री रमजान खान : आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो कायमखानी को जोड़ो..(व्यवधान)

श्री सभापति : नो इन्टरप्शन प्लीज । मेडेन स्पीक (व्यवधान) सिट डाउन प्लीज ।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी इच्छा जाहिर की है, जो मन्तव्य प्रकट किया है वह पूर्व की सरकार ने कभी प्रकट नहीं किया । उनकी इच्छाशक्ति होती, उनका मन्तव्य होता, तो वह कार्यरूप में परिणित करके प्रदेश को बताते । कांग्रेस ने इस बात का फक्र और गर्व हासिल किया है । उन्होंने जो अपना मन्तव्य प्रकट किया है, घोषणा पत्र के माध्यम से उसको लागू करने का प्रयास करेगी । और नई सरकार ने इस बात का संकेत दिया है ।.. (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : काफी वाद-विवाद..(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके बोलने की भी बारी आयेगी माननीय सदस्य । आप नोट कर लें, आपके बोलने की बारी आयेगी तब आप कह देना ।

श्री जुगल काबरा : सरकार ने जो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जो निर्णय लिया जा रहा है वह स्वा-गतयोग्य कदम है । अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के लिए रोज-गार और शिक्षा के जो कदम उठाये जा रहे हैं वह सभी स्वागतयोग्य हैं । माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्षों के अन्दर वक्फ बोर्ड ने राजस्थान के अन्दर जो कार-गुजारियां कीं, उनको दुरस्त करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया, उन सबको रोके जाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं, वह स्वागतयोग्य कदम हैं ।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कांग्रेस की नई सरकार पूरी तरह संवेदनशील है तथा महिला आयोग के गठन के द्वारा उसने इस बात को साबित कर दिया है । सभापति महोदय, सरकारी नौकरियों में

(श्री जुगल काबरा)

बीस से तीस प्रतिशत स्थान बढ़ा करके आरक्षण घोषित किया गया है वह भी स्वागतयोग्य कदम है। इसके साथ ही महिला शिक्षा को सभी स्तर पर निःशुल्क बनाया जाने के लिए सरकार ने जो अपना मन्तव्य प्रकट किया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। माननीय समापति महोदय, यह दुःख का विषय है कि पिछली सरकार ने जो सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम की धनराशि थी, उसका पूरा उपयोग नहीं किया जिसके कारण राजस्थान के अन्दर विकास की गति अवरुद्ध रही।

श्री प्रताप सिंह : माननीय सदस्य के भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जावे।

श्री जुगल काबरा : स्थिति यह बनी हुई है कि 8 सौ करोड़ रुपये के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिछले एक साल से बाकी हैं। इस दौरान क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं लिया गया। किस तरह गुणवत्ता से काम किया गया, इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण से राजस्थान का विकास पिछले लम्बे समय से अवरुद्ध रहा। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कांग्रेस ने जो संकल्प लिया था उसको भी पूर्ति करके बताया है। इस बात को साबित किया है कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन जिला प्रमुखों को बनाया जायेगा ताकि जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन की भावना है, उसे लागू किया जा सके।

श्री समापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जुगल काबरा : संवेदनशील जवाबदेह सरकार की जो मंशा है, उसके लिए नौकरशाही पर अंकुश लगाने का सरकार ने जो प्रयास किया है, वह स्वागतयोग्य कदम है। रोडवेज जो घाटे में चल रही है, उसके अन्दर किराया घटा करके आम लोगों को राहत देकर, आम जनता को रोडवेज के माध्यम से सफर करने के लिए प्रेरित करने का भी मैं सोचता हूं, जो सरकार का इरादा है, स्वागतयोग्य कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय समापति महोदय, मैं इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री समापति : श्री परसादी लाल जी मीणा, सहकारिता राज्य मंत्री।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समापति महोदय, मंत्रियों की तो आप नयी परम्परा डाल रहे हैं बोलने की। यह तो गलत बात होगी आपकी। यह क्या नयी परम्परा डाल रहे हैं सदन के अन्दर ?

श्री जगमाल सिंह यादव : सरकार के द्वारा अभिभाषण तैयार कराया गया है; मंत्री भाग लेंगे ? यह तो आपने ही तैयार किया है।

श्री समापति : मंत्री को इंटरवीन करने का नियमों में प्रावधान है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यदि इतना ही शौक है बोलने का, तो मंत्री पद से इस्तीफा देकर बोलें। मंत्री पद से इस्तीफा देकर बोलें।

श्री जगमाल सिंह यादव : तैयार तो सरकार ने ही किया है।

श्री परसादी लाल मीणा (राज्य मंत्री, सहकारिता) : अभी सरकार ने तैयार नहीं किया, जनता ने तैयार किया है मुझे।

श्री सभापति : आप विराज जाएं। विराज जाएं। विराज जाएं आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को दे। सभापति महोदय, यह गलत परम्पराएं हैं।

श्री सभापति : मैं आसन को...माननीय सदस्या..(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, बहुत गलत परम्परा पड़ जाएगी। जिसने अभिभाषण तैयार किया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रोटेस्ट करती हूं। कृपया आप इस प्रकार की परम्पराएं नहीं डालिये। यह मंत्रियों को बोलने का, मंत्री कब से बोलने लग गये? राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर मंत्री लोग नहीं बोला करते हैं यह इस सदन की परम्परा है। यह आप नयी परम्परा क्यों डाल रहे हैं?

श्री सभापति : यह व्यवस्था....(व्यवधान) आप विराज जाइये। आप विराज जाइये माननीया। मैंने जो नियमों में है, उसी के अनुरूप व्यवस्था दी है। मंत्री को इंटरवीन करने का अधिकार है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौनसे नियमों में? कौनसे नियमों में, आप बताएं?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप विराज जाइये। विराज जाएं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बताएं कौनसे नियम हैं? हां, मैं बैठूंगी, आप बतायें, कौनसे नियम में है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मिनिस्टर्स हमेशा इंटरवीन करते आये हैं डिबेट में। यह कोई नयी बात नहीं है। और समय के लिहाज से हमारे दो मैम्बर बोलेंगे और आपके एक बोलेंगे। आपकी स्ट्रैंथ नहीं है। आप तो कुल मिलाकर पचास हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप चार बोलें चाहे; इससे मतलब नहीं है। हमें समय दें या नहीं दे, यह नहीं कह रहे हैं। लेकिन मंत्री को बुलवा रहे हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निर्दलीयों के 35 मिनट हैं। निर्दलीय सदस्यों के 35 मिनट हैं और इन 35 मिनट में हमने एक ने भी नहीं बोला है। माननीय सभापति महोदय, निर्दलियों के 35 मिनट निर्धारित हुए हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप तो दो के बजाय चार बुला लो। कहने का मतलब यह है कि मंत्री नहीं बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा जब आपका रिप्लाई हो उस दिन अगर आप चाहो तो एक आध किसी को बुला दो लेकिन यह गलत परम्परा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन अगर चार्जेज लगावें तो नहीं बोलेंगे वह। अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके पास कमी है क्या बोलने वालों की ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप बुलाना चाहें इन्हें, तो 15 तारीख को जब आपका जवाब हो, उस समय बुला दीजिये। यह कौनसी नयी परम्परा बना रहे हैं।

श्री सभापति : क्या मंत्री इस सदन के सदस्य नहीं हैं ? क्या मंत्री इस सदन के सदस्य नहीं है ?..(व्यवधान) बिराजिये। आप बिराजिये। मंत्री भी सदन के सदस्य हैं, उनको भी अधिकार है। आप बिराज जाएं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मुझे नियम बताइये। आप नियम का हवाला दीजिये। आप नियम बताइये पहले।

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी....(व्यवधान) आप बिराज जाएं आप जिद ना करें। माननीय परसादीलालजी, लालसोट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं। यहां पर नियम बताइये। आप पहले नियम बताइये कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : सभापति महोदय, आप नियम बताइये, किस नियम के तहत बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय सदस्या, आप तो बहुत पुरानी सदस्य हैं, कितनी दफा मंत्रियों ने इंटरवीन किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जवाब दे रहे हैं तो ठीक है। पहले हमें सुन लीजिये, उसके बाद जवाब दीजिये।....(व्यवधान)

श्री सभापति : यह आसन की तरफ से कोई नयी व्यवस्था नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसीलिये रिजर्व के खिलाड़ी को खिला रहे हैं आप। यह आपकी पार्टी के लिये गलत मैसेज जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, हर सरकार में मंत्री बोले हैं। पार्लियामेंट में भी बोलते हैं। यह कोई नयी चीज नहीं है। यह कोई नयी चीज हो रही है यहां पर ?

श्री सभापति : माननीय, आप बिराज जाएं, आप बिराज जाएं। मैं व्यवस्था सुना रहा हूं। माननीय, यह इस आसन से पूर्व में व्यवस्था दी हुई है, और उसी के तहत मैंने मंत्रीजी को आमंत्रित किया है बोलने के लिये। यह

(श्री सभापति)

14-2-58 की व्यवस्था है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से उत्तर देने वाले मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को सदस्यों की भांति बोलने का अधिकार है। यह सदन में दी हुई व्यवस्था है।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, यह उत्तर देते वक्त है।

श्री सभापति : आप विराज जाइये। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप मैं बुला रहा हूं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अब कोई नयी व्यवस्था कायम करने के लिये हम नहीं कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, यह केवल उत्तर देते वक्त की व्यवस्था है। उत्तर दें, उस वक्त बोल दें परसादीलाल जी। कौन मना कर रहा है। परसादीलाल जी बोलें, बनवारी लालजी बोलें, उत्तर देते वक्त बोलें। और खेतसिंह जी भी बोलें, लेकिन उत्तर देते वक्त बोलें। बीच में नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत बात है यह।

श्री सभापति : माननीय, आप विराज जाएं ? क्या आप यह चाहते हैं मैं वह पूरा का पूरा विवरण पढ़कर सुनाऊं सदन में ? आप सदन का समय ले रहे हैं। जो व्यवस्था है वह मैंने बता दी। आप सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह व्यवस्था पार्लियामेंट की बता रहे हैं आप।

श्री सभापति : पार्लियामेंट के और यहां के नियम कोई अलग नहीं है। आप जिद ना करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिलकुल अलग-अलग हैं। यह तो आप पार्लियामेंट की बता रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : कानून में कोई बाध्यता नहीं है। मैंने और सम्पत सिंहजी गवर्नर एड्रेस में डिबेट की थी। नार्म्स में तो है। कानून में तो कोई प्रतिबंध नहीं है। वैसे नहीं बुलवाना चाहिये।

श्री सभापति : पिछली बार होम मिनिस्टर ने डिबेट में भाग लिया है.... (व्यवधान) व्यासजी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, एक-एक घटना आपके पिताश्री से संबंधित है, उन्हीं के टाइम में यह तय हुई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, पहले सुनने का कष्ट करें। मिनिस्टर अगर इंटरवीन करें डिबेट के वक्त, रिप्लाई है, परसों इंटरवीन करें, बात समझ में आती है। और this is a reflection on the Congress party. 150 आदमियों में आपके पास स्पीकर नहीं है। यानि आपने मिनिस्टर को खड़ा कर दिया।

श्री सभापति : यह नहीं है। यह नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह क्या परम्पराएं डाल रहे हैं आप।

श्री सभापति : यह मामला आसन से संबंधित नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामला है जिसका जवाब आसन नहीं दे सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सवाल यह है..एक बात सुन लें आप कि यह भाषण...

श्री सभापति : आप विराज जाएं। अच्छा, मैं अब आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आप विराज जाइये। अब टाइम न लें, मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मंत्रीजी इस सदन के सदस्य हैं और इस धन्यवाद प्रस्ताव पर उनको भी सत्ता पक्ष की तरफ से अपने विचार रखने का अधिकार है। वह उतने ही सक्षम हैं जितने प्रतिपक्ष के, पक्ष के माननीय सदस्य हैं। यह तो परम्परा रही है। पहले भी बोलते रहे हैं। पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं। विवाद का विषय ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़कर सुनाएं आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, इन्हें जवाब देने का तो हक है लेकिन बोलने का नहीं।

श्री सभापति : बहुत लम्बा है। आप सदन का समय जाया करेंगे। आप विराज जाइये। आप विराज जाइये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप इन्हें बुलवायें, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका रिप्लाई शुरू हो, उस दिन आप जरूर बुलवाएं। हम तो यही चाहते हैं।

श्री सभापति : यह इसी सदन का निर्णय है।

श्री रामनारायण चौधरी : विरोध करने का मतलब यही है कि हमें नियमों का ज्ञान नहीं है, परम्परा का ज्ञान नहीं है। रिप्लाई का कोई प्रश्न नहीं है। किसी वक्त कभी भी आसन की परमीशन से मंत्री, या मुख्य मंत्री, या कोई भी बोल सकता है।

श्री सभापति : आप विराज जाएं। माननीय, आप विराज जाएं। माननीय श्री परसादी लालजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसी आसन पर विराज कर दो यह व्यवस्था। पढ़कर सुनाएं। सभापति महोदय, पढ़कर सुनाइये। आप....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय आप विराजें। नो इंटरप्शन प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसी आसन से नाइंथ विधान सभा के अन्दर, एक डिबेट के अन्दर, एक मोशन के ऊपर कैलाशजी मेघवाल, तत्कालीन गृह मंत्री जब खड़े हुए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो प्रासन से माननीय प्रध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि इंटरवीन तो कर सकते हैं, लेकिन डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डिबेट में पार्टिसिपेट करना अलग चीज है। नियमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण परम्परा है। आज क्या परम्पराएं कायम करना चाहते हैं सदन के अन्दर।

श्री सभापति : इसी सदन में पूर्व में ही निर्धारित किया हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 58 की बात कह रहे हैं आप।

श्री सभापति : आसन के द्वारा दिया गया निर्णय है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप 58 की बात कह रहे हैं, मैं 92 की बात कह रहा हूं। 1992 के अन्दर, 92 की ही बात कह रहा हूं मैं आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसी आसन से व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सभापति : देखिये, हम जो प्रीसीडेंट कायम हो गये उसका वायलेशन तो नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं—नहीं, प्रीसीडेंट्स की बात, इसी आसन से व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सभापति : माननीय, आप वकील है पेशे से। पिछले निर्णयों को भी आप भी अदालत में बताते हैं....(व्यवधान) यह ओवर रूल नहीं हुआ। यह कभी ओवर रूल नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापतिजी, जब आपने व्यवस्था दे दी उसके बाद में कोई बहस नहीं होगी और आप इनको इजाजत दीजिये।

श्री सभापति : माननीय व्यासजी, आप विराज जाएं... (व्यवधान) आप आसन की व्यवस्था को अब चेलेन्ज न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनने का कष्ट तो करें। नहीं, चेलेन्ज नहीं कर रहे हैं। आप सुनने का कष्ट ही नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराज जाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा विनम्र निवेदन सुनिये कि 1992 के अन्दर इस आसन से तत्कालीन अध्यक्ष माननीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा ने यह व्यवस्था दी थी कि मंत्री इंटरवीन तो कर सकता है, लेकिन डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप इंटरवीन तो करें, अगर मंत्रीजी को कोई विशेष बात कहनी है तो रिप्लाई परसों है। परसों कहिये 15 तारीख को। आज तो भाषण माननीय सदस्यों की ओर है।

श्री सभापति : अब आसन की व्यवस्था हो गयी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं। आसन को हमेशा ओपन माइंड होना चाहिये।

श्री सभापति : मैंने जो प्रासन की तरफ से व्यवस्था दी है, वह पूर्व में दी गयी व्यवस्था की अनुपालना ही की है। आप विराज जाएं। नो इंटरप्शन प्लीज। नो इंटरप्शन। प्लीज आप बैठें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं सभापति महोदय, आप 1958 को रेफर कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 92 में मामडा जी ने व्यवस्था दी थी। आप गलत दे रहे हैं व्यवस्था।

श्री सभापति : प्लीज डोंट टाक। मतलब आप हाउस को बांधने की कोशिश ना करें। प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप ओपन माइंडली क्यों नहीं बैठते हो कि मैंने कह दिया जो ही सही है। आप चेयर पर बैठे हैं तो ओपन माइंड से बैठिये।

श्री सभापति : नहीं, मैंने अपनी तरफ से ही..

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप माननीय सदस्यों की बात भी सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप फिर से दिखा लीजिये इस बात को। माननीय सभापति महोदय, आप दिखायें मामडाजी बैठे थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : 91 में तत्कालीन कृषि मंत्री सम्पत सिंहजी ने और मैंने डिबेट में भाग लिया था जनता दल दिग्विजय सिंह की तरफ से। 1991 में हम दोनों डिबेट में थे।

(14.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महोदय, मैं भी उस वक्त सदन का सदस्य था। आप अपनी याददाश्त दुरुस्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : 1991 में जब गवर्नमेन्ट एड्रेस था तो मैं और सम्पत सिंह जी काबीना मिनिस्टर थे, दोनों ने डिबेट में भाग लिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस समय मैं भी सदन का सदस्य था और विश्वास मत में भाग लिया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, एक मिनिट मुझे भी सुनें आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : 1991 की जनवरी की बात है। मैं भी डिबेट में भाग ले रहा हूं इन्टरवीन नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, एक मिनिट मुझे भी सुनिये।

श्री सभापति : मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, माननीय सदस्य आप विराजें। बांधने की कोशिश न करें। आसन की व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक स्पष्टीकरण, एक स्पष्टीकरण।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, एक मिनिट मुझे भी सुन लीजिए आप।

श्री सभापति : मैं अब आपको पूरा पढ़कर सुना देता हूं। मैं आपको मौका नहीं दूंगा, आप समय जाया कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बिराज जायं। मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक स्पष्टीकरण।

श्री सभापति : आप यही तो चाह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए फिर सुनाईयेगा आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बीजेपी और जनता दल (दिग्विजय सिंह) की कोएलिशन गवर्नमैन्ट थी। आप समझने की कोशिश कीजिए, जनता दल (दिग्विजय सिंह) के सब सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल थे। जनता दल (दिग्विजय सिंह) जब अभिभाषण के सपोर्ट में आये तो उनके पास कोई सदस्य था ही नहीं। इसलिए माननीय जगमाल सिंह जी ने डिबेट में पार्टीसिपेट किया वो एक अलग परिस्थिति थी।

श्री सभापति : यह सदन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप बिराजें, सदन इस बात पर नहीं सोचेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : हमारे सदस्यों की संख्या थी 26।

श्री सभापति : आप सबसे सीनियर सदस्य हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आप मुझे सुन लिजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : 1991 में जब हमने गवर्नर एड्रेस पर बोला, आप, सभापतिजी, सुनिये।

श्रीमती बीना काक : माननीय सभापति महोदय, आपने इन्हें बोलने का समय दिया है क्या? क्या आपने बोलने को अलाउ कर दिया?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपके पक्ष की ही बात कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुन तो लीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : हमारे सदस्यों की संख्या थी 26।

श्री सभापति : आप जितनी देर लेंगी उतने ही देर से नम्बर आयेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : हमारे सदस्यों की संख्या थी 26 और मिनिस्टर थे 14। हमारे पास 12 ऐसे एम.एल.ए थे जो मिनिस्टर नहीं बने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वरिष्ठ सदस्य हैं इनसे भी रखवा लीजिए आप। आप अगर अपने जिले की बात रखवाना चाहते हैं, रख लीजिए। यह नई परम्परा क्यों डाल रहे हैं सभापति महोदय।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, नहीं जिले की बात का सवाल ही नहीं है, नई परम्परा क्यों है ?

श्री सभापति : कोई नई परम्परा नहीं। माननीय सदस्य, अब आप सुन लें राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। पहले आप मुझे सुनिए उसके बाद व्यवस्था दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे तारीख याद आ गई, 17 सितम्बर, 1991 तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा जी की रूलिंग निकाल कर पढ़िये आप....

श्री जगमाल सिंह यादव : 17 सितम्बर, 1991 को मेघवाल साहब मंत्री नहीं थे सरकार के।

श्री सुरेन्द्र व्यास : थे, बिल्कुल थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं थे। जब मैंने इस्तीफा दिया 8 जनवरी, 1992 को, उसके बाद मंत्री बनाए गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 17 सितम्बर, 1991 को मेघवाल साहब मंत्री थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बैठ जाएं, प्लीज आप बैठ जायें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गलत कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय व्यास जी, आप विराज जाएं। आसन की तरफ से व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं स्पेसिफिक डेट बता रहा हूं 17 सितम्बर, 1991....(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन की तरफ से व्यवस्था हो चुकी है, क्या बार-बार रिपिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी स्मृति की सराहना कर रहा हूं। लेकिन आसन की अपनी व्यवस्थाएं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 17 सितम्बर, 1991 को डिबेट में पार्टीसिपेट करने की कोशिश थी, आपसे अनुरोध कर रहा हूं आपकी याददाश्त कमजोर है कैलाश मेघवाल मंत्री थे उन्होंने इन्टरवीन करने की चेष्टा की। तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा ने यहां पर व्यवस्था की थी। 17 सितम्बर को यहां जो व्यवस्था दी, सैक्रेटरी साहब से कहकर उस रूलिंग को निकालकर पढ़िए आप।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तारीख दे रहा हूं मैं आपको 17 सितम्बर, 1991।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने आब्जेक्शन किया, मैंने एतराज किया था समापति महोदय बैठे हुए थे फिर आकर....।

श्री जगमाल सिंह यादव : वो 8 जनवरी, 1992 के बाद मंत्री बने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुमित्रा जी ने ही रोका था, इन्होंने ही रोका था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, 17 सितम्बर, 1991 की बात है, बीच में कैलाश मेघवाल जी इसी तरह से बोलना चाह रहे थे। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : देखिए आपने जो फरमाया है, मामड़ा जी के समय की जो व्यवस्थाएं हैं वे ये हैं। इनमें कोई भी व्यवस्था इस ढंग की नहीं दी गई। that's all. चैप्टर क्लोज्ड।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, पहले मेरी बात सुनिए....

श्री दिग्विजय सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर; सभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, यह क्या तरीका हुआ कि बात नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात सुनिए।

श्री दिग्विजय सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं आज तो वह रूलिंग मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं आपको कल बताऊंगी। अध्यक्ष मामड़ा जी द्वारा दी गई व्यवस्था है। इस तरह से मंत्री बीच में नहीं बोल सकते हैं। कैलाश मेघवाल खड़े हुए थे और मैंने एतराज उठाया। उस पर वह आये; और उन्होंने व्यवस्था दी कि मंत्री नहीं बोल सकते हैं और फिर मंत्री जी को नहीं बोलने दिया गया। यह व्यवस्था है, कल मैं लाकर दिखाऊंगी। आज मेरे पास नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज नहीं बोलेंगे, यदि बोलेंगे तो परसादी लाल जी कल बोलेंगे (व्यवधान) हम नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने वैसे तो रूलिंग दे दी और रूलिंग देने के बाद मैं समझता हूं, सदन के वरिष्ठ सदस्य सब नियमों को जानते हैं उनको पालना करनी चाहिये। मैं तो प्वाइंट आफ आर्डर के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री को इन्टरवीन करने का कोई राइट नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : है, है, है। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनिट; अच्छा ठीक है, मेरे सुनने में गलती हो गई होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके खिलाफ तो मोशन ही नहीं था वो।

श्री दिग्विजय सिंह : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जनता दल (डी) के टाइम में कुछ हुआ। जनता दल (डी) के टाइम में गवर्नर एड्रेस के ऊपर माननीय जगमाल सिंह जी, खुद बोले थे और उन्होंने इन्टरवीन किया था, डिबेट के अन्दर भाग लिया था। उसके बाद बीजेपी का जो पिछला सैसन निकला, उसमें भी कई मंत्रीगणों ने डिबेट के अन्दर भाग लिया एक जानकारी मैं और चाहूंगा कि आप मंत्री को हाउस का मैम्बर मानते हैं कि नहीं मानते ? He is a member of the house. If he is a member of the house, then under rule 277 "After a member who moves a motion, has spoken ..."

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्यों नहीं बोलते।

श्री दिग्विजय सिंह :"..other members may speak to the motion in such order as the Speaker may call upon them."

श्री दिग्विजय सिंह : तो मेम्बर होने के नाते सबको राइट है कि वो बोल सकता है और उसी के अनुरूप यह रूलिंग दी गई है, सभापति महोदय। आप क्यों इस बात पर समय बरबाद कर रहे हो। आप खुद जानते हो, सब के सब सीनियर मेम्बर हो वो भी आप जानते हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके खिलाफ मोशन थोड़े ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : अब आप प्रश्न उठा लेंगे (व्यवधान) प्रश्न उठाना चाहो तो बात दूसरी है, बाकी सबको बोलने का राइट है। एक मंत्री को भी वही राइट है जो एक मेम्बर को है इसलिए उनको बोलने की अनुमति दी।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल : माननीय सभापति महोदय, महुवा से आने वाले....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप रूलिंग पढ़कर सुना रहे थे। क्या हुआ उसका ? वो तो सुना दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बहुत हो चुका, आप सदन को बांधने की कोशिश कर रही हैं। मैंने आपको पढ़कर सुना दिया।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) कैलाश मेघवाल को इन्टरवीन नहीं करने दिया।

श्री सभापति : इसी सदन में दिनांक 14-2-58 को ....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 58 बहुत पुराना है, 98 की बात करें।

श्री सभापति : क्या यह निर्णय ओवर-रूल हो गया ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां यह ओवर-रूल हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति जी ने ओवर–रूल कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 17 सितम्बर, 1991 (व्यवधान)

श्री सभापति : वह मैंने देख ली है। आप बता दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप प्रोसीडिंग्स मंगाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई तरीका नहीं।

श्रीमती बीना काक : आप पढ़कर सुना दीजिए।

श्री सभापति : माननीय, आप जानते हैं कि अगर ओवर-रूल हो गया तो you are shifting the burden of your own. Don't shift the burden. यहां आप बर्डन शिफ्ट न करें यह आपका काम है, आप बताइये कि ओवर-रूल हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कह रहा हूं आपको मैं यहां कहां से लाऊंगा। आप 17 सितम्बर, 1991 की प्रोसीडिंग मंगवा लीजिये।

श्री सभापति : आपने पढ़कर सुनाने की बात कही है मैं पढ़कर सुना रहा हूं, और पढ़कर सुना रहा हूं तो आप कहते हैं कि बहुत पुराना हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 17 सितम्बर, 1991 की प्रोसीडिंग मंगवा लीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, जब आपने रूलिंग दे दी तो रूलिंग के अनुसार हाउस चलना चाहिये (व्यवधान) यह बीच में व्यवधान क्यों डाल रहे हो।

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये। प्लीज आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक स्पीकर बीच में बुला लीजिये, मैं आपको रूलिंग दे देता हूं। एक वक्ता को बीच में बुला दीजिये अभी निकाल कर लाता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, कोई भी मिनिस्टर, डिबेट जो होती है उसमें किसी भी वक्त भाग ले सकता है। ऐसी सदन की परम्परा रही है। मैंने स्वयं ने देखा है वर्ष 1990–91 में जब गवर्नर का एड्रेस चल रहा था उस वक्त... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप किसी को बुला दें। मैं अभी रूलिंग निकाल कर दिखा सकता हूं। अभी निकाल कर दिखा सकता हूं। किसी और को बुला दें आप जब तक।

श्री सभापति : क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो आप लोगों ने सदन में... (व्यवधान) बुलवाया है और क्या बोलेंगे.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ललितकिशोर चतुर्वेदी जी ने यहां पर सदन में भाग लिया था। गवर्नर एड्रेस पर भाग लिया था और अनेक मंत्रियों ने सदन में... (व्यवधान) डिबेट किया था। इसलिए आप मेहरबानी करके जो एतराज उठाये जा रहे हैं, उनको ओवर रूल करने की कृपा करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब तक वह रूलिंग नहीं आ जाती.... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : किसी पर कोई दबाव नहीं है... (व्यवधान) और इससे ज्ञानवर्धन होता है तो कोशिश करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक स्पीकर को बुला दीजिए मैं रूलिंग दिखा दूंगा। आपको अभी 17 सितम्बर, 1991 में से निकाल करके दिखाता हूं।

श्री सभापति : मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत हो चुका है। हम मान रहे हैं कि आप विद्वान आदमी हैं....(व्यवधान) बहुत हो गया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक स्पीकर को बुला दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियमों की पालना की बात कर रहे हैं... (व्यवधान) क्या बहुत हो गया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं पढ़कर के आपको सुना रहा हूं....(व्यवधान) मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको, विराज जायें। मैं पढ़कर सुना रहा हूं आप विराज जायें। यह सदन किसी की जिद से नहीं चलता है। यह नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियमों और प्रक्रियाओं की बात ही कर रहे हैं..(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जायें माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह : मंत्री जी से कहिये कि आप विराज जायें... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह व्यवस्था सन् 1958 की है। हमारे जन्म से पहले की व्यवस्था काहे को सुना रहे हैं आप....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जायें, माननीय सदस्य। आप विराज जायें। आसन पैरों पर है। विराज जायें. विराज जायें। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से उत्तर देने वाले मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को सदस्यों की भांति बोलने का अधिकार है।

अनेक माननीय सदस्य : उत्तर देने पर।

श्री सभापति : नो, उत्तर देने से पूर्व, आप सुन नहीं रहे ध्यान से। आप प्लीज.. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उत्तर देने से पूर्व इस सदन में बोलते हैं।

श्री सभापति : प्लीज, बी अटेन्टिव।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उत्तर देने से पूर्व बोले हैं।

श्री सभापति : सीरियस मैटर आप उठा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिये भी। हैव ए पेशेंस। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से उत्तर देने वाले मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को सदस्यों की भांति बोलने का अधिकार है। राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के पश्चात्—...

अनेक माननीय सदस्य : वाद—विवाद के पश्चात।

श्री सभापति : बात सुनिये आप.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वाद-विवाद के पश्चात।

श्री सभापति : अब आप पूरे.. आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। सुनिये। हैव ए पेशेंस। वाद-विवाद के पश्चात जब राजस्व मंत्री श्री दामोदर लाल जी व्यास बोलने के लिए खड़े हुए तो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने नियम 17 की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए यह बतलाया कि उक्त नियम के अनुसार मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री सरकार की ओर से उत्तर दे सकते हैं। ऐसी दशा में क्या राजस्व मंत्री के पश्चात मुख्य मंत्री उत्तर देंगे? इस पर श्री उपाध्याय ने यह व्यवस्था दी....(व्यवधान) सुनिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कौन मना करता है? कोई मना नहीं कर रहा है इसको।

श्री सभापति : सुनिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई मना ही नहीं कर रहा है इससे।

श्री सभापति : किससे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे।

श्री सभापति : फिर बात क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप परसों बुला लीजिये।

श्री सभापति : किसको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रिप्लाई....(व्यवधान)

श्री सभापति : परसों में और आज में फर्क क्या है? बहस तो कंटीन्यू कर रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप परसों बुलायें ।

श्री सभापति : आप विराज जायें । बहस तो कंटीन्यू कर रही है....(व्यवधान) आपका यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने बना रखा है ।

श्री सभापति : आप विराजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक स्पीकर बुला लें । मैं 1991 की रूलिंग रखता हूं।

श्री सभापति : आप ले आयें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, लाता हूं । आप दूसरा स्पीकर बुलायें।

श्री सभापति : ले आयें आप ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप दूसरा स्पीकर बुलायें तब तक, मैं अभी मंगा करके रखता हूं ।

श्री सभापति : आप पूरा सुन लीजिये। आप सुन तो लीजिये । आप विराजें । आसन पैरों पर है । प्लीज, आज विराजें ....(व्यवधान) आप विराजें जिद ना करें It is in the light of general right of freedom of speech, that the Hon'ble Members from the opposition have been speaking. Likewise, on the same basis. Members from the Goverament benches other then the Chief Minister have been given the Chance to speak on the issues. यह यहां पर तय हो चुका है और अब इस पर किसी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह इंटरवेंशन है । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जायें.... (व्यवधान) आप विराज जायें । अब मैं आपके पाइंट आफ आर्डर को ओवररूल करता हूं । आप विराज जायें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मुझे मौका दीजिये । आप दूसरा स्पीकर बुलायें.. (व्यवधान)

श्री सभापति : अभी आपको बार-बार बिठाने के लिए..(व्यवधान) Please, don't dictate the Chair. Please, you are requested not to dictate the Chair. Please, sit down.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बैठ रहा हूं, एक मिनट बस ।

श्री सभापति : I know learned counsel all about you. अब आप विराज जायें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात सुन लीजिये।

श्री सभापति : बहुत डिबेट हो चुकी है। प्लीज .(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, आपकी रूलिंग को चेलेंज किया जा रहा है। क्या आपकी रूलिंग को चेलेंज कर रहे हैं.. (व्यवधान) आपकी रूलिंग को चेलेंज कर रहे हैं।

श्री सभापति : अब कोई गुंजाइश नहीं है। आप बिराज जायें। पेशेंस प्लीज ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : लास्ट सेन्टेंस।

श्री सभापति : प्लीज, बिराज जायें। अब कोई बात नहीं। मैं फाइनल रूलिंग दे चुका हूं। अब कोई गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, आपकी रूलिंग को चेलेंज किया जा रहा है....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह चेयर की रूलिंग को चुनौती दी जा रही है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह चेयर का निरादर कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : जब आपने अपना निर्णय दे दिया। अपनी व्यवस्था दे दी उसके बाद में माननीय सदस्य को बोलने का क्या अधिकार है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय व्यास जी, मैं अलाऊ नहीं करूंगा....(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, अगर आप वकील बन गये तो आप हाउस की रूलिंग को नहीं मानेंगे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : रूलिंग जब दे दी तो उसमें गुंजाइश है नहीं, प्लीज....(व्यवधान) अब कोई गुंजाइश नहीं है। आप बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप बैठ जायें श्रीमान जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने मुझे कहा रूलिंग दिखाने के लिये।

श्री सभापति : अब आप नियमों का ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : व्यास जी, बहुत हो गया।

श्री सभापति : व्यास जी, बहुत हो हो गया। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : सभापति महोदय, इनको अलग से नियम सिखायें। जब आपने रूलिंग दे दी, उसके बाद में खड़े होकर के बात नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य तो वकील भी हैं। आपके आर्डर का आदर नहीं कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का जो प्रस्ताव महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के पटल पर रखा, और उसका अनुमोदन जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रतनलाल जी तांबी ने किया, मैं उसी के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 1990 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइंट ग्राफ आर्डर। आन ए पाइंट आफ आर्डर।

(14.16 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसादीलाल : सत्ता का परिवर्तन हुआ। साढ़े आठ वर्ष के शासन के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पहली बार बनी।

व्यवस्था का प्रश्न

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में मंत्रिमंडल के सदस्य भाग नहीं ले सकते

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल : राजस्थान की जनता ने तीन चौथाई बहुमत से कांग्रेस के हाथों में सत्ता सौंपी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात पिछले साढे आठ वर्ष में हुए। पिछले साढे आठ वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल : ..की सरकार के होते हुए जो काला इतिहास साढे आठ वर्ष का रहा। उसका लेखा-जोखा महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान आसन से माननीय मंत्री जी का नाम पुकारा गया। हमने यह आपत्ति आसन के समक्ष प्रस्तुत की कि डिबेट के अंदर मंत्री इंटरवीन तो कर सकता है। मंत्री के इंटरवीन करने के राइट को हमने कहीं चैलेंज नहीं किया। लेकिन मंत्री को पार्टीसिपेट नहीं करना चाहिए। आसन ने 1958 की एक व्यवस्था को यहां बताया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे निश्चित रूप से इस बात की याद है कि 17 सितम्बर, 1991 को जब बिलवाड़ी कांड के ऊपर यहां चर्चा हो रही थी, तब कैलाशजी मेघवाल, तत्कालीन मंत्री बीच में पार्टीसिपेट करने के लिए खड़े हुए थे और माननीय सुमित्रा सिंह, वह भी सदस्य थी तब, उन्होंने रोका और तत्कालीन अध्यक्ष हरिशंकर जी भामड़ा, वह आये और उन्होंने यह व्यवस्था दी कि मिनिस्टर इंटरवीन तो कर सकता है, यानि जो कंसर्निंग मिनिस्टर है, उसकी रिप्लाई के पहले। अब इसमें कंसर्निंग मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हैं, उनके पहले एक नहीं तीन मिनिस्टर इंटरवीन कर सकते हैं। उस राइट को हम चैलेंज नहीं करते हैं लेकिन डिबेट में रेगुलर मैम्बर की तरह से पार्टीसिपेट करें। अध्यक्ष महोदय, नियमों में कोई प्रतिबंध नहीं है और आप इस बात को जानते हैं कि नियमों से ज्यादा परंपरा और परिपाटी हमारे सदन के लिए बहुत मान्य हैं और इस गरिमा को बनाये रखना आवश्यक है। मैंने लगातार आसन से प्रार्थना की है कि 17 सितम्बर, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास, आप इस बात को मानेंगे कि तत्काल मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है। मैं तो जो विधान सभा का स्टाफ है, आपका सचिवालय है। उनके सहयोग से ही आपको असिस्ट कर सकता हूं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 17 सितम्बर, 1991 की प्रोसीडिंग मंगवाने के लिए मैंने सचिव महोदय से निवेदन किया और वह कह रहे हैं ला रहा हूं। मैंने आसन से यह भी निवेदन किया कि एक वक्ता, मंत्रीजी को रहने दें दूसरे को बुलायें तब तक मैं यह रूलिंग पेश कर दूंगा और आपको बता दूंगा। और उसके बाद अगर आसन संतुष्ट हो जाये तो मुझे मंत्रीजी के बोलने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैं पुनः यह कह रहा हूं कि 15 तारीख को अगर मंत्रीजी बोलें तो 2,3,4 जितने मंत्री चाहें, बोलें। लेकिन आज जो वाद-विवाद हो रहा है उसके अंदर उनके बोलने पर सदस्यों का हक मरता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा It is a reflection on the Congress Legislative party also. 150 आदमियों के अन्दर स्पीकर नहीं है इनके पास। जहां पर तमाम मिनिस्टर हो जाते हों। आजकल ऐसा होता है प्रजातंत्र के अन्दर, सरकार बनाये रखने के लिए बहुत लंबी-चौड़ी फौज क्रियेट कर दी जाती है और बहुमत होता नहीं है। यहां पर जनता की मेहरबानी से, जनता के मैनडेट से 150 का बहुमत कांग्रेस के पास है और सिर्फ 30-32 आदमी ही मिनिस्टर हैं और एक से एक योग्य आदमी बाहर हैं बोलने के लिये, गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए। फिर क्या आवश्यकता आ गयी कि मंत्री जी आज इस वाद-विवाद के अन्दर पार्टीसिपेट कर रहे हैं।

तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, Let me conclude. you are a very senior man Mr. Khet singh. Kindly bear with me for some time. तो अध्यक्ष महोदय, इट इज आल राइट, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप उसका अवलोकन कर लें, एक ऐसी व्यवस्था दें कि सदन में कोई गलत परम्परा कायम न हो, इतनी सी मेरी प्रार्थना है। 17 सितम्बर, 1991 की व्यवस्था देख लें।

श्री परसादीलाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : बी. जे. पी. के राज में तो सारी व्यवस्थाएं चौपट कर दी थीं, पहले की व्यवस्था चलेगी। (व्यवधान)

व्यवस्था

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के मंत्रिमंडल के सदस्य भाग ले सकते हैं

श्री अध्यक्ष : पूर्व शासन से कोई व्यवस्था हुई है 1991 में, और उसका उल्लेख जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी प्रोसीडिंग देखी नहीं है, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण तो हो नहीं सकता जब राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है तो अभी शासन से जो व्यवस्था दी है, मैं समझता हूं कि वह इस सदन में यथावत कायम है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप पूछ लें, जो व्यवस्था दी है वह अप्लीकेबल नहीं है इस केस पर।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के पश्चात्, मैं रिपीट कर रहा हूं, यह व्यवस्था दी जा चुकी है, बोलने के लिए खड़े हुए तो सदस्य अग्रवाल ने नियम 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि उक्त नियम के अनुसार मुख्य मंत्री या अन्य मंत्री सरकार की ओर से उत्तर दे सकता है, ऐसी दशा में क्या राजस्व मंत्री के पश्चात् मुख्य मंत्री भी उत्तर देंगे? इस पर उपाध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी, 'It is in the light of general right of freedom of speech that the Ho-n'ble members from the opposition hove been speaking. Likewise, on the same basis, members from the government benches other than the Chief minister have been given the chance to speak on the issues.' इसी संदर्भ में, मैं प्रक्रिया और कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 18 का उल्लेख करूंगा, 'The Chief minister or any other minister, whether he has previously taken part in the discussion..' Previously taken part in the discussion; he is taking part in the discussion '..or not, shall on behalf of the government have a general right of explaining the position of the government at the end of the discussion.'

श्री सुरेन्द्र व्यास : This refers to the concerned minister, sir.

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं है '. taken part in the discussion or not,' It refers to the discussion. इस में ही है, तो भी राइट आफ रिप्लाई है। और राइट टू रिप्लाई चीफ मिनिस्टर और दूसरे मंत्रियों को भी है और पूर्व में 1958 में जो व्यवस्था जो अभी पढ़कर सुनाई...

श्री सुरेन्द्र व्यास : I beg to make a submission, sir.

श्री अध्यक्ष : इनको फ्रीडम आफ स्पीच का जो उल्लेख किया है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : At the end of the discussion है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, किसी वक्त भी....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एण्ड ग्राफ दी डिस्कशन...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं उसमें एण्ड-एण्ड नहीं है। इसलिए अभी शासन ने जो व्यवस्था दी है..।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I beg to make a submission, Sir.

श्री अध्यक्ष : मैं उस व्यवस्था को उचित व्यवस्था मानता हूं और, श्री परसादीलालजी मीणा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री परसादीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका समर्थन किया, उस पर मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

1990 में जब राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन राम मंदिर के नाम पर, बोफोर्स के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का एजेण्डा देकर भारतीय जनता पार्टी ने मार्च, 1990 में यहां राज कायम किया। इसके बाद स्थिति ऐसी बदली कि 6 दिसम्बर, 1992 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की घटना घटी और उस घटना के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, उसके पश्चात चुनाव हुए। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बहुमत नहीं मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्दलीय विधायक थे, उनकी खरीद फरोख्त करके, उनको अपने साथ लगाकर 5 साल तक राजस्थान का राज किया। और जो 5 साल तक राज किया, उसी का उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, उन्हीं घटनाओं का उल्लेख, उन्हीं कारनामों का उल्लेख, उसी कुशासन का उल्लेख इस अभिभाषण में किया है।

कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें राजस्थान की जनता की खातिर जो समस्याएं बताई थीं, उनके निवारण के जो उपाय बताए थे, उन्हीं के अनुसार राजस्थान में आज कांग्रेस को 3/4 बहुमत से सत्ता में वापस भेजा है और उनकी संख्या 33 रह गई है जो सबसे कम है, कांग्रेस के इतिहास में या किसी भी पार्टी को इतना बहुमत राजस्थान में नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह के हालात हैं, महामहिम ने जो उल्लेख किया है कुशासन का, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुशासन का उल्लेख, राजस्थान के हर वर्ग में, हर समाज में कुशासन व्याप्त हो गया। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए, कब्रिस्तान के मामले में गोलियां चलाई वहां लोग मारे गए। जब बाबरी मस्जिद टूटी, सरेआम गोलियां चला करके अल्पसंख्यकों को भून दिया गया। वहां की

(श्री परसादीलाल)

सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों और मंत्रीयों ने जयपुर बंद कराया और एक आतंक का माहौल पैदा हो गया। आज उसी कारण हमारी पार्टी ने जितने भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़े किए, वे सारे के सारे 2-3 को छोड़कर, सारे जीत कर आए हैं।

आज यही कारण कि एस.सी. और एस.टी. पर अत्याचार हुआ, 5 साल तक एस.टी. के लोगों पर आज तक सरकार ने जो कहर ढाया, अध्यक्ष महोदय, एस.टी. की 24 में से 19 सीटों पर कांग्रेस के विधायक आए हैं, भारतीय जनता पार्टी रिजर्व सीटों पर, दो पर ही रह गई गिनती की। यह राजस्थान की जनता का फैसला है। यही हाल अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार होने के कारण उसका भी रिजल्ट सामने है। महिलाओं पर अत्याचार हुए, लगातार होते रहे। बलात्कार हुए, अपहरण हुए, महिलाओं के मामले इन्होंने सुने नहीं। हमारे कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया, आंदोलन किया महिलाओं के मामले में सरकार संवेदनशील नहीं रही। इस पार्टी की एक भी महिला चुनाव जीतकर नहीं आई है। कांग्रेस ने जितनी महिलाओं को टिकट दिया, दो-तीन को छोड़कर, सारी जीत कर आई हैं।

फरवरी, 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजस्थान की जनता ने उसी समय संकेत दे दिया था कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस कुशासन को जनता उखाड़ कर फेंकेगी। उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी 35 में से 5 सीटों पर रह गई। इनको उसी समय चुनाव करा लेना चाहिए था अगर इनमें दम था तो।

लेकिन ये सत्ता से चिपके रहना चाहते थे। सत्ता का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना चाहते थे। जिस तरह से इन्होंने लोक सभा चुनाव के बाद सत्ता का शोषण किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया मनपसंद अधिकारी लगाए, मनपसंद रेवेन्यू वाले लगाए, मनपसंद एक्साइज वाले लगाए, मनपसंद कलक्टर लगाये, मनपसंद एस. पी. लगाए, मनपसंद, जिन लोगों को छूट देनी थी, उनको छूट दी। पांच साल तक इनको चुंगी याद नहीं आई। लोक सभा चुनाव के बाद इनको चुंगी याद आई। उसको खत्म किया कि हमको वोट मिलेंगे। पर चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, शहरों में इस पार्टी का बिलकुल सफाया हो गया। आप किस मुंह से यह कहना चाहते हैं? किस मुंह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की आलोचना करना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है।

आपको कम से कम दो साल तक अपना मुंह बंद रखना चाहिए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करना चाहिऐ। आप जनता की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई, कभी भी नहीं हुई। आपको याद है, गंगानगर में आपकी पार्टी के पार्षद ने आत्म–हत्या की। क्यों की? आपको जवाब देना चाहिए जनता को। इसलिए आपका सफाया हुआ कि आपने जनप्रतिनिधियों को भी सुना नहीं, उनको भी बाइपास

(श्री परसादीलाल)

किया। उसी का परिणाम है कि केबिनेट मंत्री गुलाबचन्द कटारिया, मैं हाउस में था, यहां फफक-फफक कर रो रहे थे, वह कह रहे थे, कुशासन है, मैं इसमें रहना नहीं चाहता, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। तीन दिन तक जैन मुनि की लाश पड़ी रही, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और कटारियाजी की आंखों में आंसू आते रहे, किसी केबिनेट के मैम्बर को जरा सी दया नहीं आई।

यह शासन था ? कहां गलत कहा राज्यपाल महोदय ने ? शासन नहीं कुशासन है। जिस काले इतिहास का राजस्थान की जनता ने, जितनी तेजी से, जितने भारी बहुमत से अंत किया है, हमारी पार्टी ने जो चुनाव घोषणा–पत्र जारी किया है, उतनी ही तेजी से जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारी केबिनेट ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोनिया गांधी के निर्देश पर, हमारा जो कुशल नेतृत्व है, सोनिया जी के बारे में भी लोक सभा चुनाव के बारे में कुछ मंत्रीयों ने टिप्पणी की थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि उनमें से एक भी इस हाउस का मेम्बर बनकर नहीं आया। यह है सोनिया गांधी का कुशल नेतृत्व और एक भी महिला, महिला के बारे में पूर्व में भाभड़ा जी ने जो टिप्पणियां की थीं उनका नतीजा उनको भोगना पड़ा और उनकी पूरी पार्टी को भोगना पड़ा। इस तरह की हालत बन गई और कहते हैं कि यह कुशासन नहीं, आलोचना करते हैं बहुत विकास हुआ, पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ।

मैं आपको कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताना चाह रहा हूं। थानों में जिस प्रकार मौतें हुईं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, इनके चाहे एम. पी. हों, चाहे इनके एम.एल.ए. हों, ताले लग गए थे। अध्यक्ष महोदय, मण्डावर थाने में किशोर मीणा की हत्या हुई। हमारे तत्कालीन जिला प्रमुख साहब, वर्तमान मेरे मित्र, बामनवास से जो विधायक हैं, मण्डावर थाना इनकी होम कांस्टीट्युएंसी में है, होम विलेज है, उसके बाद भी इन्होंने मुंह नहीं खोला। उसको पीट-पीट कर थानेदार ने मार दिया और उस थानेदार को अपाइन्ट कराने में, उसको आज तो कहते हैं कि वहां घटना हो गई, पर माननीय विधायक जी उस दिन कहां थे ? मण्डावर की घटना में नहीं बोले और उस थानेदार का अपाइन्टमेंट आपने लालसोट में कराया। हमने हाउस में उठाया, हाउस के मेम्बर साक्षी हैं और मैं तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं उसमें एक व्यवस्था हुई थानों में जो लगातार मौतें हो रही थी उसके बारे में निर्णय दिया कि अब कोई भी आगे से थाने में मौत होगी तो थानेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो पीड़ित का परिवार है उसको 50 हजार रुपये थानेदार से वसूल करके दिलाये जाएंगे। यह नया कानून बना नया अध्याय जुड़ा।

श्री किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : कल जब आप बोले थे तब मैं आपके बीच में बिलकुल नहीं बोला था ।

श्री किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि जब किशोर मीणा की हत्या हुई थी तो आप कहां थे । मैं उसके दाह संस्कार में गया था, उसके परिजनों को सांत्वना दी थी और जितना सरकार ने किया...

श्री परसादीलाल : आपको जो बोलना था वह कल बोल लिया, मैं आपके में बीच नहीं बोला ।

श्री किरोड़ी लाल : वहां के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया । मेरे पर लांछन लगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : मैंने सब नोट कर रखें हैं । इन्होंने जो चार्ज मेरे पर लगाए, सब नोट कर रखे हैं । एक-एक बताऊंगा मैं । नोट कर रखे हैं ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, कल बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारे आरोप लगाए, उनमें से कुछ मेरे पर भी थे । मैं आसन पर था, मेरी अपनी सीमाएं थीं । कांग्रेस के किसी माननीय सदस्य ने कोई इन्टरप्शन नहीं किया । हम आसन से यह दरख्वास्त करेंगे जब तक लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य बोलें किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन न करें । यह आसन से हम सुरक्षा चाहते हैं और कोई बात उनको कहनी हो, उनके दल के आने वाले दूसरे सदस्य बोलेंगे वे उनको ब्रीफ कर दें या इनको कोई व्यक्तिगत सफाई देनी हो तो आसन से इजाजत लेकर बाद में दे दें ।

श्री किरोड़ी लाल : मैं आसन की इजाजत लेकर बोला हूं । ये मुझे क्यों बिना बात घसीट रहे हैं ? (व्यवधान) मेरा नाम लिया है इन्होंने । (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं । इन्होंने आतंक फैलाया उसकी एफ.आई.आर दर्ज है हरिसिंह के नाम से, माननीय सदस्य के नाम से थाने में, थाना महुवा में नामजद दर्ज है । जीतने के बाद जो होटल पर हमला किया है, मेरे पास एफ.आई.आर. है उसका मैं बता दूं । उसमें ये मुलजिम हैं । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे बीच में हस्तक्षेप न करें । बोलना हो तो बाद में बोल लें । मैं कल इनके बीच बिलकुल नहीं बोला था, एक शब्द भी इनके भाषण के बीच में मैं नहीं बोला । तो कृपया मेहरबानी करके मेरे भाषण के बीच में न बोलें । अध्यक्ष महोदय आपको इजाजत दें तो बाद में बोलें ।

श्री किरोड़ी लाल : मेरा नाम मत लो, मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप दाह-संस्कार में गए यह आपकी सदाशयता है । (व्यवधान) प्लीज टेक योअर सीट । लेकिन माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके बीच में व्यवधान मत डालिए आप ।

श्री परसादीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, थानों में मौतें हुई और उन

(श्री परसादीलाल)

मौतों पर एक तरह से कार्यवाही हुई, एक तरह से एक नियम बना। कानून ग्रोर व्यवस्था की स्थिति, महिलाम्रों पर प्रत्याचार हुए। जिस तरह के अत्याचारों की कहानी राजस्थान में हुई, रोज पांचवें दिन एक हत्या, रोज महिलाओं का अपहरण, राजस्थान में नीलू राणा हत्याकाण्ड हुआ, होटल मैनेजर की हत्या की गई, यह अपने आप में एक तरह से, शिवानी जड़ेजा पर तेजाब फैंका गया, शालिनी शर्मा का काण्ड। पिछली सरकार के समय सारे मामलों को दबाकर सरकार ने कुण्डली मारकर सारे मामलों को दबाया। आज उसी का कारण है माननीय भाटी जी, आपकी संख्या 33 रह गई है। हमारी सरकार ने वायदा किया है..

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : एक ही काफी है, 33 तो बहुत होते हैं।

श्री परसादीलाल : हमारी सरकार ने चुनाव घोषणा-पत्र में जो बातें कही हैं अध्यक्ष महोदय, उन बातों पर सरकार ने तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है। सेवा निवृति की आयु 58 साल से 60 वर्ष कर इन्होंने जो बेरोजगार बढ़ा दिए थे, उसको वापस 58 साल कर दिया है। हमारी सरकार ने जो किसानों को बिजली के मामले में 1990 में हमने पहले 1986 में हमारे तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो पैसे बिजली के बढ़ाए थे। उस पर राजस्थान में कोहराम मचा दिया। सुमित्रा सिंह जी बैठी हैं, पर जिस तरह 1990 के बाद तुरन्त योजना, नर्सरी योजना लगाकर किसानों को लूटा है, किसानों का शोषण किया है आज उसी का नतीजा है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने, जो घोषणा-पत्र जारी किया है उसमें हमने वायदा किया है कि 1990 से पहले जिस तरह किसानों को प्रायरटी के कनेक्शन दिये गये थे हम उसी तरह कनेक्शन देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कल माननीय सदस्य ने एक घटना का उल्लेख किया था। कल ही किया था, महेन्द्र मीणा, उप सरपंच, मण्डावर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा था कि इस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, थानों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए और हाउस की जानकारी के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, महेन्द्र मीणा के खिलफ मुकदमा नं. 6/77 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी., 8/95 148, 149, 323, 7/96 147, 323, 341, 452, 395, 18/98 384 आई.पी.सी., 195/98 148, 147, 139, 351, 323, 379, 452 और 279/98 महुवा थाने में। जिस घटना का महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने, 19 तारीख को इनका महुवा जाने का कार्यक्रम था और 18 तारीख को वहां के कार्यकर्ता, वहां प्रोग्राम बना रहे थे।

जिस तरह के इनके खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, इनको सजा हुई है, 302 का अपराधी रहा है और वहां के अपराधीकरण से वहां के सरपंच व उप सरपंच पर ये दोनों मां-बेटे काबिज हैं, वहां के

(श्री परसादीलाल)

आम नागरिकों का जीना दूभर कर दिया है। वहां पर आतंक फैला दिया है और जिन लोगों का राजनीतिक संरक्षण है, इन मुकदमों को कहीं नहीं उठाया गया है। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी, यह कांग्रेस की सरकार है। गरीब लोगों पर, दलितों पर, सामान्य लोगों पर, जिन लोगों पर भी इन्होंने अत्याचार किए हैं। यह कहा गया है कि हरिसिंह जी के ऊपर मुकदमा लगाया गया। 28 दिसम्बर को अध्यक्ष महोदय, काउंटिंग हो रही थी। हरिसिंह जी काउंटिंग में बैठे थे और इनके खिलाफ सलीमपुर थाने में महुवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ भी हमारे बामनवास से आने वाले विधायक ने 6 अगस्त, 1998 को भारतीय जनता पार्टी के दो ग्रुपों में बसों की वसूली को लेकर वहां पर मण्डावरी में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद वहां पर एक बस दुर्घटना में एक मौत हुई। मौत के बाद हमारे तत्कालीन जिला प्रमुख जी ने वहां जाकर कहा कि विधायक के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो कि बस वाले ने टक्कर विधायक के कहने से मारी है। मुकदमा दर्ज हुआ, सारी रात लाश पड़ी रही। सारी रात वहां पर जिला प्रमुख जी बैठे रहे और यह कहा कि आप 302 का मुकदमा दर्ज करो। 302 का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ। और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के खिलाफ दर्ज हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब अपराधी हैं जिनके खिलाफ भी दर्ज होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, यह इन दोनों की लड़ाई का मामला है या हाउस है ? (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : इन्होंने मेरा नाम लिया है, व्यक्तिगत मेरा नाम ले रहे हैं ये। क्या ये राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे हैं ?

डा. जसवन्त सिंह यादव : आप अपने घर पर लड़ो जाकर। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य जो राज्य सरकार में मन्त्री भी हैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं या बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य पर... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : यह राजस्थान की समस्या है, राजस्थान की सरकार की बात है। आप यहां दोनों की आपसी लड़ाई को विधान सभा में लड़ना चाहते हैं क्या ?

श्री परसादीलाल : मेरे खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया, आपको क्या परेशानी है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कल व्यक्तिगत आरोप लग रहे थे तब आप क्यों चुप थे। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : एक मंत्री होकर आपसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो ?

श्री परसादीलाल : आपसी लड़ाई कोई नहीं, आप बैठिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : क्यों बैठिए। आप लड़ रहे हैं।

श्री परसादीलाल : कोई लड़ाई नहीं है। हम दोनों अच्छे मित्र हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव : मित्र हैं या दुश्मन हैं, हमारा समय क्यों खराब कर रहे हैं आप ?

श्री परसादीलाल : हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 302 का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया और वहां पर एस.पी. पर इन्होंने दबाव डालकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। एम.एल.ए. के खिलाफ दर्ज किए गए। फिर भी हमने कोई शिकायत नहीं की। भैरोंसिंह जी से कभी जाकर नहीं कहा, इनके गृह मन्त्री से कभी नहीं कहा, इनके डी.जी. से कभी नहीं कहा, इनके एस.पी. से कभी नहीं कहा। हमने सोचा कि हम साफ और पाक हैं तो हमारे खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं चल सकता है। 12 तारीख को एस.पी. दौसा ने वहां पर स्पष्टीकरण दिया कि विधायक वहां नहीं थे, विधायक का कोई हाथ नहीं है और विधायक निर्दोष है और उसके बाद कहते हैं हमने कभी किसी को शिकायत नहीं की। यहां ऐसी शिकायत को लेकर हाउस में आते हैं। हमने कभी इनके किसी भी थानेदार को शिकायत नहीं की कि हमारे पर क्यों मुकदमा दर्ज हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की घटना का उल्लेख इन्होंने हाउस में करके हाउस को एजिटेट किया कि इस पर स्टेटमेंट हो गवर्नमेंट का, इस पर सरकार जवाब दे। मैं आपको कहना चाहता हूं और हाउस को भी मैं कन्वींस करना चाहता हूं, नन्दलाल जी आपको भी।

जो हलूका मीणा का उल्लेख किया था कि हलूका मीणा के मामले में बहुत अत्याचार हुआ, धरना दूंगा। यह अधिकार है। कहना चाहिए और करना चाहिए। पर मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। जिस थानेदार के बारे में कहा कि थानेदार को वहां लगा दिया, थानेदार को वहां हटा दिया। हमारी सरकार ने आने के बाद थानेदार को एक इंच भर भी नहीं हिलाया। थानेदार का जो मामला है, 11-6-96 को सरमथुरा में कोई बारात की घटना हुई। 16-6-96 को उसको सस्पेंड किया गया 21–3–97 को वापस इनकी सरकार ने बहाल किया और 2–12–97 को कंचनपुर थाने और सरमथुरा थाने में लगाया गया। हमारी सरकार का इसमें क्या दोष है ? यह सारा किया धरा आपकी सरकार का है। आपकी सरकार ने उसको सस्पेंड किया, आपने उसको बहाल किया, आपने उसको थाना दिया। आज क्या कारण है ? हलूका मीणा भी, अध्यक्ष महोदय, एक नामी डकैत है। हरिसिंह और हलूका की दो गैंग हैं वहां पर। हलूका ने भी दो मर्डर किये हैं राजपूतों के वहां पर। हरिसिंह

(श्री परसादीलाल)

राजपूत है और हलूका मीणा है। दोनों गैंगों का झगड़ा है, दोनों डकैत हैं। हलूका पर भी पांच सौ रुपये का इनाम है राज्य सरकार की तरफ से। इनकी सरकार ने इनाम घोषित किया था। जो भी उसको मारेगा....

श्री किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, उसके नाक कान कटे हैं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल : जो भी हलूका को गिरफ्तार करेगा जिन्दा या मरा उसको पांच हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। यह मैं जानकारी दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह डकैतों को संरक्षण दे रहे थे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : जानकारी नहीं हो तो। हलूका मीणा डकैत और हरिसिंह राजपूत डकैत, दोनों डकैतों का झगड़ा....

श्री किरोड़ी लाल : आप डकैत कह कर सबको मार देंगे ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : और हमारे सम्माननीय जिला प्रमुख जी कैसे बीच में आ गये...

श्री किरोड़ी लाल : पहली बात तो डकैती...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय सदस्य बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान) आपको पहले ही मिल चुकी है, चेतावनी क्या देंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : हमारी सरकार ने हलूका मीणा के..(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : नाक कान कटे हुए थे...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल : न उसको बहाल किया, न सस्पैण्ड किया, न थाने में लगाया। सारा किया तो इनकी सरकार ने किया। इनके गृह मंत्री ने किया, इनके मुख्य मंत्री ने किया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको एक इंच भी नहीं हिलाया। यहां हाउस को गुमराह करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है, हरिसिंह जी पर हमला कराया गया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वहां मण्डावर में हुआ। वह अपराधी है, सजायाफ्ता है। अपराधियों को राजनीति में लाया गया। हमारी सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। अगर उनको मारना भी पड़ेगा तो ऐसे अपराधियों को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ...

श्री किरोड़ी लाल : आप मारेंगे ? स्पीकर महोदय, मारेंगे, गोली चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : मारने की जरूरत पड़ी। (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : स्पीकर महोदय, गोली चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने पूरे जिले के अन्दर गुंडागर्दी फैला रखी है। पूरे जिले में गुंडागर्दी फैली हुई है और अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है दौसा जिले में। (व्यवधान) आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में अपराधियों को सरक्षण दिया जा रहा है।

डा. जसवंत सिंह यादव : गुंडागर्दी दूर करने का... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : दौसा जिले में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : एक-दूसरे का इलाज करने का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज टेक योअर सीट।

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, 28–12–98 को..(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : ...जो अपराध करेगा उसको गोलियों से मारेंगे।

श्री परसादीलाल : मारेंगे। मार दिया न हलूका डकैत को, और क्या करेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारा दौसा जिला बदनाम हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रासन पैरों पर है। कोई भी डकैत जो एटलार्ज दौड़ रहा है, मार रहा है, जुल्म कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार करने में अगर वह मुकाबला करता है, तो उसको मुकाबले में गोली लग सकती है। नहीं तो मारने की जरूरत नहीं है। उसके पास में हथियार नहीं हो, तो आप उसको पकड़वा दीजिये पुलिस से।

श्री परसादीलाल : एनकाउंटर में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि 28–12–98 को वृत्ताधिकारी कारवाड़ी अपनी मय फोर्स के वहां उसके गांव मैंतपुरा में फंसा हुआ था, बैठा हुआ था...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल : बैठा हुआ था हलूका मीणा। वहां पर वृत्ताधिकारी गया, सारी फौज गयी। उनके ऊपर उन्होंने काउंटर किया, फायर किये, उन पर गोलियां चलायी पुलिस ने अपने बचाव के लिए। अध्यक्ष महोदय, गोलियां चलायीं और जिसमें हलूका मारा गया और बाकी डकैत भाग गये। (व्यवधान) यह डकैतों की पैरवी का अड्डा नहीं है हाउस।

श्री किरोड़ी लाल : उसके नाक और कान कटे थे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : पूरी जानकारी से हाउस में आना चाहिए।

श्री किरोड़ी लाल : मेरे को पूरी जानकारी है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : हाउस में इस्तीफा देने के लिए मैं आ जाऊं मेरी जानकारी में जरा सी भी गलती आ जाए तो। (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : आप गोलियों से नहीं मार सकते। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, मार दिया। मार दिया पुलिस मुठभेड़ में। (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : आप निर्दोषों पर गोली नहीं चला सकते। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की घटना का इन्होंने...

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आई एम आन पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल : पुलिस एनकाउंटर में मरा है। इनको सब पता है। यह सरकार का स्टेटमेंट है मेरे पास। सरकार की पूरी जानकारी में है।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का इन्होंने एक ठिकरिया प्रकरण का उल्लेख किया और उसमें मेरे को इंगित किया कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह अपराधी मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि सदन में जब भी राज प्रमुख या कोई भी राज्यपाल या इस तरह के प्रमुख व्यक्ति बोले तो उनकी भाषा इस प्रकार होनी चाहिए। मैं ग्रंथ संख्या 6 पृष्ठ 126 दिनांक 2–3–1955–मैं सदन के माननीय वक्ताओं से यह प्रार्थना करूंगा कि..

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं। किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं आप ?

श्री सांवर लाल : पाइंट आफ आर्डर के तहत।

श्री अध्यक्ष : 294 में ?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था दी हुई है 1955 में, उसके हवाले से....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था में पाइंट आफ आर्डर कैसे बन गया । 294 में क्या कहना चाहते हो आप ?

श्री सांवर लाल : मैं सदन के माननीय वक्ताओं से यह प्रार्थना करूंगा कि राज-प्रमुख के भाषण पर जैसा व्याख्यान होता है उसको उसी स्तर पर रखें तथा व्यक्तिगत स्तर पर नहीं आयें जिससे कि वातावरण क्षुब्ध हो । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : हम तो यह बोलें बात, उस भाषा में जबाब दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय मंत्रीजी अपने अभिभाषण में व्याख्या दे रहे हैं, निश्चित रूप से अपने पद के अनुरूप अपनी भाषा का स्तर नहीं रख पा रहे हैं इसका मुझे क्षोभ है । यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है । मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा....

श्री परसादीलाल : अच्छा अब ध्यान रखेंगे ।

श्री किरोड़ी लाल : कल जो भाषण मैंने दिया, मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी पर लांछन नहीं लगाये । एक भी माननीय सदस्य पर । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : प्रोसीडिंग निकलवा लो अगर नहीं लगाया हो तो ।

श्री किरोड़ी लाल : हां, प्रोसीडिंग निकालो । न मैंने हरिसिंह जी पर लगाया, न आप पर लगाया, किसी पर नहीं लगाया।

श्री परसादीलाल : मेरे पर लगाया है । (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : आप व्यक्तिगत रूप से लांछन लगा रहे हो और गोली चलवाने को कह रहे हो । गोली चला देंगे । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले मेरे मित्र सदस्य ने कल यह भी कहा ...(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : दादागिरी करना चाहते हैं । गोली चला देंगे । अपराध करेगा उस पर गोली चला देंगे ।(व्यवधान)

श्री परसादीलाल : जरूर चलायेंगे । हम क्यों चलायेंगे, पुलिस चलायेगी । पुलिस चलायेगी अपराधियों के खिलाफ ।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है । कोई भी बदमाश हैं, गुंडे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं....(व्यवधान).. उनके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं । उनके अनुरूप कार्यवाही होगी । माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकार की भाषा का उपयोग यहां पर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न तो है नहीं । जो पूर्व में व्यवस्था दी गयी है उसका आपने उल्लेख किया है ।

श्री सांवर लाल : उसका अतिक्रमण कर रहे हैं इसलिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था ठीक है। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की जो गरिमा है उसको बनाये रखना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अपराधी को अपराधी नहीं कहने से गरिमा घटती नहीं है, अपराधी की गरिमा बढ़ती है उससे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मारेंगे शब्द तो एक्सपंज करवा दीजिये वरना ठीक नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने, मेरे मित्र ने कल ठिकरिया प्रकरण का उल्लेख किया, ठिकरिया सरपंच पंखी लाल मीणा कांग्रेस का सरपंच है। 1996 के चुनावों में माननीय जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वे उसको पोलिंग स्टेशन से उठाकर ले गये कि इस पोलिंग को कैप्चर करने दो। गाड़ी में बिठाकर उनका अपहरण करके ले गये। उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी से उतर कर वापस पोलिंग स्टेशन में गये और कैप्चर नहीं होने दी। कांग्रेस का काम किया। इसी अपराध में पिछली सरकार ने उसको सस्पैण्ड किया। सस्पैण्ड करने के बाद उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद 15 अगस्त को वहां की जो तत्कालीन उप सरपंच थी, वहां झंडा फहराने आयी। कहा गया कि वहां पर झंडा फाड़ा गया, कहा गया कि वहां महिला को निर्वस्त्र किया गया, कहा गया कि वहां मिठाइयां बिखेरी गयी।

अध्यक्ष महोदय, हम दौसा जिले के चारों विधायक आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम वहां घटनास्थल पर गये। स्कूल के पूरे स्टाफ से बात की। हैडमास्टर ने कहा कि पंखीलाल उस दिन स्कूल की बाउण्डरी में ही नहीं घुसा। पंखीलाल उस दिन आया ही नहीं। हम चारों विधायक उसके साक्षी हैं। हैडमास्टर ने लिखकर दिया है। सारे गांव में हमने कह दिया। अगर एक आदमी भी यह कह दे कि पंखी लाल ने इस तरह की घटना की हो तो हम चारों विधायक उसको पुलिस के सुपुर्द करेंगे। पुलिस के सुपुर्द करेंगे और इसकी प्रशासनिक जांच एस.डी.ओ. बांदीकुई ने की है, एस.पी. ने की है, बहुत प्रचार किया गया अध्यक्ष महोदय और उस निर्दोष को जिस तरह से रगड़ा गया, उसका दोष सिर्फ यह था कि उसने कांग्रेस का साथ दिया। उसका दोष सिर्फ यह था कि वह कांग्रेस का सरपंच था। आज भी वह सस्पैंड पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट से स्टे लेने के बाद वह कभी स्कूल की बाउण्ड्री में नहीं गया। उसने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया, कहीं भी उसका असम्मान नहीं किया। जो व्यक्ति स्कूल की बाउण्ड्री में नहीं घुसा, उसको राजनैतिक कारणों से इन्होंने लपेटकर पुलिस के हवाले किया गया। उसके खिलाफ अध्यक्ष महोदय....

श्री किरोड़ीलाल : कितने मुकदमे दर्ज हैं ? उनके खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

श्री परसादी लाल : 110 में हिस्ट्री-शीट खुलाई गई। इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया और हम इनकी सरकार के मंत्रियों से या इनके डी.जी.पी. से या उनके एस.पी. से हमने मांग नहीं की या हम कभी भिक्षा मांगने नहीं गये कि हमारी मदद करो। हमारी सरकार आएगी, दौसा जिले की जनता ने फैसला करके, पहले चार थे, बीजेपी का एक था, अब की बार बीजेपी का खाता नहीं खुला।

अध्यक्ष महोदय, उस महिला को घुमाया गया, खूब उसका उपयोग किया गया कि महिला का अपमान किया गया और मैं माननीय सदस्य, मेरे मित्र से अनुरोध करना चाहूंगा कि कैलादेवी में आपके विधायक द्वारा बलात्कार की घटना घटित की गई, उसके बारे में श्रीमान्जी क्या हुआ ? कभी बोलें ? अरे आम करो। महिला से बलात्कार हो गया, जन प्रतिनिधि शामिल है, कार्यवाही नहीं हुई उस सरकार में और उसका नतीजा हुआ कि उसको टिकट दिया, उसकी जमानत जब्त हुई। यह है जनता का फैसला अध्यक्ष महोदय, जो सही मायने में जनता फैसला करती है। महिला के साथ अत्याचार हुए, इनके विधायक ने किया, इनके सरपंच ने किया और उस पर कार्यवाही नहीं की, उन फाइलों को दबाया गया। उसके कारण से आज कांग्रेस के सारे एस.टी.के एम.एल.ए. हैं वे कांग्रेस की तरफ जिताकर भेजे हैं। इन्होंने कहा कि एस.टी.एस.सी. पर अत्याचार हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बी.के.मीणा का क्या दोष था ? बहुत सारे अफसर ऐसे बैठे हैं, आज राजस्थान सरकार में बैठे हैं, इनके समय बैठे रहे, भैरोंसिंह जी इनके खिलाफ काफी बोले, लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी है काबड़िया, कोरानी, टी. आर.वर्मा, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? बी.के.मीणा कमजोर वर्ग का था, उसको जेल के शिकंजों में बंद कर दिया। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय उनसे मिलने कोई नहीं गया। हमने हाउस में उठाया। उसका दोष सिर्फ यह था कि उसका ससुर 1977 में जयपुर का कलक्टर था और भैरोंसिंहजी और इनकी पार्टी के नेताओं को इमरजेंसी में बंद किया। वह उसके जवांई से दुश्मनी निकाली। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। हम आपको पूरी सुरक्षा देते हैं कि राजनैतिक आधार पर हमारी सरकार कोई काम नहीं करेगी, स्वच्छता के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी।

श्री किरोड़ी लाल : अब उसको आप की सरकार कहीं जिला कलक्टर लगा देगी क्या ?

श्री परसादी लाल : ये एस. टी. के बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता है, मैं इनका स्वागत करता हूं। और जब वहां पर एस. टी. के लोगों ने, गोपाल नारायण मीणा, एडिशनल एस.पी. डूंगरपुर, हरिराम मीणा,

(श्री परसादी लाल)

आई.ए.एस. जिसने एक तीतर मारा होगा कहीं, उसको सरकार ने जेल में बन्द कर दिया गया। उसको आत्महत्या करनी पड़ी। गोपाल नारायण का क्या दोष था? गोपाल नारायण, एडिशनल एस.पी. डूंगरपुर का क्या दोष था? गुजरात में शराबबन्दी थी, अध्यक्ष महोदय....

श्री किरोड़ी लाल :....अजमेर कलक्टर था उनको अजमेर में कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार किया था। हरिराम मीणा की कांग्रेस की सरकार ने कार्यवाही की अजमेर में।

श्री परसादी लाल : उस समय आप हाउस में नहीं थे। आप आठ साल बाद हाउस में आये हैं, आपको उन घटनाओं का पता नहीं है।

श्री सांवरलाल : तीतर मारने की मंत्री महोदय छूट करवा दो, तीतर मारने की।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गोपाल नारायण मीणा, एडिशनल एस. पी. की हत्या हुई, दोपहर को हत्या हुई। बी.के.मीणा के साथ किया गया, हरिराम मीणा के साथ किया गया, एस.टी. के लोगों के, अधिकारियों के खिलाफ अत्याचार किया गया, उसी का नतीजा है कि आज 20 विधायक कांग्रेस के पक्ष में बैठे हैं और आप सिर्फ दो रह गये। ज्ञान करो, अब भी सीख लो, अब भी सीखो। ये महिलाएं, अल्पसंख्यक, ओ.बी.सी.एस.सी., ये सारे क्यों आ गये इधर? आपके कुशासन की वजह से आ गये श्रीमान। आपके कुशासन की वजह से आ गये जो आपने पूरे साढ़े आठ साल तक कहर ढाया। आपने कहा कि चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में जितनी भी हीरो-होण्डा मोटरसाइकिलें हैं, अध्यक्ष महोदय, ध्यान से सुनने की बात है, जितनी भी जयपुर शहर में नई हीरो होण्डा मोटरसाइकिलें हैं, एक माह से लेकर तीन माह की, उनको महुवा के लोग चोरी करके महुवा ले गये और जब वहां थाने में बरामदगियां हुई, यह लिस्ट है चोरों की.... (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : महुवा से विधायक कौन हैं, मैं तो बामनवास से हूं। ये ही करवाते हैं सारा काम।

श्री परसादी लाल : मैं महुवा के विधायक हरिसिंह जी से कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं हरिसिंह को कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप जिला प्रमुख थे।

श्री परसादी लाल : जिस तरह वहां पर बरामदगियां हुई....

श्री किरोड़ीलाल : आप तो शुरू से विधायक रहे हो क्या (व्यवधान) आप महुवा में बैठे हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, आप वहां जिला प्रमुख थे, आप जिला प्रमुख थे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधी किससे आकर मिले, यह तो मालूम है ? अपराधियों ने किससे सम्पर्क किया ? अपराधी किससे आकर मिले ?

श्री जसवंत सिंह यादव : अगर मंत्री महोदय यह बात करते कि हमारी सरकार यह करने जा रही है (व्यवधान) पिछली सरकार ने यह नहीं किया। ये कितनी सुन्दर बात करते। अगर वह सरकार की नीतियों की बात करते कि हम आगे यह करने जा रहे हैं (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए, चार दिन पहले रामगढ़ महिला सरपंच के साथ क्या हुआ, आपके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया चार दिन पहले ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधियों को संरक्षण हमने नहीं दिया। अपराधियों को संरक्षण देते हो। हमारा जिला बदनाम कर दिया। पूरे जिले को अपराधियों के कारण बदनाम कर दिया। पूरे जिले में अपराधियों को संरक्षण दिया। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह वाहन चोरी महुवा में पकड़ में आई, थाने में बरामदगियां हुई, वहां ऐसा लगा जैसे थाने में शो-रूम हो गया हीरो-होण्डा मोटरसाइकिलों का। जीपें मिली, ट्रैक्टर मिले, 50 मोटरसाइकिलें मिली पर राजनैतिक संरक्षण के कारण बरामदगियां जरूर हुई पर एक भी मुलजिम को या लेने वाले का चालान नहीं किया गया। एक भी अपराधी को जिन्होंने सामान खरीदा, जीपें खरीदी, ट्रेक्टर खरीदे, उनका एक भी राजनैतिक प्रोटेक्शन के कारण चालान नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं महुवा में जिस तरह से हालात हैं, यह एक गैर राजनैतिक फैसला था, दौसा के लोग नहीं चाहते थे कि महुवा दौसा जिले में मिले, आज दौसा जिले की शांति को जो आघात लगा है यह महुवा से लगा है। आप माननीय सदस्य बामनवास से विधायक हैं...

श्री किरोड़ी लाल : आप तो महुवा को राजस्थान से हटा दो, तो विधायक कहां से बनकर आयेगा महुवा हट गया तो ?

श्री परसादी लाल : हमारे बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं...

श्री शैलेन्द्र जोशी : महुवा को निकाल दो, दौसा में नहीं चाहते महुवा को।

श्री परसादी लाल : महुवा को इधर उलझा गये, महुवा से चुनाव नहीं लड़ा और उधर चले गये, महुवा को इधर उलझाकर उधर चले गये। हिम्मत होती तो महुवा से चुनाव लड़ते, राजनैतिक चुनौती को स्वीकार करते। मैंने भी चार बार लगातार मेरे क्षेत्र से राजनैतिक चुनौती को स्वीकार की है। अगर हिम्मत थी आप में तो आप महुवा से चुनाव लड़ते जबकि आप खुद जानते हैं कि आप भाजपा के नेता हैं। आप

(श्री परसादी लाल)

तो + + + हो; इधर से उधर भागते रहे आप बामनवास भागे, आप बाड़ी भागे...

श्री किरोड़ी लाल : मेरी पार्टी ने टिकट दिया तो अगली बार दोनों के सामने लड़ूंगा और दोनों को हराकर आऊंगा।

श्री परसादी लाल : बिलकुल। मैं आज ही इस्तीफा देकर लड़ने को तैयार हूं। आप इस्तीफा दो, मैं आज ही लड़ने को तैयार हूं। दीजिये, इस्तीफा, मैं भी देता हूं। मगर...

श्री किरोड़ीलाल : मैं दोनों के सामने चुनाव लड़ूंगा पार्टी ने टिकट दिया तो...

श्री जसवंत सिंह यादव : आप जल्दी से जल्दी दोनों इस्तीफा दे दो।

श्री परसादी लाल : आज ही लड़ने के लिए तैयार हूं। अभी लड़िये...

श्री किरोड़ीलाल : और दोनों को हराकर आऊंगा।

श्री परसादी लाल : महुवा से तो भागकर चले गये। हिम्मत होती तो महुवा से लड़ते।

श्री किरोड़ीलाल : मैं तो दो लाख वोटों से जीता हूं; दो लाख वोटों से कोई नहीं जीती कांग्रेस।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, दो लाख वोटों की घटना सुना दूं, याद दिला दी। सवाई माधोपुर की जनता ने माननीय मेरे मित्र को इसलिए सांसद बनाया था कि सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री चालू होगी। एक नीमरोड की पत्नी का मामला, इन्होंने बड़े जोर-शोर से विधान सभा में उठाया था और यह हो गया था कि डाक्टर साहब हमारे मीणाओं के मसीहा हैं जो ऐसे मामले को खुलाने जा रहे हैं और मैं पूछ रहा हूं माननीय

(14-56 बजे)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

सदस्य को कि क्या हुआ सीमेंट फैक्ट्री का। सवाई माधोपुर में दुबारा पैर नहीं रखने दिया। (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : यह स्तर है जवाब देने का? यह सरकार के स्तर की बात हो रही है। सभापति महोदय, सिर्फ आपसी लड़ाई का जवाब दे रही है सरकार। आप इस तरह से हम सबका समय क्यों बरबाद कर रहे हो? हाई कोर्ट है, कोर्ट है...

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे जिले को

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

तबाह कर दिया, हमारा जिला बरबाद हो गया। हमारे जिले में आग हो गई।

एक माननीय सदस्य : आप क्यों बोल रहे हैं ?

डा. जसवंत सिंह यादव : आप अपनी नीतियां बताते, आप अपने कार्यक्रम बताते अच्छा लगता...

श्री किरोड़ी लाल : आप कितने वोटों से जीते ? 16 वोटों से जीते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह पूरे जिले में गुण्डागर्दी फैला दी, उसका कुछ भी नहीं। जिले को तबाह कर दिया।

श्री किरोड़ी लाल : ...और वे लोग महुवा को गालियां दे रहे हैं (व्यवधान) आप तो 16 वोटों से जीते हो 16 वोटों से बैठ जाओ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप भाषण दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं तो बहुत वोटों से जीता हूं। मुझे आठ साल हो गये। किरोड़ीलाल कहां है ?

श्री किरोड़ी लाल : किरोड़ीलाल तो ऐसा नेता था जो लोक सभा में बैठा है और विधान सभा में भी बैठा है। आप में दम हो तो कुछ करो। बी.डी.ओ. और जिला प्रमुख बना हूं आपके रहते हुए।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, भाजपा के राज में, साढ़े आठ साल के बाद बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर आया है, क्या करे। आढ़े आठ साल के बाद हाथ जोड़ते जोड़ते जनता ने भेज दिया, फिर आ गया। अब की गलती की तो दुबारा नहीं भेजेंगे।

इसलिए मैं डाक्टर साहब, माननीय सदस्य से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप ऐसी घटनाओं का उल्लेख हाउस में नहीं करें जो डकैतों से संबंधित हो, जो अपराधियों से संबंधित हो और जो चोरों से संबंधित हो। आपको जनता ने चुनकर भेजा है वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए, वहां की समस्याओं को विधान सभा में उठाने के लिए। हलुका मीणा जैसे डकैतों की समस्याओं को उठाने के लिए यहां नहीं भेजा है। सभापति महोदय, यह जिस तरह से घटनाएं घटी भारतीय जनता पार्टी के राज में, हमारा कैलाश सैनी वीडियोग्राफर था दौसा में उसकी हत्या की गई। टेलीफोन करके बुलाया गया, वीडियोग्राफर चला गया। उसकी सुबह हत्या करके, पेट में बोतल घुसेड़कर उसकी लाश को डाल दिया गया, आज तक पता नहीं चला। उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं।

मैं सरकार से और गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप कैलाश सैनी हत्याकांड के मामले में, सारे भाजपा के या जिनका फाइल में नाम आ गया, सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन पर इसलिए कार्यवाही नहीं हुई कि वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं।

श्री किरोड़ीलाल : अब करवा दो।

श्री परसादी लाल : मैं सरकार से और गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कैलाश सैनी हत्याकांड की आप सी.बी.आई से या अन्य किसी भी माध्यम से जानकारी करके, दूध का दूध पानी का पानी करें। दौसा की जनता बहुत उद्वेलित है इस मामले में। सभापति महोदय, जिस तरह की घटना का उल्लेख कल किया गया कि पत्रकार पर हमला किया गया महुआ में, कोई पत्रकार नहीं था, कोई हमला नहीं किया गया...(व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री किरोड़ी लाल : माननीय विधायक उस क्षेत्र के, एफ.आई.आर. में नाम है, वोट नहीं दिये इसलिए पत्रकार पर हमला किया है। एक बार नहीं, तीन बार किया है। उसका अखबारों में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का एक गोरधन सैनी जो मण्डल पर चुनाव लड़ चुका है, उसकी पत्नी वहां तालचिड़ी की सरपंच है। किस तरह के हमले हुए, माननीय सदस्य को देखना चाहिए कि किस तरह से लोगों को थाने में जलील किया गया। हरिसिंहजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार की रीति—नीति..(व्यवधान) बोले हैं, मेरे को चैलेंज किया है..(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह कोई अभिभाषण है..(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : एफ.आई.आर. नं. 180/98 थाना सलेमपुर में दर्ज हुई है जिसमें मुलजिम है संजय पुत्र श्री हरिसिंह विधायक। हमला किया प्राणघातक, पत्रकार पर, गोरधन सैनी पर।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, जिस तरह का पिछली सरकार का कुशासन रहा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप्प हो गई, महंगाई बढ़ गई, आसमान छू गई.. (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : सभापति महोदय, राजा मानसिंह की जो हत्या हुई थी क्या वह किसी कांग्रेस शासन में हुई थी या उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था ? राजा मानसिंह काण्ड हुआ वह कौन से शासन की देन है, उसका भी जिक्र कर दें। अलवर का युवराज जो मरा, युवराज को मारा, वह कौन से शासन की देन थी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें आप। वाद-विवाद में इस तरीके से इन्टरप्शन नहीं करना चाहिए। बैठें आप।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, कांग्रेस ने आते ही सर्वप्रथम, कांग्रेस की सरकार ने, महामहिम ने जिसका अपने भाषण में उल्लेख भी किया है, महिला आयोग का गठन कर रही है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

(श्री परसादी लाल)

ओ.बी.सी. को जो आरक्षण नहीं मिला, एस.सी., एस.टी. के आरक्षण के बाद, प्रमोशन में जिस तरह की कांट-छांट पिछली सरकार के समय हुई, जिस तरह उसमें रद्दोबदल किया गया उसके कारण भी एस.सी., एस टी. और ओबीसी के लोगों में आक्रोश था और यह इसलिए था कि मीठालाल मेहता उस सरकार को चला रहे थे। आपको पोस्टिंग में फायदा होगा, एस.सी. एस. टी. को, पर प्रमोशन में उनको फायदा नहीं देंगे। उन सारे नियमों का हमारी सरकार ने तय किया है, सब को हमने रिव्यू करके जो भी नियम हैं, कांग्रेस ने जारी किये हैं। आज कांग्रेस ही कारण है कि मीणा जाति के हम लोग यहां पर मंत्री हैं, विधायक हैं। 1957 में अगर कांग्रेस की सरकार इस आरक्षण को लागू नहीं करती, तो न तो आपको नौकरी में फायदा मिलता, सभापति महोदय, न हमको यहां बैठने का मौका मिलता। किसी के पीछे डाक्टर, किसी के पीछे आई.ए.एस., यह सब कांग्रेस की ही देन है। और लोग आज भी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने दलितों को ऊपर उठाया, अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाया है।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनियाजी ने यह कहा है कि कांग्रेस आपको समर्थन देगी, आप लाइये बिल, उसको पास करवाएगी। यह कह रहे थे कि हमने पंचायतों में, नगरपालिकाओं में आरक्षण दिया, सभापति महोदय, बेतुकी बात है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अगर नहीं होता तो यह सुविधाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगरपालिकाओं में नहीं मिलतीं। विधान सभाओं में भी हमारी पार्टी ने तय कर लिया है और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण हम देने के लिए तैयार हैं, संविधान संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज हमारे पक्ष की महिलाएं जितनी खड़ी हुई उनमें से एक-दो के अलावा सारी जीत कर आई हैं।

श्री सभापति : अब आप कृपया समाप्त करें अपना भाषण।

श्री परसादी लाल : सभापति महोदय, हरिसिंहजी ने जो यह प्रस्ताव रखा, तांबीजी ने जिसका समर्थन किया, उस पर चर्चा में मेरे बारे में कुछ बातें कही गई थीं इसलिए मुझे सरकार की ओर से खड़ा होने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं माननीय डाक्टर साहब माननीय सदस्य को, मेरे मित्र को सलाह दूंगा कि आप ऐसे डकैतों की बात यहां कभी न उठायें। अपराधियों की बात या वकालत नहीं करें, इससे आपकी इमेज खराब होगी। पहले आपको सवाई-माधोपुर सवा साल में छोड़ना पड़ा था, दो लाख वोटों से जीतने के बाद भी आप सवा साल बाद नहीं गये थे। गये थे आप 91 में, विधान सभा में फिर आ गये। बाड़ी से वापस आ गये। फिर आप पर भरोसा किया है, आप सही बातों को यहां उठायें, जनता की समस्याओं को उठायें, कोई मना नहीं करेगा। जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपका यही व्यवहार रहा...

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, यह मेरे को क्यों डिक्टेट कर रहे हैं ? why are you dictating to me ? मैं सही बात को उठा रहा हूं। गलत बात उठा रहा हूं, यह कितनी गलत बात है, इनसे कह दें. (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये ।

श्री परसादी लाल : मेरी सलाह है, मानो या न मानो । मानें या न मानें, आप की मरजी । मेरी सलाह है व्यक्तिगत तौर पर ।

सभापति महोदय, मैं भी पिछले तेरह साल से, साढ़े आठ वर्ष से यहां पर विपक्ष का, विधायक हूं । माननीय सदस्य भंवर लालजी, नन्दलाल जी, राठौड़ साहब सारे हैं, मेरे को यह विश्वास है, कभी मैंने गलत बात विधान सभा में नहीं उठाई । इसका प्रमाण भंवर लालजी दे सकते हैं, इनका मैं आभारी हूं । यहां पर ऐसी बात नहीं उठाई जानी चाहिए। हमने जो बात उठाई, मुख्य मंत्रीजी तत्कालीन ने उन बातों पर व्यवस्था दी, एक कानून बनाया । उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया । बौंली थाने में हुसैन तेली की हत्या हुई, मकराना में हुई । जिस तरह के हालात हैं, अगर राजनीति में अपराधियों का बोलबाल बढ़ गया तो, सभापति महोदय, भले लोग रानीति में नहीं आयेंगे । इसलिए राजनीतिक अपराधीकरण पर पाबंदी लगाने के लिए...

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया, अब बस करें । माननीय सदस्य बैठें ।

श्री परसादी लाल : जरूरी है कि हम अपराधियों को राजनीति से दूर रखें । अपराधियों की वकालत करने वालों को जनता दूर रखे ।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । व्यासजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद । सुमित्राजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद । इन्होंने अपनी जद्दोजहद के बाद भी मुझे अपना थोड़ा सा साफ्ट कार्नर दिया । (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : +++ एफ. आई.आर. नम्बर 357/98 थाना महुवा में हरिसिंह विधायक मुलजिम है । +++

श्री सभापति : फतेह सिंहजी ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया है.. (व्यवधान)

श्री सभापति : बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, माननीय सदस्य, नजरंदाज कीजिए । बैठिये ।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, सीधा-सीधा नाम लिया है और मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये हैं । यह प्रेस में जायेगा,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री हरिसिंह)

छपेगा। मुझे अगर सफाई का मौका नहीं देंगे तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मौका दिया जायेगा तो मेरे को भी देना पड़ेगा..(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने फतेह सिंहजी का नाम पुकार लिया है। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय, आप बात सुनिये। मेरा अधिकार है। एक मिनट बाद में....

श्री किरोड़ीलाल : आपका क्या अधिकार है? हमको तो बोलने ही नहीं दे रहे और आपका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण ...

श्री हरिसिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा.. (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : आपका अधिकार है? एफ.आई.आर. में मुलजिम हो और आपका अधिकार है? (व्यवधान) होटल को तुड़वा दिया।

श्री परसादी लाल : एफ.आई.आर. में तो मैं भी मुलजिम हूं, अगर हिम्मत होती तो पकड़ती सरकार। एफ.आई.आर., एफ. आई.आर....

श्री सभापति : मेरी समस्या को आप मेहरबानी करके सोचें।.(व्यवधान) प्लीज, माननीय परसादी लालजी, बैठें। अगर मैं टाइम दूंगा तो फिर यह कहेंगे किरोड़ीलाल जी कि मुझे भी टाइम दीजिये, मैं स्पष्टीकरण दूंगा।

श्री किरोड़ीलाल : बिलकुल देना पड़ेगा....(व्यवधान)

श्री सभापति : दूसरे कहेंगे मुझे भी टाइम दीजिये। इसलिए मेहरबानी करके आप बैठ जाइये।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मेरी बात सुन लीजिये। मेरा निवेदन सुन लीजिये। सभापति महोदय, एक सैकण्ड, यह कल से..(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इनके बारे में जो कहा गया है वह कार्यवाही से निकलवा दीजिये, खतम हो जायेगा मामला। दोनों को ही मौका नहीं मिलेगा।

श्री किरोड़ीलाल : क्यों? तो सारी कार्यवाही एक्सपंज करवा दो, परसादीलाल जी बोले वह।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इन्होंने जो कहा है, या तो कार्यवाही से निकलवायें और या फिर मुझे सफाई का मौका दीजिये।

श्री किरोड़ीलाल : एफ.आई.आर. का नम्बर है। बी.डी.कल्लाजी, एफ.आई.आर. का नम्बर है..(व्यवधान)

श्री सभापति : जब अध्यक्ष महोदय पधारें तो आप उनके सामने यह अनुरोध कीजियेगा, वह इसकी व्यवस्था देंगे।

श्री हरिसिंह : आसन पर आप विराजमान हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए तो मौका देना चाहिए...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव हरिसिंह जी ने रखा, उसके बाद उसका समर्थन लाम्बाजी ने किया, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने एड्रेस किया है कि राजस्थान सरकार इन-इन कदमों के ऊपर चलेगी, इस तरह के कार्य करेगी।

अक्सर यह देखने में आया है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सिर्फ कुश्ती लड़ना, व्यक्तिगत आरोप लगाना, विरोध करना, यही हमारी विधान सभा की एक तस्वीर है, नक्शा है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो एड्रेस किया है उसके ऊपर हम इस प्रदेश की जनता के हित में कुछ अच्छी बात करें, अच्छे सुझाव दें और आगे कोई ऐसे कदम उठायें कि राजस्थान की जनता को लाभ मिले।

इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली बार राजस्थान में सन 77 में इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी का राज होने के बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी, केन्द्र में जनता पार्टी की भी सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री बने, उस समय पिछली कांग्रेस के शासन की गतिविधियों या उस पालिसी को छोड़ कर उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था जमाई, एक तो काम के बदले अनाज योजना चालू की, उसके बाद में उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे हिन्दुस्तान में कन्ट्रोल नाम की कोई चीज नहीं रखी, उन्होंने भाव के ऊपर कन्ट्रोल किया। पूरे देश के हर व्यक्ति ने उसको सराहा कि केन्द्र में जो जनता पार्टी की सरकार बनी उन्होंने अच्छा काम किया, देश के हित में किया, गरीबों के हित में किया। उसके बाद में दूसरी सरकारें भी बीच में आईं, उन्होंने भी उस पालिसी को चालू रखा। उस समय से ही पूरे राजस्थान में दूर-दराज के इलाके में काम के बदले अनाज योजना में स्कूल के कमरे बने, सड़कें बनीं, हर तरह के काम हुए।

तो आज भी उसी बात को लेकर दूसरी सरकारें भी काम कर रही हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि अभी आरोप लग रहे थे। 40 साल या 42 साल कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद में 8 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। एक दूसरे पर आरोप लगाये पर मैं यह

(श्री फतेह सिंह)

कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की हुकूमत में भी अन्याय हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और बी.जे.पी. की सरकार में भी वही परम्परा चल रही है। वही मशीनरी है वही नेता है। उसमें भी इस तरह के काम हुए हैं। बलात्कार हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। हर तरह की समस्याएं बढ़ी हैं। ये दोनों तरह की बातें बराबर चली हैं। तो आज यहां पर हाउस में ये सारी बातें कही जा रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम एक दूसरे को क्रिटीसाइज और परम्पराओं को लेकर के अगर हाउस में कुछ बोलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे तो उससे तो कोई लाभ प्रदेश की जनता को होना नहीं है।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में थी, उन्होंने तोड़-तोड़ करके भी सरकार बनायी। जनता दल के एम.एल.एज. थे उनको भी तोड़ कर उन्होंने अपने में शामिल किया और उसी का यह नतीजा है कि आज जनता दल बिलकुल किनारे पर आकर राजस्थान में खड़ा है तो उसी का यह परिणाम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के गिने-गिने लोग चुन कर आये। यह बात तो सच है कि जो बेईमानी होती है वह तो कहीं छुपती नहीं आखिर उसका कोई न कोई नतीजा आता है।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि अब लम्बे समय के बाद कांग्रेस की हुकूमत आयी है जनता ने एक बहुमत दिया है इन आशाओं के साथ में कि राजस्थान में कई तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जो सत्ता आयी है वह करेगी। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आज मौजूदा समय में बिजली की इतनी बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में है। घोषणा पत्र में भी आपने दिया है और अखबारों में भी यह छपा है कि 8 घण्टे बिजली दी जाएगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि 8 घंटे बिजली कब दी जाती है, शाम को छः बजे बिजली दी जाएगी। और सुबह चार बजे उसको बंद कर देंगे। तो उससे किसानों को लाभ नहीं है। मेरा यह अनुरोध है कि अगर वास्तव में किसानों के हित में बिजली देनी है तो सुबह चार बजे से, पांच बजे से लगा करके छः बजे तक देवें। आठ घंटे तक नहीं देवें और आप छः घंटे देवें तो लोगों को लाभ मिलेगा।

दूसरी बात पिछली गवर्नमेंट ने बिजली के बारे में जो एक पोल का पहले सभी माननीय सदस्य बोल गये, एक पोल के 8 हजार रुपये, 10 हजार रुपये। तो यह पालिसी अगर रही तो यह किसानों के हित में नहीं होगी। लोग परेशान हैं। मेरा यह अनुरोध है कि जो पालिसी पिछली गवर्नमेंट ने रखी, उसके अनुसार आप काम करेंगे तो यह किसानों के हित में नहीं रहेगा। अब बिजली आठ घंटे देने वाली बात जहां आती है, बड़े-बड़े कल-कारखानों वाले हैं, उनको तो बिजली आप 24 घण्टे लगातार देते हैं। और किसानों को चार घण्टे या छः घण्टे भी देना मुश्किल है। और दूसरी तरफ यह भी किया है कि जहां लोगों ने कृषि कनेक्शन

(श्री फतेह सिंह)

ले रखे हैं, मोटर लगा रखी है, खेती की है किसानों ने वहां पर, उनका पैसा कहीं एकाध महीने का बकाया रह गया तो वहां से ट्रांसफार्मर उतार लिया है। लाइन हटा दी है। और उसके बाद उनके कनेक्शन काट दिये हैं। तो इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि उद्योगपति का अगर लाखों रुपया बकाया है, तब भी उनको बिजली दी जाती है तो क्या किसानों को बिजली नहीं दी जाए ? यह तो एक तरह से अन्याय है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को बिजली बराबर मिले और जो पोल का पैसा अधिक लिया जाता है, उसके ऊपर भी सरकार सोच-विचार करे और नये सिरे से कोई रास्ता निकाले। डिमाण्ड इतनी निकलती है कि वह किसान भर नहीं पाता है। दूसरी तरफ मिनिमम चार्ज आता है। किसान सिर्फ तीन महीने बिजली काम में लेता है और उसके बाद में साल भर उसका बिल आता रहता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गर्मी के दिनों में जब मोटर का उपयोग नहीं होता है, बिजली काम में नहीं लेते हैं, उसका भी पैसा आता है। तो यह सरकार उसके ऊपर विचार करे।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, पांच हार्स पावर की मोटर लगाने के लिए भी उन्होंने फ्री किया है। तथा वहां के किसान पड़ोस में हम रहते हैं तो अपने राजस्थान के किसान उधर जाते हैं। तो वह कहते हैं कि हमारे यहां तो बिजली फ्री मिल रही है। लट्टू भी फ्री जल रहा है और मोटर भी फ्री चल रही है। और राजस्थान में आते हैं तो 50 हजार रुपये, एक लाख रुपये डिमाण्ड राशि के निकलते हैं। और डिमाण्ड निकलने के बाद कनेक्शन भी मिल जाता है तो बिजली टाइम पर मिलती नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के ऊपर सरकार सोच-विचार करे और उसके ऊपर कोई निर्णय करे। दूसरी गवर्नमेंट किस आधार पर उस बिजली का उपयोग कर रही है और लोगों को फ्री में दे रही है, उसके ऊपर सरकार को सोचना होगा।

अब मैं अकाल के बारे में बांसवाड़ा जिले की बात करना चाहूंगा। राजस्थान में पिछली गवर्नमेंट ने दूसरे जिलों में अकाल माना है लेकिन बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला आपस में मिले हुए जिले हैं।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

वहां पर डूंगरपुर जिले को तो इन्होंने अकाल ग्रस्त घोषित किया और बांसवाड़ा जिले में माही कमाण्ड एरिया एक-दो तहसील छोड़ कर बाकी नान कमाण्ड एरिया है। एक फसली जमीन है उस इलाके में अधिक बरसात से फसलें, एक तो कम बारिश से फसलें सूखीं और उसके बाद में थोड़ी बहुत बचीं तो अधिक बारिश हुई, उससे भी फसलें नष्ट हो गईं। बांसवाड़ा जिले में अकाल नहीं माना है।

मेरा अनुरोध है कि बांसवाड़ा जिले को भी अकालग्रस्त घोषित किया जाए अगर आप उसको अकालग्रस्त घोषित करेंगे तो

(श्री फतेह सिंह)

वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा वरना यहां के लोग गुजरात में जाकर के मजदूरी करते हैं, राजस्थान में तो कोई मजदूरी मिलती नहीं है। तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि बांसवाड़ा जिले को भी दूसरे जिलों के मुकाबले में अकालग्रस्त माना जाए और वहां के लोगों को भी रोजगार दिया जाए।

दूसरी बात अभी सभी माननीय सदस्य कह रहे थे आरक्षण के मामले में भी बात चली। तो बांसवाड़ा जिले में प्राइमरी स्कूलों में इतनी कमियां हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में पीपलखूंट पंचायत समिति है, वहां पर डेढ़ सौ पौने दो सौ पोस्टें प्राइमरी स्कूलों में खाली हैं। कुशलगढ़ पंचायत समिति में डेढ़ सौ पोस्टें खाली हैं। इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया था बाद में स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद में अब उन स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो मेरी यह मांग है कि स्टे किस तरह से मिला है? ओ.बी.सी. ने उसका स्टे लिया है तो ओ.बी.सी. की जितनी सीटें हैं उतनी छोड़ कर दूसरी सीटें हैं, वे भर सकते हैं। ट्रेंड अध्यापक शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं।

मेरी सरकार से यह मांग है कि उन सीटों को जल्दी से जल्दी भरें ताकि शिक्षा में बढ़ोतरी हो। उस इलाके में गरीब लोग रहते हैं। और राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने एक अभियान भी चला रखा है लोगों को पढ़ाने के लिए। तो उसका लाभ, जब तक हम प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति करके लड़कों को नहीं पढ़ायेंगे, तब तक लड़के हमारे प्रशिक्षित रहेंगे बेरोजगार रहेंगे। तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि उस इलाके में, आदिवासी इलाके में जहां शिक्षा की कमी है, ट्रेंड अध्यापक आपके उपलब्ध हैं, उनकी भर्ती की जाए। यह मेरी मांग है। दूसरा मैं यह कहना चाह रहा था कि इस टाइम....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया। जल्दी समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : .. इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कहने के लिए आरोप.... हम कभी बोलते नहीं है साहब।

श्री सभापति : बोलते नहीं हैं लेकिन जितना समय है, आप उस निर्धारित समय में ही बोलेंगे।

श्री फतेह सिंह : इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और सत्ता वाले यह कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़–मूल से खत्म कर देंगे, गरीबी को जड़-मूल से खत्म कर देंगे। पहले यह कहते गये थे, और अभी भी यह कह रहे हैं। लेकिन मन से अगर इस काम को आप करेंगे, मन से गरीबों के हित में भ्रष्टाचार को कम करने की बात करेंगे, गरीबों को रोजगार देने वाली बात करेंगे क्षेत्र में विकास वाली बात करेंगे तो कुछ काम बैठेगा। बाकी जिस तरह का हाल भारतीय जनता पार्टी का

(श्री फतेह सिंह)

हुआ है उसी तरह से आपका भी होता है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में रोड की हालत इतनी खराब है, जो यह आप योजना बनायेंगे, बजट आयेगा और क्षेत्र में काम करायेंगे और सुधार लायेंगे, वह बात तो दूर है, लेकिन राजस्थान में दूरदराज के इलाकों में रोडों की हालत इतनी खराब हैं, खड्डे इतने पड़े हुए है कि मोटर साइकिल वाला भी गिर सकता है, और गाड़ियां भी इतनी धीमी गति से जाती हैं कि एक्सीडेंट होता है। और डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हम को एक पैसा नहीं देती है यह सरकार।

इसलिए मेरी मांग है कि राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में जहां भी रोड खराब हैं, उन रोडों को दुरुस्त करने के लिए आप बजट देवें और जहां रोड खराब हैं, जहां पेच वर्क करना है वो काम भी डिपार्टमेंट को देवें ताकि वो काम करें।

घंटी बज रही है इसलिए अधिक समय नहीं लेते हुए अन्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पेश हुआ है उसको सही मानने में, मैं यह नहीं मानता कि इस हित में सरकार काम करेगी। इस लिए मैं इसका विरोध करता हूं, धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, क्या आप मेरे को अवसर देंगे ?

श्री सभापति : मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपको अगर मैं टाइम दूंगा तो कई माननीय सदस्य कहेंगे कि हमारा भी नाम आया है, हमारे पर भी इल्जाम लगा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मेरे ऊपर सीधा-सीधा इल्जाम लगाया है।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय अभी आते हैं, आप उनसे कहिएगा। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां विगत वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है वहीं आगामी वर्ष के लिये सरकार को दिशा निर्देश भी होता है जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में। लेकिन यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है इसमें विगत वर्ष के लिये तो कह दिया कि 8 साल के कुशासन का अंत हो गया है।

लेकिन आगामी वर्ष के लिये केवल इतना ही कहा गया है कि यह सरकार जवाबदेह होगी, संवेदनशील होगी और पारदर्शी होगी। तीन शब्दों में उन्होंने इस सरकार के बारे में सब कुछ कह दिया। वैसे बड़ी अजीब परिस्थिति और स्थिति है,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैं खुद बड़े पशोपेश में हूं कि किस बात को सही मानूं। पिछली बार जो कांग्रेस के ही जिसे कहना चाहिये, राज्यपाल थे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने सरकार की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा और इस बार कुछ और कहा गया।

इसलिए मैं खुद बड़ी दुविधा में हूं कि आखिर कौनसी बात को सत्य मानूं और कौनसी बात को असत्य मानूं। लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहती हूं कि यह सरकार नेहरूजी, इन्दिरा जी और कुछ हद तक राजीव गांधी जी के समाजवादी समाज की स्थापना के लिये जो राष्ट्रीयकरण की नीति थी उससे बिलकुल अलग हटकर के निजीकरण की नीति में आ गई है। सभी क्षेत्रों के अंदर चाहे सड़क निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो और चाहे आवासन का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने की बात कही है। पृष्ठ नम्बर 15 पर सरकार ने कहा है कि राज्य के विकास में सड़कों की अहम भूमिका है।

सरकार का यह प्रयास रहेगा कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जाये। इसके लिये राज्य सरकार सड़कों के निर्माण में निजी निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देगी। इसी प्रकार से पर्यटन के बारे में कहा, यही आवासन के बारे में कहा। मैं इस सरकार से कहना चाहूंगी कि निजीकरण जो दो क्षेत्रों में आपने किया था, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही हो, एक तो शिक्षा और एक चिकित्सा। दोनों ही क्षेत्रों के अन्दर निजीकरण के जरिए जो जनता की लूट हो रही है, मैं आप से कहती हूं वह सोचने लायक है। और वह कैसे बंद की जाये, यह भी देखने लायक है। 4-5 साल के छोटे-छोटे बच्चों की एक-एक हजार रुपये ट्यूशन फीस लगती है प्राइवेट स्कूलों में। जो सामर्थ्यवान है वो तो खर्च कर सकते हैं लेकिन आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में है। यदि सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर एक महीने तक किसी आदमी को भर्ती रहना पड़े तो उसके मुश्किल से हजार दो हजार रुपये खर्च होंगे लेकिन निजी अस्पताल में जाकर देखिए। आप तो सब विधायक हैं, प्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं, आपको तो जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके परिवार को भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

लेकिन आम आदमी से पूछिए कि उसकी जेब इन निजी अस्पतालों में कैसे काटी जा रही है। किस प्रकार से कितना खर्च उसको भुगतना पड़ता है। तो क्यों निजीकरण की बात की जा रही है? जिन लोगों का नाम लेकर के आप अघाते नहीं हो, जिनकी कल्पनाओं के जरिए और जिनकी योजनाओं के जरिए आज यह देश इतना आगे बढ़ा है आप उन नीतियों से बिलकुल डीवियेट हो गये हो, उन नीतियों से अलग जा रहे हो, यह आपके सोचने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कई बातों के बारे में सरकार को बधाई तो देना चाहूंगी। महिलाओं के अत्याचार, महि-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

महिलाओं के उत्पीड़न और इन सबको रोकने के लिये जो महिला आयोग की स्थापना कर रहे हैं, इसके लिये यह सरकार साधुवाद की पात्र है।

इसी प्रकार से मैं इस सरकार को नौकरियों में जिस प्रकार से महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया, यह भी प्रशंसनीय बात है। आदिवासी कल्याण के बारे में विभाग की स्थापना के लिये सरकार ने अपने आपको कटिबद्ध माना है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये भी पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। सरकारी सेवा निवृत्ति आयु को भी 60 वर्ष से जो 58 वर्ष कर दिया उससे कम से कम एक आशा तो संजोयी है आपने नवयुवकों के मन में कि शायद एक हजार करोड़ रुपया एक वर्ष में, चाहे आपको ज्यादा खर्च करना पड़े, इस खराब वित्तीय स्थिति में भी जो कि बार–बार इस बात की पुनरावृत्ति कर रहे हो कि बहुत खराब वित्तीय स्थिति है, इसमें भी एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन कर के भी कम से कम नौजवानों के दिलों में एक नई आशा का संचार किया है। इस बात के लिये भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पेयजल समस्या इस मरू प्रदेश में बहुत गंभीर है। आजादी के 50 साल पूरा करने के बाद भी आज भी कितने ही गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है। मीलों दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है। यह सही बात है कि अरबों रुपया खर्च करने के बाद आज भी हम सब गांवों में पानी नहीं पहुंचा सके हैं।

मैं माननीय सदस्यों से एक और निवेदन भी करना चाहूंगी कि हर बोलने वाला सदस्य बार–बार जो घोषणा करता है कि यह कांग्रेस की सरकार, यह कांग्रेस की सरकार है, यह सरकार राजस्थान की जनता की सरकार है। आप यदि भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लेते हैं तो आपको पूर्ववर्ती सरकार कहना चाहिये और अपने आपको कल्याणकारी, जनप्रिय सरकार कहना चाहिये कि यह हमारी जनप्रिय और कल्याणकारी सरकार है। यह सरकार केवल कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह राजस्थान की जनता की सरकार है। आप राजस्थान की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, रेस्पोंसिबल हैं। उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप इसे कल्याणकारी और जनप्रिय सरकार ही कहिए। बार-बार आपका इस तरह से बोलना भी ठीक नहीं प्रतीत होता है।

सभापति महोदय, चुनाव घोषणा पत्र का तो मैं यहां क्यों जिक्र करूं। यह तो जो कुछ करते है पागलपन में करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घोषणा पत्र सदन के लिये नहीं है, इस विधान सभा के लिये नहीं है आपका घोषणा पत्र। आपका घोषणा पत्र पार्टी के लिये है। जनता के अन्दर जब आप बोलते हैं तब आप बोल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने यह किया, वो किया। लेकिन यहां तो आपको वर्तमान सरकार ही कहना चाहिये, पूर्ववर्ती सरकार ही कहना चाहिये, यह अधिक उपयुक्त होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया। आज भी टी.एस.एस. स्कीम के नाम के ऊपर गांव के लोग टी.एस.एस. स्कीम का संधारण करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। कई बार मोटर जल जाती है और महीनों तक पड़ी रहती है। उसका संधारण नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहूंगी, हालांकि जन स्वास्थ्य मंत्री यहां नहीं हैं, मैं चाहूंगी कि आप जो टी.एस.एस. स्कीम है ट्रेडिशनल सोर्स स्कीम, यदि इनका संधारण सरकार करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

(15.30 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

उसी तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि इस बार जो आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा है कि हम हैण्ड पम्पों की मरम्मत करेंगे, पानी के कुओं को गहरा करेंगे। बड़ी आवश्यकता थी इस बात की क्योंकि जल-स्तर बहुत नीचे चला गया है, 6 हजार नई बस्तियों के अन्दर आपने जो पेयजल से लाभान्वित करने की बात की है, यह भी ठीक है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगी इस बारे में, पानी की ऊंची टंकियां, एस.एल.आर. आज सैंकड़ों की तादाद में अकेले झुन्झुनूं जिले में ही कम से कम भी 30 टंकियां ऐसी हैं जो पूर्ववर्ती सरकार ने बना तो दीं लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचा। क्या कमी रही ? कई तो उसकी वजह से, पानी न पहुंचने की वजह से तड़क गयीं, टूट भी गयीं। तो मैं चाहूंगी कि जो कोई आपकी एस.एल.आर. ऊंची पानी की टंकियां बनी हुई हैं, कम से कम उन टंकियों में पानी पहुंचाने का काम आप करें और निश्चित अवधि बतायें कि इस अवधि के अन्दर आप वहां पानी पहुंचा देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह बात तो बिलकुल सही है कि बिजली किसी भी राज्य के विकास का मूल आधार है और बिजली के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती सरकार के यहां बैठे सत्ता पक्ष के लोगों ने कई प्रकार की बातें और कई प्रकार के इल्जाम लगाये हैं और यह भी कहा है कि एक मेगावाट बिजली नहीं बनी। मैं इसका विरोध करती हूं। इसलिए करती हूं कि सूरतगढ़ की ताप बिजली योजना अभी शुरू हो गयी है। उसमें जनरेशन प्रारम्भ हो चुका है।

यह देन पूर्ववर्ती सरकार की है। जब मैं ऊर्जा मंत्री थी तब मैंने इस बात को सिद्ध करके, क्योंकि निजीकरण के बारे में जहां तक मेरा सवाल है मैं निजीकरण के खिलाफ हूं। हर क्षेत्र में हम निजीकरण की बात करते हैं और यह कहकर पल्ला झाड़ते हैं कि हमारी वित्तीय हालत ठीक नहीं है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह बात भी ठीक नहीं है। निजीकरण के जरिए इस देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं, इस गरीब की हालत को आप क्या बना देना चाहते हैं। जरा इस पर भी आप विचार करिये।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि बिजली का जहां तक ताल्लुक है, इस बात के लिए तो हमारे जो नये ऊर्जा मंत्रीजी हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने कम से कम आते ही 8 घण्टे किसानों को बिजली देने की घोषणा की है। 8 घण्टे बिजली मिल रही है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में हालत बहुत खराब है। खराब इसलिए है कि नर्सरी योजना के जरिये जिले के अन्दर कम से कम भी 6 सौ, 7 सौ कनेक्शन ले लिये गये। पूरे 7 सालों के अन्दर हजार कनेक्शन से ज्यादा हमारे यहां हो गये होंगे लेकिन आग्मेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए, नहीं हुआ। कहीं 11 के.वी., कहीं 33 के.वी., कहीं 132 के.वी. नहीं बन पाये। लाइनें नई नहीं खिंच पायीं और कनेक्शन लेते चले गये क्योंकि सरकार को तो इस बात की, विद्युत मण्डल को तो इस बात की चिन्ता थी कि उनके पास अधिक से अधिक पैसा किस प्रकार से आये। नर्सरी योजना में लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, दो-दो लाख रुपये लोगों से लिये गये और इस सरकार ने तीन तरह का टैरिफ एक ही स्टेट के अन्दर, बिजली का तीन तरह का कानून, तीन तरह का टैरिफ, तीन तरह की दर। फ्लेट रेट अलग, मिनिमम चार्ज अलग, नर्सरी वालों की अलग।

कहीं ऐसा भी होता है कि एक ही चीज की तीन तरह की अलग अलग दरें हों? इसलिए इस सरकार से अब ऊर्जा मंत्री जी नहीं हैं यहां पर, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम टैरिफ को एक समान करें, चाहे कोई सा, कैसा ही हो, एक समान टैरिफ होना चाहिए किसानों के लिए। और आग्मेंटेशन का जहां तक सवाल है झुंझुनूं में आग्मेंटेशन की आवश्यकता बहुत है। नई लाइनें खिचें नये बिजली के स्टेशन, तभी लोगों का ठीक तरीके से आप बिजली दे सकेंगे, तभी आपकी ट्रिपिंग रुक सकेगी और तभी किसानों और उद्योगपतियों को संतुष्ट कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने नई सड़कें नहीं बनाकर यह घोषणा की है कि हम पुरानी सड़कों का रखरखाव करेंगे। इन सड़कों की हालत इतनी खराब हो गयी है मैं आपको बताती हूं, कुछ दिनों पहले, आज से 8–9 महीने पहले वनस्थली जाने का काम पड़ गया और वनस्थली जाने का रास्ता पूर्ववर्ती सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री का भी था। मैं देख रही थी, मैंने कहा जो अपने ही घर को नहीं सुधार सके, अपनी ही सड़क को ठीक नहीं कर सके वह राजस्थान की सड़कों को तो क्या ठीक करेंगे। तो इतनी खराब हालत सड़कों की है। तो कम से कम यह काम तो अच्छा किया कि नई सड़क बनाने के बजाय

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उन्हीं का रखरखाव, उन्हीं की कारपेटिंग आप ठीक तरीके से कर दें तो मैं समझती हूं यह ज्यादा अच्छा होगा लेकिन आप पूर्ववर्ती सरकार की प्रशंसा नहीं कर पाये। कम से कम नेशनल हाई-वे के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने जो दो तीन नेशनल हाई-वे मंजूर कराये हैं, कम से कम उनका जिक्र तो करना चाहिए था और इस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कम से कम, धन्यवाद का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य को तो जिक्र करना चाहिए था कि उन्होंने इतने नेशनल हाई-वे तो बना दिये कि जो अब हमारे काम आयेंगी क्यों कि उनका सारा का सारा पैसा केन्द्र से मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में हमारे विकास को यह बढ़ती हुई आबादी जिस प्रकार से लीलती जा रही है। यदि विकास के साथ इसका सामंजस्य और समन्वय नहीं रहा, इस आबादी का और हमारे विकास की गति का तो कोई मतलब नहीं है, हमारा विकास हो नहीं पायेगा। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में केवल इतना सा कह दिया कि परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में अभी तक रही उदासीनता को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगी। क्या प्रभावी कदम उठायेगी, सदन यह जरूर जानना चाहता है कि क्या प्रभावी कदम उठायेगी। अब तक तो निष्क्रिय रही, उदासीनता बरती परिवार कल्याण कार्यक्रम में, लेकिन अब आप कौन से कदम उठायेंगे। जरा इसका भी तो खुलासा करियेगा, यह भी तो सदन जानना चाहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ, यह भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान की भूमि रत्नगर्भा वसुंधरा है, इसमें अनेक प्रकार की सम्पदाएं हैं, खनिज पदार्थों का भण्डार है, लेकिन 1976 के अन्दर वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। और 1980 में जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तब वन संरक्षण कानून लागू कर दिया जिसके कारण कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। केन्द्र के इसको समवर्ती सूची में आने के कारण से और वन संरक्षण कानून के कारण क्लियरेंस लेने के लिए भारत सरकार के पास सब फाइलें ले जानी पड़ती हैं। उसकी वजह से खनन उद्योग को भी नुकसान हो रहा है और बाकी भी सार्वजनिक हमारी जितनी भी आवश्यकता है, चाहे अस्पताल बने, चाहे सड़क बने, चाहे बांध बने, चाहे स्कूल बने क्योंकि वन भूमि के अन्दर उसे परिवर्तित करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुमति बिना हमारा संगमरमर उद्योग प्रभावित हो रहा है इसलिए अब तो न इधर बैठने वाले माननीय जो पूर्ववर्ती सरकार के मालिक हैं, और इधर बैठने वाले सदस्यों से कहना चाहती हूं कि आप तो कम से कम तत्परता से यह कीजिये कि इसको समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में वापस लाये और आप कोशिश करिये कि आपकी सरकार है ऊपर, कि जो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लम्बित हमारे यहां से भेजी हुई परियोजनाएं हैं, उनको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिले। इसके बारे में आप कोशिश करिये। यह मेरा अध्यक्ष महोदय के मार्फत आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि आज कुछ जातियों को और आरक्षण की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है और यह कहा है कि मेव, जाट, सिंधी मुसलमान और कायमखानी, विश्नोई और अन्य पिछड़ी हुई जातियों को आरक्षण देंगे। 1993 में भी यह बात की थी, 5 साल पूरे हो गये लेकिन सरकार नहीं बन पायी थी इसलिए इन जातियों का आरक्षण नहीं हो पाया, अब सरकार बनी है। मैं इस बात का समर्थन करती हूं कि जो जातियां पिछड़ी होते हुए भी जिनका आर्थिक स्तर, जिनका खान-पान, जिनका हुक्क-चिलम का सम्बन्ध आपस में रहता है और यदि अन्य जातियां छूटी हैं तो उन जातियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाय।

इसके साथ ही साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि....

'सदा काहू की ना रही चढ़ी इक रंग,
कभी उजाला होत है, कभी होते बदरंग।'

इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि इतराओ नहीं। यह सही बात है कि पहली बार तीन चौथाई बहुमत से भी अधिक, क्योंकि तीन सीट बाकी हैं ले लिया आपने और हम भी आपके ही हमदर्द हैं। इसलिए इतराओं नहीं लेकिन सम्भलकर और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाओ। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सब को साथ लेने की आवश्यकता है, उतना ही साथ लेने की आवश्यकता विपक्ष को भी, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, उन्हें भी साथ लेने की आवश्यकता है।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पिछली बार कांग्रेस के आपके राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अंत में कहा था कि आपसी विश्वास, सद्भाव एवं निष्ठा के साथ सहयोग करते हुए आप राज्य के विकास का पथ प्रशस्त करें। इस शुभकामना की अभिव्यक्ति मैं ऋग्वेद के इन शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा। तो आपसी सहयोग के बिना राजस्थान के विकास को गति नहीं दे पायेंगे। इसलिए इनको विश्वास में लीजिए, हमको भी विश्वास में लीजिए और सबके सहयोग से ही आप कल्याणकारी सरकार को, राजस्थान की जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिसिंह (महुवा) का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय कल जब मैं आसन पर था तो वामनवास

(श्री हरिसिंह)

से आने वाले माननीय, सदस्य वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। कल महुवा थाने पर, सलेमपुर थाने पर, मण्डावर थाने पर कुछ मुकदमों का इन्होंने जिक्र किया जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने मारपीट की या और कोई काम किया है। मेरी अपनी विवशताएं थीं। मैं जवाब वहां भी नहीं दे सकता था। कल नाम नहीं लिया, इसलिए आज दिन-भर मैंने यह उपयुक्त नहीं समझा कि जब मेरा नाम नहीं लिया है, जब मेरे किसी परिजन का नाम नहीं लिया है तो मुझे उसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन आज जब लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य यहां वाद-विवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तब बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने सीधा-सीधा मेरा नाम लेकर के आक्षेप लगाया है कि महुवा थाने में हरिसिंह, विधायक-महुवा के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हुई उनके खिलाफ और सलेमपुर थाने में मेरे पुत्र के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एफ.आई.आर. दर्ज है। मैं इस फैक्ट को स्वीकार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को जिस दिन काऊंटिंग चल रही थी जो महुवा थाने में मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई, उसके सम्बन्ध में अनुरोध कर रहा हूं। महुवा में कोई व्यावसायिक होटल है। वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की बतलाई। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपके कमरे में सुन लीजिए..(व्यवधान)....

श्री किरोड़ी लाल : मेरे ऊपर लांछन लगाये हैं, स्पीकर महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : नहीं, नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ एक मिनट का टाइम लूंगा। (व्यवधान) It is my right to Explain. (व्यवधान) नहीं, नहीं मैं निवेदन कर रहा हूं, एक सैकण्ड। (व्यवधान) अब आप बिराजिए ना (व्यवधान) मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात कह रहा हूं। मैं कभी दूसरों को इण्टरप्ट नहीं करता। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष : देखिये, नियम जो हैं.. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में कह रहा हूं। (व्यवधान) मेरे ऊपर जो एफ.आई.आर. का जिक्र किया है ..(व्यवधान)...

श्री किरोड़ी लाल : आसन पैरों पर है। आप बिराज तो जाएं।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इनको बोलने की अनुमति देंगे तो..(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : ये तो लगा चुके आरोप ..(व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए ..(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। (व्यवधान) मैंने कल के भाषण में कोई आरोप नहीं लगाया।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है।

श्री किरोड़ी लाल : और इन्होंने आज खुद ने स्वीकार कर लिया कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 276 के अंतर्गत माननीय सदस्य ने मुझ से अनुमति चाही है। मैंने इनको अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. किसी के खिलाफ भी दर्ज हो सकती है, एफ.आई.आर. दर्ज होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह व्यक्ति अपराधी है, क्रिमिनल है। उसकी तफ्तीश होती है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराने समय से एक व्यवस्था, जब स्वर्गीय श्री हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे और भैरोंसिंहजी शेखावत प्रतिपक्ष के सदस्य थे तब बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य उस समय महुवा से विधायक थे। इनके खिलाफ अनेक मुकदमे थे। उस समय प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के पास गये और उन्होंने एक व्यवस्था कायम करवाई कि यदि किसी विधायक या किसी सांसद के खिलाफ किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज हो तो उसकी जांच सी.आई.डी. (सी.बी) द्वारा करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। थानेदार ने जब 5 दिन के बाद में मेरे को यह बताया कि आपके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई है तो मैंने कहा कि व्यवस्था के मुताबिक आपने क्या किया ? उन्होंने कहा कि वह हमने सी.आई.डी. (सी.बी) को भेज दिया। मेरा कोई कहीं लेना-देना नहीं है। मैं उस समय रिजल्ट की काउंटिंग में था। मैं हाजिर नहीं, मेरा कोई परिजन हाजिर नहीं, मेरे कोई कार्यकर्ता हाजिर नहीं, मैं वहां काउंटिंग में, 12 बजे मेरे रिजल्ट का डिक्लेयरेशन हुआ है और उसके बाद में मेरी गैरहाजिरी में, शरारतपूर्ण ढंग से मुझे बदनाम करने के लिये.... दर्द यह है अध्यक्ष महोदय, कि हरिसिंह की जो यहां चौथी बार जीत हुई है, हरिसिंह की शराफत और

(श्री हरिसिंह)

ईमानदारी की वजह से जीत हुई है। उसी इमेज को तोड़ने के लिए यह साजिशपूर्ण षडयन्त्र है।

अध्यक्ष महोदय, उसी दिन मेरे बेटे के खिलाफ भी थाने में शरारतपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्ति ने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है जो पिछली बार पंचायत समिति के प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा था। वह वहां राजस्थान पत्रिका का वितरक है। अध्यक्ष महोदय, उसी गांव का एक राजपूत लड़का भी राजस्थान पत्रिका का वितरक है। इन दोनों की प्रतिद्वंदता, कभी राजस्थान पत्रिका के उसके बंडल गायब हो जाते हैं, कभी उसके बंडल गायब हो जाते हैं। मेरा दुर्भाग्य यह है कि वह...(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : इनके सांसद पुत्र को....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मैं अपनी बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। इन दोनों की प्रतिद्वंदता, राजस्थान पत्रिका के वितरण सम्बन्धी है। इनके आपस में ही कोई लड़ाई-झगड़े हुए हैं केसेज दर्ज हुए हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं उस महाशय ने, गोवर्धन राम सैनी ने मेरे बच्चे पर आरोप लगाया ..(व्यवधान) कि ये मेरे राजस्थान पत्रिका के बंडल को गायब करवा देते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, यह समझाएं कि किस बात पर आप इनको अनुमति दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, गोवर्धन का छोटा भाई, मेरे गांव से बंडल लेकर जा रहा था। (व्यवधान) मैं दे रहा हूं इसका (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकिण्ड। इनके खिलाफ एफ.आई.आर. है तो है, जांच होगी, जैसी भी होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो जाएगी, बराबर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहां किस बात का एक्सप्लेशन ले रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : मतलब, यह कि प्रश्न आ गया था। पहले आ गया था इसके लिये ये एक्सप्लेशन दे रहे हैं। (व्यवधान) और स्पष्टीकरण.. (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आ जाए तो एफ.आई.आर...No allegation has been made, केवल एफ. आई. आर. में नाम है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड में अपनी बात पूरी करना चाहता

(श्री हरिसिंह)

हूं। अध्यक्ष महोदय मेरे और मेरे पुत्र के खिलाफ जो एफ.आई.आर. दर्ज है..(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह सारी जांच को प्रभावित करने के लिये है।

श्री हरिसिंह : आप बहुत सीनियर हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी बात छोड़िये, मैं तो सीनियर हूं, आप कौनसे कम सीनियर हैं ? (व्यवधान) आप भी सीनियर हो। यहां आप चर्चा करके जो जांच हो रही है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह : नहीं, नहीं, नहीं करवा रहा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो यह क्या मतलब है। (व्यवधान) यहां किसी के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : माननीय, ना मैं सी.आई डी. की जांच चाह रहा (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे और मेरे पुत्र के खिलाफ जो एफ.आई.आर.दर्ज है।..

श्री भंवरलाल शर्मा : तो क्या जरूरत है अनुमति देने की। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय डाक्टर साहब से आप पूछ लें, जिस एजेंसी को निष्पक्ष समझें उसको जांच दे दें और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही यह भी अर्ज कर देता हूं कि मुझे प्रतिपक्ष के नेता पर भरोसा है। आप इनकी खुली जांच प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के हाथ में दे दें अगर हरिसिंह और हरिसिंह के पुत्र को कहीं वे दोषी बता देंगे तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर के अपने घर चला जाऊंगा।

श्री किरोड़ी लाल : अच्छा, आप यह बता दो कि वहां मण्डावर के थानेदार, एस. एच.ओ.को, ए.एस.आई. को 10 घण्टे में आपने लाइन-हाजिर क्यों करवा दिया। केवल इसलिए कि मेरे और मेरे पुत्र के खिलाफ, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. कैसे दर्ज हो गयी। (व्यवधान) मण्डावर के एस.एच.ओ. को (व्यवधान) 10 घण्टे के अन्दर-अन्दर लाइन हाजिर करवा दिया।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : सलेमपुर में एफ.आई. आर. दर्ज हो और मण्डावर के थानेदार को लाइन-हाजिर कर दें ? (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : उसके पास तफ्तीश तो थी न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण के ऊपर कोई वाद-विवाद, चर्चा नहीं होगी। इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन कर दिया, देट इज ओवर।

श्री हरिसिंह : इर्रिलिवेंट, अनर्गल किया जा रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काहे का स्पष्टीकरण दिलवाया, साहब आपने।

श्री किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहूंगा। मैंने आपसे निवेदन किया है।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आप तो लगा चुके आरोप।

श्री किरोड़ी लाल : मैंने कब लगाया आरोप (व्यवधान) मैंने आरोप लगाया ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती यासमीन अबरार।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इलेक्शन के आफ्टेंज पर डिस्कशन परमिट मत कीजिए, साहब।(व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल : यह इलेक्शन के बाद का है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये सब इलेक्शन के ही हैं।(व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्रीमती यासमीन अबरार।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं 11वीं विधान सभा के लिये चुनकर आए सभी माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूं साथ ही उम्मीद करती हूं कि सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये बोल रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वर्तमान स्थिति को यदि गरीब, मजदूर, किसान, पीड़ित, मध्यम वर्ग, दलित, शोषित, पिछड़ों अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखे तो यहां की स्थिति अत्यधिक दयनीय एवं चिन्ताजनक है। पिछले शासन ने इन्हे आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से लगभग तोड़ दिया है। और यदि उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, जिसमें पीने का पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल और रोजगार, तो पता चलेगा कि कागजों और आंकड़ों में तो यह सब कुछ अच्छी तरह से उपलब्ध है लेकिन वास्तविकता में इन आवश्यकताओं की पूर्ति राजस्थान के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिये एक स्वप्न के समान ही रही है। कानून और व्यवस्था ने तो पिछले शासन के अंत के कुछ सालों में लोगों का न सिर्फ चैन से जीना दूभर कर दिया बल्कि लूटपाट, हत्या, महिला अत्याचार में राजस्थान को अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया।

इन सभी कारणों से आज राष्ट्रीय

(श्रीमती यासमीन अबरार)

स्तर पर सोनियाजी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाकर चैन व राहत की सांस ली है तथा पीड़ित जनता अब इस सरकार की ओर बड़ी आशाओं के साथ देख रही है और उम्मीदें लगा रही है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहूंगी कि सरकार के गठन के तुरन्त बाद युवा पीढ़ी के रोजगार की तरफ ध्यान दिया। अपने वादे के मुताबिक सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से घटाकर 58 वर्ष की। मैं यह तो नहीं कह सकती कि इससे पूरी तरह से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन हां, कुछ हद तक पढ़े–लिखे नौजवान बेरोजगारों को कार्य करने का मौका मिलेगा। साथ ही मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि उन सभी क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करें, चाहे वे सरकारी हो, चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो या निजी हो, जिनके माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के मार्ग सृजित किये जा सकें। और पढ़ी–लिखी युवा पीढ़ी को गुमराह और भ्रमित होने से रोककर रचनात्मक कार्य की ओर मोड़ा जा सके।

इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी, जो यहां पर अभी उपस्थित नहीं हैं, एवं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वर्षों से हम शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की बात तो करते आये हैं तथा बुनियादी और तकनीकी शिक्षा को बढावा देने पर सतत् विचार करते रहे हैं। परन्तु उसके अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आज भी एक नव-युवक सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी की आशा में पढ़-लिखकर एक लम्बा समय बिताता है। अतः हमें उसे ऐसी तकनीकी शिक्षा देने पर गहराई से चिन्तन करना चाहिये जिससे वह पढ़-लिखकर नौकरी का इन्तजार करने के बजाए स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये भी आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने कार्यों की प्राथमिकता में बिजली और पानी को प्राथमिकता दी। बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हो और नई विद्युत योजनाएं कैसे स्वीकृत हों तथा किसान को आठ घण्टे आवश्यक रूप से बिजली मिले आदि बातों पर गम्भीरता से क्रियान्वयन शुरू किया।

इस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं ऊर्जा मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहूंगी कि जिस लगन के साथ वे अपने स्तर पर निर्णय कर रहे हैं, उनके लिये उन्हें सम्पूर्ण अधिकारियों की, मशीनरी को अत्यधिक सक्रिय करने एवं सख्ती से सरकार के निर्देशों को हू-बहू गांव और ढाणी तक क्रियान्वित करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। क्योंकि सरकारी मशीनरी पर इतना जंग लग गया है कि यह बिना सख्ती से हटना सम्भव नहीं है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि किसी भी काश्तकार को नया कनेक्शन लेने के लिये बिजली के दफ्तर के चक्कर

(श्रीमती यासमीन अबरार)

तो काटने ही पड़ते हैं, लेकिन जब तक सम्बन्धित व्यक्ति को रिश्वत नहीं दे दें तब तक उसे निराशा ही हाथ लगती है।

इतना ही नहीं, आज प्रदेश में कई स्थानों पर बिजली के खम्भे तो हैं, उन पर तार नहीं है। तार खिच गये हैं तो उनमें बिजली नहीं है। अगर कोई डी.पी. जल गयी है तो महीनों तक उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं है। मेरे सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में अनगिनत स्थानों पर यही स्थिति बनी हुई है तथा अन्धेरे में लोग जीने के लिए विवश हैं तथा इस नयी सरकार से आशा के भरोसे रोशनी का स्वप्न संजोए बैठे हैं।

महोदय, दूसरी मूलभूत आवश्यकता पीने के पानी की है, जिससे राजस्थान के कई जिले अत्यधिक पीड़ित हैं। नलों में पानी आधे-आधे घण्टे नहीं आता। जो हैण्डपम्प लगे थे वे अधिकांश खराब पड़े हैं। कुओं का जल स्तर नीचे गिर गया है।

अतः राजस्थान में पेयजल वितरण एक गम्भीर समस्या पहले भी थी और आज भी बनी हुई है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगी कि आजादी के पचास वर्ष बाद राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को कम से कम पीने का पानी तो सुलभ कराना शासन का कर्तव्य होना ही चाहिये और इस सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर गहन विचार करके कार्य शुरू किया जाना चाहिये। बहुत से स्थानों पर पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन नीति, योजनाएं ठीक नहीं बनायी गयीं; जिसके कारण से लोग पीड़ित हैं। मैं इस सन्दर्भ में मेरे विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगी। वहां पीने के पानी की समस्या अत्यन्त विकट है लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज तक सवाईमाधोपुर के 25 किलोमीटर की दूरी पर होकर गुजरती चम्बल नदी नीति एवं योजनाएं निर्धारकों को नजर नहीं आयी। जितना पैसा अब तक विभिन्न योजनाओं में वहां पेयजल उपलब्ध कराने पर खर्च हुआ, शायद उससे भी कम खर्च में चम्बल नदी का पानी सवाईमाधोपुर के नागरिकों को मिल सकता था और हमेशा-हमेशा के लिये समस्या का अन्त हो सकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि सवाईमाधोपुर के लिये चम्बल से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनायें एवं उसे स्वीकृत करें तथा प्रान्त के अन्य हिस्सों में भी जहां पेयजल समस्या है और जल उपलब्ध है, हो सकता है तो उसे जरूरत मंदों तक पहुंचाने की सही नीति और दिशा तय करें, जिससे प्रान्त की उपेक्षित और प्यासी जनता राहत की सांस ले सके।

महोदय, मैं सरकार के इस निर्णय का भी स्वागत करूंगी कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़े जाने की नीति को जारी रखा है तथा 1991 की आबादी के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ने की घोषणा की है।

(श्रीमती यासमीन अबरार)

लेकिन मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगी कि यह कार्य समयबद्ध होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो पंचायत मुख्यालय अब तक सड़क से नहीं जुड़े हैं उसका क्या कारण है और अब उन कारणों को तत्काल कैसे दूर किया जा सके, तथा ग्रामवासियों का सड़क पर चलने का स्वप्न कैसे पूरा हो सके इस पर विचार करना चाहिये। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी भी कई पंचायत मुख्यालयों पर सड़क तो दूर, ट्रेक्टर या जीप भी आसानी से नहीं पहुंच सकती। आखिर इसके लिये कौन उत्तरदायी है, इसका निर्धारण करना ही होगा।

महोदय, मैं सरकार के इस निर्णय का भी स्वागत करूंगी कि 200 व्यक्तियों तक की आबादी वाली सभी बस्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में 150 की आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि राजस्थान जैसे रूढ़िवादी प्रान्त में महिला शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा छात्राओं के लिये भी अधिक से अधिक, पृथक से हर स्तर पर स्कूल और कालेज खोलने पर पूरा ध्यान देना चाहिये। साथ ही साथ जहां पर भी प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो, उस गांव को आवश्यक रूप से किसी न किसी स्तर की चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिये क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में चोली दामन का साथ है। जब तक हम बच्चों को स्वस्थ नहीं रख सकते तब तक उनसे शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद करना व्यर्थ है।

महोदय, मैं सरकार के महिला अधिकारों के संरक्षण के हेतु राज्य में महिला आयोग के गठन एवं महिलाओं के लिये सरकारी नौकरियों में 20 से बढ़ाकर 30 परसेंट स्थानों के आरक्षण के निर्णय का स्वागत करती हूं। क्योंकि आज भी महिलाओं के पीड़ित होने का कारण उनका आत्मनिर्भर न होना है। यदि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया जाता है तथा उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है तो निश्चित है कि महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न एवं अत्याचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और यदि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक अभिवृद्धि होती है तो यह मात्र उसके स्तर में ही वृद्धि नहीं बल्कि सम्पूर्ण परिवार के स्तर में वृद्धि होगी। उस परिवार के बच्चों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा जो आगे चलकर देश का भविष्य बनेगा। महिलाओं के उत्थान, विकास के लिये यह भी आवश्यक है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार एवं शोषण करने वालों के साथ सख्त-से-सख्त कार्यवाही करें।

मुझे यह कहते हुए दुःख है कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में महिला उत्पीड़न, शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं तथा दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिये वह उनको नहीं मिली और वह बचते रहे हैं। कारण उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन उससे असामाजिक तत्वों को बल मिला है। अतः इस दिशा में सरकार को

(श्रीमती यासमीन प्रबरार)

अत्यधिक सक्रियता बरतने की आवश्यकता है तथा पुलिस प्रशासन को पूर्णतः चुस्त-दुरुस्त रखने की आवश्यकता है।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था के नाम पर गत वर्षों में जिस प्रकार से आंख-मिचोली खेलकर पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचार का नंगा नाच, पीड़ित व्यक्तियों के साथ थानों में पुलिस का दुर्व्यवहार, तथा निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाना एक आम बात रही है। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि अब ऐसे पुलिस अधिकारियों को नहीं बख्शा जाना चाहिये तथा दोषी को सजा मिले एवं निर्दोष को न्याय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

महोदय, मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि अल्पसंख्यकों की हालत आज किसी से छिपी हुई नहीं है। अतः उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये तथा उनके रोजगार पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। तत्काल अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए, एवं पूर्व वक्फ बोर्ड के कारनामों एवं घपलों की जांच करवायी जाये, तथा तत्काल वक्फ बोर्ड का गठन किया जाये।

(16.00 बजे)

सवाई माधोपुर और राजस्थान के कुछ जिलों में मुसलमानों में गद्दी जाति के अतिरिक्त पिछड़े मुसलमान हैं, उन्हें ओ.बी.सी. में सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा उनके विकास के लिये गद्दी बोर्ड का गठन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

मुझे यह कहते हुए दुःख है कि आज भी बहुत-से पुलिस कर्मचारी एवं अन्य अधिकारी गन्दी राजनैतिक मानसिकता रखते हैं। हाल ही में झालावाड़ महाविद्यालय के चुनावों के पश्चात छात्रों के आपसी विवाद में वहां के कुछ कर्मचारी और अन्य अधिकारियों का पक्षपात का जो खुला नाच देखा, एवं जिस निर्दयता से पुलिस ने निर्दोष छात्रों को मारा, और न सिर्फ मारा बल्कि जो छात्र वहां की जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर थे, उनको वहां घुसकर बड़ी बेरहमी से मार-मारकर घायल कर दिया। वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के जो फोटो लगे हुए थे, उन्हें नीचे गिरा दिया तथा कुछ छात्रों को तो इतनी बेरहमी से मारा कि उन्हें तत्काल जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन अधिकारियों के आचरण और मानसिकता को यह बातें दर्शाती हैं। अतः मैं सरकार से मांग करती हूं कि इन अधिकारियों को वहां से तत्काल हटाकर इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे भविष्य में किसी निर्दोष पर प्रहार करने से पहले उसके अंजाम को वह भलीभांति सोच ले।

महोदय, मैं अंत में मेरे सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र एवं जिले की दुर्दशा और पिछड़ेपन तथा मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहने की बात आपको बता देना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में

(श्रीमती यासमीन अबरार)

जहां अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोग रहते हैं, वहां न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न अस्पताल है और न स्कूल है। तथा रोजगार तो वहां के लोगों के भाग्य में, नसीब में है ही नहीं। रणथम्भोर बाघ परियोजना होने के कारण कोई भी नया उद्योग नहीं लग सकता तथा पुराने उद्योग के नाम पर एक सीमेंट फैक्टरी थी, जो लगभग दस सालों से बंद पड़ी है तथा वहां के मजदूरों को लम्बे समय से वेतन नहीं मिला है। उनको कोई चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हुई। बिजली-पानी की वह हमेशा भीख मांगते रहते हैं। यहां तक कि कुछ मामलों में वहां के मजदूरों के मरने के बाद में उनके कफन के लिये पैसा तक नहीं होता, और चंदा करके उनको दफनाना पड़ता है।

अतः आपसे मेरा आग्रह है कि सीमेंट फैक्टरी को चलाने के बारे में सरकार विचार करे। तथा वहां के मजदूरों को वेतन, चिकित्सा सुविधा, बिजली व पानी उपलब्ध कराने के लिये अपना दायित्व समझें। साथ ही सवाई माधोपुर में ऐसे उद्योग-धन्धे लगाने एवं उनको सहायता देने पर सरकार को विचार करना चाहिये जिसमें पर्यावरण बाधक न हो।

पर्यटन की दृष्टि से विख्यात सवाई माधोपुर, जहां राजा हम्मीर की वीर भूमि पर सवाई माधोपुर के मुकुटे के रूप में रणथम्भोर दुर्ग है। धार्मिक दृष्टि से गणेश जी की पावन धरती है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से रणथम्भोर बाघ परियोजना राजस्थान में अग्रणी है तथा जिस माधोपुर की सीमा पर देश की महत्वपूर्ण चम्बल नदी बहती हो तथा जिसके रूप को बनास नदी द्वारा निखारा जाता हो, उस सवाई माधोपुर में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यदि राज्य सरकार इस पर ध्यान एवं धन दे तो सवाई माधोपुर पर्यटन के दृष्टिकोण से देश के शीर्ष स्थलों में आ सकता है।

सवाई माधोपुर विधान क्षेत्र में दलित, शोषित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नारकीय जीवन को सुधारने के लिये सरकार को उनकी मूलभत आवश्यकताएं बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि को पूरा करने के लिये अपना पूरा ध्यान देना चाहिये। महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद।

श्री दुर्गा प्रसाद : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, आपने निर्दलियों की तरफ से सुमित्रा सिंहजी को समय दे दिया। हमारी छोटी पार्टी है, हम पर भी रहम करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जितना समय हमारा अलाट है, हमें भी तो समय दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा अन्याय मत करो, अध्यक्ष महोदय ।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य का नाम भी आपने बोलने के लिये ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक भी सदस्य का नाम सुबह से लेकर अब तक आपने नहीं पुकारा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने जितना हमको समय दिया, वही समय दे दें। लेकिन हमें भी तो समय दें। परसों फिर 15 तारीख को रिप्लाई होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी और माननीय सदस्य बोलेंगे। इतना इतराओ मत। अभी और बोलेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद : मैं लम्बा नहीं बोलने वाला हूं, पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : निर्दलियों का जितना समय था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भारतीय जनता पार्टी के जो अभी तक माननीय सदस्य बोले हैं, उसमें उनके लिये 3 घण्टे 10 मिनट का समय है। 2 घण्टे बढ़ गये। पहले तो कम समय था, सिर्फ 25 मिनट शेष रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 25 मिनट में कह देंगे। अध्यक्ष जी, हम तो आज्ञाकारी लोग हैं। हम तो आज्ञाकारी लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, 25 मिनट में कह देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : निर्दलियों में से पहले सुमित्रा सिंह जी बोल लीं।

श्री दुर्गा प्रसाद : निर्दलिय सात हैं। आपसे ज्यादा हैं निर्दलिय। मुझे बोलने दें आप। आसन की व्यवस्था को मानिएगा। प्लीज बैठिएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : और अगर बोलने का नहीं है, हमें समय नहीं मिला है तो बता दें, चले जाएंगे। जो समय अलाट है, आप हमें वह बता दें।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : परम आदरणीय, जैसाकि मैं जान पाया हूं महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक तरह से सत्ता पक्ष का भाषण होता है जिसमें यह बताता है कि उसकी क्या—क्या कठिनाइयां हैं और वह किस प्रकार राज्य का विकास करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण दिनांक 8 जनवरी में पूर्ववर्ती बी.जे.पी. सरकार द्वारा छोड़ी गयी राज्य की आर्थिक स्थिति, गरीब व पिछड़े वर्ग की स्थिति, शिक्षा, बिजली पानी व सड़कों

(श्री दुर्गा प्रसाद)

की स्थिति, कानून व व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है ।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में बताया गया है कि बी.जे.पी. सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल में राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को चौपट कर दिया। शिक्षा, बिजली, पानी व सड़कों की हालत खराब कर दी। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार न देकर पंगु बना दिया। राज्य की आर्थिक हालत को खराब करते हुए सत्ता छोड़ते हुए राज्य को 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जदार बना दिया आदि-आदि।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में बताया गया है कि नई सरकार द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक की जा रही है। बिजली का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी किया जाएगा और बिजली की कमी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। 150 से 200 तक की जनसंख्या वाले गांवों व ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा।

इसी प्रकार यह बताया गया है कि सन 2000 तक, यानि इस वर्ष के अन्त तक 6000 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा जाकर प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी नई सरकार और इसके नौजवान, उत्साही मुख्य मंत्री तहेदिल से आत्मा से चाहते हैं कि राज्य का चहुंमुखी विकास हो, कोई गरीब न रहे, सबको रोजगार मिले, खुशहाल हों।

वह यह भी चाहते हैं कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र ईमानदारी से लागू हो। इसके लिये उन्होंने बैठते ही चुनाव घोषणा पत्र की प्रति मुख्य सचिव महोदय को भेजकर इस पर कार्यवाही के आदेश दिये। चुनाव घोषणा पत्र में दिये गये एक वायदे के अनुसार नई सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी और एक हजार करोड़ रुपये का प्रति वर्ष अतिरिक्त भार ऐसे नाजुक समय में, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है, उसको उठाने का मानस बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो दिनों से सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस सुन रहा हूं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बी.जे.पी. की पूर्ववर्ती सरकार की बुराई कर रहे हैं तो बी.जे.पी. के माननीय सदस्य कांग्रेस की। समझ नहीं आ रहा है कि इन सब बातों से हम इस राज्य का एवं इस राज्य की जनता का क्या भला करना चाह रहे हैं। होना तो यह चाहिये कि चुनावों के बाद सब बातें भूलकर रचनात्मक सहयोग करें अथवा रचनात्मक विरोध करें। देखा जाए तो सब ही हम सच्चे जन-प्रतिनिधियों की तरह इस राज्य का एवं इस राज्य की जनता का भला कर

(श्री दुर्गा प्रसाद)

सकते हैं एवं इस राज्य में खुशहाली आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी पार्टी, सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष की आलोचना नहीं करना चाहता। केवल यह चाहता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरे और जनता खुशहाल हो। वर्तमान सरकार के हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी यही चाहते हैं जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जाहिर होता है।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे यह कहना है जब राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और खजाना खाली है, 23 हजार करोड़ की देनदारी या कहिये ऋण है तो किस प्रकार राज्य का विकास हो सकेगा ? कैसे नये विद्यालय खुल पायेंगे, पीने के पानी की समस्या का कैसे निदान होगा, कैसे सड़कें बन पायेंगी, कहां से पैसा आयेगा ? राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं पर भी यह नहीं बताया है कि किस प्रकार आय के नये स्रोत खोजे जायेंगे। केवल बचत करने से या सरकारी खर्चों में कटौती करने मात्र से राज्य की आर्थिक समस्या का निदान नहीं हो सकता है।

श्री हीरा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार पढ़ कर भाषण नहीं दिये जा सकते।

श्री दुर्गा प्रसाद : माननीय सदस्य, मैं आपके बीच में कभी भी नहीं बोला हूं, प्लीज।

श्री हीरा सिंह चौहान : बहुत सारे वक्ता पढ़ कर बोलते हैं। नियमानुसार भाषण पढ़ा नहीं जा सकता रैफर करने के लिए तो देखा जा सकता है। (व्यवधान) नये पुराने की बात नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहली बार तो आये हैं। पहले भी दो सदस्यों ने इसी तरीके से, कावराजी और यासमीनजी ने भी पढ़ा था।

श्री हीरा सिंह चौहान : यह परम्परा नहीं है कि पढ़ें। रैफर करने के लिए तो कोई भी किताब देख सकते हैं लेकिन बिलकुल ही पढ़ा जाय, किताब की तरह तो पढ़ा नहीं जा सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नये सदस्य हैं, प्रथम बार बोल रहे हैं।

श्री हीरा सिंह चौहान : नहीं, नये के लिए नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : धीरे-धीरे हिम्मत खुल जायेगी। कृपया आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री हीरा सिंह चौहान : मैं इस पर ऐतराज नहीं कर रहा हूं कि यह क्यों बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बिलकुल किताब पढ़ने की परम्परा नहीं रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली दफे बोल रहे हैं, इस सदन की परम्परा रही है (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : मैं बिना पढ़े भी बोल सकता हूं।

श्री हीरा सिंह चौहान : कोई भी चीज वैसा का वैसा पढ़ रहे हैं। रेफरेंस के लिए देख सकते हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं बिना पढ़े भी बोल सकता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सदन की परम्परा रही है, यह मेडन स्पीच है उनकी।

श्री दुर्गा प्रसाद : केवल मुझे पांच मिनट का समय दिया है, कोई बात कहने से रह नहीं जाय इसलिए मैं लिख कर लाया हूं और अपनी बात पूरी करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेडन स्पीच पर, हीरा सिंहजी, कभी टोकते नहीं हैं। प्रथम बार बोल रहे हैं यह। समय कम दिया गया है इसलिए कोई बात कहने से नहीं रह जाय इसलिए। (व्यवधान)

श्री हीरा सिंह चौहान : पाइंट आफ आर्डर। पढ़ा नहीं जा सकता।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य इस हाउस में उपाध्यक्ष रहे हैं, जो नये सदस्य आये हुए हैं उनको टोक रहे है।

श्री हीरा सिंह चौहान : नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूं। (व्यवधान)....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपको क्या तकलीफ हो रही है पढ़ रहे हैं तो ?

श्री रतनाराम चौधरी : किसी को बोलने नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरा सिंह चौहान : मैं टोक नहीं रहा हूं। यह जो विधान सभा के नियम हैं, उससे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ने की यहां इजाजत नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी : कोई भी मंत्री जवाब देते हैं या माननीय सदस्य बोलते हैं, किसी को बोलने हो नहीं देते। क्या उपाध्यक्ष रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो भी यही कहना चाहें कि मैं बिना देखे बोलूं तो मैं वैसे भी बोल सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रतनलाल चौधरी : आज पहली बार आपका साथी बोल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, पब्लिक स्पीकिंग में धीरे-धीरे आदमी एक्स-टेम्पोर बोलने के लिए अपने आपको तैयार करता है। बहुत से माननीय सदस्य यहां पर पहली बार आये हैं मगर उनके कुछ पाइंट्स लिखे हुए हैं और उनको देख कर बोल रहे हैं तो

(श्री अध्यक्ष)

सदन को इसमें उदार रहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया जायेगा, मैं केवल यह चाहता था कि कोई बात कहने से नहीं रह जाय इसलिए लिख कर लाया हूं। नहीं तो अगर यह चाहते हैं कि मैं बिना पढ़े बोलूं, तो वह भी बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार इस सदन का सदस्य चुन कर आया हूं। जब मैं सदन से बाहर था तो एक साधारण नागरिक की हैसियत से अपने साथियों से राज्य की आर्थिक हालत पर, राज्य के विकास के विषय में बात करता था। विचार-विमर्श हुआ करता था, नये-नये सुझाव आते थे। कुछ सुझाव गम्भीर थे, रचनात्मक थे व व्यावहारिक थे। उस समय मैं सोचता था कि यदि मौका मिला तो मैं भी सरकार के विचारार्थ अवश्य रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे सुझावों को गौर से सुनें, इनकी समीक्षा करा लें और यदि उचित लगे तो उन पर अमल की कार्यवाही के आदेश दें। मेरा सोचना है कि इन सुझावों की पालना से राज्य की आर्थिक स्थिति एक हद तक बेहतर होगी और यहां की जनता खुशहाल होगी।

अध्यक्ष महोदय, खेती के बाद राज्य में खनिज उद्योग राज्य का सब से बड़ा रोजगार देने वाला व सरकारी आय पैदा करने वाला उद्योग है। आज इस उद्योग की हालत चरमरा गयी है। वन क्षेत्र में पड़ने वाली खानों को बंद कर दिया गया है। केन्द्र सरकार बड़ी मुश्किल से, बड़ी औपचारिकताओं के बाद लम्बा समय लेकर वन क्षेत्र में पड़ने वाली खानों पर काम करने की इजाजत देती है। बहुत सी खानें इजाजत के बिना बंद पड़ी हैं। इससे हजारों-लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। एक अनुमान के अनुसार राज्य सरकार को करीब 42 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की खान रायल्टी का राजस्व का नुकसान हो रहा है जबकि सेल टैक्स, एक्साइज, इन्कम टैक्स आदि को मिला कर यह टैक्स अरबों रुपये का बनता है।

अध्यक्ष महोदय, खनिज पदार्थ तो वहीं मिलेगा जहां कुदरत ने उसे जमीन में रखा है जबकि पेड़ तो कहीं भी लग सकते हैं। पर वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वन भूमि में स्थित खनिज का दोहन नहीं करने देते। सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं देती है। परिणामत: धीरे-धीरे इस राज्य के सबसे बड़े उद्योग माइनिंग इंडस्ट्री, खनिज उद्योग खत्म होता जा रहा है नये-नये माफिया पैदा हो रहे हैं जो नाजायज तौर पर खनिज निकाल रहे हैं और सरकारी राजस्व का करोड़ों का हर साल नुकसान कर रहे हैं। हर स्तर पर भ्रष्टाचार पनप रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, चाहे वह केन्द्र से मिल कर कानून में परिवर्तन कर के व्यवस्था

(श्री दुर्गा प्रसाद)

लाये अथवा अध्यादेश से लावे, जिससे कि वन क्षेत्र में पुरानी खानों पर काम करने से नहीं रोका जाय। वन क्षेत्र में नयी खानों की परमिशन केन्द्र सरकार से शीघ्र दिलवाये जाने की व्यवस्था हो।

अध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्व रिकार्ड में खनिज भूमि के नाम से भूमि चिन्हित नहीं की गयी है जबकि खेती की भूमि, वन भूमि, सिवायचक चारागाह के नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमि चिन्हित है। राज्य सरकार को खनिज सम्पदा क्षेत्र को यानि माइनिंग लीजेज एरिया को राजस्व रिकार्ड में चिन्हित करवाना चाहिये और फिर ऐसी भूमि पर खनन कार्य करने देने में राज्य सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिये। फिर किसी प्रकार की अन्य विभाग की इन खनिज क्षेत्रों में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिये। इससे राज्य की खनिज सम्पदा का सही ढंग से दोहन हो सकेगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और करोड़ों रुपये का राजस्व का लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। असामाजिक तत्व व खनिज माफिया पैदा नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, अक्सर हम महंगाई की बातें करते हैं। चंद दिनों में, रातों-रात यह महंगाई कैसे बढ़ जाती है. इसके मूल कारणों की तरफ हमारा व हमारी सरकार का ध्यान नहीं जाता। महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ट्रांसपोर्ट का होता है। पूर्व में एक ट्रक में माल भरने की कोई खास सीमा नहीं थी। ट्रक वाले 15 से 18 टन तक माल अपने ट्रकों में भर कर ले जाते थे। यकायक, रातों-रात ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने सख्ती की कि एक ट्रक में 9 टन से ज्यादा माल भर कर नहीं जायेगा और पैनल्टी के रूप में ट्रक वालों से ज्यादा माल भरने पर प्रति टन एक हजार से लेकर दो हजार तक वसूल किया जाने लगा। इस पर ट्रक आपरेटर्स ने भाड़ा 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। मुझे ध्यान है, पहले गंगापुर से दिल्ली को ट्रक भाड़ा 30 रुपये क्विंटल था, वही आज 60 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गया। इस पर भी ट्रक वाले ले जाने को नहीं मिलते क्योंकि एक ही माल को ले जाने के लिए ज्यादा ट्रकों की आवश्यकता पड़ने लगी है।

एक तरफ भाड़ा बढ़ा दूसरी तरफ माल ढोने को ट्रक नहीं मिलते। इसलिए एक तरफ तो माल स्टॉक हो गया, दूसरी तरफ मार्केट में माल की शोर्टेज पैदा हुई और चीजों के दाम एकदम बढ़ गये। ट्रक आपरेटर्स को मजा आ गया। उनको फायदा होने लगा। उन्होंने पुलिस व ट्रांसपोर्ट अधिकारियों से मिल कर अपने गुंडे जगह-जगह बैठा दिये जो ट्रकों से ज्यादा वजन के नाम पर हजारों रुपया वसूल करने लगे। खुद खाने लगे, पुलिस व ट्रांसपोर्ट अधिकारी, आर.टी.ओ. आदि को खिलाने लगे और महंगाई से जनता पिसने लगी और भ्रष्टाचार पनप गया। यह भी देखने मे आया है कि जहां ट्रांसपोर्ट यूनियन में गुंडे ज्यादा हैं वहां ट्रक रोक लिये जाते हैं और जहां इनकी कमी है वहां ज्यादा माल लेकर ट्रक चले जाते हैं। इस प्रकार किन्हीं-किन्हीं स्थानों से माल भाड़ा कम हो गया तो किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर माल भाड़ा ज्यादा हो गया। बीकानेर, उदयपुर, ब्यावर आदि

(श्री दुर्गा प्रसाद)

से मुम्बई ट्रक भाड़ा बहुत सस्ता है जबकि गंगापुर, करौली से चौगुना भाड़ा क्योंकि यहां से ट्रकों में ज्यादा माल भरने में असामाजिक तत्वों की पाबंदी है और उधर से पाबंदी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की असमानता के कारण एक स्थान के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, प्रतियोगिता में ठहर नहीं पा रहे हैं, गोदामों में, खानों में माल सड़ रहा है। इस तरह की बातों पर सरकार को ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिये पर कोई ध्यान नहीं देता।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को केन्द्र सरकार से बात कर के एवं अपने स्तर पर भी कानून बना कर के 9 टन के स्थान पर 12 टन ट्रकों में माल भरने की छूट देनी चाहिये। जब पहले वही ट्रक 18 टन माल ले जा सकता था तो अब 12 टन माल ले जाने से उसे नहीं रोका जाना चाहिये। यदि ओवर लोडिंग की पाबंदी करनी है तो पहले रेलों, बसों, जीपों, और जुगाड़ों पर से ओवर लोडिंग बंद करनी चाहिये जहां मनुष्य की जान को हमेशा खतरा बना रहता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं आसन की व्यवस्था का सम्मान करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, क्योंकि आपने घंटी बजा दी है, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्यारहवीं विधान सभा के सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी (महुवा) ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है। मेरा मन तो था कि इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपनी राय रखता परन्तु जब मैंने देखा, पढ़ा और सुना कि माननीय राज्यपालजी ने पिछली सरकार के आठ वर्ष के शासन को कुशासन बताया है जबकि आठ साल के राज में हम भी शामिल थे और हमने न सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र का बल्कि राजस्थान में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अध्यक्षजी हम मंत्री होते हुए भी अपना दायित्व निभाया और उनके विकास के लिए हमने कुछ किया।

अध्यक्ष महोदय, यह कैसे संभव है कि जिस राज को पब्लिक ने चुना, जनता ने चुना वह सारा का सारा आठ साल का समय कुशासन का हो जाए। यह तो एक बहुत शर्म की बात हुई। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय, जो पिछले बजट में भूरि-भूरि प्रशंसा करके, पिछली सरकार का बजट पेश किया अक्टूबर, 1998 में, आज वही राज्यपालजी यहां पर खड़े होकर

(श्री जगत सिंह दायमा)

अपने भाषण में कह रहे हैं कि आठ साल का समय बड़ा कुशासन का रहा।

(16.24 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, वही राज्यपाल महोदय, जो अक्टूबर के महीने में भूरि-भूरि प्रशंसा करके और बजट पास करके और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से सम्मान दिया और दो महीने के बाद वही राज्यपाल महोदय अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि वह कुशासन का राज था। इसलिए सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिसके अभिभाषण पर बहस हो रही है, आज वे खुद ही अपनी बात के ऊपर कायम नहीं हैं तो हम उनके कहे हुए वक्तव्य पर जो आपने दिलाया है। आपको, कांग्रेस पार्टी को जरूरत तो थी नहीं। एक सौ पचास सदस्य जीतने के बाद जो बात आप स्वयं कह सकते थे, वह बात आपने न कहकर राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवायी। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह बात नहीं कह रहा कि पिछली सरकार में सब कुछ ठीक हुआ परन्तु आठ साल के शासन में ऐसा सब कुछ तो नहीं हुआ जिसको कुशासन की संज्ञा दी जा सके। इसलिए मेरा मन है चाहे यह परम्परा है या नहीं है राज्यपालजी अगर वापस इस सदन में इस अभिभाषण जो उनका है उसको संशोधन नहीं कर सकते तो बहुत से माध्यम बहुत सी स्टेज उनके पास ऐसी हैं कि उनको अपनी बात को ठीक करना चाहिए और अगर वे ठीक नहीं करते तो इस तरह के अभिभाषण का कोई मतलब नहीं है।

श्री नन्दलाल (दौसा) : यह बी.जे.पी. का कुशासन ही था। वापस राज्यपाल महोदय, इस अभिभाषण में क्यों संशोधन करें? मेरे चार हजार रुपये के लाडू खा गये बी.जे.पी. वाले।

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

श्री नन्दलाल : ....और मेरा काम नहीं किया और कह रहे हैं कि कुशासन नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष रघुवीरसिंहजी कौशल उस समय वन मंत्री भी थे। मेरा भाई बी.जे.पी से एम.एल.ए. था, मेरा भाई बी.जे.पी. से एम.पी. इसके बाद भी मेरा काम नहीं किया तो इसको कुशासन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, बैठिये। आसन को सहयोग कीजिये, विराजिये।

श्री नन्दलाल : आप बताइये कैसे नहीं बोलेंगे कुशासन? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हमारी बी.जे. पी. के नेता पर....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल : आपको और बी.जे.पी. को मेरे परिवार ने दौसा में कायम रखा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री कृपलानी जी, बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ये सदन में इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन ने व्यवस्था दी है कि बीच में व्यवधान नहीं करें। माननीय कृपलानीजी, मेरा निवेदन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं श्री रघुवीरजी कौशल, उन पर सदन में इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। आप लड्डू खाने की इस तरह की बात कहकर सदन की मर्यादा का... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल : दो-दो पूर्व मंत्रीजी मौजूद हैं खाने वाले। मैं नाम नहीं लेना चाहता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपलानीजी, आसन को सहयोग कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, आरोप नहीं लगा सकते। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसी का नाम लेकर आप असत्य आरोप लगा रहे हैं जो सदन के सदस्य नहीं हैं। उनके नाम को आप कहीं भी..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मेरा समय आप देख लें। मेरा समय तो मैं यहां छोड़ूंगा नहीं फिर इस तरीके से, हां, फिर आप कहोगे कि आप सीनियर हैं....(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं आप इनको बैठाइये।

श्री किरोड़ी लाल : प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा है इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य, अगर ऐसा कोई रिकोर्ड में आया है तो उसको देख लिया जायेगा। विराजिये आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : देख लेंगे नहीं, निकाला जायेगा यह। ये बोल रहे हैं यहां।

श्री किरोड़ी लाल : देख क्या लेंगे, निकालना चाहिए, साफ है यह।(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कोई रिकार्ड में आया है तो उसको देखकर माननीय अध्यक्ष जी इसको निकालेंगे। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं न ? अगर कोई असंसदीय भाषा आयी है, अगर उन पर आरोप है, and if he is not a member of this House today, तो मैं अध्यक्षजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो आरोप लगे हैं उसको रिकार्ड से निकाला जायेगा। (व्यवधान) मैंने कह दिया न, निकल जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अभी चुनकर आये हैं। इस देश और प्रदेश में दो भाइयों में आपस में मतभेद हो सकते हैं। दो भाइयों का झगड़ा और उस झगड़े के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाना ....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, इसमें आपत्ति क्या हुई ? लड्डू खाने वाली बात को क्या निकालेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस तरह की कार्यवाही अगर सदन में प्रारम्भ हो गयी....

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप धमकायों मत इन्हें। यह गलत तरीका है आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं धमका कहां रहा हूं ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप बाकायदा धमकी दे रहे हो इन्हें। आप धमका नहीं सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरी बात कह रहा हूं। ये आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : हैल्प प्लीज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : इस तरीके से दबेगा नहीं यह आदमी।

श्री सभापति : वायमाजी, कृपया आपका भाषण चालू रखें। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे दौसा जिले के विधायक को इस तरह नहीं कह सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस प्रकार की भाषा है, यदि रिकार्ड पर आयी है तो निकाल दी जायेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य दौसा जिले से आये हैं आप उनके लिए ऐसा नहीं कह सकते।

श्री नन्दलाल : दौसा की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। मैं बी.जे.पी. के काले चिट्ठे खोलूं....(व्यवधान) मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य बी.जे.पी. का रहा है। मुझे मालूम है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। देखो व्यवस्था दे दी गयी है आसन की ओर से।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पिछले तीन दिन से आप देख रहे हैं। पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता पर आरोप लगाये गये, फिर बामड़ाजी पर....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने दौसा जिले के माननीय सदस्य के बारे में गलत आपत्ति की है।

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष जी ने हाऊस में कहा था कि सदन की परम्पराएं और मान्यताएं हिन्दुस्तान की और विधान सभाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण रही हैं इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आचरण और नियमों का पूरा ध्यान रखें। माननीय कृपलानीजी, आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सदन की परम्परा है तभी तो बोल रहा हूं। सभापति

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इस तरह किसी पर कोई आरोप नहीं लग सकता।

श्री शैलेन्द्र जोशी : दौसा के ये माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं और पहली बार बोलने में भी आपत्ति की जा रही है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, कार्यवाही से निकालने के लिए कहो।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी। मैं यह कह चुका। बिराजिये। दायमाजी, आप चालू रखिये।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मेरी आधी मिनट गयी। आधी मिनट में ही हो हल्ला शुरू हो गया।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय; ...(व्यवधान)

श्री सभापति : जो भी बोले हैं, उसके लिए कह दिया है, देखकर अध्यक्षजी निकाल देंगे वह जो वर्ड्स रिकार्ड पर आये हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जो भी यह बोले हैं बीच में ?

श्री सभापति : हां, यह आ चुका है।

श्री परसादी लाल : नहीं लाडू खाये है तो खण्डन कर दो कि नहीं खाये। (व्यवधान) लाडू भी खा गये और काम भी नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : काम नहीं करना था तो....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी।

श्री नन्दलाल : खण्डन कर दो आप।

एक माननीय सदस्य : अपने-अपने स्थान से बोलें।

श्री नन्दलाल : दो-दो पूर्व मंत्री खड़े हैं, यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : खण्डन कर दो न, क्या दिक्कत है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लड्डू को लेकर यहां पर विवाद....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल : उन्होंने कही है। नये सदस्य है, वे पहली बार बोले हैं क्या दिक्कत है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की विधान सभा चल रही है; एक लड्डू को लेकर के....(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : सभापति महोदय; यह परसादीलाल जी जहां से बोल रहे हैं क्या यह स्थान है उनका ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलते समय अपने आसन पर बैठकर बोलिये।

श्री परसादी लाल : ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं।

श्री सभापति : ट्रेजरी बेंच पर भी ऐसा नियम है कि there are certain procedures of this House and we have to follow them. (Interruptions) Definitely you are sitting on the Treasury Bench.

श्री परसादी लाल : ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं....(व्यवधान).... लड्डू नहीं खाये तो खंडन करवा दो।

श्री सभापति : वह हो जाएगा।

श्री परसादी लाल : समय क्यों खराब कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : ना, ना, हो जाएगा लेकिन बोलते समय....(व्यवधान) प्लीज कृपलानी जी प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : आप इनको कहो यह अच्छी बात नहीं है।

श्री किरोड़ी लाल : आप तो उनको कहो कि अपनी सीट पर बैठें। माननीय सभापति जी, परसादी लाल जी को तो अपनी सीट पर भेजो। आपने आदेश दे दिया आपके आदेश की पालना नहीं कर रहे।

श्री सभापति : ऐसा है बैठना नहीं बैठना, यह उनका मामला है। केवल बोलते समय अपनी सीट से बोलना चाहिए, यह नियम है। सीट बदल सकते हैं। हां, बोलिये दायमा जी।

श्री महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, माननीय दायमा जी राज्यपाल महोदय की बातों के बारे में जो जिक्र कर रहे थे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हीं राज्यपाल महोदय की राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में कही गयी बातों पर अगर गौर किया गया होता तो माननीय दायमा जी....

श्री सभापति : यहां हाउस का नियम है कि पाइंट आफ आर्डर कहकर कोई सवाल उठाया जा सकता है। माननीय सदस्य ना तो कोई पाइंट आफ आर्डर कहते हैं। प्लीज दायमा जी।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा गया वो कतई सुन्दर नहीं है। और इसलिए सुन्दर नहीं है कि इसी तरह के अभिभाषण कई बार इस पवित्र सदन में रखे गये। जो यह अभिभाषण रखा गया है, इस अभिभाषण में और जो पहली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के समय की सरकार, उस अभिभाषण में मुझे कोई भी कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस आज 150 सीटें जीतकर आयी है, जिसके बल पर जीत कर आयी है, जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, युवा है, अल्पसंख्यक है इन चारों पांचों वर्गों के ऊपर इन्होंने

(श्री जगत सिंह दायमा)

कोई ऐसी बात नहीं रखी जो पहली सरकार से कोई भिन्न हो।

श्री अब्दुल अजीज (राज्य मंत्री, वक्फ): वो आपसे नाराज क्यों हुए ? इस पर गौर किया आपने।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी सहयोग दीजिए प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग पर जो पिछली सरकार में अत्याचार हुए, आज भी उसमें किसी तरह का कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। तो 150 जो सीटें जीती हैं उसमें दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग का एक तरह से बहुत बड़ा योगदान है परन्तु महामहिम राज्यपाल जी से जो यह अभिभाषण पढ़वाया इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसी व्यवस्था, जैसी पिछली सरकार की रही वैसी व्यवस्था आप कायम रखना चाहते हैं, तो फिर हमारे पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग में जो असन्तोष था वह असन्तोष कायम रहेगा।

सभापति महोदय, पचास साल की आजादी के बाद भी आज दलित वर्ग का व्यक्ति अगर अपने बच्चे की शादी करने जाता है, तो आज भी घोड़े पर चढ़कर अगर वह निकासी निकालता है तो पचास साल की आजादी के बाद, आज भी उसको घोड़े पर निकासी नहीं निकालने दी जाती है। यह व्यवस्था पिछली सरकार में भी थी। हमारे सैंकड़ों लोग, इससे प्रभावित हुए। दलित प्रभावित हुए। और इतने प्रभावित हुए कि अन्त में उनको अपना मुंह मोड़ना पड़ा। अदरवाइज तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि दलित वर्ग इनके साथ अपनी बेरुखी जताता।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हाई कोर्ट में जहां पर न्याय की पालना होती है, जहां न्याय की आशा होती है, उस हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। यह आपके हंसने की बात नहीं है। आपके समय में ही यह मनु की मूर्ति लगी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, वहां जो मनु की मूर्ति लगी हुई है वहां पर जब हमारे न्यायाधीश उस न्यायालय में जाते हैं, तो उसको धोक खाकर जाते हैं। मनु ने क्या किया यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह मनुवाद ही है जिसके कारण यह दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, जो 85 प्रतिशत वर्ग है वह आज अपनी छोटी-छोटी मांगों के लिए जूझ रहा है। आज उसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आज वह लाचार है, बेबस है। अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार सहन कर रहा है। यह मनुवाद ही है जिसने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया।

इसलिए, सभापति महोदय, हमने पहले भी संघर्ष किया है और आज भी हम इस बात की मांग करते हैं कि इसमें कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया कि आखिर

(श्री जमत सिंह दायमा)

मनु की मूर्ति को वहां लगाने का औचित्य क्या है। औचित्य क्या है मनु की मूर्ति को वहां लगाने का ? अगर कोई हमारे दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार होता है, एफ.आई. आर. दर्ज होती है, तो आज मनुवादी व्यवस्था ऐसी आ गयी है कि थाने में कमजोर केस बनाया जाता है। और हाई कोर्ट में जब वह अत्याचार करने वाले अपनी अग्रिम जमानत लगाते हैं तो उनकी अग्रिम जमानत मंजूर हो जाती है। यह मनु की मूर्ति के कारण ही ऐसा है क्योंकि उसकी धोक खाकर के, उसके दर्शन करके जज अपना फैसला सुनाते हैं।

इसलिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय में किया, उनके समय में और आपके समय में मुझे कोई अन्तर दिखाई नहीं दे रहा। आपके समय में भी नाथद्वारा जी के मन्दिर में दलितों को जाने का कोई किसी तरह का मौका नहीं मिला। उनको इस तरह का कोई एक भी अवसर नहीं मिला। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में भी यही हुआ।

सभापति महोदय, जब आज यह हालत हो रही है तो किस तरह से धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं भी अपना धन्यवाद दूं। सभापति महोदय, यही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी हक नहीं मिल रहा है। नौकरियों में आरक्षण 21 प्रतिशत हमने दिया, रोस्टर प्रणाली जो आज मैं कह रहा था उसका हवाला शांति से मैं देना चाहता हूं। रोस्टर प्रणाली बनायी गयी। माननीय चतुर्वेदी साहब, अबकी बार तो वह जीतकर नहीं आये परन्तु माननीय चतुर्वेदी साहब को उस रोस्टर प्रणाली का अध्यक्ष बनाया और उन्होंने रोस्टर प्रणाली बनायी।

सभापति महोदय, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किस तरह से इन्होंने रोस्टर प्रणाली में इस तरह का कार्य किया कि ओ.बी.सी. को छठे नम्बर पर रख दिया। अब आप जब मुझ से उलटी सुलटी बातें कर रहे थे, अब पूरे सदन में इस बात को कहना चाहता हूं कि छठे नम्बर पर ओ.बी. सी. को रखा है अब। पहले सौ जगह निकलती थी मान लीजिये विश्वविद्यालय में या कालेज में। गवर्नमेंट कालेज में 100 लैक्चरर की जगह निकलती थी तो आज अगर 21 प्रतिशत हमें आरक्षण मिला है तो इक्कीस व्यक्ति हमारे चुने हुए होने चाहिए नौकरी के लिए। सभापति महोदय, होता क्या है कि पहले सौ जगह निकलती थी, अब यह बहुत चतुर हो गये हैं। अब क्या करते हैं अब दो निकाल दी फिजिक्स की, चार निकाल दी जियोलोजी की, तीन निकाल दी केमेस्ट्री की, पांच निकाल दी हिन्दी की। सभापति महोदय, इस तरह से छठी का नम्बर ही नहीं आता कभी और आप यों कहते हैं कि 21 प्रतिशत आरक्षण है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो मुझे यह बताएं कि अगर ग्यारह स्थान निकलते हैं तो ग्यारह स्थान में से पिछड़े वर्ग का एक ही आदमी चयनित होकर आता है। फिर हम अगर यहां अपनी बात रखते हैं तो मनुवादी पक्ष के मुझे

(श्री जगत सिंह दायमा)

कहते हैं कि बैठ जाइये और जब मैं ऐसा कहता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते आप बैठ जाइये। मैंने अगर किसी माननीय सदस्य को या इसको क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे कह रहे हैं कि बैठ जाइये तो मैंने भी कह दिया कि आप बैठ जाइये। कोई असंसदीय लैंग्वेज मैंने कहीं भी नहीं अपनायी है.... और मैंने यही कहा कि मैं अपनी बात कह रहा हूं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ वर्ग को 21 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आप उठाकर देख लीजिए जितनी नौकरियां निकली हैं, उसमें कहीं दो कहीं तीन स्थान कर करके, और हमें छोड़ दिया जाता है। हमें आरक्षण देने का औचित्य क्या हुआ? इसलिए हम कह रहे थे माननीय सभापति महोदय, हमारी मांग है कि ओ.बी.सी. को हमें 21 परसेन्ट आरक्षण, होना तो यह चाहिये था कि जिस तरह से सेन्टर में 27 परसेण्ट दिया उसी तरीके से 27 परसेन्ट हमें राजस्थान में मिलना चाहिये। परन्तु 21 परसेन्ट हुआ वह 21 परसेन्ट भी नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेसी भाइयों से, इन सम्माननीय सदस्यों से, कि आप राजी मत होओ कि आप डेढ़ सौ जीत गये हो। अब मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है। आज माननीय कांशीरामजी ने दस्तक दे दी है। इस राजस्थान में दलित वर्ग में, पिछड़े वर्ग में और अल्पसंख्यक वर्ग में एकता कायम हो गयी। इसलिए वह दिन दूर नहीं, हम तो यह चाहते थे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दलित वर्ग को अपने काबू में किया, धर्म के आडम्बर में जकड़कर एक तरह से अपने साथ रख रहे थे। हमें बड़ा दुख था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आडम्बर रचाकर दलित वर्ग को अपने साथ रखे हुए है, यह किस तरह से हटे। हमें मालूम था एक डेढ़ साल से बी.एस.पी. का कार्य यहां शुरू हुआ है। हमें मालूम था कि हम अभी इतनी बड़ी शक्ति नहीं बने; इसलिए माननीय कांशीरामजी साहब राजस्थान में आये और उन्होंने कहा कि पहले इधर से तो दलित वर्ग को हटा दिया जाये। इसलिए आप राजी मत होइये। आपने तो कुछ किया ही नहीं सौ डेढ़ सौ मीटिंग अगर इस दलित वर्ग को चेताने के लिये की तो हमने की। आपने क्या किया? दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अगर कार्य किया तो हमने किया है। माननीय कांशीरामजी की पार्टी बी.एस.पी. ने किया है।

सभापति महोदय, मुझे शर्म आती है यह बात कहते हुए कि जब यह देश आजाद हो रहा था उस वक्त लाल किले पर खड़े होकर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार बल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने यह कहा, हे अल्पसंख्यक लोगों, हे मुसलमान भाईयों, इस देश को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह देश आपका देश है। आपकी जान की, माल की रक्षा होगी और आपको बराबर का हक दिया जायेगा।

श्री अब्दुल अजीज : यू.पी. में क्या किया कांशीरामजी ने मालूम है आपको बी.जे.पी. के साथ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप बैठिये। आपको बताता हूं। आप तो यूं ही काम करते रहो और +++ आपको मैं बात कर रहा हूं। आप कहां थे जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहे थे।

श्री सभापति : प्लीज, आप जारी रखिये।

श्री अब्दुल अजीज : भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना कर डुबो दिया आपने।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय उन्होंने कहा था कि हम रक्षा करेंगे, परन्तु कोई रक्षा नहीं हो सकी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : असंसदीय शब्द को निकलवा दीजिए। इन्होंने कहा है +++ इस शब्द को हटा दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई रक्षा नहीं हो सकी और आज ... (व्यवधान).... जब देश आजाद नहीं था, सभापति महोदय....

श्री सभापति : प्लीज, ओवर योवर स्पीच।

श्री जगत सिंह दायमा : दो मिनट।

सभापति महोदय, यह हमारा पहला-पहला समय है। इस पार्टी का उदय हुआ है इसलिए आप मनुवादी व्यवस्था बनायें, आपकी मर्जी है। ऐसी परम्परा हटा देनी चाहिये। सदस्य, सब सदस्य बराबर। अगर सब सदस्यों को समय दिया है तो सभापति महोदय पांच मिनट और दे दो मुझको।

इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब इसकी नौकरियों में संख्या 33 परसेन्ट थी। 33 परसेन्ट नौकरियों में संख्या थी। परन्तु आज अगर हम इसका सर्वेक्षण करवायें तो मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि जिसके बलबूते पर आप जीत करके आये हो, आपका राज चालीस साल रहा है। चालीस साल का आपका राज रहा है। यह तो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो ओपन कहते हैं, इनकी तो लड़ाई ओपन है। मुसलमान का दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। परन्तु कांग्रेस वालों, आप क्या करते हो?

मैं आपको कहना चाहता हूं कि चालीस साल के राज में जो 33 परसेन्ट नफरी थी, मैं आपको कहना चाहता हूं साथी मंत्री महोदय आज उसकी संख्या डेढ़ या दो परसेन्ट है। यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इसमें कांग्रेस का भी बड़ा साझा है ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं....

श्री अब्दुल अजीज : आप मेरी बात सुनिये। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ–साफ लिखा है कि सबको सन्तुष्ट किया जायेगा। बंद करवायें इनको।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय पिछली बार इबादत करने..(व्यवधान)

श्री सभापति : बन्द कर रहे हैं। दो मिनट और हैं इनके। प्लीज दो मिनट में पूरा कर दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल गहलोत : कांग्रेस को मुसलमानो ने वोट दिया तभी तो कांग्रेस इतनी सीटों पर आयी है।

श्री जगत सिंह दायमा : पिछली बार शास्त्रीनगर में कब्रिस्तान पर इबादत करने जाते हुए लोगों को बिना चेतावनी दिये, बिना अश्रु गैस छोड़े, बिना लाठी चार्ज किये, बिना कुछ किये गोली से भुनवा दिया और 6 लोग मारे गये और कम से कम डेढ़ सौ मुसलमान भाई घायल हुए जिनको देखने मैं खुद गया हूं।

श्री अब्दुल अजीज : यह मगरमच्छ के आंसू है आपके। अगर आप वहां होते तो पोंछते, आप कुछ करते वहां पर। फालतू मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं आप।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए मैं कहना चाहता हूं ..(व्यवधान)...भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काट दिया गया। सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। कांग्रेस वाले भाइयों, आपकी संख्या छोटी–मोटी नहीं थी, 85 थे। इस घटना के बाद में पानी की दर बढ़ गयी। उसके ऊपर तो धरना दे दिया परन्तु जिसके बलबूते पर आपने चालीस साल राज किया, जिसके बलबूते पर आप राज में फिर लौटे हो, उसके लिए आपने धरना भी नहीं दिया। एक भाषण दे दिया। कह दिया, बस इनको एक लाख मुआवजा दे दिया जाये।

श्री सभापति : दायमा साहब प्लीज ओवर। प्लीज ओवर।

श्री जगत सिंह दायमा : खतम कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के भाइयों को कहना चाहता हूं कि 85 की संख्या आपकी थी। आपने ऐसा क्यों होने दिया। जिस दिन 85 की संख्या बी. एस. पी. की होगी और हम विपक्ष में बैठेंगे, उस दिन मैं कहता हूं कि कौनसी माई के लाल की सरकार यह हिम्मत रखेगा कि वह मुसलमान भाइयों को गोली से उड़ा करके, 6 को हलाल कर देंगे। हम 85 रहेंगे उस दिन हम इस तरह का कार्य नहीं होने देंगे। आपने विपक्ष का कार्य भी नहीं किया। परन्तु आज हम दो हैं इसमें मेरे कुछ जुझारू साथी जरूर हैं। उन साथियों को छोड़ कर आज भी हम

(श्री जगत सिंह दायमा)

दो-दो सौ के बराबर हैं ऐसा कहा जाता रहा है।

श्री सभापति : आप विराजिये प्लीज। दायमा साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : समय आ गया है कि अब बी.एस.पी. ने दस्तक दे दी है राजस्थान के अन्दर। अब हम देखते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भाई को घोड़े पर से उतार करके उसको शादी करने नहीं जाने देता। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आज मन्दिर में नहीं जाने देते। समय समय पर हम इस सदन में दलित वर्ग के अत्याचार की बात उठायेंगे और आज आप इस व्यवस्था को बदलिये। (व्यवधान) अगर आपकी भी यह व्यवस्था पिछली सरकार की तरह चलती रही, आपके समय में भी दलितों पर अत्याचार होते रहे, पिछड़ों पर अत्याचार होते रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है इस व्यवस्था से।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, डर नाम की कोई चीज पिछली बार नहीं थी। राज में डर होता है। परन्तु डर नाम की कोई चीज पिछली व्यवस्था में नहीं थी। आज भी वैसी ही व्यवस्था है।

श्री सभापति : आप विराजें। माननीय आप विराज जायें। 10 मिनट ज्यादा ले लिये। ओवर कीजिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : बहरोड़ में मेरे एक दलित वर्ग, जिसकी लड़की दसवी में पढ़ती है, मैं माननीय चन्दनमलजी बैद साहब को कहना चाहता हूं दसवी में लड़की पढ़ती है। 14 साल की 15 साल की दो लड़कों ने सरसों में आकर चाकू दिखा कर बलात्कार कर दिया। आज दलित वर्ग के साथ में यह अन्याय हो रहा है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कांग्रेस वालों डेढ़ सौ सीट आपको जिता कर के इस जनता ने भेजा है। इसलिए आपको भी अपने कान, नाक और आंख खोलनी चाहिए। अगर आपने नहीं खोली तो यह तो 33 आ गये, परन्तु आप 3 आओगे कभी। मैं कहना चाहता हूं कि अब यह व्यवस्था है, तो मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय दो घण्टे और बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय संसदीय मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि सदन का समय दो घण्टे तक बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र सिंह जी चौधरी।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपके फैसले के विरोध में बहिर्गमन करता हूं। इसलिये बहिर्गमन करता हूं कि आपने दो निर्दलियों को समय दे दिया।

श्री सभापति : इसके बाद देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपके रहमो करम पर नहीं हूं। बी.एस.पी. को, जनता दल को दिया और सी.पी.एम. को समय दिया। मैं आपकी मेहरबानी से नहीं आया हूं। किसी की मेहरबानी से नहीं आया हूं। आपके अन्यायस्वरूप फैसले के खिलाफ मैं बहिर्गमन करता हूं।

श्री सभापति : ऐसा है, समय के बंटवारे के अनुसार जगमाल सिंहजी, आपको भी समय दिया जाएगा। अब तो विराजिये आप। आज दिया जाएगा। निश्चित तौर से दिया जाएगा। विराजो आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं किसी की मेहरबानी से नहीं आया हूं।

श्री सभापति : नहीं नहीं, मेहरबानी नहीं है। आप अध्यक्ष हैं पार्टी के। विराजें दो मिनट। अब देंगे इसके बाद। माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब। उसके बाद दे देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपके रहमो करम पर नहीं हूं।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है। दे दिया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा समय कितना दिया पांच मिनट दिया, अलाट किया, उसको आपने....

श्री सभापति : दिया जाएगा, आज ही दिया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं बहिर्गमन करता हूं।

श्री सभापति : दो घण्टा बढ़ा है, आज ही दिया जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : इनको पहले बुला दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कोई बात हुई?

श्री सभापति : आधे घंटे के बाद आप को समय दिया जा रहा है। बैठिये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनको पहले बुला दो, यह जाना चाहते हैं। इनको पहले बुला दो।

श्री सभापति : मैंने नाम पुकार लिया है। जगमाल सिंहजी मैंने नाम पुकार लिया है। इसके बाद आपको मिलेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने निवेदन किया आप यह समझ रहे हो कि मैं आपके रहमोकरम पर आया हूं....

श्री सभापति : आप रहमो करम पर नहीं आए हैं। शासन की जैसी व्यवस्था थी जिस तरह का माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देश दिया उसी क्रम में मैंने राजेन्द्र सिंहजी को पुकारा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपके फैसले के खिलाफ बहिर्गमन करता हूं।

श्री सभापति : फिर भी आपकी भावनाओं को देखते हुए इनके बाद आपको बोलने का टाइम दिया जाएगा। बिराजिये आप। माननीय राजेन्द्र सिंहजी। इनके बाद आपको टाइम दिया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, शासन मुझे समय देगा तो कोई मुझ पर रहम करेगा ?

श्री सभापति : रहम की बात नहीं है। इसके बाद दिया जाएगा। आप बिराजिये। प्लीज, धैर्य तो रखिये। इसके बाद में नाम पुकार लिया है। आप पहले कह देते। आप कहीं जा रहे हैं क्या ? तो वह अलग बात है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं, जाने दो इनको।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र सिंह जी। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझसे ही सौतेला व्यवहार क्यों है ? सी.पी.एम. को कल व्यवस्था दी आपने। मैं आसन से कह रहा हूं। आपने जनता दल को समय दिया है और मेरा एक ही माननीय सदस्य था सी.पी.एम. का....कल आपने दी व्यवस्था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनको बोलने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंह जी, मैंने कहा मैंने नाम पुकार लिया है। जस्ट राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ के बाद आपका नाम पुकारा जाएगा। माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, पिछले दो दिनों से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर.... (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप लोगों की बड़ी पार्टी है। आप लोगों का यह भी नार्म्स होना चाहिये....

श्री सभापति : नाम पुकारने के बाद क्रम नहीं बिगड़ता। प्लीज मुझे जैसा...

श्री जगमाल सिंह यादव : जिन पार्टी के एक-एक सदस्य हैं, उनको दो मिनट में ही बोलने का, तीन दिन में आप दो मिनट नहीं दे सकते।

श्री सभापति : तो हम ले रहे हैं इनका नाम। जस्ट 15 मिनट ही तो बोल रहे हैं यह। माननीय राजेन्द्र सिंहजी। माननीय हरिसिंहजी, प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, मैं जानकारी चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अब कितना समय और रह गया है।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंहजी, मुझे अध्यक्ष महोदय जैसा निर्देश देकर गये हैं उसी क्रम में पुकारा है। लेकिन जगमाल सिंहजी को जस्ट इनके बाद बोलने दिया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : रहमो करम से दोगे क्या ?

श्री सभापति : रहमो करम नहीं है। हम कह रहे हैं आपको जस्ट इनके बाद चांस मिलेगा। प्लीज सहयोग कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पिछले दो दिनों से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में सत्ता पक्ष के 9 माननीय सदस्यों ने भाग लिया....

श्री किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, लम्बे आदमी विधान सभा में जितने भी हैं, बड़ी दिक्कत आती है। माइक तो रहते हैं यहां तक और हम ऊपर निकल गये। हमारे माइकों को ऊंचा करवा दिया जाए तो ठीक रहेगा, हमें बड़ी दिक्कत आती है।

श्री सभापति : ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी लम्बाई के अनुसार, यदि संभव हुआ तो। अब विराजिये आप किरोड़ी लालजी।

श्री किरोड़ी लाल : हो जाएगी ना।

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सत्ता पक्ष के 9 माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण में भाग लिया और लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद अपनी बात सदन में रखी।

सभापति महोदय, मैं तो सोच रहा था कि 8 साल के वनवास के बाद यह पार्टी सरकार बनाकर आयी है। जनता ने जनादेश दिया है। जनादेश शिरोधार्य भी है। सभापति महोदय, मैं सोच रहा था कि इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार चलाने वाले लोगों की मंशा क्या है इच्छा शक्ति क्या है, क्या रीति है, क्या नीति है, क्या दर्शन है, उस पर चर्चा होगी। परन्तु अफसोस, यह अभिभाषण जो 22 पृष्ठ और 82 अनुच्छेद का है, अगर इसको पूरा पढ़ा जाए तो यह लगता है कि 1952 के बाद जब से इस पवित्र सदन का गठन हुआ है, सबसे मर्यादाहीन मिथ्या और +++

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का पुलिन्दा अगर किसी को कहा जा सकता है तो, सभापति महोदय, इस अभिभाषण को कहा जा सकता है। इस अभिभाषण में...

श्री खेत सिंह राठौड़ : +++ शब्द का प्रयोग मत कीजिये। +++ नहीं, असत्य कहिये।

श्री सभापति : +++ शब्द निकाल दिया जाए। असत्य कहिये। एक्सपंज किया जाता है +++ शब्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस अभिभाषण में कहीं सरकार की इच्छा शक्ति नहीं झलकती। नये मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री पद पर आसीन होते ही कहा था सरकार पारदर्शी रहेगी। सरकार संवेदनशील रहेगी और सरकार मितव्ययी रहेगी। मैं समझता हूं मितव्ययता का पहला कार्य करने से वह चूक गये। इस अभिभाषण को 22 पृष्ठों और 82 अनुच्छेदों में छपवाने की आवश्यकता नहीं थी। यह मात्र दो ही पृष्ठ में और इसमें कुछ ही अनुच्छेद होते। क्योंकि इस अभिभाषण में उन 22 निर्णयों का उल्लेख किया है, 22 वह फैसले हैं जिनका क्रियान्वयन पूर्ववर्ती सरकार ने प्रारम्भ कर दिया था, व कई फैसलों का पूर्व क्रियान्वयन भी कर दिया था।

सभापति महोदय, सरकार से बाहर रहकर घोषणा पत्र बनाना बड़ा आसान है और इस बार यह सरकार राजस्थान में जनादेश तो लेकर आयी है, पर जनता को छलकर आयी है। जनता को जाति के टुकड़ों में बांटकर यह सरकार जनता को भ्रमित करके आयी है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम विधान सभा का चुनाव लड़ रहे थे। एक पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया था। और उसमें अध्यक्षजी की तस्वीर, और किसान की बारी है, राजस्थान के किसान ने सोचा था कि वास्तव में इस बार किसान की बारी होगी, परन्तु सभापति महोदय, राजस्थान के किसानों के साथ छलावा, परसरामजी मदेरणा के नाम से वोट बटोरने वाली यह कांग्रेस जिस भी जाति के अन्दर गयी, उसी जाति का मुख्य मंत्री बनाती चली गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह भी तो किसान हैं। गहलोतजी भी एक किसान हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहीं जाकर कह दिया कि नवल किशोरजी मुख्य मंत्री बनेंगे, कहीं जाकर कह दिया कि पायलट साहब मुख्य मंत्री बनेंगे, कहीं जाकर यह कह दिया कि अशोक गहलोत मुख्य मंत्री बनेंगे। समाज और जनता को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटकर यह सरकार सत्ता में आयी है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, प्याज के दाम पर चढ़कर आयी यह सरकार, इस सरकार की थोथी घोषणाएं इस अल्प समय के अन्दर ही उस तरह ही उतर रही है जिस तरह प्याज के ऊपर से छिलके उतरते हैं। सभापति महोदय, प्याज के ऊपर से छिलके उतरने जब प्रारम्भ हो जाते हैं और छिलके जब उतर जाते हैं तो बाद में माननीय सदस्य, शून्य बचता है। इस सरकार का हश्र भी यही होने वाला है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कुशासन है। मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है।

परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं इतने घमंडी भी मत होओ। घमंड रावण का भी नहीं चला था। आप याद करें, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, अच्छा मुस्करा रहे हो। परन्तु 1977 में जनता पार्टी के प्रचंड तूफान पर चढ़कर यहां जनता पार्टी का शासन बना, लोगों ने पहली बार गैर कांग्रेसवाद पर चलकर कांग्रेस को शिकस्त दी थी। 140 सदस्य इधर बैठे थे। परन्तु 1980 में क्या हुआ? वह 140 सदस्य सिमटकर 34 रह गये इसलिये कहीं आप यह सोचें इस लोकतंत्र के अन्दर सत्ता आपके पास आ गयी, शासन आपके पास आ गया, तो कोई हमेशा के लिये शासन आ गया, इसको भूल जाएं। और किस तरह की पारदर्शिता दे रहे हैं? सभापति महोदय, घोषणा पत्र में छपवा दिया कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। एक हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे, हम नये-नये काम धन्धे स्वीकृत करेंगे। परंतु वित्तमंत्री जी बैठे हैं, वित्त मंत्रीजी ने कहा कि मेरा एक हाथ तो जनता की जेब में रहेगा।

(17.00 बजे)

शासन हमने भी किया था। और मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस श्वेत पत्र को आधार बिन्दु बनाकर कांग्रेस पार्टी बार-बार कहती आ रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है, श्वेत पत्र जारी करेंगे। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी, अब देरी क्यों है? श्वेत पत्र जारी करें ना। और श्वेत पत्र जारी करके राजस्थान की जनता को यह बतायें कि कितनी परिसंपत्तियां हमने अर्जित की हैं। सात पंचवर्षीय योजना बनी आपके कार्यकाल में, सातों पंचवर्षीय योजना लगभग 7225 करोड़ की बनी और आठवीं पंचवर्षीय योजना बनी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन, भैरोंसिंह शेखावत का शासन, आठवीं पंचवर्षीय योजना 12 हजार करोड़ की बनी। नवीं पंचवर्षीय योजना साढ़े 27 हजार करोड़ की बनी। अब इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जब हमने संकल्प लिया कि हम राजस्थान में गांव की तस्वीर को बदलेंगे। राजस्थान में कोई ऐसा ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं बचेगा जिसको सड़क से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं बचेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में जिक्र किया है कि हम एक हजार की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक हजार से अधिक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने का फैसला कब हुआ? आपने इसमें कहा है कि हम हर ग्राम पंचायत के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो यहां बैठे हैं, यह फैसला हमने 1997 में कर लिया। राजस्थान में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर दिया। आपने इसमें कहा है कि हम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों में लेकर जायेंगे। सभापति महोदय, यह फैसला पहले हो चुका है। 1998 में फैसला कर लिया, राजस्थान में आज कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद सेवाएं या यूनानी की कोई न कोई इकाई स्थापित न हो। बाइज फैसले हुए हैं जो फैसले पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिये।

सभापति महोदय, अब इन्होंने कहा कि हमने कर्जा लिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, कि इस पूरे देश के अंदर क्या कोई ऐसी सरकार है हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी सूबे में, जो कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था को नहीं अपना रही है। आवश्यकता इस बात की है कि जो कर्जा लिया, उस कर्जे से हमने परिसम्पत्तियां कितनी अर्जित की।

सभापति महोदय, यहां कई चर्चाएं चली। यहां चर्चाएं चली कि राजस्थान को हमने पिछड़ा रख दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 40 साल का कांग्रेस का शासन, लंबा शासन 1952 से लेकर 1990 तक, बीच में दो-ढाई वर्ष को छोड़ दें, कांग्रेस का शासन रहा। इन्होंने सड़कों का निर्माण किया 45799 किलोमीटर और 8 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने सड़कों का निर्माण किया 38188 किलोमीटर। 40 वर्ष राज करने वाली कांग्रेस पार्टी राजस्थान की बहबूदी की बात करती है। बात करना बहुत आसान है परन्तु यथार्थ में काम करना बड़ा मुश्किल है। इस सदन में आरोप लगा दिया कि राजस्थान के अन्दर हमने औद्योगिक वातावरण को खराब कर दिया..।

श्री महेश जोशी : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : कृपया क्या कहना चाह रहे हैं? हां बोलिये।

श्री महेश जोशी (किशनपोल) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने मेरे मुस्कराने पर प्रतिबंध लगा दिया तो मैं पहले एक बार इनसे आज्ञा

(श्री महेश जोशी)

चाहता हूं कि मैं मुस्करा लूं या नहीं मुस्कराऊं। और दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनके दिये हुए आंकड़े आंकड़ों के मामले में गलत है।

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है, प्लीज।

श्री महेश जोशी : व्यवस्था का प्रश्न तो..मुस्करा सकूं।

श्री सभापति : यह सवाल-जवाब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अगर ये आंकड़े माननीय सदस्य गलत मानते हैं, तो माननीय सदस्य आपको भी मौका मिलेगा, आप सिद्ध कर देना। मैं ये कपोल कल्पित आंकड़े नहीं लेकर आया हूं।

श्री नन्दलाल (दौसा) : राजकीय चिकित्सालय दौसा का तो अब तक आपने कुछ नहीं किया। जिला तो बना दिया बी.जे.पी. सरकार ने, राजकीय चिकित्सालय में क्या किया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विराजें। अच्छा रहे आप उस चिकित्सालय की चर्चा नहीं करें वरना आपकी और दूसरी पोलें सामने आ जायेंगी।

श्री सभापति : प्लीज राठौड़ साहब, अब आपका डायरेक्शन इधर ही रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यहां आरोप लगाया कि हमने राजस्थान का औद्योगिक वातावरण बिगाड़ दिया। राजस्थान के अन्दर लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों में जो इन्वेस्टमेंट एन.आर.आई. और दूसरे लोगों के माध्यम से होने वाला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुशासन में वह सारा इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 40 वर्ष के कांग्रेस के शासन में जो मध्यम और लघु उद्योग स्थापित हुए, वे 287 थे। और 8 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शानदार शासन में जो मध्यम और लघु उद्योग स्थापित हुए, वे 244 हैं। और इन पर जो खर्च हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हुआ वह 10510 करोड़ रुपये है।

सभापति महोदय, कहने को चाहे कुछ भी कहें, परन्तु राजस्थान के अंदर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजस्थान में विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए छलांग लगायी है, तो इसी शासन में लगायी है। आज लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य कई बातें कह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य आप ही कहा करते थे कि हमारे शासन काल के अंदर जिस गति से काम हुआ, उससे तेज गति से कई क्षेत्रों में आपके शासनकाल में काम हुआ। अब स्थिति बदल गयी परन्तु कम से कम सच्चाई को तो सच्चाई कहें।

श्री परसादी लाल : आपके लिए तो नहीं कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज किसी भी राज्य में...

श्री रतनलाल ताम्बी : सच्चाई यह है कि आपके शासन काल में जो पहले की गवर्नमेंट ने सफाखाने खोले वह आपने बंद किये। हमारे यहां एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। क्या प्रगति की आपने ? कुछ नहीं किया आपने। यह आंकड़ेबाजी करके राजस्थान की जनता से छलावा किया इससे जनादेश आपके खिलाफ गया।

श्री सभापति : विराजिये, तांबी साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसानों के हितचिंतक हो आप। किसानों के हिमायती। अगर सबसे कम कृषि पर व्यय हुआ है तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 200 करोड़ और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1200 करोड़। राज्य की जर्जर आर्थिक स्थिति के बारे में भाषण देना आसान है, परन्तु कांग्रेस के मित्र यह भूल जाते हैं कि किसी भी राज्य कि आर्थिक स्थिति क्या है, किस स्थान पर खड़ी है, इसका पैमाना है उस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद।

सभापति महोदय, 1992–93 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद 36457 करोड़ था तो 1997–98 में बढ़कर 524-81 करोड़ हुआ। और प्रति व्यक्ति आय जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1716 रुपये थी, आठवीं में बढ़कर 2247 रुपये हुई। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गयी। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ गया। परन्तु चूंकि कुछ करना नहीं है, एक बहाना चाहिए कि आर्थिक स्थिति डांवाडोल है, खजाना खाली है इसलिए इस तरह की मनगढंत बातें जनता के सामने रख दीं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार यह बात कही गयी कि हमने ऋण लिया। मैं समझता हूं जिस श्वेत पत्र को जारी करने की इच्छा वित्त मंत्री जी की है, उसके पीछे दो मंतव्य रहेंगे। हमने बहुत ज्यादा ऋण के भार से राज्य को लाद दिया। और ऋण नहीं लेना, हमने बहुत ज्यादा करों से जनता को लाद दिया। और तीसरा मंतव्य यह रहेगा कि शायद जिस महत्ती पंचवर्षीय योजना को भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनाया गया, उस योजना को छोटा करना।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो कहते हैं कि ऋण से लाद दिया। परन्तु इसी अभिभाषण में अनुच्छेद 45 पर आप खुद कह रहे हैं, अधूरी सिंचाई परियोजना आर.आई.डी.एफ. के तहत नाबार्ड से ऋण लिया गया। अनुच्छेद 46 में कह रहे हैं कि 1800 करोड़ रुपये राजस्थान में जल संधनन परियोजना के लिए ऋण लेने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। और इसी अनुच्छेद में कह रहे हैं कि सिद्धमुख परियोजना के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय से ऋण लिया जाएगा। इसी अनुच्छेद 71 में कह रहे हैं, कथनी और करनी में कितना अंतर है, बाहर रहकर थोथी बातें कहना बड़ा आसान है परन्तु सरकार में रहकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस इच्छाशक्ति को आपने जनता के सामने रखा, जिस घोषणापत्र को आप बाइबल कहते हैं, कभी गीता कहते हैं, उस घोषणा-पत्र को उसी तरह अमल करेंगे तब हम मानेंगे कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अनुच्छेद 71 में इसी अभि-भाषण में कहते हैं कि एशियन डवलपमेंट बैंक से नगरीय विकास संस्थाओं के लिए ऋण लिया जाएगा।

सभापति महोदय; घोषणा करना बहुत आसान है, यह कह दिया कि हमने सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष घटा कर कम कर दी और दूसरी तरफ कह दिया कि एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रख दिया। बेरोजगारों को रोजगार देंगे और किशन-पोल से आने वाले माननीय सदस्य खास तौर पर चुनाव के दौरान भाषण दिया, बेरोजगारों, आप अपना नाम बता दो, पता बता दो, हमारी सरकार आ जाएगी और रोजगार की चिट्ठी आपके घर पर पहुंच जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 12 सौ करोड़ रुपये कहां से आएंगे? क्या व्यवस्था की है? हमारी सरकार पर तो आरोप लगा दिया कि हमने चुंगी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई, परन्तु कृपया आप इस पारदर्शी सरकार में हैं, तो बताएं कि यह 12 सौ करोड़ रुपए कहां से आएंगे?

सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था की बात यहां चली। मैं समझता हूं कि इस सर्वोच्च सदन में बैठकर हम लोगों को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या कारण है कि निरंतर सामाजिक और नैतिक मूल्य टूटते जा रहे हैं। अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सभापति महोदय, सरकार बदलने से कोई अपराध रुक जाए, यह सम्भव नहीं है। इसके लिए तो वातावरण निर्माण की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष दिसम्बर माह में राजस्थान राज्य में एक महीने के अंदर जितनी हत्याएं हुई हैं, इस वर्ष इसी माह में साढ़े सात प्रतिशत ज्यादा हत्याएं हुई हैं। पिछले वर्ष जितनी डकैतियां डली, उसमें 9 प्रतिशत ज्यादा डकैतियां इसी एक महीने की तुलना में डली।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना कि कानून और व्यवस्था बिगड़ गई, महिला उत्पीड़न बढ़ गए, आसान बहुत है। पर वस्तुस्थिति; जिस तरह लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं, एक समग्र चिंतन की आवश्यकता है, इस बात पर।

(17.14 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इसी अभिभाषण के अनुच्छेद 32-33 पर परिवार कल्याण की बात कही गई है। झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने सही चिंता व्यक्त की है। सबसे ज्यादा अगर समस्या कोई है देश और प्रदेश में तो वह बढ़ती हुई जन-संख्या है। आज हमारे देश में डेढ़ सैकण्ड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। एक मिनट में 40 बच्चे इस देश में आ रहे हैं, एक घण्टे में तीन हजार नए मेहमान इस देश को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धरती पर आते हैं और सुबह से शाम हो जाए, 24 घण्टे में 72 हजार बच्चे इस देश की धरती पर आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर 14 लाख लोग प्रति वर्ष जनसंख्या में जुड़ते जा रहे हैं और इस पूरे विषय पर मात्र एक ही बात कह दी कि हम उदासीनता को तोड़ेंगे और एक कार्यक्रम भी दिया है। 32वें और 33वें अनुच्छेद में परिवार कल्याण की बात कही है कि हम ग्रामीण स्तर पर.....।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : 5 वर्ष तक आप अच्छे काम करते तो 14 लाख की बजाय यह संख्या 5 लाख भी हो सकती थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप करके बताना जरा। मैं बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 32-33 में इन्होंने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर माइक्रो प्लानिंग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय बहुत पहले 1997 में हो चुका है। आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक गांव में कितने एलिजिबल कपल्स हैं, किस तरह के परिवार नियोजन के साधनों को वे चाहते हैं, इसका आकलन किया जा चुका है पहले ही। यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हमने 200 की सामान्य जनसंख्या पर और 150 की अनुसूचित जनजाति की संख्या पर एक विद्यालय खोलेंगे। यह बात बहुत जोर से इस अभिभाषण के अनुच्छेद 38 में लिखी है पर यह काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा कर लिया।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा झुन्झनूं से आने वाली माननीय सदस्या को, इन्होंने एक बात कही कि सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना जिसके बारे में इस अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, यह इस सरकार की देन है या पूर्ववर्ती सरकार की देन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें देखते हुए इस सरकार ने और कुछ किया है या नहीं किया है, परंतु एक तोहफा जरूर दे दिया है, राजस्थान परमाणु बिजली घर से राजस्थान सरकार को जो बिजली चौंसठ पैसे में मिलती थी, पिछले दिनों समझौता करके उसको एक रुपया, दो रुपया नौ पैसे में समझौता कर लिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सर्वोच्च सदन में आए हैं, हमें राजस्थान की सारी तस्वीर को सामने रखकर चिंतन करना चाहिए कि राजस्थान कहां खड़ा है। कुछ इस तरह के विषय हैं जिन पर सरकार को खुले मन से विचार करना चाहिए। जिस तरह से मैंने बढ़ती हुई जनसंख्या की बात कही, जिस तरह से राजस्थान के अंदर साढ़े नौ लाख लोग अपनी आंखों से जमाना नहीं देख सकते, उनमें से सात लाख लोग ऐसे हैं जिनका मोतियाबिंद का आपरेशन हो जाए तो वे जमाना देख सकते हैं, उनकी चिंता करनी चाहिए। हमें उन साढे सात लाख लोगों की भी चिंता करनी चाहिए जो तपेदिक रोग के रोगी बन गए, उससे ग्रसित हैं और जिनमें से सवा लाख लोग उस रोग को फैलाने का काम करते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं समझता हूं कि बात कहना बहुत आसान है परंतु उस कथनी और करनी में अन्तर सरकार का स्पष्टतया सामने दिख रहा है। यदि सरकार की इसी तरह की नीति और नीयत रही तो वह दिन दूर नहीं, इनकी कलाई तो पहले ही बहुत तेजी से खुल रही है। राजस्थान की जनता ने जिस मान और सम्मान से, जिस आशा और विश्वास के साथ इस सर्वोच्च सदन में 150 की संख्या में चुनकर भेजा है, वह सिमट कर बहुत कम रह जाएगी। इसलिए इस अभिभाषण को, जो तथ्यों से परे है, जिस अभिभाषण में न दिशा है, जिस अभिभाषण में राजस्थान किस दिशा में जाएगा, किस दशा में जाएगा, न नीति है, न दर्शन है, उसका मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय कि मेहरबानी तो हुई। अध्यक्षजी, राज्यपाल ने जो अभिभाषण यहां सदन में पढ़ा और महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिसको रखा, प्रस्तावित किया, मैं उसके ना तो समर्थन में बोल रहा हूं और न ही विरोध में बोल रहा हूं। जो सत्य होगा, मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सदन में राम भक्तों को बड़ी वेदना है।(व्यवधान) पब्लिसिटी तो मैं बहुत पा चुका हूं, राम भक्तों को इस सदन में बड़ी वेदना है और यह कह रहे हैं कि हमने सारे काम अच्छे किए थे। पूर्व शिक्षा मंत्री अपने भावनात्मक भाषण में कह रहे थे कि हमने यह काम किया, यह भी आपको खराब लगा, यह काम किया, कांग्रेस को यह काम भी ठीक नहीं लगा, हकीकत यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसकी सजा राम ने दिलवाई है और राम ने जनता के द्वारा, वोटर के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सजा दिलवाई है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अंदर सम्मान से राम का नाम लिया जाता था कि अगर हम किसी मुसलमान भाई से भी राम-राम करते थे तो बड़े सम्मान के साथ जवाब देता था कि राम-राम भाई, राम-राम। लेकिन जब से राम का नाम जयश्री राम कर दिया, तब से राम की मानमर्यादा इस देश में समाप्त हो गई। राम-राम की मर्यादा तो आज भी है लेकिन जयश्री राम को बीच में पटक कर राम को अपमानित किया गया और राम को कंट्रोवर्सल बना दिया। जो राम सर्वानुमत था, हर धर्म का आदमी राम को सम्मान से याद करता था, राम का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने। यही नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर धन्धा उठा लिया। ईंटें पुजवाईं, यात्राएं निकलवाईं, ईंटों के पैसे लिए, यात्राओं के पैसे लिए। यह धन्धा बनाया। भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने चन्दा वसूल करके राम को अपमानित करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसको

(श्री जगमाल सिंह यादव)

बड़े नेताओं ने, जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश का स्वरूप धर्म-निरपेक्ष रखा था, यही नहीं मैं देश के मामले में नहीं कहता राजस्थान इस हिन्दुस्तान का सबसे शांतिप्रिय सूबा था। और दिल्ली से और दूसरे शहरों से आकर लोग जयपुर में बसना चाहते थे। इस भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर जैसे शांतिप्रिय शहर की यह हालत कर दी कि जमीनों की कीमत और मकानों की कीमत दिनोंदिन गिरती चली गई। परकोटे में जो करोड़ों का मकान था, उसको आज कोई लाखों में लेने को तैयार नहीं है। एक बार नहीं, कई बार राजस्थान के और देश के दिल तोड़े भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए राम ने नाराज होकर सजा मतदाताओं से दिलायी।

अध्यक्ष महोदय, यहां तक कहते हैं धोखा था। मैंने भी गुनाह किया है इनके साथ 13 महीने 13 दिन रहकर। मैं अपने गुनाह पर पश्चाताप करता हूं। यह मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल थी और आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, मुझसे इस्तीफा मांगा नहीं गया था, मैंने और तत्कालीन कृषि मंत्री ने अपना इस्तीफा, आपके सदस्य बैठे हैं जो मेरे अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह जी, मालूम करना, 4 जनवरी, 1992 में एक सादा पेपर पर लिखकर भेजा, जब मुरली मनोहर जी जोशी माउंट आबू में आ रहे थे।

मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को लिखा कि हमने आपको समर्थन दिया था, लेकिन इन शर्तों पर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं, भैरोंसिंह जी आप किसान के बेटे हो आपको समर्थन देते हैं। आपको मेण्डेट मिला है हम किसी कीमत पर राजस्थान में मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते।

लेकिन इतनी भी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जब आप शासन करोगे तो इस सूबे में साम्प्रदायिक ताकतों को सर नहीं उठाने दोगे। मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को। जवाब नहीं आया तो 4 तारीख को मैंने और तत्कालीन कृषि मंत्री सम्पत सिंह ने एक साधारण से पेपर पर इस्तीफा लिखकर भेज दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

सामाजिक न्याय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं था सामाजिक न्याय, न कोई मंदिर का मुद्दा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री वी.पी.सिंह जी ने जब मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, तो कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हमने समर्थन वापस लिया। और कमण्डल उठाया और अयोध्या की तरफ मार्च करते चले गये। वही था। उस पार्टी में मेरे अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव। जब पूरे हिन्दुस्तान को रौंदता चला गया लालकृष्ण आडवाणी, इस देश के टुकड़े करने की साजिश कर ली, और हिन्दुस्तान का हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, सिक्ख हो, चाहे ईसाई हो, इस राजस्थान में नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में जब भय का वातावरण

(श्री जगमाल सिंह यादव)

था, मैं उस पार्टी का आदमी हूं जिसने कहा कि ए, प्राडवाणी, प्रा मेरे बिहार तेरी औकात नाप दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे अध्यक्ष ने वही औकात नाप दी। जब समस्तीपुर में गए तो लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जिससे देश टूटने से बच गया। देश ही नहीं बल्कि लोगों के दिल टूटने से बच गये। जो कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं यह नहीं कहता हाथ उठाकर कि मेरे अध्यक्ष बिलकुल दूध के धोये हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, हेलीकाप्टर में लेकर गए थे वे।

श्री जगमाल सिंह यादव : जिस चीज में भी ले गये हो। मेरा तो विचार है बैल-गाड़ी नहीं बल्कि झोटागाड़ी में ले जाना चाहिए था। ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनके लिए हेलीकाप्टर जैसा सम्मान नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बार-बार हिन्दुस्तान की प्रेस लिख रही है कि लालू यादव चारा घोटाले में लिप्त हो गए। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए और आपकी कार्यशक्ति चाहिए, मैं आपको अगले सत्र में इतने स्कैण्डल दूंगा, इतने घोटाले दूंगा, एक ही मंत्री मेरे क्षेत्र में भिवाड़ी में 100-100 करोड़ का स्कैण्डल, चुनाव से तीन महीने पहले कर गया, लेकिन मुझे आपमें भी माद्दा नहीं लगता है। कांग्रेस की सरकार से मैं अपेक्षा रखूंगा। रखता हूं, लेकिन काम करेंगे मुझे इसकी कम उम्मीद है, क्योंकि नूरानी कुश्ती भी आप कई बार करते हैं। मैं तीन महीने पहले जो भिवाड़ी में हुआ आज सदन में नहीं रखूंगा, क्योंकि पूरे तथ्य मेरे पास नहीं हैं उद्योग मंत्री जो आपसे सम्बन्धित हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक-एक मंत्री की अगर कहानी खोल दी जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय 900 करोड़ का चारा घोटाला फीका पड़ जाएगा। एक-एक मंत्री ने 200-200, 500-500 करोड़ के घोटाले भारतीय जनता पार्टी के राज में किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रख देना, हम तैयार हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस को दोष दे रहे थे कि आपने रिजर्वेशन नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार चली गई थी। तत्कालीन गवर्नर थे माननीय बलिराम भगत साहब, उन्होंने इस रिजर्वेशन के अध्यादेश को लागू किया। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आभारी हूं। आपकी सरकार तो उसके बाद आयी नहीं। इन्होंने हमको धोखा दिया सरकार में रहते हुए। मैंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि 27 फीसदी आरक्षण दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा की कि 21 फीसदी दे रहे हैं। किसने रखा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

नम्बर छह पर ओ.बी.सी. को ? आप लोगों ने रखा छठे नम्बर पर ओ. बी. सी. को रोस्टर में । 100 वैकेन्सीज निकलेगी, 96 वैकेन्सीज निकलेगी तो अध्यक्ष महोदय, 16 आदमियों को रिजर्वेशन मिलेगा । किसने रोका था जो अब आज आप कहते हैं कि जाटों को आरक्षण दो । किसने रोका था कि मेवों को आरक्षण दो । आठ साल तक तो इनको सूझा नहीं, अब आरक्षण की कह रहे हैं।

माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि हम इसका समर्थन करते हैं किसने रोका था आठ साल तक इस स्टेट में आपको रिजर्वेशन देने के लिए ? मैं पुरजोर मांग करता हूं कि जो एक-सा पेशा करता है, एक-सा जिनका धंधा है, एक-सा जिनका साधन है, एक-सा जिनका जीवन-यापन है उन समस्त लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम से सम्बन्ध रखते हों । मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि यादव ही रहने चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कानून-व्यवस्था की बात करते हैं । 13 पुलिस अफसर इनके राज में या तो आत्महत्या करके मर गये या उनको गोली मार दी गई । या उनकी हत्या कर दी गई । पुलिस का मनोबल तोड़ दिया गया । पुलिस तो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकी, 13 पुलिस आफिसर्स मारे गये । किसी रक्षा कराने की बात करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं । ये कहते हैं हमने आर.एस.आर. टी.सी. को मुनाफे में ला दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मेरे पास यह विभाग था तो 14 करोड़ के मुनाफे में पहली बार मैं इसको लेकर आया था, कोई इस सरकार का योगदान नहीं था और उसके बाद आज आर.एस.आर.टी.सी. की यह हालत हो गई कि 45-50 करोड़ रुपये घाटे में जा रहा है । क्यों गई घाटे में ? इसलिए घाटे में गई कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे । जब घोड़ा घास से यारी करेगा तो खायेगा क्या ।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी शेखी बघार रहे थे कि पोकरण में हमने बम विस्फोट कर दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सदन के सदस्यों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि मैरिट पर सोचो, राजनीति से दूर हटकर सोचो । क्या किया ? अलबत्ता यह बम बनाने की प्रक्रिया कांग्रेस ने चालू की थी और अध्यक्ष महोदय, बनकर चालू हुआ था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के जमाने में । बयान आपने भी पढ़ा हो, तत्कालीन प्रधानमंत्री से इसकी इजाजत मांगी गई देवेगौड़ा साहब से, और इन्द्र-कुमार गुजराल से भी । मना कर दिया कि इसके परिणाम खतरनाक होंगे । इन्होंने किया क्या ? इनको बम तैयार मिल गया। इन्होंने उसको खिलौना समझ कर छोड़ दिया । यह सोचा नहीं कि इस खिलौने को फोड़ने से हैसियत क्या होगी ।

एक मिनट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस देश

(श्री जगमाल सिंह यादव)

में हमारा कद क्या हो गया ? हमारा दर्जा क्या बन गया ? जो पाकिस्तान सामरिक महत्व के मामले में भारत के सामने बच्चा नजर आता था, पूरा हिन्दुस्तान इस बात को जानता था कि दो दिन का झटका पाकिस्तान हिन्दुस्तान का नहीं झेल सकता। इनके बम फोड़ने से हुआ क्या ? इन्होंने चार पटाखे चलाये, पाकिस्तान ने पांच पटाखे चला दिए। यानी हमसे बड़ा कद हो गया। आज हम जो सिद्ध करना चाहते थे कि हिन्दुस्तान एक परमाणु शक्ति है, इन्होंने सोचा नहीं पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया। इनको इस गलत फैसले के आधार पर कि तुम ही परमाणु शक्ति नहीं हो, परमाणु शक्ति तुमसे बड़ी हम हैं। उसके नतीजे क्या हुए।

मानता हूं विश्वव्यापी मंदी का दौर है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पूरे उद्योग-धंधों की कमर टूट गई। जितने विकसित देश थे सबसे हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आज हालत यह है कि राजस्थान का भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, हिन्दुस्तान में जहां चमन हुआ करता था, माना उद्योग मंत्री जी, कौवे उड़ रहे हैं। 519 यूनिट की कह रहे थे, 700 यूनिट बंद पड़ी हैं। यह आर्थिक मंदी के दौर की इनके इस कारनामें, इनके इस करतूत के खेल हैं। विकास का पैसा रुक गया। मोनिटरी फण्ड ने पैसा देना बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा देना बंद कर दिया, विकसित राष्ट्रों ने पैसा देना बंद कर दिया और कहते हैं लड़ेंगे। कर्म तुम करो, कर्म करे ये साम्प्रदायिक ताकतें और उसको झेले राष्ट्र। प्रधान मंत्रीजी अपील कर रहे हैं हिम्मत से जुटो, पैसा विदेश नहीं दे रहा है तो अपनी जेब से निकालो। कहां से निकालोगे ? यह है इनका पोकरण का मसला।

अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सुझाव भी देना चाहता हूं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र इस राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां दिल्ली का और चारों तरफ के लोग, क्योंकि एन.सी.आर. में है, अध्यक्ष महोदय, हालत यह हो गई कि उन पर लाइबिलिटी इतनी हो गई, ऊर्जा मंत्री जी नहीं हैं, उनसे भी आप सलाह मशविरा कर लेना, इन पर लाइबिलिटी, किसी पर हो गई 10 करोड़, किसी पर हो गई 15 करोड़ और उनकी पूंजी, समस्त फैक्ट्री और मशीन अगर नीलाम करा लें तो उनकी कीमत हो दो करोड़ और डेढ़ करोड़।

अगर वह छोड़कर भाग गये तो लोगे क्या आप ? मेरा सुझाव है उद्योग मंत्री जी, मुख्य मंत्रीजी से भी सलाह करें कि अगर उद्योग धन्धे बन्द हो गये तो जिनकी लाइबिलिटी है वह दे कहां से देंगे। मेरा सुझाव है, मानें या नहीं मानें आपकी सरकार है। उद्योग मंत्रीजी, इस पर जो पिछला बिजली का बकाया है वह 6 महीने के लिए पोस्टपोण्ड कर दीजिये और इनसे कह दीजिये कि जिस जिस उद्योग को अपना उद्योग चलाना है वह 15 दिन या एक महीने का बिजली का पैसा एडवांस जमा करा दे और अगर वह पैसा जमा करवा देते हैं तो एक एक महीने का एडवांस लेकर

(श्री जगमाल सिंह यादव)

चलाने की कोशिश तो करो वरना इतना पैसा डूब जाएगा पर रोको की जिम्मेदारी नहीं हो पायेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे अपील है।

दूसरा, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है, आज भी यह मसला उठा था, अलवर जिले में कुल 7.5 प्रतिशत लोकल एम्प्लायमेंट है। अलवर जिला, जो औद्योगिक दृष्टिकोण से राजस्थान का अग्रणी जिला है, वहां कुल 7.5 प्रतिशत लोकल एम्प्लायमेंट है। जिन लोगों की, हमारे किसानों की जमीन चली गयी, जो प्रदूषण झेल रहे हैं, जो ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम झेल रहे हैं, उनके न लोकल ट्रकों को रोजगार दिया जा रहा है और न उनके लोगों को नौकरी पर लगाया जा रहा है।

मैं आपको सलाह देता हूं, हो सकता है कि कानून में मैं इतना ज्ञाता नहीं हूं. उद्योग मंत्रीजी, जो भी अनुज्ञा पत्र आप जारी करें उसमें आपको शर्त लगानी चाहिए कि लोकल लोगों को 2/3 या 3/4 रोजगार जो टैक्नीकल हैं उनके अगर हमारे पास लड़के नहीं है राजस्थान में तो उनको छूट है कहीं से भी ले आयें लेकिन पलदारी करने के लिए तो रखवा दीजिये। चौकीदारी के लिए तो रखवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, जब वहां के लोकल लोग हड़ताल करते हैं या इनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। चाहे उद्योग मंत्री हो, चाहे बिजली मंत्री हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सीधा पुलिस को आदेश देते हैं। फिर इनमें और आपमें क्या फर्क हुआ? मालुम होगा, मासड़ा साहब ने एक आदेश दिया था कि जितने ट्रक बहरोड के हैं उन सब में आग लगा दो, सब को गिरफ्तार कर लो। माल निकलना चाहिए नहीं तो 24 घन्टे में अलवर एस.पी. को सस्पेण्ड कर दूंगा। इस तरह के आदेश आप भी चलाना चाहते हो क्या?

मैं कहना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, आपको फैक्टरी वालों ने वोट नहीं दिया है, फैक्टरी वालों को तो इन लोगों ने दुह लिया है। यह इनकी जमात है, आपकी जमात नहीं है। मैं उद्योग धंधे के खिलाफ नहीं हूं। जहां सिफारिश की बात आती है मैं सिफारिश भी कर रहा हूं लेकिन जहां हमारे लोगों का हक है वह हक भी मिलना चाहिए। मेरा आपसे यह निवेदन है।

चुंगी के मामले में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको क्या मिला। सत्ता पक्ष को क्या मिला। शेखी और केवल इलेक्शन जीत जाए, इस बात के लिए आपने घोषणा कर दी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आयी तो चुंगी माफ कर दी जाएगी। मालूम है यह कौन लोग हैं? चिकने घड़े हैं। उद्योग मंत्रीजी, चिकने घड़े हैं, आपका एक वोट नहीं है। 800 करोड़ की लाइबिलिटी आपने बढ़ा ली। उनका वेतन आप बैठे बैठे दे रहे हो और आपको अर्न क्या हो रहा है? चुंगी पर मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं।

(श्री जगपाल सिंह यादव)

माननीय सदस्यों के शहरों में जितनी नगरपालिका हैं, अगर किसी व्यापारी ने किसी किसान को यह बात कही हो कि चुंगी सरकार ने हटा दी इसलिए दो पर्सेण्ट कपड़े की कीमत कम कर रहे हैं, दो पर्सेण्ट खल की कीमत कम कर रहे हैं, दो पर्सेण्ट गुड़ की या दूसरी चीजों की कीमत कम कर रहे हैं। कोई कीमत कम की क्या? आम उपभोक्ता को कुछ मिला नहीं। केवल उन लोगों को पाल दिया जो उनके परमानेंट वोट थे। एक–एक दुकान पर बी.जे.पी. के साम्प्रदायिक अड्डे बने हुए हैं। क्या लिया आपने? कहां से लायेंगे 800 करोड़ रुपया अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब? मेरा सुझाव है आप मानें या नहीं मानें, इस चुंगी को सख्ती से दुबारा लागू करो क्योंकि राजस्थान के उपभोक्ता को कुछ नहीं मिला है ताकि राज्य की आमद बढ़ सके।

शिक्षा के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्रीजी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इससे शर्मनाक पहलू हो नहीं सकता, अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना लिया। शिक्षा को बेचा गया। शिक्षा पर कह दिया गया कि दो लाख रुपये ले आओ आपके मिडल स्कूल खोल देंगे, तीन लाख रुपये ले आओ आपके मैट्रिक स्कूल खोल देंगे और पांच लाख रुपये ले आओ तो आपके 10+2 खोल देंगे।

मैं कालेज की बात नहीं कहता। जो शिक्षा बेसिक तरीके से होनी चाहिए, जो विकास का माध्यम है उसको धन्धा बनाया। चूंकि पार्टी ही इनकी व्यापारियों की है इसलिए इनको तो शिक्षा में भी व्यापार नजर आता है, धन्धे में भी व्यापार नजर आता है। कह रहे थे उदयपुर से आने वाले पूर्व शिक्षा मंत्रीजी कि शिक्षा के मामले में हमने नये मानदण्ड कायम किये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आती है कि आज यूनिवर्सिटी में, बोर्ड में कापियां गायब हैं और पिछले जो नम्बर थे किसी स्टुडेंट के, अगर इलेवन्थ में जो नम्बर थे वही नम्बर 10+2 में दिये जा रहे हैं। कापियां गायब हैं। यहां तक हुआ है शिक्षा मन्त्री जी। जो रिजल्ट अप्रैल और मई में कांग्रेस के जमाने में आया करते थे वह रिजल्ट अब जनवरी और फरवरी में आ रहे हैं। एक सत्र समाप्त करना पड़ेगा। एक लाख लड़कों की बर्बाद हो गयी। यह शिक्षा की स्थिति है। यहां तक ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, बहुत सी जगह, दूसरे स्टेट में जो वैकेन्सीज निकलती हैं उनमें लिख दिया गया है स्पेसिफिक तरीके से इन आठ साल में कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र एप्लाई नहीं कर सकेगा, वह इसके योग्य नहीं है। यह है मानदण्ड आपकी शिक्षा के जो आपने आठ साल में कायम किये हैं।

यह किसानों की बात कर रहे थे। मुझे आश्चर्य उस दिन हुआ, देव-स्थान की बात तो कर सकते हैं क्योंकि राम के भक्त हैं, लेकिन किसानों की बात की, अध्यक्ष महोदय, आजादी के, 1952 के बाद आज तक राजस्थान में किसानों ने आत्महत्या नहीं की। किसके जमाने में आत्महत्याएं हुई ?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आपके बी.जे.पी. के जमाने में आत्महत्याएं हुईं। कपास की रेट डाउन हुई तो उसके बाद आत्महत्याएं हुईं। किसान कर्ज में डूब गया। एक मन्त्री, जिन्होंने बढ़िया काम किया, रामकिशन जी वर्मा साहब ने, फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्टर थे, उनको जाल में उलझा रहे हैं। सोयाबीन क्यों पकड़ लिया। दर्द तो सोयाबीन पकड़ने का था और दर्द यह था कि इनका समर्थक मारा गया, उस पर छापा पड़ गया और कानून कायदा, प्रोसीजर फालो नहीं हुआ। यह आक्षेप लगा रहे हैं और किसानों की बात कर रहे हैं। यह देवस्थान की बात करें, व्यापार की बात करें, मोटर की बात करें, सरसों की करें, गुड़ की करें, तेल की करें, तो इनकी बात समझ में आती है। इनको क्या अधिकार है किसान की बात करने का?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ठेका थोड़े ही है एक आदमी का।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा रहा है। आपकी बात ससम्मान सुनी है मैंने। अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला आया हूं, अगर मेरे साथ में दो और होते न कांशीराम जी की तरह से, एक भी और होता तो कांग्रेस, सत्तापक्ष को लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। केवल अकेला मैं ही लड़ लेता और यह भी कहता हूं कि हिन्दुस्तान में केवल मेरी एक ही सरकार है बिहार की, वह ही लड़ रही है। लालूजी को गिरफ्तार करने का मकसद केवल यह नहीं है कि चारा घोटाला। लालूजी को गिरफ्तार करने का मकसद है कि उन्होंने आडवाणीजी का मान मर्दन किया जब देश को तोड़ने की साजिश की थी। इस देश के गृह मंत्री, आडवाणीजी का मान मर्दन किया था उसके अहंकार को तोड़ा था। दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य कहिये कि +++ आ गया। आज वही गृह मंत्री बन गये। लालूजी चीफ मिनिस्टर पद से हट गये, अब सरकार उनकी ही है। इस देश में ऐसा अनुमान प्रतीत होता है कि लालूजी के अलावा इस पूरे देश का, पूरे हिन्दुस्तान का पालिटिशियन पाक-साफ और दूध का धोया हुआ है। यही है न?

अध्यक्ष महोदय, जिन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे साथी बैठे हैं, मैं भी पेशे से वकालत करता हूं एंटीकरप्शन के एक्ट में, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया, बेलेबल आफेंस है। किसी भी अधिकारी को अगर एंटीकरप्शन रेड हैण्ड भी पकड़ लेती है तो पुलिस ही जमानत ले लेती है क्योंकि बेलेबल आफेंस है। केवल लालू यादव को और इन शोषित और पीड़ितों की आवाज उठाने वाले लालू यादव को केवल अपमानित करने के लिए यह कोशिश की जा रही थी कि शहादत को तोड़ रहे हैं। यानि पहले किसी में जमानत हो गयी तब तो शहादत नहीं टूटी और अब चूंकि असेम्बली के चुनाव थे चार स्टेट में, इसलिए अब उनके....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान) मैं सुनूंगा लेकिन—

श्री राजेन्द्र पारीक : कुछ ज्ञानवर्धन तो करो। आप सभापति पैनल में हैं। आप मर्यादित बात करो।

श्री हीरासिंह चौहान : माई पाइंट आफ आर्डर, सर। जो बात कही गयी है कि वेलेबल आफेंस में लालूजी को पकड़ा गया ...

श्री जगमाल सिंह यादव : आपसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बैंच में गये, हाई कोर्ट में गये, क्या वे भी वेलेबल आफेंस में अन्दर रख देते ? यह अदालत की भी मानहानि है।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक बड़ा जिक्र किया कि खानें फोरेस्ट में आ गयीं। किसके जमाने में आयीं ? मैं डेट दे रहा हूं, 12-12-96 को यह खानें डी–फोरेस्ट की गयीं, फोरेस्ट ने अपने कब्जे में ली और फिर अलवर के मामले में 7 मई, 1992 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, वन और पर्यावरण विभाग का एक्स्ट्रा आर्डिनरी नोटिफिकेशन जारी हुआ। किसकी सरकार थी उस समय ? अब आप दिल्ली में जो डी–फोरेस्ट की कार्यवाही करेंगे, किसकी सरकार है ? इन्हीं की सरकार है न ? यह तो बड़ी संवेदनशील सरकार थी। ये जितने खनन करने वाले लोग हैं, सब को दुहना चाहते थे कि जितना दिले करेंगे इनको नुकसान होगा, इसका दूध निकाला जाएगा।

मैं आपका भी ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि बहुत बड़ा स्टेट को नुकसान हो रहा है रायल्टी का। और बहुत सी फाइलें पड़ी हैं। मेरा सुझाव है, फोरेस्ट मिनिस्टर साहब को कहिये अपने स्तर पर, सी.एम. साहब अपने स्तर पर निपटा लें।

अध्यक्ष महोदय, आपके एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं। एक मिनट में समाप्त करूंगा। तिजारा चूंकि एन सी आर में है, 7-5-92 को गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट और अलवर डिस्ट्रिक्ट को भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग ने यह मना कर दिया कि वहां फोरेस्ट में कोई कार्यवाही नहीं होगी और जो खानें फोरेस्ट में आ गयीं वह बन्द कर दी जाएगी।

आज मालूम है, प्रद्युम्न सिंहजी, उद्योग मंत्रीजी क्या हो रहा है। हरियाणा में कम से कम नहीं तो 200 क्रेशर आये, तिजारा और टपूकड़ा में लग गये। टोटल हरी भरी पहाड़ियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इसके साथ मैं एक खतरे से भी आगाह कर देता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद, हतीन नूंह, सोना, तावडू, डीग, कामां, नगर, तिजारा, अलवर, रामगढ़, मुण्डावर, कोटकासिम, यह एक ऐसा क्षेत्र है भौगोलिक तरीके से जो दिल्ली से जयपुर और अलवर के बीच में जहां साम्प्रदायिक तनाव अक्सर बना रहता है, मैं किसी कम्युनिटी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं और उद्योग मंत्रीजी, जो पहाड़ तोड़ें आ रहे हैं, आर.

(श्री जगमाल सिंह यादव)

डी. एक्स. से तोड़े जा रहे हैं, प्रबंध बारूद आ रहा है।

आपका भिवाड़ी थाना है, आपका टपूकड़ा थाना है। क्या विस्फोट की आवाज उनको नहीं आती? अगर यह आर. डी. एक्स. दूसरे काम में आ गया तो यह काश्मीर बन जायेगा। यह 18 विधान सभा क्षेत्रों का इलाका है। आप गौर करिये। मेरी बात झूंठी हो तो फिजिकल वेरीफिकेशन कराइये। मेरे पास कैथल वाले आये थे। उन्होंने कहा कि हमारी खान तो हरियाणा में है यानी अध्यक्ष महोदय, गुड़गांवा से पत्थर आएगा और तिजारा व जयपुर में आकर पिसेगा और फिर वह दिल्ली वापस सप्लाई होगा उसका क्रेशर, यह सम्भव हो सकता है क्या। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है, आप करें या नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर जाना चाहूंगा। आपको भी नसीहत मिल जानी चाहिये उससे। अध्यक्ष महोदय, इनका राज; इन + + + का (व्यवधान) आपका भी समय मुझे दे सकते हैं उधार, अगली बार मैं नहीं बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाल किया। ये तो +++ किसी के रहमोकरम पर जिन्दा हैं। प्रजातन्त्र को ही बी. जे. पी. ने समाप्त कर दिया।

मैं मुख्य मंत्रीजी को और कांग्रेस की सरकार को एक रूप से बधाई देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनते ही अपनी केबिनेट में पहली बार अधिकारियों से कह दिया कि मेरे मिनिस्टरों के आदेशों की पालना होनी चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि, प्रजातन्त्र को जिन्दा रखने का यही सिस्टम है। और यह भी कहा गया कि चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी पद पर हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं है। इनके साथ क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिहजी शेखावत, मैं नाम नहीं ले रहा, तत्कालीन मुख्य मंत्री मंत्रियों से कहता था कि अफसर को चैक कर लो और मालूम है, अफसर से क्या कहता था कि मंत्रियों को चैक करके रखो। यह हालत थी कि चोर से कहता था कि घुस जा और मालिक से कहता था कि जग जा। मालूम है, ये + + + कैसे अपना काम करेंगे। मैं भी 13 महीनों तक भुगतभोगी हूं इनके साथ में....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार +++ कह रहे हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय शब्द नहीं है। + + + क्या होता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सोरी, मैं अपने आपको, ये बहादुर लोग क्या करते

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

थे, अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधित करता हूं। अगर +++ शब्द असंसदीय है तो उसको निकाल दिया जाए। ये बहादुर लोग क्या करते थे, मैं बहादुर कह लूं इनको, ये बहादुर मंत्री जब अपने किसी सेक्रेटरी से या कमिशनर से बात करते थे तो कहते क्या थे अध्यक्ष महोदय, एक किसी चपरासी का तबादला कराना हो तो पहले आप टेलीफोन करके यह पूछते थे कि सर, मिजाज तो ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक है। वह उधर से कहता था, हां ठीक है। बाल बच्चे तो सब ठीक हैं। जब देख लिया कि सेक्रेटरी मूड में है तो मालूम है, यह क्या कहते थे कि सर, मेरा फलां रिश्तेदार है या मेरा फलां बहुत बड़ा वर्कर है जिसके पास वोट हैं। इस बाबू का तबादला आप जोधपुर कर दीजिये, मैं आपका पर्सनल ओब्लाइजड महसूस करूंगा। यह थी इन +++ की स्थिति और इस स्थिति का परिणाम क्या हुआ कि मुख्य मंत्रीजी जो अपनी पावर अपने पास कैंच करके रखते हैं। इन्होंने समझा, बची खुची आप हम एम.एल.ए. को मत दो और जो बीजेपी के एम.एल.ए. हैं, इन सालों का काम मत करो। वह +++ तो मर ही गये और एक परम्परा ही रही है अध्यक्ष महोदय, इस बार तो फिर भी 2-4 आ गये जीतकर। मैं भी भुगतभोगी रहा हूं। जब जब तत्कालीन मुख्य मंत्री ठाकुर साहब मुख्य मंत्री बनते हैं पूरा का पूरा मंत्रीमण्डल स्वाहा होता है।

हम 43 थे हमारे जमाने में, 38 हार गये। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी भी हार गये, तीसरे नम्बर पर गये गंगानगर में तो सारा कैबिनेट ही स्वाहा होता है, इन बहादुरों का कोई दोष नहीं है। आप भी यही प्रणाली रखेंगे क्या ? इन एम.एल.ए. के पास है क्या ? इन +++ के पास है क्या ? आपके नये एम.एल.ए. आये हैं।

मैंने उस दिन मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि डी.आर.डी.ए का अध्यक्ष बनाने की बात आप कह रहे हैं, प्रेक्टिकल नहीं होगा। जिन स्टेट्स में जिला प्रमुखों को डी. आर. डी.ए. का अध्यक्ष बनाया गया है, पहले आप उनकी रिपोर्ट मंगाकर अध्ययन तो कर लो। अगर आपको ठीक लगे कि इसके परिणाम सही हैं तो कर दीजियेगा और इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपके मन में बंदजी, करने की है तो यह जो नये एम.एल.ए. आये हैं, ये सारी बात समझ जायेंगे अगले सत्र तक, अगर करना है तो अगला सत्र आये उससे पहले ही कर दें। फिर समझ जायेंगे, फिर आपके साथ नहीं आयेंगे। बगावत होगी, दस्तखत अभियान चल जायेंगे। यही मुझे कहना है तो इनका कोई दोष नहीं है। अगर आप भी इन्हीं रीति–नीतियों पर चले तो अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप 33 से भी कम सिमटकर रह जाओगे लेकिन चूंकि सेक्युलर

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पार्टी है। हम तो अभी विकल्प है नहीं और हम निकट भविष्य में बनके भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर विकल्प बने तो हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे, यह तय है। लेकिन हम विकल्प अभी बने नहीं हैं। हम केवल आपकी विचारधारा के समर्थक हैं, हम विकल्प नहीं हैं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत समय दे दिया। मैं आपका अहसानमंद हूं, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा अगर मेरी राय से पांच मिनट का समय मुझे दे सकें तो, समय आप मुझे दो ही मिनट दे दें और मेरी पार्टी, चूंकि मैं सिंगल पार्टी मैम्बर हूं, मेरे साथ आप अन्याय नहीं करोगे, यह आपकी सदाशयता है। मेरे बाप की बराबर आपकी उम्र है, जितनी मेरी उम्र है, उतनी आपकी पोलिटिक्स है। मेरी शक्ल पर मत जाना और मेरी पार्टी पर मत जाना, इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है। आपको भी एक शब्द कह रहा हूं। आपको सीख है, मानें तो मानें, नहीं तो नहीं मानें। पढ़ा होगा आपने, "इधर पड़ी कुछ हड्डियां इनके भी यही बयान थे, चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी नव निर्वाचित सदस्यगण, सबसे पहले मैं सबका स्वागत करती हूं और सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। और मुझे महामहिम राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया जा रहा है, उसके लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद करती हूं। हमें अपने मुख्य मंत्रीजी का सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देने का वादा किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोचती हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पूर्णतया सक्षम हैं इस तरह की सरकार देने के। पूर्ववर्ती सरकार के आठ साल के कारनामें हम आज सारे दिन से सुन रहे हैं बल्कि यह कहिये कि तीन दिन हो गये। और उसमें एक भी बात कहीं गलत नजर नहीं आती। पूर्ववर्ती सरकार ने एक ही क्षेत्र में नहीं, राजस्थान के हर क्षेत्र में भट्टा बैठाया है। इतने वादे, इतने सुहावने सपने दिये, इतने सुनहरे सपने दिये, लेकिन जब सब कुछ सामने आया तो एक काला इतिहास उभरकर सामने आया। मुझे अफसोस है कि जनता ने जो जनादेश उस वक्त उनको दिया, अब वह चाहे ईंट के नाम पर दिया हो चाहे राम के नाम पर दिया हो, और सबसे बड़ा जो उस सरकार के टाइम हुआ कि राम के नाम को जिसमें हम तस्वीर को गंदा हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते, उस राम को सुलभ काम्प्लेक्स में भी चिपकाया गया।

बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी आरक्षण पर बड़ी देर से बात चल रही थी। जो देश पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी एकजुटता के लिए, अपनी साम्प्रदायिक एकता के लिए, अपनी अखण्डता के लिए मशहूर है, उस देश के टुकड़े-टुकड़े

(श्रीमती ममता शर्मा)

करने की बात सुनकर मुझे अफसोस होता है। हमें सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं, इसके अलावा दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। सब माननीय सदस्य यहां बड़े हैं। मैं उनसे माफी मांगूंगी और यह बात रखने का प्रयास करूंगी कि आरक्षण पर सदन का इतना समय जाया नहीं किया जाये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके चुनाव घोषणा-पत्र में तो लिखा यही है..

श्रीमती ममता शर्मा : घोषणा पत्र में लिखा है लेकिन इसलिए नहीं लिखा है कि आप दो-दो घण्टे, तीन-तीन घण्टे आरक्षण पर बोलें। घोषणा-पत्र में लिखा गया है और आरक्षण उस हिसाब से मिल भी रहा है। आप आरक्षण की बात न करिये, आरक्षण बहुत दिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्या, आप आरक्षण के विरुद्ध में हैं, इसका अर्थ यह माना जाय।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समग्र राजस्थान की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रही थी लेकिन मैं अपने गृह जिले बूंदी तक ही सीमित रहकर अपनी बात कहना चाहूंगी। आजादी के बाद बूंदी में जिस तरह से नहरों का विकास हुआ, शिक्षा सम्बन्धी स्कूलों का विकास हुआ, बूंदी में खनन क्षेत्र बहुत बड़ा है उसमें जिस तरह से विकास हुआ, अफसोस की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसी की भी कद्र नहीं समझी। और जो हमारा कमान्ड एरिया है, जो एल.एम.सी. लेफ्ट मेन कैनाल और राइट मेन कैनाल के नाम से जानी जाती है उनकी जो दुर्दशा है वह दर्शनीय है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सालों से हम सरकार से चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि कैनाल की मरम्मत कराइये। किसान भूखा मर जायेगा, टेल पर पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने कहीं ध्यान देने की कोशिश नहीं की। आज नौबत यह आ गई है कि जो नहरें थी, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी और जो माइनसं थीं, उनमें बैलगाड़ी चल रही हैं और जोतें चल रही हैं।

लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी हमारे मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने डेढ़ महीने के अन्दर-अंदर दिल्ली से टीम बुलवाई है और सचिव, सिंचाई और सचिव, सी.ए.डी. को भेजकर तीन दिन का पूरा टूयर करवाया है और उसका काम चालू भी हो गया है। सबसे पहले दस लाख, उसके बाद 20 लाख और तीसरे चरण में इन नहरों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए 60 से 70 करोड़ रुपये लगेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमें आश्वास दे दिया है कि मैं कहीं से भी, नाबार्ड से या कहीं से भी लाकर बूंदी के इस विकास की गति को वापस उतनी ही गति देना चाहता हूं जितनी आजादी के बाद कांग्रेस के समय में मिली थी। उन नहरों की एक देन है माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जिन फिल्मों की शूटिंग होती है और

(श्रीमती ममता शर्मा)

पंजाब जब उनकी मन्जूरी नहीं देता, तो लहलहाते हुए सरसों के खेतों में बूंदी में शूटिंग होती है। इतनी बड़ी बात है कि हमें गर्व से मानना चाहिए कि हाड़ौती का एक क्षेत्र खेती से भरपूर, जहां का किसान सदैव सुख और समृद्धि में रहा, आज दहाड़ें मार-मार कर रो रहा है कि मेरे बच्चों के लिए इस साल के लिए मेरे पास अनाज नहीं है। इन सभी बातों के लिए मैं हमारी सरकार को, हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे रही हूं। जितने बांध कांग्रेस के टाइम बने, जितने एनीकट्स कांग्रेस के टाइम बने, एक भी बांध का पूर्ववर्ती सरकार ने नाम नहीं लिया। कांग्रेस के समय में एक साथ पांच-छह बांध केवल बूंदी में बने, और जगह की मैं बात नहीं कर रही हूं।

एक निवेदन और करूंगी, चूंकि इतने सालों से इस बरबाद स्थिति को संभालने में समय लगेगा, मेरा शासन के माध्यम से निवेदन है कि वहां राहत कार्य चलाने चाहिए ताकि हमारा किसान जिसके कंधों पर देश चलता है उसे राहत मिल सके। किसान को डीएपी नहीं, किसान को बिजली नहीं, वायदे बहुत किये। और जब 98 में पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो किसान को आठ घंटे बिजली देना शुरु कर दिया गया। तत्कालीन बिजली मंत्रीजी चूंकि खुद चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने सोचा, किसान के वोट लेने का एक माध्यम है कि उन्हें बिजली पूरी दी जाय। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान ने बेवकूफी नहीं की। किसान ने उस वक्त बेवकूफी नहीं की, किसान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। और उन्होंने यह दिखाया कि हम सब समझते हैं कि जब वोट लेने हों तो दस दिन से लगातार बिजली आ रही है।

लेकिन मैं अपने बिजली मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी, उनको धन्यवाद दूंगी कि आज किसान को पूरे आठ घण्टे बिजली मिल रही है। (व्यवधान) और बिजली मंत्रीजी जिस तरह से हारे हैं वह माननीय चौधरी साहब बता रहे हैं।

(17.55 बजे)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक : स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लायक बात है।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापतिजी, हमारे यहां बहुत बड़ी एक गरड़दा परियोजना है जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी माननीय शिवचरणजी माथुर ने किया था। उससे 60 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी लेकिन सन् 1984 में उसका जब शिलान्यास हुआ, उसके बाद से उस फाईल को इस तरह से ठण्डे बस्ते में डाला गया कि कोई उसकी पूछ नहीं हुई। जबकि उस क्षेत्र में जितनी आबादी है भीलों की है, ट्राइबल्स की है। उन गरीबों को कोई देखने वाला नहीं रहा। आज जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं, मुझे सभी जो यहां हमारे आदरणीय मंत्री महोदय उपस्थित हैं, उनसे एक बात और निवेदन करनी है कि इन गरीबों के कामों में, ट्राइबल्स के कामों में, जिनकी हालत

(श्रीमती ममता शर्मा)

बहुत ज्यादा खराब है, हम लोगों का पूरा-पूरा सहयोग करें। नरङ्दा परियोजना को अब मन्जूरी मिली है इस पर भी मैं सिंचाई मंत्रीजी और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दे रही हूं और वित्त मंत्रीजी से एक निवेदन कर रही हूं कि इसके लिए जितना भी हमें पैसा चाहिए वह जरूर दिया जाय।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, पूर्व शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए है, प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। माननीय सभापति जी, शिक्षा की जो हालत हमारे यहां हुई है मुझे अफसोस होता है कहते हुए, स्कूलों में मास्टर नहीं जाते और अगर किसी बच्चे से आपने पूछ लिया कि तुम्हारी परीक्षा हो चुकी तो बच्चा यह कहता है, परीक्षा क्या होती है हमें यह ही नहीं पता। गांव की यह हालत है। और उन गांवों की हालत है जिनमें भीलों की जबरदस्त आबादी है, गूजरों की जबरदस्त आबादी है। वह बच्चे यह नहीं जानते। उनका मास्टर आता है और उनसे यह कहता है पांच दिन की छुट्टी है, छठे दिन आ जाना स्कूल में। हमने बहुत लिख-लिख कर दिया लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया। कितने स्कूल क्रमोन्नत हुए, मैं यह पूछना चाहती हूं। पिछले दिनों हमारे यहां डाबी का जो खनन क्षेत्र है उसमें टेन प्लस टू के लिए बच्चों ने बहुत ज्यादा आन्दोलन किया, सब कुछ किया लेकिन शिक्षा मंत्रीजी का जवाब यह था, पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्रीजी ने यह जवाब दिया कि अगर पांच लाख रुपया आप लगाते हो तो मैं इसको क्रमोन्नत कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी....

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि ऐसा उन लोगों के साथ क्यों किया गया। एक तरफ आप साक्षरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षा की बात करते हैं और तीसरी तरफ आप इस तरह से नकारते हैं..

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमारी जेब में लेकर चले गये...

श्रीमती ममता शर्मा : महिलाओं की साक्षरता की बात की और बड़े-बड़े नारे बना दिये गये, बेटी और सास और पुत्रवधू, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि साक्षरता के नाम पर आज वह अपने दस्तखत भी नहीं कर सकती। साक्षरता का मतलब यह होता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम वह एक पत्र तो पढ़ सके लेकिन वह भी नहीं पाया। (व्यवधान) बोलने की कोई जरूरत नहीं है...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अब आप कर लेना।

श्रीमती ममता शर्मा : समय दिया है जनता ने। जनता ने आपको भी समय दिया था। हमें जनता से कहना पड़ता है कि आठ साल के टूटे मकान को बनाने के लिए हमें आठ महीनों की जरूरत है, इतना

(श्रीमती ममता शर्मा)

बिगड़ा हुआ ढांचा है। इस ढांचे को सम्भालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस समय की, मौके की। (व्यवधान) आपका किया गया सत्यानाश अभी तो हमें भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात सुन लीजिये। माफ करियेगा शिक्षा के ऊपर और बोलना चाहूंगी। आपके यहां जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, कई शिक्षकों को आपने ऐसी घुट्टी पिला रखी है कि जो खुलेआम आप लोगों के पक्ष में काम करते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगी कि उनके खिलाफ एक्शन लीजिये। अब आपको समय मिला है।

(18.00 बजे)

श्री किरोड़ी लाल : छुट्टी आप भी ले लीजिये हमारे से।

श्रीमती ममता शर्मा : हमें आपकी घुट्टी की जरूरत नहीं है। हमने देख लिया है आप 33 रह गये हैं संख्या में। और अगर आपकी यह घुट्टी चलती रही तो 33 भी नहीं रहेंगे, आप लोग 3 रह जाएंगे। एक 3 मैं नहीं हटाना चाहती आपके सामने से।

दूसरा, मैं स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में बोलना चाहती हूं। पूर्ववर्ती चिकित्सा मंत्रीजी हमारे सामने विराजमान हैं। एक-एक डाक्टर 8-8, 10-10 साल से एक ही जगह पर विराजमान है। उसको हटाने वाला कोई नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब हटा दो।

श्रीमती ममता शर्मा : माफ करियेगा मस्त बंधे हुए थे। ट्रांसफर भी आप ही करवाते थे और कैंसीलेशन भी आप ही करवाते थे, किन्तु उनसे भत्ता लेते थे। आपरेशंस की हालत यह थी कि टेबल पर मरीज कराहता रहता है और डाक्टर नहीं देखता। यह मैं बूंदी की हालत बता रही हूं। मुझे अफसोस होता है यह कहने में जो मां कोख से बच्चे को जन्म देती है वह तड़फती रहती है और डाक्टर नहीं आती समय पर। यह आपके काल का मैं बता रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो अब आपके कार्यकाल में ठीक कर लेना।

श्रीमती ममता शर्मा : वह तो हम करेंगे ही आप पहले यह सुनिये कि क्या-क्या हुआ है आपके कार्यकाल में। गरीबों की जहां-जहां बस्तियां हैं उनको कोई तरजीह नहीं दी जाती। डाक्टर्स घर की दुकानें खोल-खोल कर बैठे हुए हैं। वे यह कहते हैं कि यहां नहीं देखेंगे, घर पर आना। कहां जाएगा मरीज। 10 बार जाएगा। प्राइवेटाइजेशन को इसीलिए ज्यादा लाभ मिल रहा है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : और खासकर बूंदी के लिए तो मंत्री महोदय, मैंने भी कई बार आपसे शिकायत की थी लेकिन आपने कहा था कि विधायक मेरी मजबूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, कुछ बातें यहां न करें तो ठीक हैं। माननीय सदस्या नयी-नयी चुन कर आयी हैं आपकी और मेरी मित्रता के बारे में शायद इनको जानकारी नहीं है। कोटा में सारा वही हुआ है जो आप चाहते थे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, आप बता दो जहां आप बुलाओ वहां आ आऊंगा वहां कर लेंगे।

श्रीमती ममता शर्मा : आयुर्वेद का जहां तक सवाल है आयुर्वेद के जितने दवा-खाने कांग्रेस के जमाने में खुले थे आपने उन्हें बन्द किया और जो खुले हुए हैं उनमें दवा नहीं है। उनमें डाक्टर्स नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं आपसे माफी चाहूंगी कुछ समय चाहूंगी क्योंकि जोर-जबरदस्ती करके सभी ने समय लिया है।

श्री सभापति : हां, बोलिये आप लेकिन समय सीमा का ध्यान रखिये।

श्रीमती ममता शर्मा : स्वास्थ्य केन्द्र केवल खुले हुए हैं और वहां स्वास्थ्य केन्द्र लिखा हुआ है किन्तु डाक्टर्स का अता-पता नहीं है। नर्सों का अता-पता नहीं है। हमें अफसोस है, इस बात का मैं आसन के माध्यम से हमारे चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए और अगर हम लोग कोई बात कह रहे हैं, तो उसको तरजीह देकर जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। गांव में डाक्टर्स जाना पसंद नहीं करते, वहां टीमें भेज कर यह पता किया जाए कि डाक्टर्स जा रहे हैं, या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि गांव की जनता जितनी आज की तारीख में परेशान है, और अब उनमें जो हीनभावना पैदा होने लगी है, अब आते हैं तो वे कहते हैं कि गाड़ियां और घोड़े आपके लिए हैं। हम तो बैठे हुए हैं। इन कच्ची सड़कों में जहां हमें बैलगाड़ी चलाने में भी अब दिक्कत आने लगी है। सड़कों की हालत यह है कि जहां जीपें और ट्रैक्टर जाने में भी अब परेशानी आने लगी है। पूर्ववर्ती सार्वजनिक निर्माण मंत्री कहा करते थे कि सड़कों के गड्ढे मेरे दिल के फफोले हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि वे दिल के फफोले कब ठीक होने वाले थे। कोटा की जनता ने हमारे माननीय मंत्री जी को चुन कर भेजा है 24 हजार वोटों से, जहां से कांग्रेस बहुत मुश्किल से जीता करती थी। यह उन्हीं की देन है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हुआ यह था, सभापति महोदय, 13 साल की उम्र में ही वह मर गया जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। और उसके लिए उस जमाने में शायर लोग कहा करते थे कि अगर इसी रफ्तार से यह आगे बढ़ता रहा तो एक रोज यह गालिब को मात करेगा। उसने आखिरी दिनों में जो शेर लिखा वह यह कहा कि "दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।"

श्री सभापति : अब विराजिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : तो मैं तो बी.जे.पी. वालों को धन्यवाद देता हूं साहब। मुझे जिता कर इन्होंने ही भेजा है।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, बूंदी में जो गर्ल्स कालेज खोला गया है वह बूंदी प्रोपर से सात किलोमीटर दूर है। मैं पूछना चाहती हूं शिक्षा मंत्री जी....

श्री किरोड़ी लाल : वह तो फफोले वालों ने ही खोला था।

श्रीमती ममता शर्मा : फफोले वालों ने ही खोला था तो उन्हीं से पूछियेगा जाकर। आज अगर उनकी लड़की इतनी दूर पढ़ने जाती तो वह लाल बत्ती में जा सकती थी उस जमाने में, लेकिन गरीब लड़कियां साइकिल पर जाती हैं। और आज के इस जमाने में, जहां आपकी कानून और व्यवस्था का पता-पता नहीं था, इस तरह से लड़कियों को छेड़ा जाता था वे लड़कियां सात किलोमीटर साइकिल पर बैठकर या पैदल उस कालेज में जाया करती थीं। यह सब ध्यान देने वाली बात है।

महिला उत्पीड़न का जहां तक सवाल है, मैं सोचती हूं दोहराने से कोई फायदा नहीं है नीलू राणा हत्या कांड, शालिनी अरोड़ा कांड, कितने कांड हुए हैं। अनगिनत, जिनका कोई मुकाबला नहीं है ? और चंदा कहार कांड, जो बूंदी प्रोपर में हुआ है और उस कांड में आपका एक पार्षद इन्वोल्व था और उस पार्षद को शेल्टर किया गया आपके एम.एल.ए.के द्वारा। और बलात्कार के बाद उस औरत को उसके पीहर में जाकर जीप में डालकर छोड़ दिया, जहां तीसरे दिन उसकी मृत्यु हुई। उसका पति शर्म के मारे रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा पाया।

सभापति महोदय, आसन के माध्यम से गृह मंत्री महोदय से मैं कहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए। हालांकि महिलाएं यह कहती हैं कि हम 50% हैं। और है भी सही। लेकिन हमारी सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए, यह मैं आपसे आसन के माध्यम से निवेदन करूंगी। महिला थानों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। महिला थानों की स्थापना अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि जब महिला पुरुषों से प्रताड़ित होकर रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो उसे वहां भी पुलिस से प्रताड़ित होना पड़ता है। उसे बंद करने के लिए महिला थाने अति आवश्यक हैं। मेरा विश्वास है कि सरकार महिलाओं के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहेगी। हमारे यहां कृषि मंडी का जो मामला है....

श्री किरोड़ी लाल : महिलाएं कम मंत्री बनाई हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : हमारे मुख्य मंत्री जी से हमको कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अनाज मंडी हमारे बूंदी में जो है, उसको दो भागों में बांट रखा था और बीच में सौ फीट की चौड़ी सड़क निकाली हुई थी।

(श्रीमती ममता शर्मा)

हमारी सरकार की गति है काम करने की, उसका एक नमूना मैं पेश करना चाहती हूं। हमारे मंत्रीजी ने मंडी को एक कर दिया। तीन दिन पहले मैंने कहा था, परसों उसके ग्रार्डर हो गये। वह मंडी एक हो गई। जो डिवाइडेड मंडी थी, वह एक हो गई। उसकी सड़क को बंद कर दिया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समय सीमा का ख्याल रखें आपके दल के कई लोग और बोलने वाले हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं उनका धन्यवाद कर रही हूं और अगर इसी गति से हमारी सरकार ने काम किया तो सभी माननीय मंत्री महोदयों से यह कहूंगी कि वह 33 सीटें भी अगले चुनाव के बाद नहीं मिलेंगी।

नगरपालिकाओं में जो हुआ, अभी-अभी नगरपालिका के मामले में जगत सिंह जी ने जिक्र किया था, अध्यक्षों को हटा-हटा कर पोलिटिकली विक्टीमाइज किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं सोचती हूं कि हमारे शासनकाल में ऐसा नहीं होना चाहिये। नगरपालिकाओं को जो अधिकार दिये गये हैं, उनको पूर्ण रूप से उनका काम करने देना चाहिये।

बूंदी जिला जिसमें चाहे वह तीर्थ पर्यटन हो, चाहे वह हैरिटेज हो, चाहे वह ईको हो, सारे पर्यटन बूंदी में विद्यमान हैं। बूंदी के किले, बूंदी की बावड़ी, बूंदी की चौरासी खम्भों की छतरियां, केशवरायपाटन का बड़ा केशवराय जी का मन्दिर, हाड़ी रानी की बावड़ी, बूंदी का सूर्य मन्दिर, बूंदी के भित्ती चित्र, बूंदी की चित्रशाला। हमारी ट्यूरिज्म मंत्री इस वक्त यहां नहीं है, मैं कहना चाहूंगी कि अगर बूंदी में ट्यूरिज्म को उभरकर लाया गया तो बूंदी का जो युवा है, उसको उभरकर रोजगार मिलेगा जिस पर हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। हम बार-बार कहते रहे, बूंदी का सुख महल जो एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें इन लोगों ने कमल का ठेका दे दिया। और आज वह एनवायरमेंट पाइंट आफ व्यू की दृष्टि से बीमारियां फैलाने लगेगा। हमने कल ही बात की है कि उन तालाबों के कमल के ठेके को हटाया जाये।

अगर बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से पूर्णरूपेण हमारी सरकार ऊपर लायी, तो बूंदी जैसलमेर और उदयपुर से कहीं कम नहीं रहेगा। बूंदी में सबसे बड़ा जो हमारे साथ ड्राबेक है, जिससे ट्यूरिज्म लाने में हमें दिक्कत आयेगी, वह है रेलवे लाइन और रेलवे लाइन है तो वहां केवल एक ही गाड़ी निकलती है जो कोटा से चित्तौड़ जाती है। जो बूंदी में रुकती है। और कोई गाड़ी नहीं रुकती। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। पैलेस ऑन व्हील्स का रुकना जरूरी है वहां। पैलेस ऑन व्हील्स रुके और कोटा एयरपोर्ट चूंकि अब टाप सिटीज पर आ चुका है उसको कोटा और बूंदी के बीच में तालेड़ा में लाया जाये ताकि ट्यूरिज्म की दृष्टि से विदेशी पर्यटक हमारे यहां आ सके।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : उद्योगों के मामले में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। पूर्ववर्ती सरकार के जमाने में जे.के. जैसी फैक्ट्री बंद हो गई और बंद हुई सो हुई, सबसे बड़ी बात यह हुई कि वहां के लोग, जो बेरोजगार हुए, उन लोगों के पास जब पैसे नहीं बचे तो उनकी संतानों ने पढ़ाई नहीं होने पर आत्महत्या करनी शुरु कर दी। फिर भी सरकार पर जूं नहीं रेंगी। बहुत कोशिश की गई कि जे.के. चले। जे.के. को चलाया जाये लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। जो कारखाने कांग्रेस ने खोले थे, कोटा जो इण्डस्ट्रीयल टाउन माना जाता था, मल्टी मेटल्स सिक प्रोजेक्ट हो रहा है, इन्स्ट्रूमेंटशन लिमिटेड सिक प्रोजेक्ट हो रहा है। शर्म आनी चाहिये पूर्ववर्ती सरकार को। हमारे माननीय मन्त्रीगण, जो यहां बैठे हैं उनसे मैं यह आशा करती हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन इकाइयों को चलाने के लिये हमें पूरे-पूरे प्रयास करने चाहिये।

अभी–अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 10 तारीख को अन्ता में उद्‌घाटन किया है। उनको मैं बधाई देना चाहती हूं। उनको हम सभी को बधाई देनी चाहिये।

अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि केशवरायपाटन में जो शुगर मिल है, उसकी हालत यह हो गई है कि वह मिल बंद होने की नौबत में आ गई थी। बीच में मिल बंद हो गई थी। हम लोगों ने किसी तरह से दुबारा 10 दिन पहले मिल को चलवाया। यह पूर्ववर्ती सरकार के समय का बता रही हूं मैं आपको। उस शासनकाल का काला इतिहास बता रही हूं मैं आपको। कितने श्रमिक लेबर हो गये, कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये। उनको दुबारा से रोजगार दिलवाया गया है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि वो मिल अगर सरकार गंगानगर शुगर मिल को दे दे....

श्री सभापति : माननीय अब समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं दो मिनट और चाहूंगी। उस मिल के दो–एक जो खास हैं, इस सरकार ने उस समय कांटे हटवा दिये थे जो कांटे अब स्थापित किये जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं देने के लिये सरकार ने वो कर दिया था, वह ट्रांसपोर्टेशन अब दिलवाया जायेगा किसानों को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उद्योगधन्धों की तरफ ध्यान दिया जाये। चांवल की मंडी जिससे बहुत ज्यादा राजस्व बूंदी को मिलता है, उसे और बढ़ावा दिया जाये। खनिज क्षेत्र जो बूंदी का बहुत मशहूर माना जाता है, उस खनिज क्षेत्र की हालत यह है वहां सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है।

मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि सड़कें बिलकुल चट्टानों के साथ मिल चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया। माफ कीजिएगा, वहां 30-40 पर्सेंट भीलों की आबादी है। मैं आसन के माध्यम से

(श्रीमती ममता शर्मा)

सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाये।

श्री सभापति : माननीय आप समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : टेलीफोन की अन्य व्यवस्था को भी सुधारा जाये। आदरणीय सभापति जी का आदेश है—

श्री जगमाल सिंह यादव : टेलीफोन का काम उनका नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा : सब है, ऐसी बात नहीं है। एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है कमेटी ऊपर लिख-लिख कर भेजती है। ऐसी कोई बात नहीं है, एडवाइजरी कमेटी का काम है।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तो सब्जैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : मैं इतना कहते हुए, मुझे बोलने का जो मौका दिया गया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित कर रही हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो विचार चल रहे हैं मैं भी अपना, इसके साथ समर्थन देता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात 15 मिनट में समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : आप समय सीमा मेरे पर नहीं लगायें। मैं सुबह 11 बजे आता हूं और रात्रि की चाहे आपकी 10 बजे तक विधान सभा चले, लगातार बैठा रहता हूं। मैं उन एम.एल.ए. में से नहीं हूं जो यहां से उठकर चले जाते हैं। बोलकर चले जाते हैं। उनके ऊपर आपने कभी समय सीमा नहीं लगाई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने समय का ध्यान रखें और बोलें।

श्री रामस्वरूप : आपसे करबद्ध निवेदन है, इस प्रकार पहले ही से समय सीमा लगा रहे हो आप। मैं नहीं बोलूंगा। आप चाहते हो तो बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, आसन पर बैठकर मन में मत रखा कीजिए। निष्पक्ष रहिए। सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इनसे ज्यादा विद्वान, ज्ञानवान कोई दूसरा सदस्य कांग्रेस के पास नहीं है। सुझाव आने दीजिए।

श्री सभापति : आपमें अगर सुनने की क्षमता है तो मैं देखूंगा।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति जब देखी तो सबसे पहले इसमें कांग्रेस के इतिहास की जानकारी मिली। वास्तव में सत्य है यह बात। हमारे देश को आजाद कराने वाली यह कांग्रेस थी, जिसने देश के लिये कुर्बानी दी थी, तब हमारे देश को आजादी मिली थी। और आज हमारे जो मा पक्ष में बैठे हुए हैं वो माननीय सदस्य इस राजस्थान के पवित्र सदन में "सत्यमेव जयते" लिखा हुआ है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक भी सत्यता की बात वो नहीं कह रहे हैं। वो अब भी अपनी गलती को नहीं सुधार रहे हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सत्य को सत्य कहें। अगर जनता ने आपकी बात को नकार दिया, कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, तो जनता के फैसले को आपको स्वीकार करना पड़ेगा।

आज आप यह कहते हो कि पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छे काम किये थे। मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किये तो आपकी संख्या 33 क्यों रह गयी ? बताइये क्यों रह गयी 33 ? इसका मतलब आप फालतू+++ करते हो यहां पर बैठकर उनकी। जनता ने आपको नहीं माना है इस बात को आपकी। एक मिनट शांत रहें, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोला हूं, मैं हमेशा शांत होकर सुना हूं। कृपया सुनने का माद्दा रखें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं जो निवेदन कर रहा हूं सत्यता के बारे में कर रहा हूं जो सामने लिख रहा है, अशोक चक्र उसके सामने ही नीचे लिखा हुआ है "सत्यमेव जयते"।

श्री सभापति : आप जो "सत्यमेव जयते" लिखा है उधर ही देखिये।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस के बारे में जो धारणा है आपके दिल में..

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, यह+++ शब्द संसदीय है या असंसदीय है।

श्री रामस्वरूप : नहीं, संसदीय है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बड़ा त्याग और बलिदान का इतिहास है। नेहरु जी ने अपनी संपत्ति और जवानी को कुर्बान किया था। उसी की बेटी श्रीमती इन्दिरा गांधी हुईं, जिसने सीने में 32 गोलियां खाकर देश के लिए शहीद हो गयी थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने जो मंत्री पद का त्याग किया, यह भी बेमिसाल है।

श्री रामस्वरूप : कृपया बीच में नहीं टोकें तो बहुत अच्छा रहे। आप सुनें मेरी बात को, उसके बाद मर्जी आवे जो कहें। पंडित नेहरु की बेटी श्रीमती इन्दिरा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

गांधी हुईं, जो 32 गोली सीने में खाकर देश के लिए शहीद हो गयी थी। उसी का बेटा राजीव गांधी, जो देश के लिए शहीद हो गया था। और आज उसी की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधीजी, जो हमारी कांग्रेस की हिन्दुस्तान की अध्यक्ष हैं। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि एक दिन वह देश की प्रधानमंत्री होंगी चाहे आप कितनी ही बातें कर लो। आज यह सारी कांग्रेस उनके नाम पर, सारी जगह जहां भी सोनिया गांधी जी गयी हैं, वहां जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय डाक्टर साहब, आपको मैंने शांति से सुना था, आप भी सुनें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 48 साल तक पहले भी राज किया था और कांग्रेस के वक्त में जो विकास हुआ है, इस देश के अंदर एक सुई नहीं बनती थी जिसमें आज हवाई जहाज और परमाणु बम बनने लग गये। इससे ज्यादा और क्या विकास होगा। आपका तो कितना कम शासन रहा है और इतने कम शासन के अन्दर बड़े शर्म की बात है कि हमारे इस पवित्र सदन के अन्दर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा हुई है तो महिलाओं के बलात्कार की चर्चा हुई है। यह शर्म आने की बात है। आप लोग नारी की बात करते हो।

एक दिन वह था "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" नारी की इस हिन्दुस्तान में पूजा होती थी। अगर आपने सबसे ज्यादा किसी को पीड़ित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दुखी किया है तो नारी के सम्मान को दुखी किया है। उस बहन को दुखी किया है, मां को दुखी किया है। आप जरा गम्भीरता में लीजिये, माननीय सदस्य। मजाक मत उड़ाइये इसका। अगर आपकी बहन के साथ बलात्कार होता, या आपकी मां के साथ बलात्कार होता तो कितना दुःख आपको होता? जो आज इस सदन के अंदर चर्चा हुई है, 90 प्रतिशत चर्चा बलात्कारों की हुई है।

मैं तो कहता हूं इस पवित्र सदन में बलात्कार का भी बलात्कार हो गया। इस शब्द को सुनने में लोग आश्चर्य करते थे लेकिन आज इस शब्द को सुना जा रहा है। कल हमारे आचार्यजी, जो मामड़ा जी को हराकर आये, विद्वान, उन्होंने भी कहा कि इस बलात्कार शब्द को मत चर्चित करो इस सदन के अन्दर। इसका सीधा असर हमारी मां और बहनों पर पड़ता है जो सुबह अखबारों को पढ़ती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं बलात्कार की बात नहीं करूंगा लेकिन आपके शासन काल में कोई शब्द चर्चित हुआ तो यही शब्द हुआ था।

श्री किरोड़ी लाल : नागपुर में क्या हुआ था?

श्री रामस्वरूप : आपने बता दी सारी बात, आप मेरी भी सुन लें। आप धैर्य तो रखें, मैं आपकी बुराई नहीं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कर रहा हूं। मैं सत्यता कह रहा हूं। सदन में सत्यता सामने आनी चाहिए। इसके साथ ही, आपने महिलाओं के साथ इस सदन में भी अन्याय किया था। मेरे यहां की नगर पालिका की चेयरमैन, माननीय डाक्टर साहब, आपने ही उसको सस्पैण्ड करवाया था। मेरी नगरपालिका की चेयरमैन, एस. टी. की, जो निर्विरोध कांग्रेस की चुनी गयी थी, उसको चुनाव से एक महीने पहले, उस महिला को आपने सस्पैण्ड करवाया था आपकी सरकार में। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी।

दूसरा निवेदन, हमारी एक महिला, जो कि सवाई माधोपुर की चेयरमैन थी उसको भी आपने सस्पैण्ड किया। महिलाओं की बात करते हो, आपने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाओं ने, उनकी जो आत्मा की पुकार थी उसको ऊपर वाले ने सुना, और आपका सफाया हो गया। इस लिए एक भी महिमा आज आपकी तरफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला जीती हो तो बता दें। हमारी तरफ हमारी बहनें सेंट परसेंट जीतकर आयी हैं। यह उसी का परिणाम है।

इसलिए हमारी सरकार इसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देगी। और आज यह बलात्कार शब्द, जो चर्चित हो रहा है, आने वाले कांग्रेस के वक्त में देखिये आप, इंतजार करो। यह कांग्रेस के आदरणीय श्री गहलोत हैं जो कि मुख्य मंत्री पद पर पहुंचे हैं। एक दिन अशोक नहीं, अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आप देख लेना। उन्होंने आते ही सबसे पहले अगर कोई काम किया है तो महिला आयोग के बारे में किया है जो महिलाओं की रक्षा करेगा।

ऐसे महान मुख्य मंत्री जिन्होंने 8 दिन के अंदर युवाओं के ऊपर ध्यान दिया और 60 साल की उम्र जो आपने की थी युवाओं के साथ, आपने जो विश्वासघात किया था और उन्होंने आकर 58 साल करके युवाओं के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है।

ऐसे मुख्य मंत्री हैं जो साधुवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ, उन्होंने दूसरा निर्णय लेकर, सबसे बड़ी योजना जो थी नर्सरी योजना, जो बिजली की थी, जिसे आपने लागू किया था। यहां माननीय विद्युत मंत्री जी विराजमान हैं। धन्य है, आपको इस बात का वहां की जनता धन्यवाद दे रही है। आपने इस अत्याचारी योजना को समाप्त करके उस अत्याचारी शासन को समाप्त कर दिया। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी शिक्षा के बारे में आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, कटारिया जी, वे भी जीतकर तो आ गये, हो सकता है इनका व्यक्तिगत कोई स्नेह वहां पर होगा। लेकिन, आदरणीय कटारिया जी, मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से

(श्री रामस्वरूप)

निवेदन करना चाहता हूं, आपके समय में जितने भी आपने काम किये, यह सफेद ड्रैस और खाकी ड्रैस, इसको क्यों बदलवाया आपने ? मुझे इसका कारण बता दें। नीला रंग क्यों आपने किया ? जो नीला रंग कसाई का एक तरह का प्रमाण होता है, उस कसाई के रंग को आपने क्यों लागू किया ? यह बताइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शायद आपको ध्यान होगा, आप पिछली विधान सभा में भी थे और इस बात का जवाब कटारिया जी दे चुके हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, नहीं, नहीं, यह नीले रंग के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते, यह मेरी पार्टी का नीला रंग है और वह इसलिए है कि इन्होंने कुछ कर रखा था।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, सभापति महोदय, नीले रंग के लिए आप ऐसी बात नहीं कर सकते।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह इनकी पार्टी के झण्डे का रंग है नीला और इन्होंने यह कहा है कि +++ का रंग है। इसको कार्यवाही से निकाल दें शालीनता से।

श्री सभापति : इस +++ शब्द को निकाल दें। अब आप विराज जायं, आपकी इच्छा पूरी हो गयी, आप विराज जाएं।

श्री जगत सिंह दायमा : हो गयी, साहब।

श्री सभापति : हां।

श्री जगत सिंह दायमा : ठीक है, साहब।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा कोई विश्वासघात किया जनता के साथ तो वह यह था कि उसका खून और पसीने की कमाई का पैसा पुराने किलों के अन्दर लगाया। ये किले क्या हैं ? ये किले उन गरीबों के खून के बने हुए किले हैं जिनको इन लोगों ने सुधारा और गरीब के साथ अन्याय किया।

मैं तो माननीय मंत्री महोदय, जो नेता महोदय यहां विराजमान हैं, नेता महोदय, यह जितना भी पैसा इसके अन्दर लगाया है, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे विश्वास है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय नेता महोदय इसकी जरूर जांच करवायेंगे ताकि सारी जनता की खून और पसीने की कमाई है जो इसके अन्दर लगी है, जो इन्होंने होटलें

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

खोली हैं, जो इस तरह के पैसे को पानी की तरह बहाया, उसकी आप जांच कराकर जनता के साथ न्याय करेंगे ।

श्री किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, यह जगत सिंह जी के कान में रूई निकलवाइये । यह गलत है । इन्होंने दोनों कानों में रूई डाल रखी है । यह सदन का अपमान है ।

श्री रामस्वरूप : गम्भीरता से सुनें ।

श्री सभापति : आप विराजें ।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत तेज बोलते हैं । इसलिए थोड़ा सा....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर आदमी हैं ।

श्री रामस्वरूप : इसलिए किलों की राजनीति जो इन्होंने चलायी है, आज वे जागीरदारी प्रथा को दुबारा लाना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं हमारी सरकार, जिसने जागीरदारी प्रथा को खतम किया है और गरीबों को गणेश माना है । इन्होंने तो खाली घोषणाएं की थीं, हमारी कांग्रेस सरकार ने गरीब को गणेश माना है और गरीब को सारे अधिकार दिलाये हैं । मुझे विश्वास है कि जांच कराकर इनके नाक से सारा भ्रष्टाचार के पैसे को वापस निकाल लेना आप । भैरोंसिंह जी से तो निकला नहीं । तीसरा मेरा निवेदन है....

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने गरीब को गोबर गणेश माना है ।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मेरा चौथा निवेदन है कि इनका राज जो चला गया इसके पीछे अनेकों कारण थे । अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो कर्मचारियों के साथ अन्याय । आपकी सरकार ने यदि कोई सबसे बड़ा अन्याय किया तो कर्मचारियों के साथ किया था । पुलिस कर्मचारियों के लिए मैंने इसी सदन में मांग की थी कि इनको बसों के पास दे दो, इनको कितनी सी तनख्वाएं मिलती है लेकिन उस निकम्मी सरकार ने इस बात को नहीं सुना और एक पास तक भी उसको अलाउ नहीं कर सकी । अब हमारी संवेदनशील सरकार आ गयी है । मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, निश्चित रूप से उनके साथ आज न्याय होगा ।

इसी प्रकार दूसरा मेरा निवेदन है आपसे कि राज्य कर्मचारी जो अध्यापक हैं, जो गुरुजन थे, जिनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था उन गुरुजनों के साथ इन्होंने क्या किया था ? दो दो महीने तक वे हड़ताल पर रहे लेकिन इस बहरी और गूंगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उन कर्मचारियों के साथ जो अन्याय किया था उसी का परिणाम आज ये भोग रहे हैं और इनकी संख्या 30 पर पहुंच चुकी है । सबसे बड़ा इनकी हार का कारण तो कर्मचारियों के साथ अन्याय था ।

(श्री रामस्वरूप)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारी वर्ग को जो दुखी करेगा तो कर्मचारी वर्ग उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए आप कर्मचारी वर्ग के हित की बात सोचना। तीसरा, मेरा निवेदन है...

श्री सभापति : आप चौथे से तीसरे पर आ गये। चौथे से पांचवें पर चलिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि ये धर्म की बात करते हैं। ये राम–राज्य की बात करते हैं। ये कहते हैं, हम रामराज्य लाएंगे। देख लिया इनका राम–राज्य। इन्हीं के वक्त में मैंने इसी पवित्र सदन के अन्दर महन्तों की हत्या का मामला 3-3 बार उठाया था। ये मेरे ही क्षेत्र के 3 महन्त थे जो राम मन्दिर के थे।

एक हमारे हाजीराव बाबा का सबसे बड़ा मन्दिर है, 12 गांव का, उसके जो महन्तजी थे, पदमपुरा में एक हमारे महन्त थे, तीनों महन्तों की हत्या हुई लेकिन इस +++ सरकार ने, भूतपूर्व जो सरकार है, भैरोंसिहजी के राज में उन महन्तों के हत्यारों का पता तक भी न लगा सके और मुझे 3-3 बार यहां धरने पर बैठना पड़ा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। आपने धर्म का नाम लेकर, के.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ शब्द को हटा दीजिए। (व्यवधान) दुष्ट शब्द को एक्सपंज कर दीजिए।

श्री सभापति : आप बोले हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ शब्द को (व्यवधान) +++ सरकार बोला है।

श्री किरोड़ी लाल : +++ सरकार बोला है। इसको तो एक्सपंज करवाओ।

श्री सभापति : दिखवा लेंगे। अगर असंसदीय होगा तो निकाल देंगे (व्यवधान) दिखवा लेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : +++ के स्थान पर क्या होना चाहिए ?

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। आप क्या बोलते हैं ?

श्री सभापति : आप बोलें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की मांग को लेकर के जब

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

मैं इसी पवित्र सदन के अन्दर, जब आदरणीय, हमारे मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंहजी का राज था उस समय किसानों की बात को जब मैं उठा रहा था तो इसी पवित्र सदन में बिजली मांगी जा रही थी तो इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी। इन्होंने उस समय विद्युत देने के बजाय इसी पवित्र सदन के सदस्य के पैर में चोट पहुंचाई और 4 महीने तक इनकी पार्टी को मैं रोता रहा। इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो आम जनता के साथ क्या-क्या व्यवहार करेंगे। आज इसी का परिणाम है कि आपने मेरी टांग तोड़ दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी टांग ? सभापति महोदय, यह आरोप लगा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने इनकी टांग तोड़ दी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कौनसी टांग थी, दायीं या बायीं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप मेरे समाचार जानने आए थे। आप मुझे भर्ती करवाकर आए थे। आपने मेरे प्लास्टर चढ़वाया था। आपको उसके लिए धन्यवाद।

लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विद्युत मांगते हुए मेरी टांग को तोड़ा था। लेकिन हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अंदर, जिसमें 2 तहसीलें आती हैं, नादौती और टोडाभीम, आपको इस बात को सुनकर के आश्चर्य होगा कि आपने मेरी टांग को तोड़ा तो वहां की जनता ने आपकी पार्टी की टांग को तोड़ दिया और जो सारी राष्ट्रीय पार्टियां थी (व्यवधान) 4-4 बार आपके हैलीकॉप्टर उतरे थे, सबकी जमानतें जब्त करके, आपको बैरंग लौटा दिया। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी ? इससे पता चलता है कि वास्तव में आपने टांग तोड़ी उसके ये परिणाम होते हैं।

श्री सभापति : आप आसन की तरफ मुंह करके बोलिये, माननीय।

श्री रामस्वरूप : जनता ने इस बात का प्रमाण दिया है। (व्यवधान) आपसे इस पवित्र सदन के अंदर मैंने जनता के लिये लड़ाई लड़ी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, जुगताराम का जो प्रकरण हुआ उसके बारे में आप जरा बयान करें। जुगतारामजी का जो प्रकरण था उस पर आप प्रकाश डालें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता ने जो फैसला दिया है, आज इस राजस्थान के अन्दर एक इतिहास बनाकर टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की जनता ने भेजा है, सबकी जमानतें जब्त करवाकर के एक इतिहास कायम किया है। यह सब आपके कर्मों का फल है। चाहे

(श्री रामस्वरूप)

आज कितनी तालियां पीटिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी एक बात और कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन्होंने जमानत जब्त करवाई है बी.जे.पी. और कांग्रेस की, हमारे माननीय सदस्य ...

श्री रामस्वरूप : नहीं, सारी पार्टियों की जमानत जब्त हुई है। आपकी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। सारी पार्टियों की जमानत जब्त हुई है।

श्री सभापति : माननीय दायमाजी, आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, मैं जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : सबको जानकारी है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय आहिर आजाद ने भी कांग्रेस और बी.जे.पी. सभी पार्टियों की जमानत जब्त करवाई है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप आहिर आजाद नहीं हो, आप अपनी बात करिये।

श्री सभापति : अब आप विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं अपनी बात करता हूं। मैंने कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई है, बोलिये।

श्री सभापति : आप विराजिए, विराजिए।

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम में सारी पार्टियों की जमानत जब्त हुई है, सारी राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्त हुई है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी?

श्री किरोड़ी लाल : इतना बड़ा मैंडेट जनता ने रामस्वरूपजी को दिया है तो इनको मंत्री तो बनवा दो।

श्री गोरधन दास : सभापति महोदय, आधा घण्टा समय रहा है। कितने वक्ता बाकी शेष हैं, कृपया उनका नाम बता दें। (व्यवधान) कल से इन्तजार कर रहे हैं, यह क्या हो रहा है सदन में, इण्टरप्शन करके समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप : समय हमारा जा रहा है, आपका नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जा रही थी, उस समय कई निर्णय उन्होंने ऐसे लिये थे जो वे ले भी सकते थे। इन्होंने हाऊसिंग बोर्ड के अन्दर जितनी भी नियुक्तियां करवाई थीं, एक महीने पहले जब इनकी सरकार जा रही थी इन्होंने पैसे खाकर के सारी नियुक्तियां करवाई

(श्री रामस्वरूप)

थीं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। यह मामला सिर्फ हाऊसिंग बोर्ड का नहीं है। अन्य दूसरे भी बोर्ड हैं। उन सबके अन्दर इसी प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं।

माननीय नेता महोदय से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की नियुक्तियां जो इन्होंने करवाई हैं, उनकी आप जांच करवाकर के उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री सभापति : माननीय, आप समय सीमा का ध्यान रखें। अभी आपके दल के कई सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामस्वरूप ; माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर अत्याचार हुए थे। यह बात आप भी बिलकुल सही मान रहे हो क्योंकि आपकी सरकार थी उस समय। हरिजनों के दूल्हों को घोड़ी पर से उतारकर के उनके साथ जो व्यवहार किया, वह भी आपको पता है। हमारे एस.पी. थे वी.के. मीणा, जिसके साथ आप लोगों ने जो अन्याय किया था, मैंने इसी सदन के अन्दर वह मसला उठाया था। लेकिन आपकी सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे सकी थी। इसी प्रकार एडिशनल एस. पी. गोपाल मीणा थे, उसको आत्महत्या आपने बताया।

मैंने इसी पवित्र सदन में 3 दिन तक लगातार उसके ऊपर धरने दिये थे। लेकिन आपने आत्महत्या बताते हुए अपने अधिकारियों को बचाया था, जबकि एडिशनल एस. पी. की हत्या की गयी थी। यह शर्म की बात है कि आपने अधिकारियों को बचाने के लिए इस सदन में आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं कहां तक आपके उन अपराधों को गिनाऊं। आपके लिए 50–50 धरने का रिकार्ड यहां बन गया। शर्म आने की बात है। आपकी सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं मानी। चाहे बिजली की बात हो। मेरे 132 का ग्रिड था जिसकी जमीन स्वीकृत हो गयी थी, सारे काम हो गये थे लेकिन आपकी सरकार ने जाते–जाते मेरी इस जमीन को भी रुकवा दिया और आज तक 132 का ग्रिड स्टेशन आपने नहीं लगवाने दिया।

लेकिन मुझे मंत्रीजी पर भरोसा है। जहां सरकार उस ग्रिड को लगा चाहती है, वहां जरूर ग्रिड लगायेंगे। मुझे भरोसा है इस बात के लिये। अब आपका अन्यायी शासन चला गया। इसी प्रकार मेरी पानी की योजनाएं है जो राज्य सरकार में विचाराधीन हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप : मेरी जो टंकी थी, उसको रुकवा दिया आपने। अब मुझे भरोसा है, हमारे आदरणीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के अन्दर..

श्री सभापति : आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप : एक मिनट, ओनली वन मिनट।। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जब किसी को एतराज नहीं है तो आप क्यों समाप्त करवा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सिर्फ 10 मिनट और दें, सिर्फ 10 मिनट बोल लें।

श्री किरोड़ी लाल : सिर्फ 10 मिनट। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय राजेन्द्रजी, आप जनता को रि-प्रजेण्ट नहीं कर रहे है, हम कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : हमारे आदरणीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। वे योग्य और ईमानदार आदमी हैं। मुझे भरोसा है, मेरे क्षेत्र की सड़क, जिनका पैसा भी इन्होंने मन्जूर कर दिया था लेकिन मैं चुनाव में नहीं जीत जाऊं, इसके कारण ही इन्होंने मेरी सड़कों को रोका था। जो सड़कें मेरी स्वीकृत शुदा पड़ी है, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अब और बननी हैं। अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं जिनका पैसा भी इन्होंने स्वीकृत कर दिया था लेकिन रोक दिया है।

मुझे भरोसा है, माननीय मंत्रीजी मेरी सड़कों को जरूर बनवाएंगे। जो गुढ़ा चंदोली से पाल गुवाई सड़क है, एक गुढ़ा चंदोली से लेकर के रायसेना वाली सड़क है, जिसका मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था और मुझे भरोसा है मेरे सारे काम होंगे। चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : अब हमारी संवेदनशील सरकार आ गयी है। मुझे भरोसा है कि पिछली सरकार ने जो अन्याय हमारे साथ किया था, वर्तमान सरकार में हमारे साथ न्याय होगा। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय श्री अशोकजी गहलोत, जिनको अशोक महान के नाम से मैंने कहा है-मुझे विश्वास है, आने वाले वर्ष में आप इंतजार करे, 40 साल में जो आपका यह शासन आया था ढाई-ढाई साल के लिए, लेकिन भरोसा कर लेना, यह कांग्रेस की सरकार वह काम करेगी, ऐतिहासिक काम, जिन कामों के द्वारा आपका दुबारा 40 साल में नम्बर भी नहीं आएगा। जय भारत, जयहिन्द। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रीचन्द जी कृपलानी। आप बोले, उससे पूर्व थोड़ा सा आप मेरा अनुरोध सुन लें। आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन अध्यक्ष महोदय के...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : समाप्त हो गया ? फिर मैं क्या बोलूं ? —

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का राज समाप्त हुआ है, पार्टी का समय समाप्त नहीं हुआ। हम 2 थे, लोकसभा में 2 रह गये थे, पिछली बार 190 आए। इस इस तरह के रिमार्क को आप वापस लें। (व्यवधान) राज समाप्त हो गया लेकिन पार्टी समाप्त नहीं हुई।

श्री सभापति : जो निर्धारित समय था। (व्यवधान) हां-हां। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपकी समय सीमा निर्धारित की जाती है, आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बिलकुल, 5 मिनट का समय और लूंगा।

श्री सभापति : नहीं, समय आगे नहीं बढ़ेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय समय समाप्त हो गया, आप यह कहकर के हतोत्साहित नहीं करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि माइक को थोड़ा ऊंचा करवाएं। मेरी पीठ में दर्द होने लग गया। (व्यवधान) बहुत नीचे है।

श्री किरोड़ी लाल : सभापतिजी, यह समस्या तो हमारे सबके साथ है। इसको थोड़ा ऊंचा तो करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बहुत नीचे है।

श्री सभापति : यह समस्या सभापति के सामने भी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में जिस तरह महुवा से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी ने प्रस्ताव रखा था, उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, काम तो करा लेंगे आप चिन्ता मत करो। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण की जो शुरुआत आपने करवाई, उसमें इस देश को आजाद हुए 50 वर्ष हुए। हमारे देश ने स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया। इस देश को बड़ी मुश्किल से लाखों करोड़ों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां देकर आजाद कराया।

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसी पार्टी, उसका जिक्र करो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उसका जिक्र किया गया, कांग्रेस पार्टी ने, अभी बता रहा हूं मैं। लेकिन सभापति महोदय, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इसमें वर्णन किया गया है, उस समय कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस समय कांग्रेस पार्टी स्वतन्त्रता सैनानियों का एक संगठन था जिसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता था। उसमें सभी तरह के विचार

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

के व्यक्ति शामिल थे और शायद मेरे सामने विराजमान माननीय सभी सदस्यों को अच्छी तरह से ध्यान होगा कि जब यह देश आजाद हुआ था, तब महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले एक बात कही थी, इस कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिये। इसको भंग कर देना चाहिए और अपनी अपनी पार्टी बनाकर, आप राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़िए।

लेकिन उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेस पार्टी, जो कि एक राजनीतिक दल नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन था, उसका दुरुपयोग करके इस देश पर सत्तासीन हुए। मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी माननीय सदस्य खड़े होकर पूछ रहे थे, कह रहे थे कि कौनसी पार्टी, उसका जिक्र करो।

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि आज के 50 साल पहले की कांग्रेस पार्टी के नेता और आज ये विराजमान नेता, इसमें क्या परिवर्तन, क्या फर्क है यह आपको अच्छी तरह से पता है। जमीन आसमान का फर्क है। कहां तो वो कांग्रेस पार्टी देश भक्त लोगों की पार्टी, कहां वो कांग्रेस ईमानदारों की पार्टी, कहां वो कांग्रेस चरित्रवान, समाजसेवी लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की पार्टी, कहां यह भ्रष्ट लोगों की पार्टी। कहां इस देश को बरबाद करने वालों की पार्टी, कहां अत्याचारियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। यह बात ठीक है कि आज आप 150 की संख्या में राज करने के लिए आ गये। जनादेश आपको मिला है, लेकिन आपको यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि राज्यपाल के अभिभाषण में आपने यह बात कही है कि जितनी भी पूर्ववर्ती सरकार; 8 साल तक भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने दुनियां भर के बुरे काम किए। अत्याचार किये, महिलाओं पर अत्याचार हुये। भ्रष्टाचार हुए, चोरियां हुई, डकैतियां हुई, जितने भी बुरे काम थे वो भैरोंसिंह जी के राज में हुए।

लेकिन अब कुशासन शब्द यूज में लिया गया। शायद आप इस बात को भूल रहे हैं; 77 में जब जनता पार्टी का शासन आया था उसके पहले लगातार आपका शासन इस देश पर रहा है। तो क्या उस समय लगातार, जबसे देश को स्वतन्त्रता मिली तब से आप राज कर रहे हैं तब तक आपने भी कुशासन किया ? 1990 में जब भैरोंसिंह जी का राज आया उसके पहले अगर आप यह मानते, 90 से 93 के बीच में शेखावत साहब का राज रहा।

अगर हमारा कुशासन था, आप मानते हैं कि 8 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, और आप 150 की संख्या में जीत कर आये, तो 1993 के बाद वापस जब चुनाव हुए, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में राज किया। आज हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का राज है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को अब बिल्ली के भाग से छींका टूट गया है, +++ है, नाखून मिल गया है और खुजा खुजा के इनकी जो स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह के वक्तव्य ये दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं दूसरी बार चुनकर आया हूं, मैं भी नया सदस्य हूं।

लेकिन जिस तरह के राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ताधारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने विचार रखे, वास्तव में मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ। मुझे इस बात की शर्म आती है कि मैं चुनाव क्यों जीता, हार जाता तो बेहतर था। क्योंकि जिस तरह के वक्तव्य ये दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, बड़े-बड़े नेताओं के लिए, जिस तरह के विचार माननीय कुम्भाराम जी आर्य के लिए रखे, जिस तरह डामर खाने की बातें की गई, जिस तरह गुड़ खाने की बातें की गई, वास्तव में मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं यह बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो बात आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, भ्रष्टाचार पर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप आलू और प्याज के नाम पर जरूर चुनाव जीतकर आये हो, मैं आपको यह भी कह सकता हूं आप जिस नेता के नाम पर वोट मांगते हो, जिस प्याज और आलू के नाम पर आपने वोट मांगे, उस नेता के सामने आलू और प्याज लाकर रख दे तो पहचान ही नहीं पायेंगे कि कौनसा आलू है, कौनसा प्याज। फर्क ही महसूस नहीं कर सकते। आज कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का नारा दे रही है।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में जब कांग्रेस पार्टी का देश में और राज्य में शासन रहा, कितना भ्रष्टाचार उस कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है।

1956 में हीरों की खान के मालिक सिराजुद्दीन की जो डायरी जब्त की गई, उसमें 60 लाख का मामला पाया गया। 1975 में मारुति उद्योग को तीन सौ करोड़ की जमीन देने का मामला था उसमें आपके बहुत बड़े युवा नेता थे 190 करोड़

(18.46 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

रुपये का उसमें घपला हुआ। 1980 में इण्डियन आयल की निविदाओं में हेर फेर हुआ, और 9 करोड़ का उसमें घपला हुआ। बोफोर्स घोटाला हुआ जिसमें 68 करोड़ रुपये का घपला हुआ। कोयला घोटाला हुआ 50 करोड़ रुपये का। इस तरह काफी घोटाले

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

हैं। अभी तो लम्बी लिस्ट है घोटालों की, निश्चित रहो, अभी आप सुनने की क्षमता रखो।

नागरिक उड्डयन मंत्री, अभी तो 50 साल से चलते-चलते मैं आपके शासन तक आ रहा हूं। सुनने की क्षमता रखिए। आसमान में, जमीन में, पानी में, कहीं भी आपने भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालयों में 200 करोड़ का घपला हुआ, कृषि घोटाला हुआ, कर्नाटक में 500 करोड़ रुपए का घपला हुआ।

माननीय सभापति महोदय, लिस्ट बहुत लम्बी है। मैं बताना नहीं चाहता, पैट्रोल का सतीश शर्मा, बोलूं, सतीश शर्मा वाला पैट्रोल पम्प का घोटाला हुआ जिसमें कोर्ट ने भी आपके खिलाफ डिसिजन दिया और सारे पैट्रोल पम्प के लाइसेन्स निरस्त किये। +++ लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम कानून व्यवस्था को सुधारेंगे। कानून व्यवस्था पिछले 8 वर्षों में बहुत ज्यादा बिगड़ गई है।

मैं सभापति महोदय, मेरे पास अखबार आते हैं। मैं 5-7 दिन से सब अखबारों की कटिंग काट रहा था। पिछले 8 दिनों में, जब से माननीय अशोक गहलोत जी का राज, अभी तो दो महीने हो गये, 8 दिन की कटिंगें बता रहा हूं। 8 दिनों में सिर्फ जयपुर जिले में और जयपुर जिले के आस-पास में कितनी घटनाएं हुई ? 4 जनवरी को तलवार से युवक घायल हुआ। 6 वारदातें हजारों लाखों का माल चोरी हुआ जयपुर जिले में। उसके बाद 5 जनवरी को 8 वारदातें हुई जिसमें हजारों का माल चोरी हुआ। उसके बाद 5 जनवरी को धारदार हथियार से चौकीदार की हत्या की गई। युवक गम्भीर घायल हुआ। स्कूटर की डिक्की से, यह 7 जनवरी का मामला है, राजेन्द्र सिंह राठौड़ पर 6 जनवरी को हमला हुआ। चाय और सिगरेट के गोदाम पर लूट हुई। 6 जनवरी को नशीली चाय पिलाकर सवा लाख के जेवरात लूटे। मानसरोवर थाने के बाहर औरतों में मारपीट हुई। युवकों को चाकूओं से गोदकर घायल किया गया। ये 7 जनवरी को।

इस तरह की आधा दर्जन वारदातों में कार और दुपहिया वाहन हैं, उनकी चोरियां हुई। चालक को पेड़ से बांधकर ट्रक लूट लिया जयपुर जिले में। अज्ञात छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को चाकू मार दिया। दुकान में सेंध मारकर, माननीय सभापति महोदय, अगर मैं बताऊं आपको यह सिर्फ 5 दिन की खबरें हैं। आप कानून और व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, क्या कानून और व्यवस्था संभालेंगे। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है सभापति महोदय कि जिस कानून व्यवस्था को आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ओमचन्द कृपलानी)

बात करते हैं, जिस प्रशासन को चलाने की बात करते हैं, प्रशासन आप सही चलाते तो कांग्रेस पार्टी का राज पहले भी नहीं जाता। आपका राज चलता रहता।

सभापति महोदय, मैं परसादीलालजी को भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि, यह गोली मारने की धमकी दे रहे थे, हम भी आपके साथी हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि श्री किरोड़ीलालजी, बाद में बात कर लेना इनसे।

मैं सभापति महोदय, आपसे इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक अक्टूबर को पूर्ववर्ती सरकार ने, भैरोंसिंहजी की सरकार ने पूरे राजस्थान में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये थे जिसमें करीब चार लाख लेबर की स्वीकृति दी थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आये, और चुनाव के परिणाम आने के बाद, जहां तक मैं मेरे जिले की बात कर सकता हूं, चित्तौड़ जिले में जितने भी विकास कार्य शेखावत साहब की सरकार में अकाल राहत कार्य के माध्यम से प्रारम्भ हुए थे, चुनाव जीतने के दूसरे दिन जितने भी आपके कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने पी.डब्ल्यू.डी. के ए. ईएन. को पंचायत समिति के बी.डी.ओज. को और सबको बुलाकर यह निर्देश दिये कि जितने भी मेट हैं, उनको हटाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेट में लगा लिया जाए।

सभापति महोदय, उसके बाद मेट हटा दिये गये जो ईमानदारी से वहां काम कर रहे थे। उन मेट्स को हटाकर कांग्रेस पार्टी के मेट लगा दिये। उसका मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। अफसोस इस बात का हुआ कि मेट हटाने के बाद उन मेटों ने वहां पर जाकर जो लेबर काम कर रही थी, हैण्ड टू माउथ जो गरीब आदमी हैं, जिसको खाने का दाना नहीं, जो वहां काम कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने बी. जे.पी. को वोट दिया है या कांग्रेस को ? बी.जे.पी. को वोट दिया तो उसको लात लगाकर भगा दिया और कांग्रेस को वोट देने वाले को उन्होंने गले लगाया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है।

मजदूरों में भी कांग्रेस और बी.जे.पी. को ढूंढते हो आप। क्या राज चलाओगे, क्या गरीबों का भला करोगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, इस तरह की स्थिति चित्तौड़ में ही नहीं, पूरे राजस्थान में बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि मेट हटा दिये, रिलीफ वर्क में यह किया। सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता सम्भालते ही रिलीफ वर्क की कोई सीलिंग नहीं की..(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं सोलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)..

श्री परसादी लाल : आप सुनिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं सीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री परसादी लाल : आप पूरी बात सुन लो।

श्री सभापति : माननीय राज्य मंत्री महोदय, आप इनके भाषण में रुकावट पैदा मत करिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : मेरी सुनो आप। सरकार पर आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय कृपलानी।

श्री परसादी लाल : नहीं-नहीं, आरोप लगाया जा रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सभापति महोदय, मैं....(व्यवधान)....

श्री परसादी लाल : एक मिनट।

श्री सभापति : आप विराजिये। नहीं, आप इनके भाषण में विघ्न मत डालिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : नहीं, मैं रिलीफ मिनिस्टर हूं इसलिए कह रहा हूं। आप सुनो इसको एक मिनट।..(व्यवधान)..

श्री सभापति : नहीं-नहीं, अभी हस्तक्षेप का टाइम नहीं है। इस समय हस्तक्षेप का टाइम नहीं है। आपको टाइम मिलेगा रिप्लाई के लिये।

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य कोई शिकायत करेंगे तो कलक्टर को निर्देश देकर के....

श्री सभापति : प्लीज कंटिन्यू।

श्री परसादी लाल : किसी भी मजदूर को नहीं हटाने की बात है। जितनी लेबर लगाना चाहें उतनी लगा सकते हैं।

श्री सभापति : आनरेबल कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपको पता नहीं है। आप तो यहां पर मंत्री बनकर विराजमान हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कृपलानीजी। क्या हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपके क्षेत्र में ही क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता..(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, इनको तो बैठाइये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उस चीज को मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप भाषण चालू रखिये, वे बैठ जाएंगे। आप बोलिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर सड़कों के बारे में चर्चा हुई। सड़कों के बारे में चर्चा हुई। चालीस वर्षों में...(व्यवधान)...

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : हां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से आज की कार्यवाही के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं-नहीं, नहीं है। बिना पूछे ही....

श्री खेतसिंह राठौड़ : धन्यवाद।

श्री सभापति : पूछ लिया न, आपकी अनुमति है। आपकी अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री सभापति : आपकी अनुमति है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, चालीस वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने 47 हजार सात सौ....

श्री सभापति : सत्ता-पक्ष के चीफ-व्हिप का जो प्रस्ताव होता है, वह इस बात का परिचायक है कि बहुमत यह चाहता है कि टाइम बढ़ाया जाना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप पूछते तो सही।

श्री सभापति : पूछ लिया और क्या पूछते ? मैंने आपसे अनुमति ले ली, पूछ लिया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री श्रीचन्द कृपलानी :—किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और आठ वर्षों में 38,188 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम दो हजार की आबादी को, पंचायत हैड-क्वार्टर को, एक हजार की आबादी को सड़कों से जोड़ेंगे।

सभापति महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की थी, और घोषणाओं पर क्रियान्विति की थी, आज राजस्थान के सारे पंचायत हैड-क्वार्टर सड़कों से जुड़ गये। अब दो हजार से पन्द्रह सौ और एक हजार की आबादी को नीति बनाकर के, सड़क नीति बनाकर के सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : नहीं, पांच मिनट नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बिजली के बारे में बात की जा रही थी।

श्री सभापति : आप दो मिनट में ही अपनी बात कहें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, बिजली के बारे में बातचीत की जा रही थी। शायद परसादीलालजी मीणा अभी बोल रहे थे। मैं माननीय मंत्रीजी को यह याद दिलाना चाहूंगा कि 1990 में जब मैं विधायक था, उस समय आपने इमीडिएट प्रायोरिटी कनेक्शन के बारे में चर्चा में भाग लिया था। इमीडिएट प्रायोरिटी कनेक्शन को जब हमारी सरकार ने बन्द किया था तो उस समय आपने विरोध किया था कि नहीं, इमीडिएट प्रायोरिटी कनेक्शन चलना चाहिये। और आज आपने कहा कि इमीडिएट प्रायोरिटी कनेक्शन पहले चलाकर और अब नर्सरी योजना चलाकर के किसानों के साथ नुकसान किया गया है। आपको शायद यह बात याद होगी। आपने उसका समर्थन किया था। भले ही आप प्रोसीडिंग उठाकर के देख लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उधर कोई इशारा और संकेत नहीं करें। आप मेरी तरफ देखिये।

श्री खेतसिंह राठौड़: माननीय सभापति महोदय, इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया था। इनको कहें कि वे कन्क्लूड करें।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड.

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान में पेयजल की क्या स्थिति है, यह आपसे छिपी हुई नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेयजल का जिक्र जरूर किया गया है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन आज जब सर्दियों का मौसम है, चित्तौड़ जिले के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पूरे जिले में पानी के लिये त्राहि-त्राहि मच रही है। ट्यूबवैल्स का पानी 600 फीट नीचे चला गया है। न तो ट्यूबवैल्स में पानी है और न हैण्डपम्प्स में पानी है। और हैण्डपम्प अगर कहीं थोड़े बहुत चल रहे हैं, बाकी अधिकतर तो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं या बंद पड़े हैं या यह पानी के अभाव में सूख रहे हैं, लेकिन थोड़े-बहुत हैण्डपम्प भी अगर कहीं ठीक होने की स्थिति में हैं तो आपके पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के पास पाइप नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाइप्स की व्यवस्था करायी जाए। आज पेयजल के बारे में आप अगर देखें अगर आप इसकी समीक्षा करें....

श्री सभापति : कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : तो आपको लगेगा कि 1026 करोड़ रुपये चालीस वर्ष में पेयजल पर पूर्ववर्ती सरकार ने खर्च किये और भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

ने 2293 करोड़ रुपये खर्च किये। फ्लोराइडयुक्त पानी पर 300 करोड़ रुपये की योजना बनाकर उससे निजात दिलायी गयी। बीसलपुर योजना पर 132 करोड़ रुपये खर्च किये गये। जोधपुर में लिफ्ट निर्माण पर 223 करोड़ रुपये खर्च किये गये और भाजपा शासन में 64,999 हैण्डपम्प लगाये गये। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में हैण्डपम्प लगाया गया। मिडल स्कूलों में भी हैण्डपम्प लगाने के सरकार ने आदेश दिये।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आज आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद, आपको शायद ध्यान होगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार देश के प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध मधुर किये थे। और अभी भी कुछ दिन पूर्व भारत से पाकिस्तान बस प्रारम्भ की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु के भी विस्फोट किये। उसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने खिल्ली उड़ायी। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है।

अगर आप ईमानदारी से इस बात पर विचार करें कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिये पिछले छः महीनों में जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिये, अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे। यह बात ठीक है कि चुनावों में हार-जीत होती रहती है। आज आप सामने हो और हम इधर हैं, तो कल हम भी उधर आ सकते हैं और आप इधर आ सकते हो। लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिये।

सभापति महोदय, भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार जो पिछले आठ साल से राजस्थान में कार्य कर रही थी, हो सकता है कि किन्हीं कारणों से हार गयी हो लेकिन आज तक चालीस साल में कांग्रेस पार्टी ने

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कभी बारानी जमीन पर लगान माफ नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी ने, ग्रामीण क्षेत्रों का जो भला होना चाहिये, आज भैरोंसिंह जी जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम 62 प्रतिशत पैसा गांवों के विकास में लगाएंगे।

श्री सभापति : कृपया अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गांवों के विकास में लगा है। पांच नये जिले बनें।

श्री खेतसिंह राठोड़ : भैरोंसिंहजी ने निहाल कर दिया तो फिर 33 ही क्यों रह गये हो? भैरोंसिंहजी ने यह कर दिया, भैरोंसिंहजी ने यह कर दिया तो आप 33 क्यों रह गये?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : रह जाते हैं वह तो। 35 साल तक आपने पहले राज किया तो भी आप ऐसे ही रह गये थे। 1977 में। राजनीति में यह तो चलता ही रहता है। चुंगी को समाप्त किया।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : इनके कारण क्या हैं, कारण तो बता दीजिये। आप किन कारणों से हार गये। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की आरक्षण की यहां बात की गयी। महिलाओं के आरक्षण की बात आज महिलाएं कर रही थीं। अभी जब लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब महिला आरक्षण बिल पेश किया तो किसने विरोध किया ? कौन चुप रहा वहां पर। मुझे बड़ा दुःख होता है कि वह पार्टी आज महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है।

श्री सभापति : आप दिल्ली की पार्लियामेंट की बात नहीं करें, असेम्बली की बात करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह तो भैरोंसिंहजी शेखावत हैं जिन्होंने जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में, सरपंचों और वार्ड पंचों में पूरे राजस्थान में आरक्षण करके व्यवस्था कर दी।

श्री रतनाराम चौधरी : वह आपकी नहीं है। वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट में राजीवजी गांधी प्रधान मंत्री थे उस समय यह आरक्षण किया है और उन्होंने....(व्यवधान) राजीव गांधी जब थे तब उन्होंने किया था।

श्री सभापति : माननीय कृपलानीजी, आपका भाषण समाप्त हुआ। श्रीमती शांति पहाड़िया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में...(व्यवधान)...

श्री सभापति : श्रीमती शांति पहाड़िया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, दो मिनट और बोलना चाहता हूं। खण्डरिया बांध, खाण्डल खेड़ा बांध और रेल का नहरा बांध और भवलिया बांध, कुछ हमारे क्षेत्र की समस्या है...

श्री सभापति : नहीं-नहीं,

श्री श्रीचन्द कृपलानी : दो मिनट में संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की समस्या है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि....

श्री सभापति : नहीं-नहीं, कोई समस्या नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से सरकार निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं स्वागत करती हूं और श्री हरिसिंहजी महुवा ने जो प्रस्ताव रखा है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आप सब लोगों को नये साल की शुभकामना देती हूं। भगवान सबको खुशहाल रखे।

श्रीमान्जी, मैंने विपक्ष से बहुत सी बातें सुनी हैं लेकिन मन में बड़ा दुःख होता है कि यह अपने आपकी तारीफ किस वजह से कर रहे हैं। इनके कारनामें तो सारे सामने आये हुए हैं। उसके बावजूद भी यह किस तरह से कहते हैं कि हमने तो यह किया, वह किया। क्या किया? उन्होंने यही काम किया है कि बड़ी-बड़ी घोषणा की है लेकिन काम कुछ किया नहीं है। कहीं पर भी काम शुरू किया हो तो वे बतायें कि यह काम हमने किया है। रोड्स को ले लीजिये। रोड्स पर आये दिन एक्सीडेंट क्यों होते हैं। इसी कारण से होते हैं कि रोड्स टूटी-फूटी पड़ी हैं। जो हमने नेशनल लेबल की रोड बनायी थी उन पर समय समय पर मरम्मत भी नहीं करवाई हैं और उस पर एक पत्ती भी नहीं लगी है। इसलिए यह सारे एक्सीडेंट हुए हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगी, हमारे कटारियाजी चले गये, वे कहते थे कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन इनसे यह पूछिये कि क्या कागजों में ही वे मास्टर चढ़ा रखे हैं या वास्तव में मास्टर भेजे हुए हैं। कोई मास्टर है ही नहीं।

इसके साथ दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जैसे वे गरीबी का ठेका ले रहे थे। इनसे गरीब कौन होगा कि विधवा महिलाओं की पेंशन है, वह बंद कर दी। उनसे गरीब कौन होगा? जो विकलांग है उनकी पेंशन बंद कर दी। उनसे गरीब कौन होगा जिनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, उनकी पेंशन इन्होंने खत्म कर दी। यह देना चाहिये आपको। हमारी सरकार आयी है।

मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि इसको चालू करेंगे और चालू करके ऐसे विकलांग, जिनको अन्त तक पेंशन इनको देनी चाहिये और विधवाओं को भी देनी चाहिये। कई महिलाएं ऐसी हैं, अभी एक कांड ग्राम आमोली, जिला भरतपुर में ट्रक एक्सीडेंट का यहां पर हुआ था। उसको मैंने देखा है कि उसमें अठारह साल की और बीस साल की लड़कियां जिनके दो-दो, तीन-तीन बच्चे हैं। इस कांड में वे विधवा हो गई हैं शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। हमारे राजस्थान में पूरे में कर देते हैं। छोटी-छोटी उम्र के लोगों की शादी कर देते हैं। उनके दो-दो, तीन-तीन बच्चे हैं, उपरोक्त घटना के कारण वे बीस बेवा असहाय बैठी हुई हैं। ऐसे में इनको कौन खिला देगा, जिनकी पेंशन बंद हो गयी। जो भूतपूर्व सरकार थी, उसने उनकी भी पेंशन बंद कर दी।

(19.00 बजे)

कटारिया जी को कहने में, मुझे खुद

(श्रीमती शांति पहाड़िया)

शर्म आती है कि कटारिया जी उन गरीबों के ठेकेदार बन रहे थे। तो उन गरीबों की पेंशन क्यों खत्म की? यह नहीं करना चाहिये उनको।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि गांवों में डिस्पेंसरीज खोली गयी हैं कहीं—कहीं। सब जगह तो नहीं खोलीं; लेकिन वहां पर भी कोई नर्स या डाक्टर नहीं है, कोई नहीं है। न कोई रोड है। इनकी किताबों में रोड लिखी हुई है, लेकिन वहां पर कोई रोड नहीं है। कोई बीमार हो जाता है तो वहां कन्धे पर लादकर या किसी औरत के डिलीवरी होने वाली है, तो उसे खाट पर पटककर गांव में ले जाते हैं।

इस तरह की स्थिति अब तक चल रही है और इससे भी अधिक आपको गरीबी की बताऊं। आप गरीबों के ठेकेदार थे। आप गरीब को गणेश मानते थे। 1980 में पहाड़िया जी नलकूप की योजना लाए थे। उस नलकूप योजना में हमने कितने हैण्डपम्प लगवाये। आज हमारे हरिजन भाई मांग-मांगकर पानी पी रहे हैं। आठ साल से मांग-मांगकर पानी पी रहे हैं। इनको गर्मी में पानी नहीं मिलता और पानी ऐसी चीज है जो कि गर्मी में सबको चाहिये और सर्दी में तो फिर भी कोई दे देता है। आप लोगों से ऐसे हैण्डपम्प तक ठीक नहीं हुए और बड़े काम क्या करोगे?

आप कहते हैं कि हमारे, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, यह कहा था कि इधर तो पनडुब्बी का खा गये, इस डुब्बी का खा गये; उस डुब्बी का खा गये, जाने कैसे-कैसे नाम दिये। लेकिन मुझे शर्म आती है भाखड़ा-नांगल के समय में इन्होंने टांग अड़ाई थी कि भाखड़ा-नांगल से सारी दिल्ली और पूरा हिन्दुस्तान बह जाएगा। आज भाखड़ा नांगल की देन है जो आज किसान माला-माल हो रहे हैं। आप क्या कहते हो।

इसके साथ हमने ट्रैक्टर चलाए थे। ट्रैक्टर के लिये यह कहते थे कि किसानों; ट्रैक्टर मत जुतवाना, नहीं तो वह जमीन की उर्वरा शक्ति खींच लेगा। आप उल्टी बात लाये। शुरू में सारे ट्रैक्टरों से तो हम घर-घर लेकर अपने एक-एक खेत में फ्री में जोतते फिरे और फिर आज देख लिया। आपके जमाने में ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं। (व्यवधान) आप सुन लीजिये पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौनसे देश की बात कर रही हैं, आप हिन्दुस्तान की बात कर रही हैं?....(व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : आप सुन लीजिये पहले बैठकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य जब भी बात करें आप पानी को फूं कहते थे फूं। आप पानी को फूं कहते थे। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : अभी एक सदस्य कह रहे थे (व्यवधान) आप भी कह रहे थे कि इतनी आबादी बढ़ी जा रही है। (व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : इनकी बात को शांतिपूर्वक सुनेंगे। कम से कम एक घण्टा बोला जाना चाहिये।

श्रीमती शांति पहाड़िया : एक मिनट सुन लीजिये। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं। (व्यवधान) एक मिनट सुनिये। आप सुन लीजिये। अभी आप कह रहे थे कि इतनी जनरेशन बढ़ी जा रही है। जनरेशन के लिये हमने इलाज किया था। उस पर हमको धक्का मारा कि फैमिली प्लानिंग कुंआरों की कर दी। यह कर दिया। यह असत्य क्यों बोलें। हमने जब यह इमरजेंसी लगायी थी तब आप लोगों ने यह कहा था, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगायी तब कहा था कि यह तो आपको दो साल पहले कर देना था। अखबार मंगवा लीजिये यह बोले कि नहीं आपके लीडर ने, उसके बाद में क्या कहा ? तानाशाही है। तानाशाही है। आपके उल्टा रिवाज है। जिससे देश का भला होवे, पब्लिक का भला होवे, उसको उल्टा कहते हैं।

पंचायती राज राजीव गांधी लाये थे। दो वोट से उसको गिरा दिया, तीन वोट से गिरा दिया। लेकिन बाद में क्यों शुरू किया ? पाइंट हमारा, प्लानिंग हमारी, सब हमारे। हमारी विधि को लेकर आप आगे बढ़े हैं। पब्लिक समझ गयी है, आपको जान गयी है कि क्या करते हो आप।

हमने जब पानी के लिये ट्यूबवैल लगाये तो आपने कहा था कि ट्यूबवैल के पानी से तो सारी खेती का नाश हो जाएगा। इसका तो नाश हो जाएगा। इसका भी प्रचार चला था चुनाव के टाइम पर। जहां 100 मन का गल्ला उठाते थे वहां आज 500 मन का और हजार मन का गल्ला उठा रहे हैं। हमारे किसान मालामाल हो गये। कौनसी बात आपको बताऊं। कौनसी बात आपने सही की है ? कौनसी बात बताऊं जो बात आपको अच्छी लगे।

हमने खाद चलायी। खाद के लिये कहा खेतों में खाद मत डालना, खेत का अनाज मर जाएगा। यह तो खा जाएगा अनाज को। इससे कोई पैदावार नहीं होगी। हमारा वह खाद बहुत समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। खराब भी हुआ। नुकसान भी हुआ। अब आपने क्या किया ? उचित मूल्य की दुकान होते हुए भी किसान को वह ब्लैक से खरीदना पड़ता है। खाद बीज नहीं मिलता है उनको। आपने कहा खाद-बीज के लिये 200 रुपया या 500 रुपया दे दें आपको खाद-बीज मिल जाएगा। यह हालत थी। कौनसी बात को आप सुनना चाहोगे।

आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है तो यह क्या है। और बताऊं आपको, आपने यह जो आंगनबाड़ी खोले बच्चों के लिये, कहते हैं कि बच्चों को खाना देते हैं। वहां बच्चों को खाना नहीं, एक-एक डबल रोटी के पीस देते थे और कुछ नहीं मिलता था। जाने वह कहां चला जाता है। यह सब गड़बड़ है। और यह जो राशन कार्ड के गेहूं गरीबों के लिये मिलने चाहियें, सब जाति में गरीब होते हैं। जो गरीब हैं उनके राशन कार्ड के गेहूं काट दिये गये हैं आपके भाजपा शासन में। क्यों काट दिये गये

(श्रीमती शांति पहाड़िया)

हैं ? उनके तो खेती भी नहीं थी। उनको देना चाहिये। मैं प्रार्थना करूंगी हमारी सरकार से कि ऐसे लोगों की जांच करवाकर शुरू किया जाए, उनको फिर गेहूं दिया जाए।

मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय को राज सम्हाले अभी दो महीने भी नहीं हुए, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। आप लोगों की बहुत-सी बातें कहने को हैं।

आपने खरंजा बंधवाया। खरंजा जो दमदार हैं, उनके सामने बन गये। बी.जे.पी वालों के बने हैं पर जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब और जो गरीब आदमी हैं; उनके मोहल्लों में तो नहीं बनाये और कागजों में पूरा खजरा बना हुआ है। मैं मांग करूंगी हमारे मुख्य मंत्री महोदय से कि इन खरंजों के साथ ग्राम सेवक को और वहां के वार्ड मैम्बर को और पटवारी को यह काम सौंपा जाए जोकि उसके साथ-साथ नाली भी बनवाएं। यह काम करवाएं उनके साथ, नहीं तो नाली नहीं बनाने से पानी कीचड़ कर देता है।

आपके शासन में बेरोजगारों की जो हालत हुई है, पांच-छह साल से जो बी.ए., बी.एड. करके बैठे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट लूंगी, सभापति महोदय, जो बी.ए., बी.एड. करके बैठे हैं, कोई और ट्रेनिंग करके बैठे हैं, कोई वैद्य की ट्रेनिंग करके बैठे हैं, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। वह ओवर-एज आज होने जा रहे हैं। अब उनका पता नहीं, आप तो बिलकुल लीपा-पोती करके चले गये। अभी एक सदस्य कह रहे थे खजाना खाली कर दिया। सबको लीप-पोत कर चले गये। जाने हम कब तक उन लोगों को रोजगार दे पाएंगे। यह हमको बड़ा दुःख होता है आप लोगों से कहने में।

इसके साथ ही एक बात और कहूंगी। अभी कह रहे थे हमने इतने स्कूल खोले। मैंने एक अखबार में पढ़ा, पता नहीं सच है या असत्य है। उस अखबार में यह पढ़ा था कि कुछ स्कूल बन्द कर दिये। किस कारण से बन्द किये। बोलते तो हैं, जैसे हमारे कटारिया जी ठेका ले रहे थे, जब स्कूल ही बन्द हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कहां से।

महिला आयोग का गठन किया। हमारे मुख्य मंत्री ने किया है। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जो नया काम हो। आज महिलाओं के लिये नहीं किया तभी तो एक भी महिला नहीं आयी। हमारे कांग्रेस की कई महिलाएं आयीं। आप एक ही ले आते, हमारी साथी तो बनतीं। कम से कम साथ में तो बैठतीं। अच्छी तो लगतीं हमारे साथ बैठी हुई।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : कम से कम एक तो लाते।

एक माननीय सदस्य : एक सौत तो लाते।

श्रीमती शांति पहाड़िया : लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है। आपने राम मंदिर को बेचकर राम को ले लिया। कभी आपने फैमिली प्लानिंग पर ले लिया। कभी आपने तानाशाही कहके ले लिया। ऐसे करके आपने राज लिये हैं। फिर असत्य गप्प तो पकड़ी जाती है और उसका पब्लिक को पता लग गया कि क्या–क्या होता है। (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, बहुत सी बातें कहनी थीं परन्तु अब...(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल : एनीकट और तालाब पर तो बोलो, वैर में ज्यादा होते हैं एनीकट और तालाब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहाड़ियाजी को क्यों हटाया, उस पर भी बोलो।

श्रीमती शांति पहाड़िया : अच्छी बात है। इतना ही कह कर मैं माफी चाहती हूं कोई बात हुई हो तो।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्धन दास कल्ला।

श्री गोवर्धन दास कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री हरिसिंहजी महुवा द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, देश को स्वतन्त्र हुए 50 वर्ष से अधिक हुए हैं। हमने स्वर्ण जयंती मनायी और राजस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष प्रारम्भ हो रहा है। इस सदन में जो सदन के नेता रहे जय नारायणजी व्यास, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, सबसे पहले मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों, आपस में चर्चा नहीं करें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री गोवर्धन दास कल्ला : मान्यवर, राजस्थान बना, राजस्थान का निर्माण हुआ उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। पुरानी पीढ़ी के लोग यहां बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, किन स्टेजेज में हुआ और अन्त में जिस क्षेत्र जैसलमेर से मैं आ रहा हूं, जैसलमेर, मारवाड़, जोधपुर और बीकानेर मिला तो राजस्थान पूर्ण हुआ और हमने अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं बनायीं।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र सीमान्त क्षेत्र है जैसलमेर। सीमा हमने नहीं बनायी इस राष्ट्र ने, इस देश ने सीमा बनायी और हमारा विकास अवरुद्ध हो गया। हम कोने में पड़ गये। आज मुझे बोलने का मौका मिला है, कल भी मुझे कहा गया था आप बोलेंगे। आज भी घड़ी की सूई में सवा सात बज गये। मैं सीमान्त क्षेत्र से हूं, सुदूर क्षेत्र से हूं और बोलने का अवसर मुझे अभी मिल रहा है। मैं अपने उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बोलना चाहूंगा। वो मेरी समस्या नहीं, वो मेरे क्षेत्र की

(श्री गोवर्धन दास कल्ला)

पक्षपण सरकार मुझे कहते हुए शंका नहीं है कि आठ वर्षों में जो पावर हाउस चालू किया गया था, 35 मेगावाट की टरबाइन लगायी गयी थी। उसमें दो अन्य टरबाइन लगाने के बाद 50 मेगावाट की बिजली एक्जार से हम ले सकते थे, वह दो टरबाइन नहीं लग पायी। अभी केवल 35 मेगावाट की टरबाइन है जिसमें 25-30 मेगावाट पावर होती है। हम बाड़मेर और जोधपुर जिले में वहां से बिजली भेजते हैं। हमारे मंत्री महोदय ने इस अभिभाषण में 70 मेगावाट का जो लिखा है, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि उन्होंने आते ही दो महीने में उसको इंगित किया और 18 तारीख को वहां आकर निर्णय लेना चाहते हैं। जो गैस हिन्दुस्तान में पड़ी हुई है वह की वह गैस का भण्डार पाकिस्तान में है। ऐसा नहीं है कि हमारा भण्डार नीचे से डाउन हो जाए। हम अपने भण्डारों का दोहन करके, पावर जनरेशन 150 मेगावाट का करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।

मान्यवर, विद्युत के सम्बन्ध में एक और मजाक हमारे साथ की गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी उस समय के, भैरोंसिंहजी शेखावत पधारे थे वहां पर और कहा कि सौर ऊर्जा से एक किलोमीटर लम्बी चिमनी लगाकर बिजली देंगे। शिलान्यास कर गये। हमसे मजाक की गयी कि शिलान्यास क्यों किया। यदि आपका किसी कम्पनी से कान्ट्रेक्ट नहीं था, आप नहीं कर पा रहे थे तो शिलान्यास करके हम लोगों से मजाक करके क्यों चले गये और आज भी वह पत्थर लगा हुआ है वहां पर नमूना है आप जाकर देख लें रामगढ़ रोड में। वह शिलान्यास का पत्थर पड़ा हुआ है। सौर ऊर्जा से एक किलोमीटर चिमनी लगाने का इन्तजार कर रहे हैं। मान्यवर, बिजली के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा।

मेरा क्षेत्र राजस्थान इन्दिरा नहर का क्षेत्र है। अभी परसों पानी पर चर्चा चल रही थी। सरकार ने कहा कि पांच हजार क्यूसेक्स पानी रिलीज किया गया। हमारे क्षेत्र में फसल होती है गेहूं की रायड़े की और उसमें पानी चाहिए। मान्यवर, सरकार के मंत्री विराजे हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे पंजाब सरकार से मिलकर पानी की व्यवस्था करें।

सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की है उपनिवेशन की। मान्यवर, 1958 से राजस्थान में कैनाल व इंदिरा गांधी कैनाल का कार्य प्रारम्भ किया गया। हम चाहते थे टाइम फ्रेम में उसको पूरा किया जाए। वह पूरी नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे वित्त मंत्री चन्दनमल जी बैद को। जब वे नहर मंत्री थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पानी हमारे जिले में लेकर आये। और इन आठ वर्षों में वह सारा काम अवरूद्ध हो गया। हम चाहते हैं कि टाइम फ्रेम से वह पानी, जो हमारी योजना बनी थी, पूर्व में नेविगेशन कैनाल थी, भी कंवरसेन की योजना बनायी थी। उन्होंने कहा था कि इस नहर में किश्ती चलाएंगे। किश्तियां तो दूर रहीं, आज वह महज गड़रा रोड तक जाकर बाड़मेर जिले में पानी रुक रहा है।

(श्री गोवर्धन दास कल्ला)

हम चाहते हैं जहां भी, जो भी पानी है, उसको गडरा रोड तक पानी पहुंचाकर हमारे लाखों किसानों को वहां बसाया जा सकता है। यह उपनिवेशन की समस्या हल की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, ऐसी समस्याएं हैं, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी वहां पर पधारे। 52 हजार में मुरब्बा मिलता था, दो आदमियों की मीटिंग कर बाहर निकले। घोषणा की, मुरब्बे की कीमत एक लाख रुपये है। 52 हजार से एक लाख रुपया और किश्तें चालू कब से, उसी दिन से, जिस दिन आर्डर किया। मान्यवर, पहले बीकानेर, गंगानगर जिले में आज भी किश्त सिंचाई सुविधा बाद लगती है।

(समय—समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, दो मिनट मुझे दीजिए, मेरी मेडिन स्पीच है, पहली स्पीच है, इस पाइंट पर मुझे बोलने दीजिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गडरा रोड तक इंदिरा कैनाल का पानी कब तक पहुंचेगा। आपको ध्यान है ?

श्री गोवर्धन दास कल्ला : वह आप जानिये। आपकी सरकार ने ऐसा काम किया।

श्री सभापति : कब से कब तक पहुंच जाएगा, यह आपको ज्यादा मालूम है। आप मंत्री रहे हैं। ये तो प्रथम बार हैं। आप इनसे सवाल कर रहे हैं। अब आप भाषण समाप्त करो माननीय कल्ला साहब।

श्री गोवर्धन दास कल्ला: एक पाइंट मुझे कह लेने दीजिये फिर मैं समाप्त कर दूंगा। पहले हमारी सरकार ने पानी लगाने के बाद किसान से किश्त ली थी। अभी किश्त चालू हो जाती है अलाटमेंट के दिन से ही। तीन-तीन वर्ष तक वहां जमीन का कब्जा नहीं मिलता, पानी नहीं पहुंचता। तीन-तीन किश्तें ऊपर चढ़ी हुई हैं। यह समस्या है हमारी। हम सैंकड़ों बस्तीयां बसाना चाहते हैं सी.ए.डी. में। सी.ए.डी. का काम आठ वर्ष बंद रहा। आज भी सैंकड़ों गांवों को नये बसाकर हम सी.ए.डी. का बहुत बड़ा काम कर सकते थे। आठ वर्ष इस सरकार ने पीछे छोड़ दिया।

इसलिए इस अभिभाषण में जो बात कही गयी है, यह सरकार जो थी, ठीक नहीं थी। इसलिए राजस्थान की जनता ने उन्हें सबक सिखाया। मान्यवर, आपने समय दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन (अनुपस्थित) श्री राधेश्यामजी गंगानगर (अनुपस्थित) श्री मांगीलाल जी डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा कृपापूर्वक दिनांक 8 जनवरी, 99 को दिये गये अभिभाषण का स्वागत करता हूं और महुवा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का

(श्री मांगीलाल डांगा)

समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने राजस्थान की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कब चुनाव आएं और कब इस शासन को बदला जावे। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे कर्मचारी हो। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को आक्रोश था कि इस शासन को कब बदलें और कब इससे छुटकारा मिले। इस आक्रोश का परिणाम है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बहुत कम संख्या में प्रतिपक्ष में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चोरी, डकैती, लूटमार रोजमर्रा के हो गये और महिला अत्याचार, उसके साथ ही जनता तो सुरक्षित महसूस अपने आपको नहीं कर रही थी, हुआ यह कि पुलिस भी अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगी और पुलिस का भी मनोबल गिर गया।

सभापति महोदय, जनता के मन में डर घर कर गया और इसी डर का परिणाम है कि आज इस सदन में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ बैठाया है। सभापति महोदय, आज के दिन आदरणीय महात्मा गांधी, जवाहरलाल जी नेहरु, सरदार पटेल एवं अन्य नेतागणों को कैसे याद किये बिना रह सकते हैं जिन्होंने इस देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी दिलायी। कैसे भूल सकते हैं आदरणीय लाल बहादुर शास्त्रीजी को और उसी कड़ी में आदरणीय इन्दिरा जी और राजीवजी को जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने, आजादी कायम रखने में इसको अपने खून से सींचा है।

सभापति महोदय, मैं आज दिन राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उचित समय पर सही फैसला कर कांग्रेस को भारी विजय दिलायी और ऐतिहासिक जनादेश दिया।

सभापति महोदय, पिछले कांग्रेस शासनकाल में जो कुछ उपलब्धियां कांग्रेस ने जो प्रदेश के लिए की निश्चय ही हम अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं पर जो हमने किया उससे कहीं अधिक हमें अब करना है।

सभापति महोदय, शिक्षा के बिना समाज में अन्धेरा है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था बनायी, गांवों में स्कूलें हैं पर स्कूलों में अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचते हैं। गांवों में आज प्राथमिक और माध्यमिक की प्राइवेट सैक्टर में स्कूलों की बहुत तादाद हो गयी है जबकि उनकी फीस ज्यादा है फिर भी ग्रामीण जनता उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। इसका एक ही कारण है कि प्रशासन की शिथिलता और कुशासन से यह हुआ कि स्कूलें खुली हुई हैं। उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बावजूद भी ग्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है।

(श्री मांगीलाल डांगा)

सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने जो उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में और विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिए व्यापारीकरण किया गया है, उसके संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमारी सरकार को इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गांवों में अधिक से अधिक शिक्षा की उचित व्यवस्था हो।

क्रमोन्नत विद्यालयों के मामले में हमारे यहां भी पूर्ववर्ती सरकार ने एक महाविद्यालय खोला था। सभापति महोदय, उस विद्यालय का भवन बनाने का पूरा पैसा जनता ने दिया और तीन साल का खर्चा भी जनता ने दिया। मैं इन व्यवस्थाओं को ध्यान में दिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में इस व्यवस्था को बंद किया जाय और गांवों में बिना किसी प्रकार की राशि जमा कराये हुए इस व्यापारीकरण की नीति को बंद करके नये विद्यालय खोले जायं।

श्री अमराराम चौधरी : कालेज का भवन तो बना।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सदस्य, हमारे चंदे से बना है और तीन साल का खर्चा भी जमा कराया उस टाइम आपकी सरकार को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपना भाषण जारी रखो। आप उनसे मत उलझो। बोलिये आप।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, मुझे यह तकलीफ है कि आज आजादी के पचास वर्ष बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं शासन के माध्यम से कि तीन किलोमीटर की हर परिधी में माध्यमिक विद्यालय खोला जाय और पांच किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा में विश्वविद्यालय हैं और नागौर है, जिसके अन्दर काफी बड़े कस्बे हैं और बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी एक विश्वविद्यालय खोला जाय। एक विश्वविद्यालय खोलकर नागौर की जनता को आप अनुगृहीत करेंगे।

सभापति महोदय, ग्रामीण जीवन पिछड़ा है, यह आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां परिवार के एक-दो सदस्य सिर्फ पानी की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। आज देश को आजाद हुए पचास वर्ष हो गये हैं और जो गांव में जलदाय योजनाएं बनी हैं कांग्रेस के शासन में जो योजना बनायी गयी थी, पिछले आठ वर्षों में वह वैसी की वैसी स्थिति में रही हैं। कांग्रेस शासन ने गांवों में रीजनल योजना बनाकर के जिन गांवों में पानी का स्रोत नहीं है, दूसरे गांवों से पानी उपलब्ध कराने के लिए योजना बनायी गयी थी। और पूर्ववर्ती सरकार ने उन योजनाओं को गांवों में और ग्राम पंचायतों को सौंपकर उनकी यह स्थिति कर

(श्री गोवर्धन दास कल्ला)

समस्या नहीं, जो राष्ट्र की समस्याएं हैं, वे देश की समस्याएं हैं। जैसलमेर की समस्या देश की समस्या है, इसकी ओर आपका ध्यान इंगित करूंगा।

श्री सभापति : बोलिये आप।

श्री गोवर्धन दास कल्ला : मेरी मेडन स्पीच है। विरोधी दल के जो साथी बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे इंटरप्ट नहीं करें। मैं तीन दिन से देख रहा हूं कि जो वक्ता बोलता है, उसके बीच में इंटरप्शन हो रहा है। बड़ा खेद है मुझे। ढलती उम्र में इस सदन में आया हूं। 40 वर्ष का सार्वजनिक जीवन लेकर इस सदन में प्रवेश किया है। तीन दिन से यह देख कर बड़ा दुख होता है। मैं डेमोक्रेसी का विद्यार्थी हूं। हमने पढ़ाई है डेमोक्रेसी। डिसेंट इज क्रस्ट आफ डेमोक्रेसी। पर ऐसा डिसेंट नहीं जो मैं तीन दिन से यहां सदन में देख रहा हूं। मुझे मेरे विरोधी साथी क्षमा करें, कृपया लोकतंत्र की गरिमा को ऊपर बढ़ायें, इस सदन की गरिमा को ऊपर बढ़ाएं। हमारा समय बरबाद हुआ जा रहा है।

मैं देख रहा हूं कि केवल बलात्कार के दो–चार केसेज लेकर घण्टों उस पर चर्चाएं होती हैं। हमें चर्चा करनी है इस अभिभाषण पर, जो राज्यपाल महोदय ने यहां इस पवित्र सदन में दिया है। मुख्य बिंदु इनके क्या हैं, उन पर ध्यान देना है। यह हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार किन बिंदुओं को नहीं छू पायी है, उनकी ओर आपको इंगित करना है। वह नहीं हो कर के केवल बलात्कार की एवं कुछ घटनाएं लेकर अपने क्षेत्र की समस्याओं में उलझ गये, घण्टों सदन का समय बरबाद किया।

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक शब्द कुशासन आया इस अभिभाषण में। इसको लेकर हमारे मित्र उलझ गये। महामहिम ने कुशासन शब्द यूज किया है। क्यों किया है? आप कहते हैं सरकार ने करवाया है पर उसका फैसला तो राजस्थान की जनता ने किया। कुशासन था तब ही सरकार को बदल दिया। यह इस राजस्थान की जनता का फैसला है। इस पर भी यदि आप कहें कि कुशासन नहीं था। शासन के आधार पर ही वोट नियत होते हैं, मतदाता उसके आधार पर मत देता है।

मैं कुछ नमूना पेश करूं कि किस तरह से कुशासन हुआ मेरे क्षेत्र में आपको बताऊंगा। ला एंड आर्डर की सिचुएशन की भी चर्चा आयी। मेरे यहां कलक्टर के कार्यालय के नीचे वायरलैस लगी हुई जीप गायब हो गयी। आज तक पता नहीं उसका वायरलैस चलता रहा। सीमावर्ती सेंसिटिव क्षेत्र है। मैं प्रशासन से हमेशा पूछता रहा कि जीप कहां गयी; आज तक नहीं बता पाया प्रशासन। यह थी हमारी ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन। एक-एक पाइंट कर के मैं आगे बढ़ूंगा।

पेयजल की चर्चा हमारे कई मित्रों ने की, जो हमारे मित्र कह चुके हैं उसे मैं नहीं दोहराऊंगा। जैसलमेर नगर की गज-

(श्री गोवर्धन दास कल्ला)

रूपसागर योजना माननीय माथुर साहब जब मुख्य मंत्री थे तब प्रारम्भ की गयी, आज 8साल तक अधूरी पड़ी है। तीसरे दिन जैसलमेर नगर में पानी आता है। तीसरे दिन हम पानी पीते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं, 8 वर्ष में हमारी जो योजना जिसका केन्द्र से पैसा आ गया वह पूरी नहीं हुई। राजमथाई फ्लश्ड योजना 10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गयी थी। मैंने अभी हमारे एक्स.ईएन. से भी चिट्ठी मांगी। 1994-95 की स्वीकृत योजनाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं।

हैण्डपम्प्स की चर्चाएं कीं। हम पूछते रहे, हमारे गांव में दूध मिल जायेगा, घी मिल जायेगा पानी नहीं मिलता। तो कहा, हैण्डपम्प खुदवा देते हैं। हैण्डपम्प से हमारे मवेशी, जितने हम मनुष्य हैं उससे अधिक हमारे मवेशी हैं, गाय है, वह हैण्डपम्प से पानी नही पी सकती। कहा, नहीं, हमने तो बस आपके गांव को लाभान्वित कर दिया। आपके गांव में हैण्डपम्प लगा दिया है। मेहरबान, यह हमारी आठ वर्ष की व्यवस्था रही। पेयजल के बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा। इस विषय पर चर्चा करने लगे तो इसमें काफी समय पूरा हो जायेगा।

अकाल की चर्चा करूं। स्थायी अकाल का डेरा है जैसलमेर। अभी कंटीन्यूअस तीसरे वर्ष अकाल है। गत वर्ष मई के महीने में आदेश किया कि अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे। मैं जिला कलक्टर महोदय के पास गया कि पहले सरकार, कांग्रेस की सरकार अक्टूबर में काम शुरू करके और मई, जून व जुलाई तक ले जाती थी। आदेश आया, अब 30 जून को काम बंद। हमने पूछा एक जून से प्रारम्भ किया 30 जून को बंद फिर सरकार मेहरबान हुई। 15 जुलाई तक उसको बढ़ाया गया। 15 जुलाई के बाद आदेश आया कि अकाल राहत कार्य बंद। हमने कहा, कलक्टर महोदय, एक बूंद पानी नहीं बरसा, किसान ने हल नहीं जोता और कह रहे हैं पटवारी गिरदावरी करेगा तब काम शुरू करेंगे। पटवारी किसकी गिरदावरी करेगा, एक बूंद पानी नहीं बरसा, किसान ने हल नहीं जोता गिरदावरी किस की करेगा? यह थी व्यवस्था। इसलिए राजस्थान की जनता ने उखाड़ फेंका आपको। यह कारण था।

मेहरबान, मेरा अगला विषय है मेरे जिले में अनुसूचित जाति का। 14 प्रतिशत अनु.जाति और 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने अनुसूचित जाति के लिए यह किया, वह किया। मेरे यहां नौजवान ग्रेजुएट्स गांवों में आते हैं कि, बाऊजी, मेरी शादी है। मैं एक तुर्रा लगाना चाहता हूं। पर हमारे सामन्त तत्व, हमारे गांव के वे लोग पुराने जागीरदार, वे रियासत के लोग उस गरीब मेघवाल को तुर्रा नहीं लगाने देते। जब मैंने कहा ले जा दूसरा तुर्रा, एक तेरा और एक मेरा, दो लगा। कौन है इस लोकतांत्रिक देश में जो 50 वर्ष की आजादी के बाद में किसी गरीब को तुर्रा लगाने के लिए मना करे? ऐसी व्यवस्था अनुसूचित

(श्री गोवर्धन दास कल्ला)

जाति, अनुसूचित जनजाति की है। इसी नाराजगी से उन्होंने मत आपको नहीं दिये और कांग्रेस के फेवर में दिये।

अल्पसंख्यकों की चर्चा की। मेरा जिला माइनोरिटी जिला है। हिन्दुस्तान में 40 जिले हैं और राजस्थान में केवल जैसलमेर जिला है जो माइनोरिटी जिला है। उसकी हालत क्या है? सीमा पर रहने वाले हरेक को संदिग्ध माना जाता है। हरेक को कहा जाता है वह पाक का एजेंट है। गरीब किसान, गरीब भेड़ पालक जो मजदूरी करते हैं उसको भी पाक का एजेंट कहते हैं यह। मेहरबान, सीमा उन्होंने नहीं बनायी। यदि उनके रिश्तेदार बार्डर क्रोसिंग पर रहते हैं, उनका कसूर नहीं है। पर आज उनको संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। यह हमारे माइनोरिटीज की प्रोब्लम है। हमने कई योजनाएं बनायीं, उनका विकास हम नहीं कर पाये।

शिक्षा के बारे में माननीय कटारियाजी कल कह रहे थे, बड़ी डींग हांक रहे थे। अभी मेरे गांव के, मेरी कांस्टीट्युएंसी के 400 विद्यालय बिना अध्यापक के हैं। 400 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि हालत क्या है, 60 परसेंट अध्यापक हैं, 40 परसेंट एब्सेंट हैं पूरे जिले में। यह आंकड़े हैं, तथ्य हैं। तो 60 प्रतिशत से स्कूल नहीं चलाये जाते। हैडमास्टर्स नहीं और फिर कल कह रहे थे कि हमने यह योजना चलायी कि जिसका रिजल्ट जीरो आया उसका ट्रांसफर कर दिया गया। मिडल स्कूल में एक हैड मास्टर और एक पी.टी. आई. भेज दिया और अपेक्षा की कि हम उसका रिजल्ट ले आयें। वह गरीब हैड मास्टर क्या करेगा। यह सारी स्थिति शिक्षा की थी।

मैं कहना चाहूंगा कि मैं शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, कई शिक्षण संस्थाएं चलाता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना बन्टाढार इन आठ वर्षों में हुआ, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ, यह मेरा दृढ़ मानना है। (व्यवधान) मुझे इन्टरप्ट नहीं करें, मुझे बोलने दीजिये फिर आपको बोलना है तो बोलें।

चिकित्सा के बारे में कह चुके हैं। मान्यवर, हमारा सीमान्त क्षेत्र है। सीमा के लोग वहां आते हैं। वहां दुर्घटनाएं होती हैं। चिकित्सालय में हमको चाहिए सर्जन और उसके प्रेगेस्ट पोस्टों पर अन्य लगा रखे हैं। राठोड़ साहब आज यहां हैं नहीं सदन में, जैसलमेर में एक बार पधारे थे। मैंने कहा राठोड़ साहब, यहां सर्जन नहीं है। कहा कि कौन कहता है कि सर्जन नहीं है; एक एम.एस.बैठा हुआ है। मैंने कहा फोड़ों को नहीं चीरना है। मान्यवर, आपरेशन थियेटर चालू नहीं होता है। उस समय राजस्व मंत्री गंगारामजी थे साथ में। उन्होंने कहा, कल्लाजी, यह क्या दुविधा है। दुविधा यह है कि हमारा चिकित्सालय; सीमान्त क्षेत्र से बी.एस.एफ. के लोग, आर.ए.सी. के लोग और कई अन्य लोग वहां आते हैं उनका उपचार नहीं होता है। छोटे-मोटे काम के लिए वे चले जाते हैं। यह चिकित्सा व्यवस्था हमारे जिले की है।

(श्री गोवर्धन दास कल्ला)

मान्यवर, पर्यटन की चर्चा हुई। हमारा पर्यटन क्षेत्र है। हिन्दुस्तान में ताज-महल के बाद वर्ल्ड हेरिटेज में अगर कोई स्थान है तो जैसलमेर का किला है। आज हजारों पर्यटक, विदेशी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं पर वहां हालत क्या है, यहां पर पर्यटन विभाग की मंत्रीजी हैं उनको मैंने भी निवेदन किया है कि उसको सुधारा जाए और उस पर ध्यान दिया जाए और पर्यटन में बड़े-बड़े होटल्स बन गये। 30 प्रतिशत सब्सिडीज होटल को उद्योग बनाकर उन होटलों में बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सब्सिडी देकर होटल खड़े किये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दीजिये। मैं उसको पूरा कर लूंगा।

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये।

श्री गोवर्धन दास कल्ला : खनिज की चर्चा की। जैसलमेर से लाइम स्टोन की रेट प्रतिदिन बड़े-बड़े जो स्टील प्लांट हैं हिन्दुस्तान के, वहां भेजते हैं। राउरकेला और भिलाई, सबमें हमारे वहां से आपूर्ति होती है। वहां पर हमारे मजदूर काम करते हैं, वे बंद कर दिये और वहां जो सरकारी उपक्रम है, क्रेशर वह लगा दिये। उस समय एक योजना बनी थी जब माननीय मिर्धा साहब हमारे सांसद थे। सात सौ करोड़ की योजना बनी थी। तो उस लाइम स्टोन, तीन इंची की गिट्टी जाती है स्टील में प्लान्ट्स के लिए। और बाकी जितना छोटा माल बनता है वह हाई ग्रेड लाइम स्टोन है उसके सीमेंट प्लान्ट्स लगेंगे। आठ वर्ष के कार्यकाल में वह सीमेंट प्लान्ट की योजनाएं अधर झूल में रह गयीं। हमारे एरिया में झामर कोटड़ा से पहले राक-फास्फेट निकला था (व्यवधान) आप इंगित कर रहे हैं, मैं सुना चुका हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की। आप उन्हें कह दीजिये। झामर कोटड़ा को जो राक-फास्फेट की माइन्स थीं उससे पहले जैसलमेर में बीरमाडे माइन्स की खोज हुई।

इन आठ वर्षों में विकास चाहते थे। और अभी जवाब मिला मुझे कि 1999 तक एक लीज दे रखी है। किसी को लीज दे रखी है 1999 मार्च तक लीज का पीरियड खत्म हो रहा है। अब उससे खड्डा नहीं खोदा। यह कैसी आठ वर्ष की व्यवस्था थी, खड्डा नहीं खोदा। खनिज के बारे में जैसलमेर में चूना भण्डार है, जैसलमेर में जिप्सम है। जैसलमेर में कई खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। उसमें और विकास करके यदि सीमेंट प्लान्ट लगे होते आठ वर्षों में, तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते।

विद्युत की चर्चा की। हमारे इस अभिभाषण में लिखा है कि 71 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जायेगा रामगढ़ में। हमारे पास गैस है, गैस के भण्डार हैं। सीमान्त क्षेत्र में भण्डार हैं। उधर पाकिस्तान में भी भण्डार हैं। जो सुई गैस के प्लान्ट्स हैं वे गैस खींचते हैं और हमारी

(श्री मांगीलाल डांगा)

दी है कि आज वह बंद पड़ी हुई हैं। न तो उन पर कर्मचारी हैं और न गांव वालों को पानी मुहैया हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी मेरा क्षेत्र मेड़ता जहां से मैं आया हूं, और पूर्ववर्ती सरकार में वहां से गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, आज भी वहां के बहुत से गांवों में जनता खारा पानी पीती है और मेड़ता शहर को भी आज तक मीठा पानी मुहैया नहीं हुआ है। मेड़ता शहर की जनता को फ्लोराइड व क्लोराइड की अधिक मात्रा वाला खारा पानी पीना पड़ रहा है। आप कृपा कर ध्यान देंगे, हम लोग आपके आभारी रहेंगे और आभार मानते हैं कि आप मेड़ता के पास के जो मीठे पानी के स्रोत हैं, उससे मेड़ता शहर को मीठा पानी उपलब्ध करायेंगे। साथ ही जहां जहां गांवों में खारा पानी है, उनके आस पास के जल स्रोतों से मीठा पानी उपलब्ध कराया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारी सरकार की इसमें प्राथमिकता होनी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे युवा मुख्य-मंत्री जी का और सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सहकारी अधिनियम और सहकारी नियम और उप नियमों में परिवर्तन कर करके उन संस्थाओं को अलोकतांत्रिक बना दिया। उनमें पूर्ण रूप से सरकार का नियन्त्रण करने की चेष्टा से, कानून में परिवर्तन करके सभी संस्थाओं में प्रशासक बैठा दिये।

मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने, सहकारी कानून में आमूल चूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में अभिभाषण के माध्यम से संस्थाओं में चुनाव कराकर के जन प्रतिनिधियों के हाथ में इसका कारोबार सौंपने का निर्णय लिया गया है।

मुझे आशा है कि इस अधिनियम, नियम और उप नियमों में परिवर्तन करके सरकार फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सहकारी आंदोलन में बहाल करने की व्यवस्था करेगी। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सहकारी संस्थाओं में सरकारी पूंजी नहीं लगी हुई है और उनमें पूर्व की सरकार ने एक आदेश जारी करके उनको अनुमुक्त किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस आदेश को अधिनियम का रूप दिया जाय ताकि एक स्थायित्व आ सके।

श्री सभापति : नेक्स्ट। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री रघुवीर सिंह गौड़।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : समर्थन करते हैं यह। धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहुबा से पधारे हुए माननीय विधायक के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं और मैं इसके विरोध में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, 40 साल के सतयुग के बाद 8 साल का कलयुग आया और अब दुबारा सतयुग की तैयारी हो रही है। हमारे सभी सदस्य बहुत उत्साहित हैं और मंत्रीजी को धन्यवाद की झड़ी लगा रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की तरह इन्होंने भी एक पारदर्शी ईमानदार, जवाबदेह सरकार का वायदा किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस बार यह पूरा हो। क्योंकि 40 साल में सभापति महोदय, जो इन्होंने कारगुजारियां गिनायी हैं, जैसे कि शिक्षा में, सड़कों में, बांधों में या जो कुछ भी इसमें विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, 40 वर्ष के शासनकाल में, जबकि कांग्रेस का राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर पंजाब तक, राजस्थान की बोर्डर तक था और राजस्थान में भी उन्हीं का शासन था। पूरे सर्वशक्तिमान होते हुए भी क्या वह इस उपलब्धि को देखकर बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं ?

आपको मैं कहना चाहता हूं कि उसी समय में एक देश चीन था जो अफीमचियों का देश कहलाता था। वह भी हमारे साथ स्वतन्त्र हुआ था। लेकिन इस अवधि में वह कहां से कहां पहुंच गया है और हम लोग कहां हैं। अगर चालीस वर्षों के प्रशासन में अच्छी नींव डाली गयी होती और सभी क्षेत्र में सुदृढ़ काम किया गया होता तो निश्चित रूप से हम आज कहीं चीन से आगे बढ़ कर होते। उसी समय जापान भी, जो कि सैकण्ड वर्ल्डवार में बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, वह भी अपनी उन्नति करके कहां से कहां पहुंच गया और सबसे छोटा देश इण्डोनेशिया भी हमसे कहीं आगे बढ़ गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चालीस वर्ष की आपकी की गयी उपलब्धियों पर इतना गौरव करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए हैं। आपस में इतनी बात हो रही है कि यहां तक सुनाई दे रहा है। इनका उत्साह बढ़ायें, बहुत शोर हो रहा है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो माननीय सदस्य प्रथम बार बोल रहे हैं उनको उत्साहित करें।

श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : मेरा निवेदन यह है कि आपकी उपलब्धियां तो थी हीं। उसके बदले में, आठ साल की उपलब्धियों के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने जो बताया है उसको कम्पेयर करके आप देखेंगे तो यह आठ साल की उपलब्धियां कहीं अधिक है। (व्यवधान).. बहुत अधिक हैं साहब। मैं पूरे प्रदेश की न कह कर केवल अपने क्षेत्र के बारे में कहूं। ... (व्यवधान)... अगर आप सुन सकें तो

(श्री रघुवीर सिंह गौड़)

मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सुखाड़ियाजी जब मुख्य मंत्री थे, तो एक कस्बे से उठकर उदयपुर बहुत चमन हो गया, बहुत बड़ा शहर, एक महानगर बन गया।

माननीय माथुर साहब जब मुख्य मंत्री बने तो उस समय भीलवाड़ा भी चमन हो गया और जोशीजी के शासनकाल में बांसवाड़ा बहुत अच्छा हो गया। लेकिन शेखावत साहब की सरकार के समय पूरे राजस्थान में ही प्रगति हुई और हर तरह से, नीतिगत रूप से उन्होंने संचालन किया। (व्यवधान) कुछ भी सही। आखिरकार या तो यह बी.जे.पी. की नीति थी या भैरोंसिंह की अलग अलग जगहों से खड़े होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि पूरे राजस्थान को हम एक ही मान कर चलें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस सरकार में केवल इच्छित जगहों पर या खास जगहों पर ही उसकी प्रगति हुई जब कि बी.जे.पी. के शासनकाल में हर नीतिगत रूप से, जैसे कि सड़क नीति है, एक नीति थी कि हमको हर ग्राम पंचायत तक सड़क पहुंचानी है, सड़क पहुंचायी गयी। अब इसी प्रकार स्कूलों का है। ढाई सौ घर के हर गांव में स्कूल खोले गये इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता।

हालांकि आपको तो हर चीज नकारने की है। यहां यह भी नहीं हुआ, वह भी नहीं हुआ लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं है। इस चीज के लिए हमारे पूर्व मंत्री महोदय ने आपको बताया भी है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं। सबसे पहले हमारे यहां स्वतन्त्र पार्टी से एक सज्जन विधायक बन कर आये उस समय कांग्रेस का शासन यहां था और दिल्ली में भी कांग्रेस का शासन था। लेकिन स्वतन्त्र पार्टी से आकर उन्होंने इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की कि शायद मेरे क्षेत्र में कुछ विकास हो। लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दुबारा एक प्रबुद्ध जन हमारे यहां से स्वतन्त्र पार्टी से आये। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस की सरकार यहां पर भी थी और केन्द्र में भी थी।

लेकिन उनके समय में कुछ काम हुआ। इसके बाद एक इण्डिपेंडेंट एम.एल.ए. साहब तशरीफ लाये उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की। यहां भी कांग्रेस का शासन था, केन्द्र में भी कांग्रेस शासन था। लेकिन फिर भी कोटपूतली क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो सका। लेकिन .. (व्यवधान).... सुनिये, उसके बाद एक कांग्रेस के विधायक आये पिछले सत्र में, जब यहां बी.जे.पी. का शासन था और केन्द्र में कांग्रेस का शासन था। लेकिन जो भी कार्य उसके समय में हुए वह कभी भी नहीं हुए। यह, यह दर्शाता है बी.जे.पी. शासन चाहे भी था, एक रूप से था। उसमें यह भेद नहीं था कि वहां का एम.एल.ए. कांग्रेसी है या बी.जे.पी. का है या कम्युनिस्ट है। यह प्रशासन करने का तरीका होता है।

मैं यही निवेदन आपसे भी करना चाहता हूं। मैं बी.जे.पी. से आया हूं लेकिन मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। और आपके लिए टैस्ट है कि आप भी क्या उतनी

(श्री रघुवीर सिंह गौड़)

ही उदारता से हमारे यहां कार्य कर सकेंगे जितने कार्य अपने यहां कर रहे हैं। हमारे जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वह स्पष्ट है। देखिये पिछले आठ साल में कितना विकास हुआ है कोटपूतली क्षेत्र में। और यह आपके लिए एक टैस्ट है कि आप भी एक विरोधी पार्टी के सदस्य का कितना कार्य करते हैं। उसी अनुरूप करते हैं या ऐसे ही भेदभाव करते हैं।

मुझे आशा है कि शायद आप इस प्रकार का भेदभाव ना करके उससे भी अधिक विकास कार्य करेंगे। मैं थोड़ी सी विकास की बात कह रहा था, इसी कार्य में ऐसे भी आफिस खोले गये जैसे कि आप स्कूल की बात करते हैं। ....(व्यवधान).... वहीं आ रहा हूं। देखिये इसी पीरियड में वहां पर ए.डी.जे. का कोर्ट खुला, एडिशनल एस.पी. महिला कालेज खुला और कांग्रेस राज में कुछ भी नहीं हुआ।

(19.49 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

जहां तक आपने कुशासन की बात कही, मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में, पुराने जितने भी, मान्यवर मंत्रीजी, मैं यह कहना चाह रहा था कि पहले जितने भी काइम यहां हुए, उनकी गणना तो हो ही चुकी है और बार बार बलात्कार काण्ड या हरिजनों पर इतने अत्याचार हुए, यह सब कुछ बताया गया। लेकिन इसका कारण क्या है इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ना आपके इस अभिभाषण में कुछ कहा गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर पर इतना बोझ प्रशासन का बढ़ता जा रहा है कि वह उसको सम्भालने में असमर्थ है। माननीय माथुर साहब आये। उन्होंने पहले भी इस बात के लिए कहा था कि, प्रशासन सुधारने के लिए बड़े जिलों का विघटन किया जाना चाहिए। जयपुर आज बीस लाख से अधिक का होने जा रहा है और इसमें प्रशासन सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि इसका विभाजन किया जाये। और इसके लिए कोटपूतली सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। वह इसलिये कि वह राजधानी दिल्ली और जयपुर के बीच में पड़ता है। सड़कों से ही अनेक अपराधों का आयात होता है और सबसे अधिक रेवेन्यू इसकी है। पुराना क्षेत्र रहा है।

मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं कि, यह अगर जिला बनाया जाता है तो बहुत से अपराधों में कमी होगी। प्रशासन सक्षम होगा, सशक्त होगा और इससे आपके प्रशासन को बल मिलेगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक अलग से सी.एम.एच.ओ. हो जाएगा।

श्री रघुवीर सिंह गौड़ : सी. एम. एच. ओ.भी हो जाएगा, कलक्टर भी हो जाएगा। कलक्टर और सी.एम.एच.ओ. भेजने की ही बात है। बाकी तो सब पहले से ही है। एडिशनल कलक्टर वहां है ही, एडिशनल

(श्री रघुवीर सिंह गौड़)

एस.पी. वहां है ही, और अभी पोस्ट वहां पर हैं। डी.टी.ओ.भी है वहां। अपराध कम हो जाएंगे। हो तो सब आपके आने से ही रहे थे, यह बात है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बार-बार बात कही जाती है कि अपराध सिर्फ हमारे 7-8 साल के पीरियड में ही अलग हुए हैं। क्या पहले 40 साल इस प्रशासन में क्या कोर्ट नहीं थे, या उस समय कोई पुलिस थाने नहीं थे, या न्यायालय नहीं थे? अगर थे तो इतने अपराध होते थे कि लाखों केस आज तक भी लम्बित चल रहे हैं। तो यह 40 साल के पीरियड के ही हैं। यह तो है नहीं कि 8 साल के पीरियड में ही यह सब के सब बन गये होंगे और इनके लिये....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 8 साल का बच्चा अपराध कर भी नहीं सकता।

श्री रघुवीर सिंह गौड़: एक निवेदन और था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस अभिभाषण के अंत में महामहिम के श्रीमुख से जो श्लोक कहलाया गया है और उसका अर्थ यह है कि समस्त व्यक्ति मुझे बंधुत्व भावना से देखें, सब देशवासियों को बंधुत्व भावना से देखूं, हम सब एक दूसरे के प्रति बंधुत्व भाव रखें।

लेकिन मुझे विनम्रतापूर्वक कहना पड़ रहा है कि इसकी अनुपालना इस किताब में कहीं नहीं देखी गयी। अगर वास्तव में बंधुत्व भाव से देखते तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कतई नहीं होता। इस प्रकार की भाषा, अवाञ्छित शब्दों का प्रयोग, निश्चित रूप से कोई बंधुत्व भाव नहीं दिखाता। मैं तो कहूंगा इसमें यह लिखा जाना चाहिये कि हम तो आपको शत्रु भाव से देखेंगे लेकिन आप हमें बंधुत्व भाव से देखें, यह तो संभव नहीं है, दोनों तरफ से ताली बराबर तब ही बजती है इसलिये मेरा निवेदन है कि..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में इस अभिभाषण के विरोध में बोल कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिसिंहजी महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपा कर सदन में पधार कर जो अभिभाषण दिया उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

राजस्थान में नवम्बर से पहले करीब आठ साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इस सरकार ने विशेषकर वीकर सैक्शन के लोगों को हर तरह से नजरंदाज करके, कुचलने की कोशिश की। विशेषकर के पुलिस प्रशासन में एक जाति विशेष के लोगों को शासन की शक्तियां दीं और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार शुरु किया। और उन अत्या-

(श्री अमीन खान)

चारों के कारण से लोग तंग हुए। विकास के नाम पर इन्होंने कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया। जिस तरह की नीति यह अभिभाषण और चुनाव घोषणा पत्रों से बताते हैं, उससे परे रह करके काम किये।

मिसाल के तौर पर एक हजार की आबादी पर सड़क से गांव जोड़ा जाएगा। अगर कोई पांच सौ की आबादी का गांव था तो भी इन्होंने सड़क से जोड़ा है, और अगर कोई दो हजार की आबादी का गांव था, वह भी आज तक सड़क से नहीं जोड़ा है। उसका तकमीना इन्होंने यह लगाया कि यह दो हजार की आबादी वाला गांव कांग्रेस को वोट देता है इसलिये इसको जोड़ा नहीं जाए, ऐसी मिसाल....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक गांव का नाम बता दो, एक गांव का।

श्री अमीन खान : एक गांव पामलिया, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर। और बताऊं, पांच सौ की आबादी पर गांव जुड़ा है तहसील शिव में जुडिया ग्राम राजपुरोहितों का।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सड़क पर आ गया होगा तो जुड़ गया होगा।

श्री अमीन खान : सड़क पर नहीं आया। सड़क से अलग उसके लिये कराया और अब 2300 की जनसंख्या वाला ग्राम छोड़ा है ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब तक श्री अमीन खान जी का भाषण समाप्त न हो तब तक के लिये टाइम बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें तब तक के लिये समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से स्कूलों की जो स्वीकृतियां हुई हैं। माननीय राठौड़ साहब के द्वारा जो सब सेण्टर्स की स्वीकृतियां हुई हैं, पंचायत हैडक्वार्टर को ही अगर इनके वर्ग के लोगों का गांव नहीं था उसमें न करके दो सौ की आबादी वाले गांव में भी सब सेण्टर खोल दिया गया और पंचायत हैड क्वार्टर्स को नजरंदाज किया गया। अगर आप नाम जानना चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे पर आरोप लगा रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। अगर आप एक गांव का नाम बता दें जो ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं था और वहां उप केन्द्र स्थापित हो गया हो।

श्री अमीन खान : आपको चार बता दूं। आपको चार बता दूं, जयसिंहर स्टेशन पंचायत हैडक्वार्टर है..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप चार बता देंगे तो दुबारा शासन में हम आने वाले हैं ज्यादा चिन्ता मत करो आपके खोल देंगे आकर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सही मुंगेरी लाल के सपने हैं।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, यह एक सच्चाई है।

इसके अलावा पेयजल की योजनाओं का भी इन्होंने यही हश्र किया। जिन इलाकों में गरीब लोग रहते थे, जिन इलाकों में कतई वोट नहीं मिले, उनकी पेयजल योजनाएं जो पुरानी थीं उनकी मेंटिनेंस तक भी नहीं की और उन गांवों में पीने का पानी कई सालों तक भी नहीं मिला। नयी पेयजल योजनाएं भारत सरकार की ए.आर.पी के तहत जितने भी पैसे हासिल किये, वह इनके चहेतों के गांव में जो नोर्म्स में भी नहीं आते थे उनमें पाइप लाइनें बिछायी, उनमें टंकियां बनायी और उनका कतई तकनीकी ख्याल रखा नहीं। ऐसी कई टंकियों में पानी आज तक नहीं गया। इस तरह से इन्होंने कार्य किया।

अध्यक्ष महोदय, आपको खुद को मालुम है मेरे क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा अन्याय किया। आपने स्वयं ने इस सदन में कहा था, जो मैंने अखबारों में पढ़ा। 1981 की आबादी के अनुसार राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया और 1991 की आबादी के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समितियों के सर्किलों का पुनर्गठन किया। एक ही सरकार द्वारा चुनाव के समय एक स्थायी पंचायत इकाई का तो 81 की मर्दुमशुमारी के आधार पर पुनर्गठन किया गया और दूसरी पंचायत इकाई का 91 की मर्दुमशुमारी के आधार पर पुनर्गठन किया। हमारी पंचायत समिति के अंदर पांच सौ की आबादी पर भी एक विशेष वर्ग का इंटरेस्ट था तो पंचायत कायम की गयी। और पांच हजार की आबादी जहां 15 गांव थे, चाहे उनका 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था उसकी भी उन्होंने एक पंचायत रखी। ऐसी पंचायतों का जहां से डायरेक्शन गये, जिला कलेक्टर्स को दबाव डालकर कहा। वह इसलिये किया गया कि हमारा ही सरपंच जीतना चाहिये। दूसरी पार्टी का कोई सरपंच जीत न सके।

अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा इनको, जब पंचायतों का चुनाव हुआ हमारी पंचायत समिति, मेरे क्षेत्र की बाड़मेर और शिव के अन्दर जिला परिषद के सर्किल से एक भी मैम्बर इनकी पार्टी का जीतकर नहीं आया। और पंचायत समितियों में

(श्री शमीम खान)

19 सर्किल जो थे, उसमें मात्र दो भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आए और 17 कांग्रेस पार्टी के जीतकर आए। उसकी वजह यही थी कि आम लोगों में अन्याय की भावना से जलन हुई कि इस तरह के गांव को तोड़ ताड़कर के एक मनमाने ढंग से बगैर गाइडलाइन के, बिना सिद्धांतों और उसूलों के जो पुनर्गठन किया है, उससे इन्होंने जो समझा हमारे आदमी फटाफट

(20.00 बजे)

जीत जायेंगे। लेकिन आम लोगों में एक नाराजगी पैदा हुई। अतः मैं आखिर में यही कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां कई लोगों के भाषण सुने। मैं एक गांव का अनपढ़ आदमी हूं।

मैं सभी माननीय सदस्यों से बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अपने सदन में जो चर्चा होती है, वह 90 प्रतिशत चर्चा ऐसी महसूस हो रही है कि गांव की चौपाल पर अनपढ़ आदमियों से भी खराब लगती है। हम कहते हैं कि आप खराब थे, ऐसे थे, ऐसे थे इसलिए आपका यह हश्र हुआ। आप हमारे ऊपर, उधर बैठने वाले कहें कि आपने यह खराबियां कीं। यह भाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे ख्याल में दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। न तो आपकी शोभा इससे बढ़ती है ना हमारी शोभा बढ़ती है। भाषण इस मुद्दे पर होना चाहिए कि राजस्थान राज्य की हालत क्या है। राजस्थान की गरीब अवाम की हालत क्या है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत क्या है। इसमें आप और हम कोई अलग नहीं हैं, शामिल हैं। अगर अच्छा काम है तो सभी को अच्छाई का फल भोगना है और अगर बुरा काम है तो सभी को बुराई का नतीजा भुगतना है।

मुझे, जो भाषण दिये गये, उनमें बहुत कम आदमियों के अच्छे लगे। माफ करें, माननीय कटारिया जी ने जो भाषण दिया, हमारी पार्टी के लिहाज से कटारिया साहब खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें बहुत सही कहीं। मुझे पसन्द आईं। शिक्षा के नाम पर बहुत बुरा हश्र हो रहा है। राज्य के खजाने के लिए हमारी पार्टी शिकायत करती है कि बी.जे.पी. वाले खजाना खाली करके गये। हमारे पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब राज में आती है तो कहती है कि कांग्रेस वाले सब खजाना खाली करके चले गये, अब हम क्या करें। तो हमें विश्वास नहीं होता है कि यह दोनों असत्य बोल रहे हैं क्योंकि खजाने का काम तो ज्यों का त्यों चल रहा है। यह एक दूसरे को इलजाम देकर अपनी बरीयत रखना चाहते हैं, बरीयत नहीं होनी चाहिए।

अगर फिजूलखर्ची कोई भी हुकूमत रोकना चाहती है तो यह आंगनबाड़ी क्या कर रही है? आंगनबाड़ी के नाम से करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। हम लोगों के तो ख्याल में जाहिल आदमी हैं, यह पैसे सारे बेकार जा रहे हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। न तो इनमें पानी की सुविधा होती है, न

(श्री अमीन खान)

सड़क की सुविधा होती है, न तालीम की इनमें सुविधा होती है और न किसी गरीब बीमार को इसमें सहूलियत मिलती है। यह पैसे बेकार खर्च हो रहे हैं, इसको रोको।

यह साक्षरता अभियान चलाया गया, साक्षरता अभियान में सारा फर्जी किस्सा है। चाहे यह भारत सरकार पैसा खर्च करती है, चाहे राज्य सरकार उसमें करती है। अगर कोई ईमानदार शासन हो तो हमारी यह गुजारिश है कि एक आर्डर से यह सब बंद होने चाहिए और यह जितने पैसे खर्च होते हैं इन पैसों के जरिये गांव में जो गरीब इंसान रहते हैं, उनकी कंपलसरी तालीम कम से कम पांचवीं तक फ्री करनी चाहिए और उस पैसे से यह पांचवीं तक तालीम राज के खर्चे से आराम से हो सकती है। मगर उसमें हम लोगों को यह भ्रम है कि बड़े-बड़े आदमी चाहे बी.जे.पी. के हों, आर.एस.एस. के हों, विश्व हिन्दू परिषद के हों, कोई हमारे लोगों के भी दोस्त हों उनके आदमियों को एडजस्ट करना है। किसी को गाड़ी मिलनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट बना हुआ है तो कोई प्रोजेक्ट अफसर बना हुआ है। उनकी बीबी, बच्चे गाड़ी जीपों से ब्लाकों में फिर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक भी जगह एक भी बच्चे को साक्षर नहीं किया गया है। लाखों करोड़ों रुपयों की किताबें यहां जयपुर में छपती हैं। मैंने सुना बाड़मेर जिले में 10 करोड़ का बजट आया साक्षरता के नाम पर और थोड़े दिनों में यह अफसर डिक्लेयर कर देंगे कि पूरा जिला साक्षर हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि जिले में कोई नहीं पढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय आप और हम सब जानते हैं, आज गरीबों की हालत यह है कि अपने 5–7 वर्ष से लेकर के 14 साल तक के बच्चे भी स्कूल क्यों नहीं भेजते? उनकी मजबूरी है वह लोग नहीं भेज सकते हैं। जिनके घरों में सुबह-शाम की पूरी रोटी नहीं है इस कारण से कोई भेड़ में बच्चा भेज देता है, कोई बकरी में भेज देता है, कोई पानी भरने में भेज देता है, कोई मजदूरी में भेज देता है। इस कारण से वह पांचवीं की पढ़ाई करने से भी महरूम रह गये हैं। और यह 70 वर्ष, 35,40 वर्ष के आंकड़े इकट्ठे करके पढ़ाई का आंकड़ा बता रहे हैं। ये सब असत्य बोलते हैं और देश का और गरीब पब्लिक का खजाना लूटते हैं। ऐसी लूट को हमारी सरकार से मेरी अर्ज है कि आपकी वाहवाही होगी इस फिजूलखर्ची को तुरंत रोका जाये।

गांव में विद्युतीकरण के मामले में देखें। विद्युतिकरण में चाहे कोई भी आज योजना बनाई जाये जिनकी जेब में पैसा है, उनको कनेक्शन मिलता है। जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको कोई कनेक्शन नहीं देता है और पैसे बिना काम नहीं होता है। यह बीमारी घर-घर में घुस गयी है। इस बीमारी को रोकना शासन का पहला कर्तव्य है। अगर यह नहीं रोकी गयी तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं। हमारे लोगों के लिये भारतीय जनता पार्टी ने उर्दू के जो मास्टर दिये जाते थे उनको लगाना बंद कर दिया, और सरकार की यह नीति है

(श्री अमीन खान)

कि 40 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे और वह उर्दू विषय लेना चाहेंगे तो वहां एक उर्दू का मास्टर लग जायेगा।

लेकिन हकीकत यह है कि मास्टर, जो उर्दू विषय सिखाना चाहते हैं अक्सर उनका लिखते भी नहीं है। स्कूल से रिपोर्ट जाती है कि यहां कोई बच्चा उर्दू पढ़ने वाला नहीं तो। इस तरह से जब तक ईमानदारी से नीति पूरी सख्ती से लागू नहीं होगी, उर्दू का नाम मिट रहा है और धीरे-धीरे यह उर्दू का नाम भी मिट जायेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो नीति है वह साफ हो। या तो अगर उर्दू खराब है सभी के लिए ठीक नहीं है तो हम तो कहते हैं उसको बन्द कर दें। अगर उर्दू को चालू रखना है तो फिर ईमानदारी से उसको लागू करें और इसके रिजल्ट भी आपको चैकअप करना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है कि जैसे पीने के पानी को जब तक बाड़मेर, जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में इंदिरा गांधी नहर को पूरी तरह से एक योजनाबद्ध ढंग से और समय मुकर्रर करके गडरा रोड तक लाने की कोशिश नहीं की जाती है, तब तक वहां जितनी भी योजनाएं हैं, ये फेल्योर हैं और इन योजनाओं से लाभ नहीं मिलने वाला है। अकाल राहत कार्यों के तहत, परसादी लाल जी, साफ बात तो सबको बुरी लगेगी। आपने अकाल राहत कार्यों के तहत यह करा दिया कि हमारी कोई सीलिंग नहीं है यह बात आपकी असत्य है। आपके आर्डर हैं जिला बाड़मेर कलक्टर के पास कि 35 हजार से ज्यादा जिले में मजदूर मत लगायें। हम अकाल राहत मंत्री से मिले हैं। 15 लाख की आबादी का जिला है और उस जिले में अधिकांश हिस्सा अकाल में है। कल ही अकाल राहत मंत्री जी ने मेरे से कहा, सीलिंग घटाई है। अब मैं सीलिंग बढ़ाने की अर्ज करता हूं। इस तरह से आप बयानबाजी मत किया करें। बयान में सच्चाई होनी चाहिए। सीलिंग आर्डर दिये हैं और आप कहते हैं कि हमने सीलिंग लागू ही नहीं की है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, माननीय सदस्य ने कहा कि 35 हजार की सीलिंग हो गयी। मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला उसके बाद ही सीलिंग हटा दी। यह पहले की सीलिंग की हुई है जबकि मुख्यमंत्री जी ने ज्यों ही सत्ता संभाली उसके बाद सारी सीलिंग को हटा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों है एक महीने पहले कि बात ?

श्री परसादी लाल : आप जितनी लेबर लगाना चाहें उतनी लेबर की आपको स्वीकृति मिलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय भूल जाते हैं कि आप सरकार में मंत्री हैं। यह घर का राज नहीं है कि बैठे-बैठे कह दिया कि जितनी मर्जी ले लें।

श्री अमीन खान : परसादी लाल जी सुनिये, पहले की नहीं है, पहले कोई सीलिंग नहीं थी। अभी सीलिंग आर्डर गया है। क्या बात करते हो आप ? हमको ही गुम-राह करते हो या पागल समझते हो ? अब के आर्डर गया है। और आप कहते हैं कि पहले का है। हमारी रिलीफ सैक्रेट्री से बात हुई है....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : एक मिनट माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकार ने जब अकाल राहत कार्य शुरू किये तो सारे जिलों में सीलिंग लागू की। मुख्य मंत्री जी ने जब एक तारीख को कार्यभार संभाला, दो तारीख को सभी कलक्टर्स को यह कह दिया गया है कि कोई सीलिंग नहीं होगी।

श्री भीखचन्द कृपलानी : बिलकुल असत्य है।

श्री परसादी लाल : मंत्रिमण्डल की मीटिंग में भी मंत्रीमंडल के सदस्य थे। सीलिंग हटाने का फैसला किया गया और कार्यभार जितनी भी लेबर लगानी चाहिए जिले में किसी को भी रोजगार के बिना नहीं रहने दिया जायेगा। राज्य सरकार सबको रोजगार देगी।

डा. चन्द्रभान :..मंत्रीजी दुबारा आर्डर भिजवायें सबके पास।

श्री परसादी लाल : कोई सीलिंग नहीं है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं का कहना है.... (व्यवधान) जितनी आपको लेबर चाहिए उतनी लेबर की स्वीकृति आपको मिलेगी। जितनी भी कलक्टर मांगेगा उतनी मिलेगी।

श्री अमीन खान : माननीय मंत्री जी, सच्चाई का बोलबाला +++ अगर मैं असत्य कहता हूं तो मैं सदन का सदस्य रहने के लिए तैयार नहीं हूं आप क्यों करते हो। आप करेक्ट कर दो। अभी आर्डर कर दें। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है।

श्री परसादी लाल : आप जितनी लेबर की स्वीकृति चाहेंगे, अकाल राहत मंत्रीजी, प्रभारी मंत्रीजी....

श्री अमीन खान : आर्डर हुए हैं या नहीं हुए है..(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप सुनिये। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सारे जिलों में प्रभारी मंत्री बना दिए हैं। अकाल राहत समितियां बना दी गई हैं। आप प्रभारी मंत्रीजी के साथ बैठ जाएं। जितनी आपको आवश्य-कता होगी उतनी आपको सीलिंग की स्वी-कृति दी जाएगी। आप प्रभारी मंत्रीजी के पास बैठिए। आप लिख कर दे दीजिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं अनलिमिटेड, माननीय मंत्री

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(एक माननीय सदस्य)

जो लिख कर देने को तैयार है, अनलिमिटेड यह जो आपने कहा है अनलिमिटेड (व्यवधान)

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं, मैंने सच बात कही है, प्रभारी मंत्रीजी ने मुझे गलत बात नहीं बताई, उन्होंने सच बात बताई है कि हां अमीन खान जी, सीलिंग लागू की है और आपको ज्यादा जरूरत है तो आज आर्डर जारी कर रहा हूं, कल उन्होंने आर्डर दिया और आप यूं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : प्रभारी मंत्री जी को सारे अधिकार दे रखे हैं हमने।

श्री अमीन खान : आपको असत्य बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप कह रहे हैं, पहले इसकी सीलिंग थी और मुख्य मंत्रीजी ने सीलिंग हटा दी है। मैंने माननीय विधायक को कहा था कि जो भी आवश्यकता हो, आवश्यकतानुसार सीलिंग बढ़ा दी जाएगी और लेबर को उस अनुरूप लगा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या अकाल राहत कार्य के अंदर मजदूरों की संख्या पर कोई सीलिंग है या नहीं है, यह बात दोहरी है, अध्यक्ष महोदय, यह सदन है..।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : है नहीं, मंत्रीजी ने कह दिया न, नहीं है गई।

श्री परसादी लाल : नहीं है, मैंने कहा नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है, आपकी सरकार के समय सीलिंग थी और हमारी सरकार के समय कोई सीलिंग नहीं है। आप मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेंट नहीं पढ़ते क्या ? कोई सीलिंग नहीं है, नो सीलिंग। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के अंदर इस तरह की बात आप कह रहे हैं कि सीलिंग नहीं है, आप कह रहे हैं सीलिंग है, माननीय सदस्य कह रहे हैं, कि 35 हजार की सीलिंग है। आप सदन में जवाब दे रहे हैं .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपने स्थान से बोलिए।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि इन दोनों को पता नहीं है।

श्री किरोड़ी लाल : अमीन खानजी सत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा) : बाड़मेर में आप अनलिमिटेड दे रहे हैं न, वह आदेश दे देना।

श्री अमीन खान : इन दोनों को ही पता नहीं है। अकाल राहत मंत्रीजी ने कल सीलिंग हेतु आदेश दिया है। मैं बीच में

(श्री अमीन खान)

नहीं बोलता, उन्होंने बीच में बोल करके लड़ाई कर दी, खामख्वाह लड़ाई मत करो।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें किसान तबके के लोगों के साथ पिछले आठ साल में भारी भेदभाव और अन्याय हुआ है। वहां पर यह तय किया गया कि जमीन का विशेष आवंटन जो है, किसी आदमी को यहां मत करो और उसकी नीति में क्या है, मैं साफ कहता हूं, यही है कि अगर विशेष आवंटन हुआ तो इस जमीन पर जाट बस जाएंगे, बिश्नोई बस जाएंगे और दूसरे हरिजन बस जाएंगे। और यहां की जमीन जो छूट पड़ी है, हजारों सैंकड़ों मील, घूमने वालों को दिक्कत हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, महाराजा गंगासिंह ने जमीन का विकास करने के लिए गंगानगर में पंजाब से किसान मंगाए। जमीन काश्त वही आदमी करेगा जिसमें पसीना करने की आदत है। आज भी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आपके जोधपुर जिले के, बाड़मेर जिले के, नागौर जिले के लोग, मैंने वहां देखा है, उसकी इमारत भी उसी खेत में है, गाय भी उसी खेत में है, बकरी भी उसी खेत में है। उस खेत में हरियाली दिख रही है और जमीन में अनाज और रायडे की फसल खड़ी है। लोकल ही लोकल आदमी कहते हैं, जितने भी हैं, कल्लाजी को पूछ लो। हजारों अप्लीकेशन हैं। उन अप्लीकेशनों को पूरा कर दो तो भी यह जमीन बचती है और विशेष आवंटन को रोकना राष्ट्र और राज्य हित में नहीं है, यह मेरी विशेष गुजारिश है (व्यवधान), कल्लाजी एक मिनट, क्योंकि विशेष आवंटन को रोकने से आज क्या हुआ हुआ है कि 1992 में बाड़मेर में राष्ट्रपति शासन के दौरान, बाद में बाड़मेर और जोधपुर के चंद किसानों को जमीन मिली वह 1 लाख, 80 हजार प्रति मुरब्बे की कीमत पर मिली। आज वह मुरब्बा चला गया सवा चार लाख रुपए में और सामान्य में, कांग्रेस के शासन में, राष्ट्रपति के शासन में 50 हजार रुपए का एक मुरब्बा अलाट किया जाता था, आज वह मुरब्बा एक लाख से ऊपर, इन राठौड़ साहब ने और इन्होंने कर दिया। वह सामान्य में आवंटन हो रहा है तो जितना समय इसको रोक रहे हो, 15 प्रतिशत रेट साल की बढ़ायी जा रही है। उसमें मेरा यह अनुरोध कतई नहीं है, पहला हक जैसलमेर की धरती पर जो इंसान जन्मे हैं, रहते हैं और जो काश्तकार हैं, उनका है। उनका हिसाब संभाल करके, उनकी जमीन रिजर्व रख दो, अलॉट कर दो।

लेकिन बाकी बाहर के किसान जो मेहनत करते हैं, जो देश को अनाज पैदा करके देना चाहते हैं, उन आदमियों को जमीन देनी चाहिए और मेरी यह आखिरी गुजारिश है कि हमारे बाड़मेर जिले का 28 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिसमें 15 लाख लोग रहते हैं आदमशुमारी के अनुसार, जैसलमेर जिले का 38 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिए है जिसमें तीन लाख लोग रहते हैं। आदमशुमारी के अनुसार, इनमें दो शहर भी हैं। ....

(श्री अमीन खान)

इसलिए हम लोग बाड़मेर जिले के पड़ोसी के नाते चाहे 4 लाख रुपए सरकार को लेने हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उस 4 लाख की कम से कम 10 साल की किस्त आप ले लें और 4 लाख में वह जमीन तत्काल आवंटन कर दें ताकि उस जमीन को किसान आबाद करे, किसान वहां रह सके और जैसलमेर में और पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर यह हरियाली दिखे, जिससे कि सभी लोग खुशहाल हो सकें, पीने के पानी का इंतजाम हो सके।

परसादी लालजी, अगर आप उनसे ज्यादा कुशल बनते हो तो बहुत बड़े किसानों का इससे हित और अहित जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप ध्यान रखें और जोहरवाली करके प्रकाश राहुल मंत्रीजी, उन से तो मैं खुश हूं, इन्होंने तो मेरे सामने कबूल किया कि अमीन खान, मैंने रुकवाया था, पता नहीं आपके यहां मजदूर कितने हैं। अगर जरूरत है तो मैं आज यह सीलिंग खोल देता हूं। सीलिंग का उनका आर्डर पहले नहीं गया कि मजदूर लगाओ। न तो कम है न ज्यादा है। नया आर्डर गया कि इतने-इतने से ज्यादा मत रखो। यह ऐसा मत किया करो। यह इन्होंने दुरुस्त किया है और आप भी दुरुस्त करो।

अंत में मैं महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव रखा है, उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री गोवर्धन कल्ला : एक संकेत, अध्यक्ष महोदय, मैं सूचनार्थ कह रहा हूं, विशेष आवंटन चालू है। इस माह मैंने करीब एक हजार विशेष आवंटन की फाइलें निकाली हैं और तीन महीने से जो एप्लीकेशन पड़ी हैं, हम संकल्पित हैं कि हम सारे विशेष आवंटन की फाइलें कम्पलीट करके वापस बुलाएंगे। यह मुख्य मंत्री जी का आदेश है। (व्यवधान)

श्री अमीन खान : उसके बाद एप्लीकेशन देना ही बंद कर दिया। राष्ट्रपति शासन के वक्त की जो एप्लीकेशंस हैं वे पेंडिंग हैं। बाकी एप्लीकेशंस तो लेना ही बिलकुल बंद कर रखा है। (व्यवधान)

श्री गोवर्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, आज से नहीं, 4 साल पहले की एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ उनका डिस्पोजल कर रहे हैं। वह भी उनका जिनको 20 हजार रुपए दिए हैं बतौर रिश्वत के, बिना पैसे किसी को नहीं दे रहे हैं। 20 हजार रुपए अफसरों की जेब में जा रहे हैं खुले आम, बिना पैसे के विशेष आवंटन नहीं हो रहा है।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह पिछले आठ साल का कारनामा है, अभी नहीं हो रहा है यह, आठ वर्ष से चल रहा है।

श्री गोवर्धन कल्ला : बिलकुल उनकी जांच करा लो, पूछ लो, एक-एक काश्तकार से, 20–20 हजार रुपए, सबने दिए हैं, पहले भी लेते थे, 20-20 हजार रुपए और अभी चालू है, बंद नहीं हुए हैं।

श्री प्रमोद खान : आप कलक्टरों से पूछ लो।

श्री अध्यक्ष : आपने जो विशेष आवंटन का मुद्दा उठाया है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एनटाइटल करने के संबंध में, कोलोनाइजेशन मिनिस्टर आपको इस पाइंट की जांच करके निर्णय लेना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : 20-20 हजार रुपए रिश्वत ले रहे हैं, इसकी तो सुनवाई करो।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 15 जनवरी, 1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.18 बजे, शुक्रवार, 15 जनवरी, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-I

तारांकित प्रश्न संख्या 52 की सूची

राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन विभिन्न इकाइयों का विवरण

इकाई	वर्तमान स्थिति
1. राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा	अगस्त, 1992 से निजीकरण किया गया।
2. राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना	60 लाख रुपये का औसत लाभ अर्जित करने वाला स्रोत अतिवृष्टि के कारण 1996 से बंद । निजीकरण पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।
3. स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना	बंद, तथा विक्रय का निर्णय
4. राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर	बंद, तथा विक्रय का निर्णय
5. राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, टोंक	मार्च 1995 में निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई ।
6. आईस फैक्ट्री, जोधपुर	बंद । विक्रय का निर्णय
7. राजकीय उपक्रम ब्यूरो, जयपुर	कार्यरत
8. गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर	वित्त विभाग को हस्तान्तरित
9. हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर	वित्त विभाग को हस्तान्तरित

ANNEXURE "Kha"

DETAIL OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKING UNDER THE PERVIEW OF BUREAU OF PUBLIC ENTERPRISES

(Rs. in lacs)

S.No.	NAME OF ENTERPRISE	Investment as on 31-3-98	Profit (+)/ loss (—) for the year ending on 31-3-98	Accumulated losses upto 31-3-98	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Rajasthan state electricity Board	177459.00	6535.00	17289.00	on telephone
2.	Rajasthan state road transport corporation	10795.25	379.99	0.00	
3.	Rajasthan financial corporation	9107.07	-1537.75	7487.23	

1	2	3	4	5	6
4.	Rajasthan state ware-housing corporation	725.26	192.68	0.00	
5.	Rajasthan housing board	0.00	36.84	0.00	
6.	Rajasthan land deve-lopment corporation	2051.45	59.73	260.09	
7.	Rajasthan state agriculture marketing board	7340.85	547.64	0.00	
8.	Rajasthan state ganga-nagar sugar mills ltd.	364.73	15.40	0.00	
9.	Rajasthan state mines & minerals ltd.	6172.60	1958.65	0.00	
10.	Rajasthan state industrial development & Investment corporation ltd.	15560.25	1266.84	0.00	

1	2	3	4	5	6
11.	Rajasthan state mineral development corporation ltd.	1633.00	-11.91	362.40	provisional
12.	Rajasthan small industries corporation ltd.	546.00	458.38	0.00	
13.	Rajasthan state hotels corporation ltd.	106.75	-8.45	0.00	
14.	Rajasthan rajya paryatan vikas nigam ltd.	1383.84	26.15	0.00	
15.	Rajasthan state seeds corporation ltd.	634.28	221.31	0.00	
16.	Rajasthan state agro industries corporation ltd.	600.73	-176.46	2166.86	provisional

1	2	3	4	5	6
17.	Rajasthan state bridge and construction corpor-ation ltd.	1000.00	678.00	0.00	Provisional
18.	Rajasthan state handloom development corporation ltd.	615.00	-250.00	1207.64	provisional
19.	Rajasthan jal vikas nigam ltd.	127.00	32.13	0.00	
20.	Rajasthan electronics lim ted	30.00	–11.32	232.77	
21.	Rajasthhn state tungsten development Corporation, Ltd.	133.80	-0.41	113.79	upto 31-3-97

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची

राज्य के रोजगार कार्यालयों में 30 जून, 1998 को शिक्षित

बेरोजगारों की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	सजीव पंजी (30-6-98) शिक्षित आशार्थी
1	2	3
1.	अजमेर	7870
2.	अलवर	42817
3.	बांसवाड़ा	9569
4.	बारां	7642
5.	बाड़मेर	7519
6.	भरतपुर	29636
7.	भीलवाड़ा	15362
8.	बीकानेर	16088
9.	बूंदी	7412
10.	चित्तौड़गढ़	14806
11.	चूरू	12028
12.	दौसा	20782
13.	धौलपुर	9859
14.	डूंगरपुर	7904
15.	हनुमानगढ़	11645
16.	जयपुर	155800

1	2	3
17.	जैसलमेर	2920
18.	जालोर	7135
19.	झालावाड़	8016
20.	झुन्झुनूं	25008
21.	जोधपुर	28536
22.	कोटा	26283
23.	नागौर	19771
24.	पाली	10922
25.	राजसमन्द	6644
26.	सवाईमाधोपुर	27222
27.	सीकर	21393
28.	सिरोही	4494
29.	श्रीगंगानगर	11773
30.	टोंक	16893
31.	उदयपुर	23201
	योग	616952

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में उर्दू भाषा का अध्यापन

57. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में उर्दू भाषा के अध्यापकों के कुल कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में कितने पद कहां-कहां कब से रिक्त हैं ?

(3) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(4) प्रदेश के विभिन्न उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में जहां छात्र तृतीय भाषा उर्दू विषय पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार उर्दू भाषा अध्यापन के लिए क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में उर्दू भाषा अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट—"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" में अंकित है।

(3) रिक्त पदों को योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध होने पर भर दिया जायेगा।

(4) प्रदेश के विभिन्न उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय भाषा उर्दू विषय अध्ययन हेतु निर्धारित मापदंडानुसार छात्र उपलब्ध होने पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय भाषा उर्दू प्रारम्भ करने एवं भाषा विषय का ज्ञान रखने वाले शिक्षक द्वारा अध्यापन संबंधी व्यवस्था पूर्व से ही संचालित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नीमकाथाना क्षेत्र का मदिरा ठेका प्रकरण

58. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से 1998 के दौरान जिला सीकर में नीमकाथाना ग्रुप की देशी व विदेशी मदिरा का ठेका किस ग्रुप के नाम स्वीकृत किया गया।

(2) उक्त ठेके में देशी/विदेशी मदिरा की कितनी मुख्य/उप दुकानें स्वीकृत की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल मोदी)

(3) क्या सरकार द्वारा मुख्य/उप दुकानों की दूरी तय की जाती है ? यदि हां, तो नीमकाथाना ग्रुप की दुकानों की आपसी दूरी कितनी–कितनी है और यह अंतर राज्यीय सीमा व अंतर जिला में कितनी होनी चाहिए।

(4) नीमकाथाना ग्रुप को यह ठेका किस आधार पर एवं किन शर्तों पर दिया गया है ? इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर के नीमकाथाना देशी मदिरा/मा.नि.वि.म. एवं बीयर दुकानात समूह का ठेका वर्ष 1995-96 से 1997-99 तक के लिए जिन-जिन व्यक्तियों के नाम स्वीकृत किया गया उनकी वर्षवार सूची परिशिष्ट(अ) संलग्न है।

(2) नीमकाथाना समूह में वर्षवार देशी एवं मा.नि.वि.म. एवं बीयर की मुख्य एवं उप दुकानें निम्नानुसार स्वीकृत की गई :—

क्र.सं.	वर्ष	देशी मदिरा की दकानें		मा.नि.वि.म. एवं बीयर की दुकानें	
		मुख्य दुकानें	उप दुकानें	मुख्य दुकानें	उप दुकानें
1.	1995-96	11	19	2	3
2.	1996-97	28	—	5	—
3.	1997-99	31	—	5	—

वर्षवार दुकानों की सूची परिशिष्ट (ब) संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में मुख्य व उप दुकानों की अवधारणा समाप्त कर दी गई है तथा समस्त बेचान स्थल समान रूप से 'दुकान' के रूप में जाने जाते हैं। एक समूह में स्वीकृत दुकानों के मध्य दूरी निर्धारित नहीं है। केवल हरियाणा राज्य के अन्तर्राज्यीय सीमा से 5 कि.मी. की दूरी तक गांव/कस्बे की आबादी को अपवादित करते हुए मदिरा दुकानें स्वीकृत नहीं करने की वर्तमान बन्दोबस्त में नीति अपनाई गई है। इसी प्रकार अंतर समूह दूरी के मामले में दुकानों के मध्य 2.5 कि.मी.

(आबकारी मंत्री)

निर्धारित की गई है।

(4) नीमकाथाना समूह का ठेका प्रतिस्पर्धा निविदा के आधार पर दिया गया है। शर्तें अनुज्ञा-पत्र में वर्णित है। अनुज्ञापत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पांचना बांध का सिंचित क्षेत्र

59. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादोती में पांचना बांध से कितने गांवों को वर्तमान में कितनी-कितनी मात्रा में पानी दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पांचना बांध के निर्माण पर कुल कितनी लागत शुरू से अब तक आ चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पांचना बांध से कुल कितनी भूमि सिंचित होती है? विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के कितने ग्रामों को इस बांध से पानी दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पांचना बांध के निर्माण में क्या कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादोती में वर्तमान में निम्न-लिखित गांवों को पानी दिया जा रहा है:—

क.सं.	नाम ग्राम	तहसील	वर्तमान में पानी की मात्रा सिंचित क्षेत्र (है.)
1.	रोंसी	नादोती	27.78
2.	केमला	नादोती	491.86
3.	कुंजेला	नादोती	29.94

(सिंचाई मंत्री)

(2) पांचना बांध के निर्माण पर अब तक कुल 4697.71 लाख रुपये दिसम्बर, 1998 तक खर्च किये जा चुके हैं।

(3) पांचना बांध से सिंचित भूमि की सूचना परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम से जिन ग्रामों को पानी दिया जा रहा है, सूचना परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध हैं।

(4) जी हां। पांचना बांध के निर्माण में शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जांच बैरी आयोग ने की थी, जांच रिपोर्ट के परिणामों के अनुसार कोई भी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं पाया गया है। इस विषय में अब कोई और कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट "क"

पांचना बांध से कुल सिंचित भूमि की सूचना

क.सं.	वर्ष	भूमि सिंचित क्षेत्र (है0) में
1.	1987-88	68.00
2.	1988-89	—
3.	1989-90	1325.00
4.	1990-91	1577.00
5.	1991-92	2002.00
6.	1992-93	3462.00
7.	1993-94	3485.00
8.	1994-95	4369.00
9.	1995-96	4412.00
10.	1996-97	—
11.	1997-98	4297.50
12.	1998-99	3132.00

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा टोडाभीम क्षेत्र के गांवों की पांचवां बांध से सिंचित किए जा रहे ग्रामों की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	सिंचित क्षेत्र (है0)
1.	रौंसी	नादौती	27.78
2.	कंमला	नादौती	491.86
3.	कुंजेला	नादौती	29.94
4.	राण्डोली	टोडाभीम	25.00
5.	शेखपुरा	टोडाभीम	20.00
6.	किरवाड़ा	टोडाभीम	65.00
7.	मौंटवाड़ा	टोडाभीम	20.00
8.	धयधापुरा	टोडाभीम	25.00

पंचायत समिति क्षेत्र श्रीनगर में पेयजल व्यवस्था

60. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) के ग्राम बबाईचा, रसूलपुरा, बुबानी, बड़गांव में पेयजल योजना लागू है ?

(2) क्या उक्त ग्रामों में सार्वजनिक जल वितरण दिन में एक बार आधे घंटे के लिये मोटर चालू कर सीधा नलों से किया जाता है ?

(3) क्या सरकार के समक्ष उक्त ग्रामों में पानी की टंकियां बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त ग्रामों में उच्च जलाशय बना कर पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ग्राम बबायचा में प्रतिदिन ढाई से तीन घंटे स्रोत से सीधे ही पम्प चलाकर सार्वजनिक नलों एवं घरेलू जल सम्बन्धों के द्वारा जल वितरित किया जाता है। ग्राम बुबानी में रोजाना सुबह लगभग 4 घण्टे व सायं लगभग दो घण्टे कुल 6 घंटे रोजाना सीधा ही स्रोत से मोटर चलाकर सार्वजनिक नलों के माध्यम से पेयजल वितरण किया जाता है। ग्राम बड़गांव के आधे भाग में स्रोत से मोटर चालू करके सार्वजनिक नलों के माध्यम से करीब तीन घण्टे तथा शेष आधे भाग में अजमेर की शहरीय योजना के सर्विस रिजरवायर नम्बर 7 से 48 घण्टे के अंतराल पर करीब एक घण्टा पानी वितरित किया जाता है।

(3) राज्य सरकार की नीति के अनुसार सन् 1991 की जनगणना के आधार पर 1500 से 4000 तक की जनसंख्या वाले ऐसे ग्राम जिनमें ग्राम पंचायत जनता जल योजना पद्धति के आधार पर आवेदन कर अनुबंध प्रस्तुत करें तो ऐसे ग्रामों में पी एण्ड टी योजना के अंतर्गत भूतलीय जलाशयों का निर्माण किया जाता है। उक्त ग्रामों से उपरोक्तानुसार जनता जल योजना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(4) राज्य सरकार की नीति के अनुसार मात्र ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 4000 से अधिक है, में ही उच्च जलाशय बनाया जाता है। उक्त ग्रामों की जनसंख्या 4000 से कम होने के कारण उच्च जलाशय बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जिला अलवर में मदिरा की अवैध दुकान

61. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में सरकार द्वारा देशी शराब की कुल कितनी दुकानें कहां-कहां स्वीकृत हैं ?

(2) क्या शराब के ठेकेदारों ने स्वीकृत दुकानों के अलावा भी शराब बेचने के लिए दुकान/खोके खोल रखे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन अवैध दुकानों व खोकों को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला अलवर में विभाग द्वारा देशी मदिरा की दुकानें निम्नांकित स्थलों पर स्वीकृत हैं:—

क्र.सं.	नाम समूह	नाम दुकान
1	2	3
1-	अलवर समूह	1--रेल्वेस्टेशन 2—मूंगसकाएनईबाहाउसिंग बोर्ड 3-बाउदपुर 4—स्कीमन 5—घंटाघर 6—काला कुआ हाउसिंग बोर्ड 7-नयाबास 8—दिल्लीगेट 9—मालाखेड़ागेट 10-साठफुटरोड 11-ट्रांसपोर्टनगर 12-बसस्टेण्ड 13-स्कीमन 14-शिवाजीपार्क
2-	अलवर ग्रामीण	1--मालाखेड़ा कस्बा 2-बुर्जा 3-श्यामगंगा 4—गन्दपुर 5—बहादुरपुर 6-बटकेसरपुर 7-मुबारिकपुर 8-बखतलचोकी 9-बगडकातिराया 10-डहरामोड 11-रामगढ़ 12-अकबरपुर 13-चिकानी 14-किथूर 15-नौगांवा 16-बीजवाड़ 17-उमरेण 18-तिराया 19-इन्दोक
3-	राजगढ़ समूह	1-गोलाकाबास 2-रैणी 3-गढ़ीसवाईराम 4-माचाड़ी 6-टहला 6-राजगढ़ प्रथम 7-राजगढ़ द्वितीय 8-राजगढ़ तृतीय 9—कोठीनारायणपुर 10--ढ़िगावड़ा 11—थाना 12-लादिया 13-भिटोली (रामपुरा)

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
	4-लक्ष्मणगढ़	1-गोविन्दगढ़ 2-बडोदामेव 3-मोजपुर 4-गोविन्दगढ़ा II 5-लक्ष्मणगढ़ 6--खेडामंगलसिंह 7-लक्ष्मणगढ़ 8-कोररिया
	5-कठूमर समूह	1-ससई 2–कठूमर I 3-कठूमर II 4–बडोदाखान 5--खेडली I 6-खेडली-II 7-खेडली III 8-घोलागढ़ 9–सांखर 10-गांव खेडली 11–खेडली II (समूचीरोड 12–खेडली) मंडोरोड़
	6-थानागाजी	1-नारायणपुर 2-प्रतापगढ़ 3-थानागाजी 4-अजबगढ 5–आगार 6-गढ़ी 7-गुडा 8-हूरनेर 9-नटाटा 10-घाटाबादरोल
	7-बहरोड समूह	1-माण्डन चौराया 2-बहरोड I 3–ससींग 4–नीमराणा 5-मांजरीकला 6-कांकर 7-पोल्ला 8-हमरोली 9-गिगलाना 10-कानावास 11-माण्डन 12–संतो 13-रामचन्द्रपुरा 14-चुडियाकला 15-परतापुर 16-सधुनाथपुरा 17-मण्डाला 18–मोनायचाकला 19-नीमराणा II 20-नाईसराना 21-बहरोड III 22-खोहरी 23-बहरोड 24-कुरेली 25-शाहजहांपुर 26–काठूवास 27–निहालपुरा 28-बीधाना 29-भगवाडी
	8–बानसूर	1-अलवररोड 2-बानसूर 3-भूपसेडा 4–हरसोरा 5-खेडा 6-दांतलीबाडी 7-रामपुर 8–कराणा 9-गुताशाहपुर
	9–किशनगढ़बास	1-खेरथल I 2-खेरथलगांव II 3- खेरथल 4-पुर 5-हरसोली 6-वीरनबास 7-मगाना 8–हाजीपुर 9-माफोली 10-रामपुर 11-कुमपुर 12-जोडिया 13-कोटाकासिम 14-किशनगढबास 15-नसोपुर 16-बुढीबावल 17-किशनगढबास 18-नागलसालिया
	10–मुण्डावर समूह	1-ततारपुर गांव 2–सोडावास 3–मुण्डावार 4-गातोर 5–जाटबहरोड 6-दादिया 7-बीजवाड 8-रामसिंहपुरा 9–सीलगांव 10-घोलाकुंआ II-अजरका 12-पलावा

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
	11-तिजारा-भिवाड़ी	1-ढाबाकाम्पलेक्स 2-नंगलिया 3-फूलबाग 4-हरचन्दपुर 5 नीलमचौक 6-सेदपुर 7-रोड न. 3 परसरामपुरिया 8-टपूकड़ा 9. टपूकड़ाबाईपास 10-भिण्डूसी 11-मटिला 12-तिजारा 13-बालियाबास

(2) जिला अलवर में शराब ठेकेदारों द्वारा विभाग द्वारा स्वीकृत दुकानों का ही सचालन किया जा रहा है। कहीं भी अवैध दुकान एवं खोकों के संचालन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) उपरोक्तानुसार। यदि अवैध रूप से मदिरा बेचान के संबंध में कोई परिवाद प्राप्त होता है तो विभाग द्वारा नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

डूंगरपुर की अमरपुरा सिचाई परियोजना

62. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार डूंगरपुर जिले की अमरपुरा परियोजना का कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। डूंगरपुर जिले की अमरपुरा सिचाई परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने का विचार है परन्तु इस परियोजना की जल उपलब्धता एवं अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच चल रही है एवं इनको परिमाप (नोर्म्स) के अनुसार पाये जाने पर ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही संभव हो पायेगी।

पंचायत समिति उदयपुरवाटी के हैण्ड पम्प

63. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1997 से नवम्बर, 1998 तक जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति उदयपुरवाटी क्षेत्र में किस-किस स्थान के लिए कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये ?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) नवम्बर, 1998 तक इनमें से कितने हैण्डपम्प लग चुके तथा कितने बकाया हैं ?

(3) इतनी लम्बी अवधि तक हैण्डपम्प नहीं लग पाने के क्या कारण हैं और अब उक्त हैण्डपम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 97 से नवम्बर, 98 तक जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में कुल 362 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) नवम्बर, 98 तक इनमें से 276 हैण्डपम्प लग चुके हैं तथा 86 हैण्डपम्प लगाने बकाया हैं।

(3) शेष रहे 86 हैण्डपम्प स्थान का विवाद होना, मशीन पहुंचने योग्य रास्ता नहीं होना, चयनित स्थान विशेष पर कठिन धरातल होना, एवं हैंडपम्पों का हाल ही में स्वीकृत होने इत्यादि के कारण नहीं लगाये जा सके हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर है। इन्हें शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला श्रीगंगानगर का डोडा चूरा ठेका प्रकरण

64. श्री कृष्णचन्द्र (संगरिया) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1997 से 1999 तक श्रीगंगानगर जिले का डोडा चूरा समूह तथा चित्तौडगढ़ समूह का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया ? ठेकेदार का पूरा नाम, पता एवं पिता का नाम आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने पिता का नाम व पता आदि जाली बताकर ठेका लिया है ?

(3) क्या सरकार ने ठेका देने से पूर्व उसकी जांच कराई थी ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब उसकी पूर्ण जानकारी कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार ठेकेदार की अमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1997–99 हेतु राजस्व जिला श्रीगंगानगर के भाग–डोडा पोस्त समूह घड़साना–रावला, सादुलशहर, अनूप-

(प्राबकारी मंत्री)

गढ, रायसिहनगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, सूरतगढ-विजयनगर एवं राजस्व जिला चित्तौड़गढ का चित्तौड़गढ़-गंगरार समूह श्री सुखदेव सिह पुत्र महेन्द्रसिह, निवासी 715 जोशी भवन, सुभाष चौक, जयपुर के नाम एवं श्रीगंगानगर जिला का गंगानगर हिन्दुमल-कोट समूह श्री सुखदेव सिह पुत्र महेन्द्रसिह, निवासी 715, जोशी भवन, सुभाष चौक जयपुर एवं श्री समराजसिह पुत्र राजेन्द्रसिह, निवासी डी-1 न्यू मार्ग बनीपार्क, जयपुर के नाम स्वीकृत किए गये है। राजस्व जिला चित्तौड़गढ़ के भांग डोडा पोस्त समूह, चित्तौड़गढ़-गंगरार में श्री लक्ष-मणसिह पुत्र शेरसिह, निवासी डी-67, माधो-सिह रोड, बनीपार्क, जयपुर का नाम अनु-ज्ञाधारी के रूप में नियमानुसार जोड़ा गया है।

(2) अनुज्ञाधारी ने निविदा/प्रस्ताव में अपना नाम सुखदेवसिह पुत्र महेन्द्रसिह अंकित किया हुआ है एवं इसके समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। दिनांक 31-12-1998 को उक्त श्री सुखदेवसिह पुत्र महेन्द्र सिह की वल्दियत गलत अंकित होने संबंधी एक शिकायत विभाग को प्राप्त होने पर जांच करवाई गई। प्रारंभिक जांच में पिता सामने आये तथ्यों से यह इंगित होता है कि श्री सुखदेवसिह के पिता का नाम श्री महेन्द्रसिह उर्फ गुरतेजसिह है।

(3) ठेका स्वीकृत करने से पूर्व विस्तृत जांच का प्रावधान नहीं है। इस प्रकरण में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य सर-कार द्वारा विस्तृत जांच करवाई जायेगी।

(4) जांच के परिणामों के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के एनीकट

65. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में बनाये गये एनीकटों में से कितने-कितने एनीकट सिल्टअप (मिट्टी से भर गये) हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनीकटों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा और अब तक ठीक नहीं कराने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास अभिकरण एवं अकाल राहत विभाग द्वारा सिचाई विभाग के माध्यम से कुल 27 एनीकटों का निर्माण करवाया गया था। (सूची परिशिष्ट 'अ' पर है) इसमें से पांच चैनपुरा, जुलका फील फीडर, भैरूसागर चिटकड़ी और लोरड़ी एनीकट मिट्टी से भर गये हैं।

(2) एनीकटों का कार्य सिंचाई विभाग के मद द्वारा नहीं किया जाता। अत: विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-'घ'

क्र. सं.	नाम एनीकट	
1.	चैनपुरा	—मिट्टी से भर गया
2.	घशोपुरा	
3.	सवारदा	
4.	साली तालाब	
5.	धादर्वा	
6.	बातरी	
7.	झुलका झील	—मिट्टी से भर गया
8.	धमाना	
9.	भैरूसागर	—मिट्टी से भर गया
10.	लपाड़िया	
11.	भोजपुरा	
12.	धारड़िया	
13.	साकुन	
14.	बग्धोली	
15.	चिटकड़ी	—मिट्टी से भर गया
16.	लोरड़ी	—मिट्टी से भर गया
17.	गुडा रामपुरा	
18.	गिधानी	
19.	बैलापुरा	
20.	उदयपुरिया	
21.	दूदू तालाब	
22.	सिगरिया	
23.	जावली	
24.	कचोलिया	
25.	श्रीरामपुरा	
26.	मोरड़ा	
27.	भूतिया	

ग्राम घाटा एवं सुरपुरा (डेगाना) की पेयजल योजना

66. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनता जल योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कुल कितने ग्राम लाभान्वित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम घाटा एवं सुरपुरा (डेगाना) में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में पेयजल हेतु सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

(3) क्या सरकार उक्त दोनों ग्रामों की जनता को जल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनता जल योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में 15 ग्राम लाभान्वित हैं। सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) जी नहीं, ग्राम घाटा एवं सुरपुरा तहसील डेगाना वर्तमान में पारम्परिक स्रोत पेयजल योजना से लाभान्वित है। दोनों गांवों को इन योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में यह दोनों योजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्तर पर चलाई जा रही है।

(3) जी हां। ग्राम घाटा की पारम्परिक स्रोत पेयजल योजना को जनता जल योजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव बना लिये गये हैं तथा स्वीकृति कार्यवाही प्रगति पर है। ग्राम सुरपुरा की पेयजल योजना को जनता जल योजना में परिवर्तित करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत/समिति/स्वयंसेवी संस्था से निर्धारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्वीकृति जारी करना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

सामान्वित जनता जल योजना की सूची

क्र.सं.	जनता जल योजना का नाम	बन्द या चालू
1.	चकढ़ाणी	चालू
2.	बिछपड़ी	चालू
3.	दघड़ास	चालू
4.	निम्बड़ी कलां	चालू
5.	धाकेली (बी)	चालू
6.	निम्बड़ी कोठारियां	चालू
7.	पालियास	चालू
8.	माण्डल देवा	चालू
9.	चोलियास	चालू
10.	पुनियास	चालू
11.	सावां की ढाणी	चालू
12.	दागड़ी	चालू
13.	चुआ	चालू
14.	केरिया रावा	चालू
15.	नयावड़ी	चालू

इन्दिरा गांधी नहर से गडरा रोड तक जलापूर्ति

67. श्री अमीन खां (शिव) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त नहर को सरकार ने गडरा रोड से 11 किलोमीटर दूर रखने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब इन्दिरा गांधी नहर का पानी गडरा रोड तक कब तक पहुंचा दिया जावेगा ? उक्त नहर से शिव तहसील की कितनी भूमि सिंचित करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार इन्दिरा गांधी नहर को गडरा रोड के पास तक वर्ष 2004–2005 तक पहुंचाने का विचार रखती है ।

(2) गडरा रोड वितरिका के प्रोविज–नल अलाइन्मेंट (अन्तिरम संघरेखण) के अनुसार नहर का अन्तिम छोर गडरा रोड रेल्वे स्टेशन/गांव से करीब 11 किलोमीटर दूर प्रस्तावित है । यह अस्थायी प्रस्ताव (टेंटेटिव प्रपोजल) है और वेपंकोज द्वारा विस्तृत सर्वे (डिटेल्ड सर्वे) के पश्चात इसमें संशोधन हो सकता है/होने की सम्भावना है ।

(3) इन्दिरा गांधी नहर के अन्तिम छोर से निकलने वाली सीधी नहर सागर-मल गोपा शाखा, उसके पश्चात गडरा रोड सब ब्रांच एवं गडरा रोड वितरिका के अन्तिम छोर तक वर्ष 2004-2005 तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है । गडरा रोड वितरिका के सिंचित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे (डिटेल्ड सर्वे) अभी तक नहीं हुआ है । अतः तहसीलवार सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा अभी देना संभव नहीं है । परन्तु प्रारम्भिक सर्वे के आकलन के अनुसार बाडमेर जिले की लगभग 40 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी और इसका अधिकतम क्षेत्र शिव तहसील में आने की संभावना है ।

गजनाई बांध का नहर निर्माण प्रकरण

68. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गजनाई बांध का अतिरिक्त 19 एम.सी.एफ.टी. पानी बीजागुड़ा गांव की 500 एकड़ असिंचित भूमि हेतु नहर निकाल कर दिया जाना था ? क्या बीजागुड़ा के किसानों को एक बूंद भी पानी सिंचाई हेतु नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(2) उक्त बांध किस पंचायत क्षेत्र में बना हुआ है तथा कमांड ऐरिया का गलत सर्वे करने हेतु कौन अधिकारी दोषी है ?

(3) क्या बीजागुड़ा गांव के लिए नहर निकालने हेतु 30 लाख की राशि की स्वीकृति जारी कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त प्रस्तावित बीजागुड़ा नहर का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं करने में कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, गजनाई बांध के प्रशासनिक स्वीकृत तकमीने में बीजागुड़ा गांव की भूमि सिंचित क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं थी।

(2) उक्त बांध बीजागुड़ा पंचायत क्षेत्र में बना हुआ है। गांव बीजागुड़ा बांध के ऊपर दांयी तरफ 3.0 कि.मी. दूरी पर स्थित है। कमाण्ड ऐरिया का सर्वे सही किया गया है अतः किसी अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता।

(3) जी नहीं, बीजागुड़ा गांव के काश्तकारों की मांग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अध्ययन किया गया था। जिसके आधार पर प्रस्तावित क्षेत्र ऊंचा होने के कारण उक्त क्षेत्र को सिंचित करना संभव नहीं है।

(4) बीजागुड़ा नहर बनाना तकनीकी, भौगोलिक आधार पर संभव नहीं है अतः किसी को प्रारम्भ नहीं करने के दोषी करार देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तहसील चूरू की पेयजल व्यवस्था

69. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभि. मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आपणी योजना कब किस देश के सहयोग से कितनी राशि की स्वीकृति हुई तथा कितने चरणों एवं कितने समय में कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है ?

(2) उक्त योजना के अंतर्गत तहसील चूरू के कितने गांव अब तक सामाल्वित किये जाने हैं ?

(3) तहसील चूरू में कितनी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से कितने-कितने गांवों को कितना-कितना पानी दिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) लोहसणा बड़ा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कितनी राशि की कब स्वीकृत हुई और उससे वर्तमान में कितने गांवों में पानी पहुंच रहा है ?

(5) तहसील चूरू में कुल कितने जी.एल.आर. जलस्रोत से जोड़े जा चुके हैं और शेष को जोड़ने की क्या योजना है ?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(6) तहसील चूरू में कितने संयंत्र खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के स्थापित हैं और उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं ?

(7) चूरू शहर में कितनी पाइप लाइन जल स्रोत से जोड़ी नहीं गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें । शेष बची पाइप लाइनों को कब तक जल स्रोत से जोड़ दिया जायेगा ?

(8) तहसील चूरू के गांव दुधवाखारा में कितनी पाइप लाइन किस–किस मोहल्ले में डाले जाने की स्वीकृति है और उसमें से कितनी पाइप लाइन डाली जा चुकी है तथा कितनी डाली जानी अभी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जर्मन सरकार के सहयोग से राज्य में आपणी योजना के प्रथम चरण की स्वीकृति वर्ष 1994 में राशि 253.01 करोड़ रुपये की गई थी, जिसकी वर्ष 1998 में संशोधित स्वीकृति राशि 399.27 करोड़ रुपये की गई । योजना का प्रथम चरण का क्रियान्वयन दिसम्बर, 2000 तक किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) योजना के स्वीकृत प्रथम चरण में कुल 225 गांवों में चूरू तहसील के 6 गांव सम्मिलित है, जिन्हें दिसम्बर, 2000 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

(3) तहसील चूरू की 5 क्षेत्रीय योजनाओं के तहत 53 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है । विवरण सूची परिशिष्ट 'अ' पर है ।

(4) लोहसणा बड़ा गांव, क्षेत्रीय सम्बंधन योजना खासोली दुधवाखारा के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है योजना की स्वीकृति वर्ष 1995–96 में 103.03 लाख रुपये की हुई थी । इस योजना से 16 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में 11 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है ।

(5) चूरू तहसील में कुल 250 भूतल जलाशय (जी.एल.आर.) बनाये गये हैं इनमें से 234 जल स्रोत से जोड़े जा चुके हैं । शेष 16 को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है एवं इसी वित्तीय वर्ष में जोड़ना प्रस्तावित है ।

(6) तहसील चूरू में 12 संयंत्र खारे पानी को मीठा पानी में बदलने हेतु स्थापित हैं । जिनमें से एक संयंत्र कार्य कर रहा है ।

(7) चूरू शहर में 2.54 कि.मी. वितरण पाइप लाइन अभी तक बिछाने के बाद जुड़ी हुई नहीं है । उक्त पाइप लाइन को जोड़ने का कार्य प्रगति में है । जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

(8) तहसील चूरू के गांव दुधवाखारा के 13 वार्डों में 10585 मीटर पाइप लाइन

(जनस्वास्थ्य अभि. मंत्री)

बिछाने हेतु स्वीकृति हुई । जिसमें से 5335 मीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है एवं 7250 मीटर पाइप लाइन डालना शेष है जिसका कार्य प्रगति पर है । वार्ड वाईज विवरण परिशिष्ट "ब" पर है ।

परिशिष्ट "अ"

क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के 53 गांवों से जल वितरण का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत गांव का नाम	वर्तमान जल वितरण का सर्विस लेवल ली.प्र.व्य. प्र.दि.
1	2	3	4
1.	क्षेत्रीय जल योजना खासोली दूधवाखारा	1. खासोली(जल स्रोत)	7
		2. ढाढर	7
		3. लाखाऊ	7
		4. आसलू	7
		5 लाटड़िया	7
		6. बाढ़की	7
		7. कर्णपुरा	7
		8. ढाणी रणवा	7
		9. दुधवाखारा	7
		10. ढाणी लक्ष्मणसिंह	7
		11. डाकों का बास	7
		12. लोहसना बड़ा	7

1	2	3	4
		13. लोहसणा छोटा	7
		14. महलों का बास	7
		15. सिरसला	7
		16. सिरसली	7
2.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कड़वासर–भामासी	1. कड़वासर(जल स्त्रोत)	7
		2. भमासी	7
		3. बरड़ादास	7
		4. लालासर पटटा राजपुरा	7
		5. लालासर पटटा बनीरोगान	7
3.	क्षेत्रीय जल योजना तारानगर चलकोई खालिया	1. जोड़ी पटटा चारनान	4
		2. भैंकसर	4
		3. मकोड़ी	4
		4. धमेरी	4
		5. कोटवाद ताल	4
		6. कोटवाद नायोवतान	4
		7. कोटवाद टोबा	4
		8. जोड़ी पटटा सात्यूं	4
		9. जोड़ी पटटा लोहसना	4
4.	क्षेत्रीय जल योजना असरासर-सातड़ा	1. सातड़ा (सातड़ा जल स्रोत)	7
		2. पोटी	7
		3. बीनासर	7
		4. श्यामपुरा	7
		5. जगरासर	7
		6. रामदेवरा	7
		7. रामपुरा	7
		8. खारिया	7

1	2	3	4
5.	क्षेत्रीय जल योजना घन्टेल-सोमासी	1. गाजसर(चूरू)	7
		2. घन्टेल	7
		3. सोमासी	7
		4. झारिया (झारिया जल स्रोत)	7
		5. रिडखला	7
		6. घासलखेडी	7
		7. बीकासी	7
		8. चारणवासी	7
		9. रामपुरा	7
		10. करणीसर	7
		11. चंदेलनगर	7
		12. पुनीमनी की ढाणी	7
		13. गुजरों की ढाणी	7
		14. नायकों की ढाणी	7
		15. 17 मील की ढाणी	7

परिशिष्ट "ब"

गांव दूधवाखारा तहसील चूरू में स्वीकृत पाइप लाइन एवं डाली गई पाइप लाइन का विवरण

क्र.सं.	वार्ड का नाम	स्वीकृत पाइप लाइन की लम्बाई (लगभग)	डाली जा चुकी पाइप लाइन की लम्बाई	शेष पाइप लाइन जो डाली जा रही है
1.	1	600 मी.	—	600 मी.
2.	2	850 मी.	—	850 मी.
3.	3	650 मी.	—	650 मी
4.	4	785 मी.	—	785 मी.
5.	5	1300 मी.	600 मी.	700 मी.
6.	6	920 मी.	685 मी.	235 मी.
7.	7	1070 मी.	550 मी.	520 मी.
8.	8	620 मी.	—	620 मी.
9.	9	600 मी.	—	600 मी.
0.	10	760 मी.	400 मी.	360 मी.
1.	11	1480 मी.	700 मी.	780 मी.
2.	12	550 मी.	—	550 मी.
3.	13	400 मी.	400 मी.	—
	योग	10585 मीटर	3335 मीटर	7250 मीटर

तहसील बस्सी के बांध निर्माण प्रकरण

70. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर के कानोता बांध का कार्य कब तक पूर्ण होना था और अब कब तक पूर्ण होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त बांध का कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त बांध कब स्वीकृत हुआ एवं उस वक्त कुल लागत कितनी आंकी गई थी और अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या तहसील बस्सी के लालगढ़ व फालिमावास क्षतिग्रस्त बांधों का सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं; तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त दोनों क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कानोता बांध का कार्य वर्ष 1990 में पूर्ण होना प्रस्तावित था और वर्तमान में इस बांध का कार्य वर्ष 2001 में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं।

(3) इस बांध की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ (आई. एस.) एएस/आई/ सैल/76/128 दिनांक 7-2-85 को रुपये 363.50 लाख की जारी की गई। नवम्बर, 98 तक इस परियोजना पर 577.53 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(4) जी हां। लालगढ़ के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत का सर्वे 1995 में करवाया गया था। फालिमावास एनीकट का सर्वे नहीं किया गया, क्योंकि सिंचाई विभाग एनिकट का कार्य हाथ में नहीं लेता है।

(5) लालगढ़ बांध मिट्टी से भरा हुआ है, और इसको फिर उपयोगी होने के प्रस्ताव तकनीकी व आर्थिक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने से इसका कार्य विभाग द्वारा हाथ में लिया जाना सम्भव नहीं है। फालियावास एनीकट है और एनीकटों का सुधार कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल का टंकी निर्माण प्रकरण

71. श्री महेश जोशी (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री महेश जोशी)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में ऐसी कौन-कौन सी कालोनी/नगर हैं जहां पर पानी की टंकी बनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर पानी की टंकी का निर्माण प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में ऐसे स्थान भी है जहां पर टंकी का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में निम्न लिखित स्थानों पर पानी के स्वच्छ जलाशय/उच्च जलाशय बने हुए हैं :—

1. अमानीशाह
2. अमानीशाह नाला
3. किशनबाग नाला
4. शास्त्री नगर तिकोना पार्क
5. शास्त्री नगर चौराहे पर
6. नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड
7. राम नगर
8. लंकापुरी
9. सैक्टर नं.8 विद्याधर नगर
10. सैक्टर नं.9 "
11. सैक्टर नं.4 विद्याधर नगर
12. अम्बाबाड़ी
13. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र रोड नं. 5 व 13
14. कालिदास मार्ग

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में एक स्वच्छ जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में किसी भी टंकी का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ नहीं है।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 का विवरण

संजय शिक्षा समिति, जयपुर की प्रबन्ध समिति में पदाधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पूर्ण पता	पद
1.	श्री शम्भूदयाल गुप्ता पुत्र श्री शिवसहाय	7-ट-8, जवाहर नगर, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री अरविन्द चौधरी पुत्र श्री ओम प्रकाश	चौधरियों का दरवाजा मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री रतन चन्द्र जैन पुत्र श्री मुन्नी लाल	सोतियों का रास्ता के.जी.बी. का रास्ता जयपुर	उपाध्यक्ष/ व्यवस्थापक
4.	श्री सागरमल जूनीवाल पुत्र श्री मुन्नी लाल	रास्ता कुन्दीगर भैरूजी जयपुर	मंत्री
5.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री एस.एम.जुनीवाल	4-ख-18 जवाहर नगर, जयपुर	सहायक मंत्री
6.	श्री इन्द्र कुमार जैन	घी वालों का रास्ता जयपुर	कोषाध्यक्ष

परिशिष्ट "2"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जयपुर प्रथम

निरीक्षण प्रतिवेदन

संजय सी.सै.स्कूल हिन्दी माध्यम जयपुर, लाल कोठी, टोंक रोड पर स्थित है जिसमें अध्यापन हेतु 16 कक्ष हैं। जिनमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं नियमानुसार विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हैं, भवन प्रांगण में बच्चों को वालीबाल क्रिकेट आदि खेलने की व्यवस्था है।

विद्यालय में पुस्तकालय 108 × 20 लम्बे हाल में चलाया जा रहा है। पुस्तकालय में लगभग 2300 पुस्तकें अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं। पुस्तकालय संचालन हेतु श्री सुरेश चन्द शर्मा पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त है जो समय-समय पर पुस्तकें वितरित करते हैं। इसी हाल में छात्रों के अध्ययन हेतु वाचनालय भी चलाया जाता है जिसमें पर्याप्त पत्र पत्रिकायें उपलब्ध करवाई जाती हैं।

विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान हेतु अलग-अलग प्रयोगशालायें हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला 30 × 10 के कक्ष में स्थित है जिनके आगे 5 फुट चौड़ा बरामदा है। प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम अनुसार उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध है।